HSC(N)-102

प्रसार शिक्षा एवं संचार

Extension Education

And

Communication

स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

HSC(N)-102

प्रसार शिक्षा एवं संचार

Extension Education

And

Communication

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
तीनपानी बाई पास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, हल्द्वानी-263139
फोन नं. 05946- 261122, 261123
टोल फ्री नं. 18001804025
फैक्स नं. 05946-264232, ई-मेल: info@uou.ac.in
http://uou.ac.in

अध्ययन बोर्ड				
प्रोफेसर पी0 डी0 पंत निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर लता पाण्डे विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग डी0एस0बी0 कैम्पस कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर दीक्षा कपूर प्राध्यापक, पोषण विज्ञान विभाग सतत् शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	प्रोफेसर मनीषा गहलौत प्राध्यापक, वस्त्र एवं परिधान विभाग गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड	
डॉ0 दीपिका वर्मा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 प्रीति बोरा सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मोनिका द्विवेदी सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 ज्योति जोशी सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 पूजा भट्ट सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

पाठ्यक्रम संयोजक	**पाठ्यक्रम संपादन**
डॉ0 दीपिका वर्मा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 दीपिका वर्मा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

इकाई लेखन	**इकाई संख्या**
बी० ए० गृह विज्ञान HSC- 202 से लिया गया	1, 2, 3, 8, 9, 10, 12
बी० ए० गृह विज्ञान HSC- 202 का संशोधन	4
एम० ए० गृह विज्ञान MAHS- 05 का रूपांतरण एवं संशोधन	5, 7
एम० ए० गृह विज्ञान MAHS- 15 का रूपांतरण एवं संशोधन	6, 11

ISBN-

समस्त लेखों/पाठों से सम्बन्धित किसी भी विवाद के लिए लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद के लिए जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कॉपीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष:2024

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: एम0पी0डी0डी0, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी-263139(नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रसार शिक्षा एवं संचार

Extension Education andCommunication

HSC(N)-102

खण्ड	इकाई	पृष्ठ संख्या
1 प्रसार शिक्षा एक परिचय	इकाई 1: प्रसार शिक्षा की अवधारणा	2-20
	इकाई 2: प्रसार शिक्षा में ऐतिहासिक विकास	21-36
	इकाई 3: प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान की भूमिका	37-55
2 प्रसार एवं प्रसार प्रक्रिया	इकाई 4: संचार	57-84
	इकाई 5: संचार के मॉडल	85-107
	इकाई 6: नवाचार, अभिग्रहण एवं प्रसार	108-128
3 प्रसार शिक्षा के उपकरण	इकाई 7: प्रसार शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम	130-151
	इकाई 8: प्रसार शिक्षा की विधियाँ	152-168
	इकाई 9: श्रृव्य- दृश्य सामग्री	169-189
4 ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भारतीय प्रसार प्रणाली और समुदाय का विकास	इकाई 10: ग्रामीण विकास कार्यक्रम	191-210
	इकाई 11: भारतीय प्रसार प्रणाली	211-234
	इकाई 12: समुदाय का विकास	235-277

खण्ड 1

प्रसार शिक्षा : एक परिचय

इकाई 1 : प्रसार शिक्षा की अवधारणा

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 प्रसार शिक्षा: उत्पत्ति, उद्भव, अर्थ एवं परिभाषा
1.4 प्रसार शिक्षा के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध
1.5 प्रसार शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व
1.6 प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र
1.7 प्रसार शिक्षा के सिद्धांत एवं उद्देश्य
  1.7.1 प्रसार शिक्षा के सिद्धांत
  1.7.2 प्रसार शिक्षा के उद्देश्य
1.8 प्रसार कार्यकर्ता
  1.8.1 प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका
  1.8.2 प्रसार कार्यकर्ता के गुण
  1.8.3 प्रसार कार्यकर्ता का प्रशिक्षण
1.9 सारांश
1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.11 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1.1 प्रस्तावना

शिक्षार्थियों इस इकाई में हम आपको प्रसार शिक्षा से परिचित करा रहे हैं। यह आप सभी के लिए एक नया क्षेत्र है इसलिए प्रथम इकाई में हम आपको बताएँगे कि प्रसार शिक्षा क्या है और इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। प्रसार शिक्षा का अध्ययन आपको अपना ज्ञान व कौशल अन्य लोगों के साथ साझा करने का अवसर देगा। आपके आस पास मौजूद लोग इतने भाग्यशाली नहीं होंगेकि वह विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह विषय आपकी अपने ज्ञान व कौशल को समाज के अन्य लोगों में सांझा करने के तरीकों व विधियों को जानने में मदद करेगी।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे;

- प्रसार शिक्षा की अवधारणा।
- प्रसार शिक्षा की विशेषताएँ।
- प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से सम्बन्ध।
- प्रसार शिक्षा के अध्ययन की आवश्यकता।
- प्रसार शिक्षा की महत्ता।
- प्रसार शिक्षा के सिद्धांत।
- प्रसार कार्यकर्ता के गुण व उसकी भूमिका।
- प्रसार कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की महत्वता।

1.3 प्रसार शिक्षा: उत्पत्ति, उद्भव, अर्थ एवं परिभाषा

हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रही है। आज हर कोई जानता है कि स्वयं के विकास तथा आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। हालाँकि हम जानते हैं कि सारे व्यक्ति विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाते हैं। जो लोग औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनको भी शिक्षित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि अपने जीवन एवं क्रियाकलापों को सुधारने हेतु उन्हें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसी देश के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक होता है एवं यह योगदान तभी संभव है जब देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो इसी उद्देश्य के साथ प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ।

'प्रसार(extension)' शब्द की उत्पत्ति एक्स (ex) व टेंसियो (tensio) से हुई है जिसका अर्थ है विस्तार करना।प्रसार शिक्षा का उपयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा सन्1973 में विश्वविद्यालय परिसर से बाहर के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार या विस्तार के लिए किया गया। बाद में प्रसार शिक्षा का उपयोग अमेरिका के एक विश्वविद्यालय द्वारा उन लोगों को शिक्षित करने के लिए एक विषय के रूप में किया गया जो लोग काम की वजह से विश्वविद्यालय से दूर रहते थे। सन्1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रसार शिक्षा को अपनाने हेतु संघीय स्मिथ लीवर एक्ट पारित किया। यह एक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों में कृषि एवं गृह अर्थशास्त्र (गृह विज्ञान) से सम्बंधित सभी विषयों पर उपयोगी व व्यवहारिक जानकारी का प्रसार करने के लिए पारित किया गया।

प्रसार शिक्षा की इस मत्वपूर्ण भूमिका को बींसवीं सदी की शुरुवात में श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी तथा एफ. एल. ब्रायन द्वारा देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में समझा गया। इस प्रकार कुछ क्षेत्रीय विकास प्रसार कार्यक्रम ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए शुरू किये गए। हालाँकि भारत के

आजाद होते ही राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय विकास प्रसार कार्यक्रम शुरू हो गए थे जिनके बारे में हम अगली इकाई में विस्तार से पढेंगे।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पादन, आय तथा गुणवत्ता सुधार हेतु प्रसार शिक्षा एक पूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है।

अब हम प्रसार शिक्षा के अर्थ एवं अवधारणा को समझने हेतु कुछ प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा दी गयी कुछ परिभाषाओं को पढेंगे ।

जे. पाल लीगन (1961), जोकि प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं , उन्होंने बताया कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है, जिसमें शोध से प्राप्त प्रासंगिक सामग्री, क्षेत्र के अनुभव व प्रासंगिक सिद्धांत, उपयोगी तकनीकों का संश्लेषण तथा विचार व प्रतिक्रियाएं आती हैं जिससे कि व्यक्ति किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में जाए बिना ज्ञान प्राप्त करता है।

ओ. पी. धामा (1973) एक प्रख्यात भारतीय प्रसार शिक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा ग्रामीण स्थानों पर निवास कर रहे लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित नयी तकनीकों या तरीकों का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने विभिन्न कार्यों को सरलता से कर सकें एवं विभिन्न परिस्थियों में निर्णय ले सकें ।

सिंह (1980) के अनुसारप्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रयोग विभिन्न तकनीकों और परिवर्तनों के कार्यक्रमों के माध्यम से नये वैज्ञानिक व प्रौद्यौगिकीय विचारों को लोगों तक पहुँचाने में किया जाता है।

वी. टी. कृष्णमचारी ने प्रसार शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया बताया है जोग्रामीण लोगों को उनकी समस्याओं से अवगत कराने और उसे हल करने के तरीकों के बारे में बताने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया लोगों को केवल उनकी समस्याओं से अवगत करने का कार्य ही नहीं करती अपितु लोगों को सकारात्मक कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रसार शिक्षा मुख्यत: ग्रामीण लोगों के लिए एक शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति का विद्यालय जाए बिना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास संभव है। प्रसार का अर्थ है उन लोगों में विभिन्न नई तथा उपयोगी तकनीकों का प्रसार करना जो लोग नियमित विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा सकते हैं।

अब हम तालिका 1.1 में प्रसार शिक्षा की विभिन्न विशेषताओं को समझेंगे;

तालिका 1.1 : प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

- यह एक व्यवहारिक विज्ञान है।
- यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है।

- यह ग्रामीण युवाओं और वयस्कों में वांछनीय बदलावों पर केंद्रित रहता है।
- यह सुविचारित बदलावों की नियोजित प्रक्रिया है।
- यह शिक्षा उपयोगी प्रयोगात्मक वैज्ञानिक ज्ञान, नई पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी पर केंद्रित रहती है।
- यह लोगों की प्रायोगिक समस्याओं का समाधान करता है और लोगों को सकारात्मक प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह ज्ञान कक्षाओं तथा विद्यालय में न देकर उसी स्थान पर दिया जाता है जहाँ विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है।
- प्रसार शिक्षा का अर्थ है सामाजिक व आर्थिक विकास।

अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे जिनका उपयोग इस इकाई में आगे किया जाएगा।

प्रसार सेवाएं : यह कृषिविकास, ग्रामीण कल्याण, ग्रामीण घर व परिवार में सुधार, गाँव या कुटीर आधारित छोटे उद्योगों के विकास या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कार्यक्रमों के रूप में प्रदान की गयी सेवाओं को दर्शाता है। यह कार्यक्रम प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया तथा उद्देश्यों का पालन करते हैं।

प्रसार प्रक्रियाएं : यह विद्यालय या औपचारिक शिक्षण प्रणाली से बाहर सामुदायिक कल्याण हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार विशेषज्ञ, ग्रामीण युवाओं व वयस्कों को उनकी जरूरत व रूचि के अनुसार अच्छी जीविका प्राप्त करने हेतु व बेहतर एवं स्वस्थ जीवन शैली और बाहरी वातावरण हेतु शिक्षित करता है।

समुदाय : लोगों का समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक ही व्यवसाय करते है एवं जीविकोपार्जन हेतु एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित रहते हैं।

उदाहरण : एक गाँव में रहने वाले किसान।

अभ्यास प्रश्न 1

1. आप प्रसार से क्या समझते हैं? इसका उपयोग सबसे पहले कब हुआ?
2. प्रसार शिक्षा एक क्षेत्र के रूप में क्यों आया?
3. प्रसार शिक्षा की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दीजिए।
4. प्रसार शिक्षा के मत्वपूर्ण बिंदु बताइये?

1.4 प्रसार शिक्षा के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध

विद्यार्थियों, प्रसार शिक्षा ने अन्य क्षेत्रों से विचारों, सिद्धांतों व विधियों को लेकर खुद को एक नये विषय के रूप में विकसित किया है। अब आगे हम यह जानेंगे कि कसी यह विषय अन्य विषयों से सम्बंधित है।

प्रसार शिक्षा व गृह विज्ञान

गृह विज्ञान परिवार के सभी पहलुओं जैसे घर, इसका निर्माण रखरखाव, साज सज्जा, परिवार के लोगों का भोजन, वेशभूषा व बच्चों के पालन आदि से संम्बंधित है। गृह विज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाना है। प्रसार शिक्षा भी ज्ञान तकनीकों व कौशल का प्रसार लोगों के जीवन व उनके परिवार में वांछनीय बदलाव लाने के लिए करता है। इस उद्देश्य के लिए प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान से कई अवधारणाओं को स्वास्थ्य में सुधार हेतु, अर्थशास्त्र गतिविधियों, परिवार सम्बन्ध व परिवार की पोषण स्थिति के लिए लेता है। इसलिए गृह विज्ञान एवं प्रसार शिक्षा का बहुत नजदीकी सम्बन्ध है।

प्रसार शिक्षा एवं शारीरिक विज्ञान

शारीरिक विज्ञान अन्य विज्ञानों का आधार है। इसके अंतर्गत बुनियादी सिद्धांत व परिकल्पना तैयार की जाती हैजिससे सभी विषयों की नीव तैयार होती है। पृथ्वी व पर्यावरण का ज्ञान लोगों को खाद्य पदार्थों के उत्पादन व उपभोग, आवास व स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने हेतु किया जाता है। भौतिक विज्ञान से सम्बंधित संकल्पना को आसान रूप देकर प्रसार शिक्षा के साथ संयुक्त करके जन जन तक पहुंचाया जाता है।

प्रसार शिक्षा व समाज शास्त्र

समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज, सामाजिक संरचनाओं, समूहों व उनके संगठन का अध्ययन किया जाता है। इस ज्ञान का उपयोग प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोगों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुरूप कौशलों, पद्धतियों तथा क्रियाविधियों में विकास किया जाता है। जब किसी तकनीक या विचार को उस स्थान की सामाजिक प्रथाओं को ध्यान में रखकर पारित किया जाता है तो उसे वहाँ के लोगों द्वारा जल्दी स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार समाज शास्त्र जमीनी स्तर पर लोगों में ज्ञान एवं तकनीकी के प्रसार को आसान करने में मदद करता है।

प्रसार शिक्षा एवं मनोविज्ञान

मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के व्यवहार व उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। प्रसार शिक्षा भी लोगों के व्यवहार के अध्ययन से सम्बंधित है। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु प्रसार शिक्षा का उनके व्यवहार के सम्बन्ध में जानना अति आवश्यक है। उदाहरणार्थ सीखने, ग्रहण करने तथा प्रेरणा के सिद्धांत जिनका अध्ययन तथा वर्णन मनोविज्ञान में होता है ये सभी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत भी लागू किये जाते हैं।

प्रसार शिक्षा तथा अर्थशास्त्र

प्रसार शिक्षा तथा अर्थशास्त्र दोनों का उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाने हेतु धन व अन्य संसाधनों का अध्ययन करना है। लागत-लाभ, फायदा व खाते का ज्ञान अर्थशास्त्र के एक भाग के रूप में प्राप्त होता है। यह ज्ञान प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों में लघु उद्योगों या कृषि सम्बंधित उद्योगों की स्थापना करने, चलाने व विकास के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है।

प्रसार शिक्षा व मीडिया संचार

मीडिया और संचार लोगों के मध्य सूचना प्रसारित करने के तरीकों और मार्गों का अध्ययन करता है। ये कौशल व तरीके प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उनकी सूचनाओं को प्रसारित करने हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि मीडिया व संचार का उपयोग समुदाय के विभिन्न समूहों के बीच कुशलतापूर्वक व प्रभावी ढंग से जानकारी प्रसारित करने के वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

प्रसार शिक्षा और प्रबंधन

लक्ष्य प्राप्त करने की अवधारणा, तरीकों, प्रक्रिया और तकनीकों का अध्ययन प्रबंधन में किया जाता है। प्रसार शिक्षा बड़े पैमाने में इन प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए करता है। नियोजन, एकीकृत, क्रियान्वयन, बजट नियंत्रण व मूल्यांकन की अवधारणा व तरीकों सभी का उपयोग प्रसार कार्यक्रमों में किया जाता है। ये सभी लक्ष्यों की प्रभावी व कुशल उपलब्धि में प्रसार शिक्षकों की मदद करते हैं।

प्रसार शिक्षा व शिक्षा

प्रसार शिक्षा वयस्कों व युवाओं की आवश्यकता आधारित शिक्षा है। इस प्रयोजन के लिए यह शिक्षा के पारंपरिक क्षेत्र से सभी प्रासंगिक तकनीकों व तरीकों का प्रयोग करता है। शिक्षा में प्रयोग होने वाली पठान प्रक्रिया और श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रसार शिक्षा हेतु भी किया जाता है। इसलिए प्रसार शिक्षा में आम जनता को शिक्षित करने के लिए शिक्षा के बुनियादी और नये ज्ञान का प्रयोग किया जाता है।

अत: हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रसार शिक्षा कई विषयों विशेषरूप से व्यवहार विज्ञान के साथ मिलकर बना है। इनमे से कई विषय आपने विद्यालय में पढ़े होंगे या वर्तमान में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान या समाज शास्त्र के रूप में पढ़ रहे होंगे।

क्रियाविधि-1

गृह विज्ञान में से कोई दो विषय खोजें जिन्हें आप ग्रामीण समुदाय में प्रसार शिक्षा के रूप में पढ़ाना चाहेंगी।

1.5 प्रसार शिक्षा की आवश्यकता एवंमहत्त्व

हमारे चारों ओर की दुनिया तेजी से बदल रही है। हमने कई नई खोजें और काम करने के नये व अग्रिम तरीके देखे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यस्त हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों के रूप में हमें उनकी नई खोजों और नवाचारों के बारे में जानने का अवसर मिलता है , फिर भी देश के विकास हेतु यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। खान पान के आधुनिक तरीकों तथा तकनीकों का ज्ञान किसी ग्रामीण महिला के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना एक शहरी महिला के लिए। प्रसार शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न नई तकनीकें एवं ज्ञान उन सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिन्हें इसकी आवश्यकता है तथा इसके बीच में उनकी आयु तथा औपचारिक शिक्षा जैसी स्थितियाँ नहीं आती हैं। यह हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा प्रयोगशाला और क्षेत्र के बीच के अंतर को कम करता है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे गृह विज्ञान, कृषि, डेयरी, फार्मिंग आदि में अनुसंधानों एवं नई खोजों ने नये ज्ञान, कौशल व उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इन तरीकों को अपनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। ग्रामीण महिलाएं व किसान प्रतिदिन कई समस्याओं का सामना करते हैं किन्तु उचित जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण वे इन समस्याओं का निदान नहीं कर पाते हैं। विभिन्न अनुसंधानों व खोजों का वास्तविक जीवन में अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए वैज्ञानिकों का किसानों व ग्रामीण लोगों के साथ निरंतर बात करना अत्यंत आवश्यक है। प्रसार संस्थाएं प्रसार शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिकों, नई खोजों तथा ग्रामीणों के बीच के अंतर को भरने का प्रयास करते हैं।

प्रसार शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रामीण लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करती है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नवीनतम व उपयुक्त तकनीकों की पहचान करने में भी यह लोगों की मदद करता है। साथ ही यह पुरानी विधियों से नई विधियों में परिवर्तन का भी समर्थन करती है। यह ग्रामीण लोगों को जमीनी स्तर पर शोधों व नई खोजों में सक्रिय भागीदार बनाता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1. प्रसार शिक्षा से आप क्या समझते है? प्रसार शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?
2. प्रसार शिक्षा कैसे वैज्ञानिकों एवं ग्रामीण लोगों दोनों को एक साथ लाभ पहुँचाती है?विस्तार से बताइए।

1.6 प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र

प्रसार शिक्षा उन सभी गतिविधियों, स्थितियों, कार्यक्रमों और नीतियों को सम्मिलित करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब भी और जहाँ भी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की और उनके व्यवहार में वांछनीय बदलाव लाने की जरूरत महसूस की जाती है वहाँ प्रसार शिक्षा का प्रयोग होता है। आज प्रसार शिक्षा लोगों के विकास व वृद्धि हेतु हमारे देश और दुनिया भर में एक स्थायी क्षेत्र के रूप में विकिसित हो गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु सभी विकासशील देशों में फैला हुआ है।आइये अब हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को देखते हैं जहाँ प्रसार शिक्षा का प्रयोग एक बड़े पैमाने पर किया जाता है।

I. बेहतर जीवन व्यापन के लिए गृह विज्ञान

परम्परागत रूप से माँ द्वारा बेटियों को घर और परिवार प्रबंधन सम्बंधित सभी कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता रहा है। गृह विज्ञान नयी अवधारणाओं, कौशलों, नई खोजों व अनुसंधान को खुद में समाहित किये हुए एक नये विषय के रूप में हमारे समक्ष आया है और इसे लोगों तक केवल प्रसार शिक्षा के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। जिसके बारे में हम इकाई तीन में विस्तार से पढेंगे।

II. कृषि उत्पादन में दक्षता, विपणन, वितरण, भंडारण और कृषि उत्पाद में उपयोग हेतु कृषि शिक्षा

कृषि विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर प्रसार शिक्षा का उपयोग नई वैज्ञानिक खोजों, उपकरण व तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने के लिए करते हैं।

III.उत्तम कार्यक्षमता और निम्न अपव्यय हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

दुनिया तेजी से तकनीकी के क्षेत्र में उन्नति कर रही है। प्रसार शिक्षा का उपयोग तकनीकी को अपनाने, प्रसारित करने, तकनीकी अंतराल को कम करने, विकास के प्रभाव व परिणाम को जानने तथा विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु किया जाता है।

IV. सामुदायिक विकास और ग्रामीण कल्याण केलिए प्रशिक्षण व अनुसंधान

प्रसार शिक्षा का उपयोग विभिन्न समूहों के प्रशिक्षण, क्षेत्रीय परीक्षण या अनुसंधान हेतु आंकड़े एकत्रित करने हेतु किया जाता है। अनुसंधान विभिन्न पहलुओं जैसे लोगों के व्यवहार और मनोविज्ञान, विभिन्न विचारों की स्वीकार्यता, प्रौद्योगिकी व नई खोजों का लोगों के जीवन में प्रभाव व सभी प्रसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु किया जाता है।

V.उन्नत ग्रामीण नीति तैयार करने और ग्रामीण आबादी के सर्वांगीण विकास हेतु नीति बनाना

लोगों व देश के विकास हेतु राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नीतियाँ बनायी जाती हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनायी जाती हैं। प्रसार शिक्षा से प्राप्त ज्ञान व सूचना का प्रयोग जमीनी हकीकत जानने के लिए किये जाता है। राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर नीतियाँ बनाते समय प्रसार शिक्षा विकास लक्ष्यों व वांछनीय परिवर्तनों को लक्षित करता है।

VI.सभी प्रसार सेवाओं हेतु कार्यक्रम नियोजन व निष्पादन

सभी विकास कार्यक्रमों के नियोजन व निष्पादन हेतु प्रसार शिक्षा का उपयोग किया जाता है। विकास कार्यक्रमों के हर एक चरण में प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है।

VII.उन्नत गृह व कृषि प्रबंधन हेतु प्रसार शिक्षा

खेतों व घर में सुधार करने के लिए लोगों को प्रबंधन उपकरण व तकनीकी के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। खेतों व घर में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे फसल उत्पादन, उत्पाद का भंडारण व गृह प्रबंधन हेतु मानव संसाधन योजना के लिए युवाओं व महिलाओं के प्रशिक्षण को सम्मिलित करता है।

VIII. युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास

नेतृत्व क्षमता विकसित करने सम्बंधित कार्यक्रम सूचना, प्रौद्योगिकी तथा प्रोत्साहन का प्रवाह सभी तक पहुँचाने हेतु समुदाय में पदानुक्रम तथा समूहों के नेता बनाने का कार्य करते हैं।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे देश में प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत बढ़ा या विस्तृत है। प्रसार शिक्षा एवं सेवाएं सम्पूर्ण देश के तीव्र एवं योजनाबद्ध विकास के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचनी आवश्यक हैं।

1.7प्रसार शिक्षा के सिद्धांत एवं उद्देश्य

1.7.1 प्रसार शिक्षा के सिद्धांत

प्रसार शिक्षा, शिक्षा की एक शाखा है और अन्य विषयों की भांति इसके भी अपने सिद्धांत हैं जो सभी प्रसार कार्यक्रमों और नीतियों में प्रतिबिंबित होते हैं।प्रसार सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से मूल महत्व, मार्गदर्शक सिद्धांत तथा बुनियादी दृष्टि आदि आते हैं। प्रसार सिद्धांत, प्रसार सेवाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने में एक दिशा की तरह कार्य करते हैं। आइये अब प्रसार सिद्धांतों के कुछ मुख्य आयामों को परखें।

सहभागी और सहयोगी पद्धति

लोगों तक शिक्षा पहुँचाने के लिये प्रसार शिक्षा एक सहभागी पद्धतिहै। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए तथा व्यक्ति ने जिन परेशानियों का सामना किया हो उसकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान करके उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अत: व्यक्ति की स्वैच्छिक भागीदारी प्रसार शिक्षा के सभी तरीकों का प्रमुख अंग है। हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह परिवार, समूह और समुदाय के विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। यह सिद्धांत सामूहिक प्रयत्न द्वारा समूह निर्माण, समूहों में कार्य व सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

स्वयं सहायता

प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि किस प्रकार सोच समझकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। इस प्रकार वे अपनी मदद स्वयं कर पायेंगे। प्रसार शिक्षा लोगों को स्वयं सहायता हेतु आवश्यक प्रोत्साहन व सहायक प्रणाली प्रदान करती है।

बदलने की प्रक्रिया

प्रसार शिक्षा का एक अन्य महत्व लोगों को समूहों में शिक्षा प्रदान करके उनके व्यवहार, नजरिये, कौशल व क्षमताओं में वांछनीय परिवर्तन लाना है।

लोकतंत्र

हमारा समाज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम सभी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं। और एक समूह में कोई भी निर्णय लोकतांत्रित ढंग से लिया जाता है।

व्यक्ति एक संसाधन के रूप में

प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है। इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति का रवैया और बर्ताव बदलेगा तो वह आसानी से नये विचार, ज्ञान और उपयुक्त तकनीत को अपनायेगा । सारी प्रक्रियाएं व्यक्ति पर ही निर्भर हैं क्योंकि वही बदलाव की सारी प्रक्रिया का साधन है। इसलिए प्रसार शिक्षा में व्यक्ति सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है।

रूचि और आवश्यकता आधारित

प्रसार शिक्षा को किसी भी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता है। व्यक्ति को इसमें स्वयं रूचि दिखानी चाहिए और प्रक्रिया में स्वेच्छा से भागीदारी करनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए शिक्षा उनकी आवश्यकतानुसार होनी चाहिए जिससे प्रसार शिक्षा में व्यक्ति की रूचि जाग्रत हो ।

प्रोत्साहन

प्रसार शिक्षा व्यक्ति को नई खोजों, वैज्ञानिक तरीकों ज्ञान व तकनीकी को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है। प्रसार कार्यकर्ता वैज्ञानिकों व ग्रामीण लोगों के बीच का अंतर कम करता है। इसलिए स्वैच्छिक भागीदारी तथा नई तकनीकों को अपनाने और बदलाव हेतु विचार को प्रोत्साहन देना प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है।

सतत प्रक्रिया

प्रसार शिक्षा जीवन पर्यन्त, लंबी, कभी ना खत्म होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। जैसे दुनिया में बदलाव होता है उसी प्रकार तकनीक और ज्ञान में भी लगातार सुधार होता है। प्रसार शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे समाज को इन निरंतर हो रहे सुधारों को अपनाना चाहिए तथा इन बदलावों की राह पर चलना चाहिए ।

1.7.2 प्रसार शिक्षा के उद्देश्य

हमारे उद्देश्य हमारे लक्ष्य को दिशा देते हैं इसलिए हमारे लिए प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि हमारे लक्ष्य हमें स्पष्ट होंगे तभी हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं। अत: हमें सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से खोजना होगा ।

विस्तृत / मुख्य उद्देश्य

प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है, जिससे

- खाद्य एवं कृषि उत्पादन में बढोत्तरी हो ।
- परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हो ।

- बेहतर स्वच्छता और सफाई का वातावरण बने।
- नये ज्ञान व कौशल देने वाली शिक्षा का प्रचार करना जिससे लोगों में निर्णय लेने में अधिक कुशलता प्राप्त हो।
- नव विचार और तकनीकी को अपनाना।
- समाज का विकास एवं प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर मजबूत करना।
- सामुदायिक विकास।

स्पष्ट उद्देश्य

प्रसार शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य निम्न हैं

- महत्वपूर्ण और प्रायोगिक सूचना का प्रसार।
- कई सामाजिक मुद्दों पर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना।
- ग्रामीणों को बदलाव के लिए तैयार करके कृषि के तरीकों का नवीनीकरण व ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योग शुरू करना।
- ग्रामीण जिम्मेदारी और संवेदनशील नेतृत्व क्षमता का विकास।
- ऐसे भोजन के तरीकों को अपनाना जो उत्तम पोषण स्तर प्रदान करें।
- सामान्य रूप से कुछ पोषक तत्वों जैसे विटामिन A तथा आयरन की अल्पता से होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु ऊचित खुराक देना।
- बच्चों को पोलियो, टायफाइड, हेपिटाइटिस आदि बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करना।
- समाज का आर्थिक स्तर मजबूत करना।
- गाँवों में लघु उद्योग स्थापित करके लोगों को रोजगार दिलाना।
- स्वच्छता का ध्यान रखना।
- जीवन प्रत्याशा को सुधारना, शिशु मृत्यु दर एवं बीमारी की दर कम करना।
- जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ताकि लोग कम बीमार पड़ें और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे।
- कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे बालिका भ्रूण हत्या, कन्या के लिए भेदभाव तथा महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर लोगों को जागरूक करना।
- पर्यावरण सुरक्षा।

- प्राकृतिक स्त्रोतों / संसाधनों जैसे पानी और जैविक ईंधनों का उचित प्रयोग करना।
- उत्तम भोजन, वस्त्र, आवास और मनोरंजन की सुविधाओं के लिए प्रोत्साहित करना और अच्छा बौद्धिक व आध्यात्मिक जीवन स्तर बनाना।

यह उद्देश्य प्रसार विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वार सामुदायिक विकास व ग्रामीण कल्याणकारी कार्यक्रमों के नियोजन में ध्यान रखने चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 3

1. प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
2. प्रसार शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को विस्तार से समझाइये।

1.8 प्रसार कार्यकर्ता

विद्यार्थियो हम पिछली चर्चा से जान चुके हैं कि प्रसार शिक्षा की मुख्य अवधारणा क्या है , लेकिन आप सोचते होंगे कि समुदाय में कौन प्रसार शिक्षा प्रदान करता है? तो आप को जानकारी देते हैं कि यह कार्य एक प्रसार कार्यकर्ता करता है। वे सभी व्यक्ति जो समाज या किसी समुदाय में प्रसार कार्य करते हैं प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे लोग जो समुदाय में शिक्षा या सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि गाँव स्तर के कार्यकर्ता, प्रसार अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और गृह वैज्ञानिक सभी प्रसार कार्यकर्ता कहलाते है। हालाँकि विभिन्न स्तरों में इन लोगों द्वारा किये गए कार्य की प्रकृति एक दूसरे से अलग हो सकती है किन्तु सब का उद्देश्य एक ही होता है। यह सभी कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों के समुदाय मुख्यत: ग्रामीण समुदाय के विकास हेतु विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे होते हैं।इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रसार कार्यकर्ता परिवर्तन के उत्प्रेरक होते हैं जो सक्रिय रूप से लोगों के साथ कार्य करके उनके ज्ञान, कौशल तथा व्यवहार आदि में परिवर्तन लाते हैं इस कारण उन्हें परिवर्तन कारक कहा जाता है।जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है।

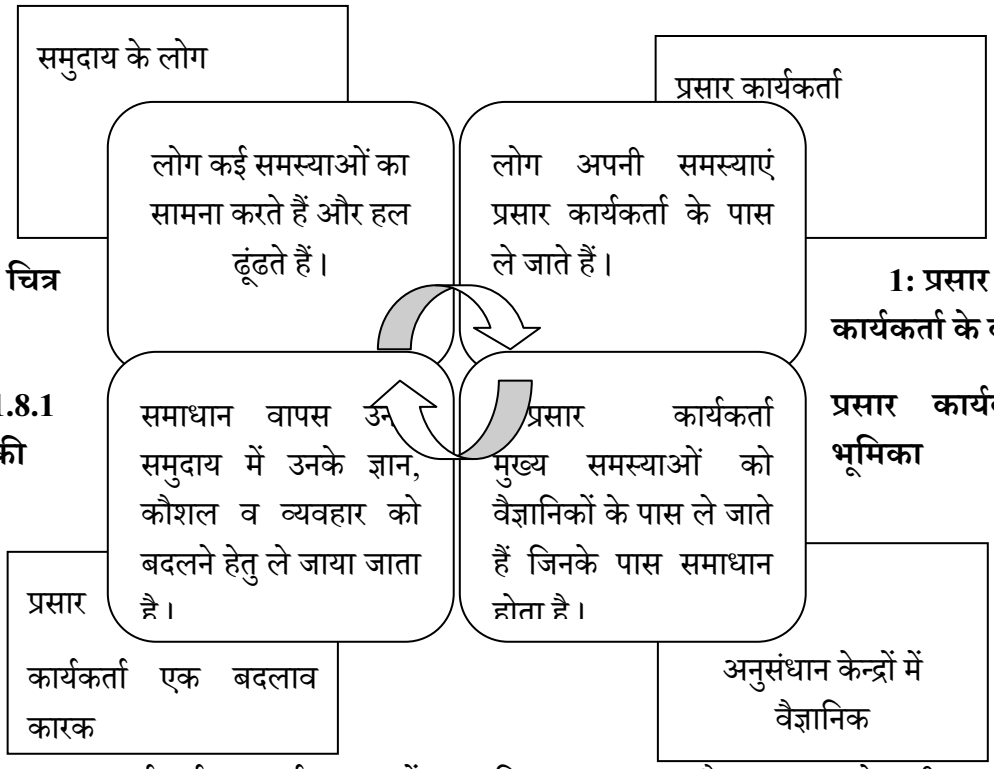

चित्र 1: प्रसार कार्यकर्ता के कार्य

1.8.1 प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका

एक प्रसार कार्यकर्ता का कार्य समुदाय में प्रसार शिक्षा प्रदान करना है। मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को। हालाँकि कई बार वह अच्छी अर्द्ध शहरी या शहरी समुदायों के साथ भी काम करते हैं। वहाँ वह कई तरह की भूमिका निभाते हैं और एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में कई गतिविधियां करते हैं। आइये अब हम प्रसार कार्यकर्ता की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं और गतिविधियों पर नजर डालते हैं:

i. समुदाय, उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं से परिचित

आमतौर पर प्रसार कार्यकर्ता द्वारा सर्वप्रथम यही गतिविधि की जाती है। गाँव का भ्रमण उसको लोगों और वहाँ के परिवेश से उसका परिचय कराएगा। भ्रमण के दौरान किया जाने वाला सर्वेक्षण उसको वहाँ के वास्तविक हालातों तथा समुदाय की समस्याओं को जानने में मदद करेगा।

ii. **विभिन्न प्रसार शिक्षा के तरीकों का प्रयोग**

लोगों तक सूचना पहुँचाने में कई विधियों का उपयोग होता है। लोगों की आवश्यकताओं, शिक्षा स्तर व रूचि के हिसाब से प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उचित विधि का चयन किया जाता है।

iii.सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना

समुदाय में समूह या संगठन बनाने हेतु प्रसार कार्यकर्ता को एक नेता की तरह कार्य करना होता है। इसके बाद उसे समूह द्वारा कार्यक्रमों को अपने प्रसार कार्यक्रमों / योजनाओं की तरह अपनाने के लिए चर्चा या विचार विमर्श शुरू करना होता है।

iv.लोगों और उनके आस पास के जीवन में सुधार

समुदाय को सक्रिय रूप से अपने आस पास के माहौल में सुधार के लिए प्रेरित करना और जिम्मेदारी लेना प्रसार कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है।

v. खेती, पशुपालन और गृह प्रबंधन हेतु नई और उत्तम तकनीक से परिचित कराना

परिवार की आय बढ़ाने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को खेती, पशुपालन तथा गृह प्रबंधन की उत्तम तकनीकों से लोगों को परिचित कराना जैसे बेहतर आतंरिक वायु प्रबंधन के लिए धुँआरहित चूल्हे का प्रयोग।

vi.आय सृजन के नये अवसरों से परिचय कराना

एक प्रसार कार्यकर्ता लोगों को नये कौशल सिखाकर या वर्तमान में उसमें निहित कौशलों में सुधार करके लोगों को आय सृजन का नया अवसर दे सकता है। उदाहरण स्वरूप – अचार बनाना, पैक करना और बेचना या परम्परागत कला का उपयोग करके सजावट का सामान तैयार करना।

vii. समुदाय के लोगों को व्यवस्थित ढंग से रहने के अवसरों और विशेषाधिकारों को पहचानने में मदद करना

व्यवस्थित ढंग से रहना सबके लिए अच्छा है। प्रसार कार्यकर्ता लोगों को संगठित रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है ताकि वह सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

viii. समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ाना

एक प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

ix. लोगों को विकसित देशों की ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर से अवगत कराना

विकासशील देशों के लिए विकसित देशों के ग्रामीणों तथा किसानों के जीवन स्तर को जानना अत्यंत आवश्यक है। ताकि वे भी अपना जीवन स्तर बेहतर करने के लिए प्रेरित हों।

x.समुदाय के लोगों का व्यवहार, ज्ञान व कौशल बढ़ाना

प्रसार कार्यकर्ता को एक परिवर्तन कारक की तरह कार्य करना पड़ता है और कई गतिविधियां लोगों का व्यवहार बदलने तथा उनके ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए करनी पड़ती हैं।

xi. समुदाय व वैज्ञानिकों के बीच केन्द्र बिंदु बनाना

एक प्रसार कार्यकर्ता को लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिकों के पास ले जाकर उसका समाधान लोगों को बताना होता है। इसलिए उसे वैज्ञानिकों और आम आदमी के बीच केन्द्र बिंदु का कार्य करना पड़ता है।

xii.जीवन के नये तरीके अपनाने में समुदाय की मदद करना

एक प्रसार कार्यकर्ता को लोगों के मनोविज्ञान या सोचने के तरीके में बदलाव के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए। जिससे लोग आसानी से नये तरीकों, विचार तथा तकनीकों को अपना पायेंगे ।

1.8.2 प्रसार कार्यकर्ता के गुण

अभी तक हमने सिर्फ प्रसार कार्यकर्ता की भूमिकाओं या कार्यों की चर्चा की। इन सभी कार्यों को सही प्रकार से पूरा करने के लिए एक प्रसार कार्यकर्ता में कुछ गुणों का होना भी आवश्यक है। इनमें से कुछ गुण उसमें पहले से ही निहित होते हैं और कुछ वह प्रशिक्षण व अभ्यास के द्वारा स्वयं में समाहित कर सकता है। ये सभी गुण किसी भी प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने उसकी में मदद करते हैं। ये गुण निम्नलिखित हैं :

i. वह ग्रामीण क्षेत्र से सम्बंधित होना चाहिए।
ii. उसे समुदाय की संस्कृति तथा समस्याओं की समझ होनी चाहिए।
iii. उसे गाँव की स्थिति, वातावरण और जीवन में अच्छी तरह समायोजित होना चाहिए।
iv. उसे विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए ।
v. वह ईमानदार, साहसी तथा बुद्धिमान होना चाहिए।
vi. अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह आत्मविश्वासी, सही निर्णय लेने की क्षमता वाला व दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।
vii. वह समाज के सुख दुःख साझा करने में सक्षम होना चाहिए।
viii. वह लोगों को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए।
ix. वह सिखाने हेतु उचित तरीकों के चुनाव में सक्षम होना चाहिए।
x. वह विकास कार्यक्रमों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संसाधनों के अनुदान, अनुमति वखरीद में सक्षम होना चाहिए।
xi. उसे समुदाय की विकास योजना बनाने में सक्षम होना चाहिए।
xii. उसे स्थानीय नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।
xiii. उसे निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए , उसका सरल व्यवहार होना चाहिए और उसे लोगों के साथ विनम्रता, प्रसन्नता व मित्रतापूर्वक रहना चाहिए।

1.8.3 प्रसार कार्यकर्ता का प्रशिक्षण

विद्यार्थियो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं जिसकेलिए उसमें कई गुण होने आवश्यक हैं। इसलिए बुनियादी शिक्षा के अलावा उसे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। यह प्रशिक्षण उसे अपनी भूमिका को समझने में तथा इस हेतु आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइये अब इन प्रशिक्षणों के सम्बन्ध में विस्तार से पढ़ते हैं;

प्रशिक्षण का अर्थ है निश्चित कार्य करने हेतु उचित ज्ञान, कौशल व व्यवहार में प्रवीणता प्राप्त करना। प्रसार कार्यकर्ता के प्रशिक्षण का अर्थ है कि जिस समुदाय में उसे काम करना है उसके हर एक पहलू में ज्ञान हासिल करना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता एक परिवर्तन कारक है अत: सर्वप्रथम उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता का प्रशिक्षण उसके ज्ञान, कौशल, मूल्यों, व्यवहार व विश्वास में परिवर्तन के लिए होता है। उसे समुदाय को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। उसे कृषि, पशुपालन व गृह प्रबंध की नई तकनीकों तथा तरीकों की जानकारी होनी चाहिए। अंतत: उसे समुदाय में अपने ज्ञान व कौशल को दिखाने के तरीके जानने चाहिए। अत: हम यह कह सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को निम्न में प्रशिक्षित होना आवश्यक है :

a) क्या प्रसारित करना है? सामग्री या ज्ञान या कौशल जो समुदाय में प्रसारित करना है।
b) कैसे प्रसारित करना है? शिक्षण विधियां, संचार प्रक्रिया, कार्यक्रम नियोजन, प्रशासन, समुदाय का सामाजिक विज्ञान तथा नियोजित सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है। एक प्रसार कार्यकर्ता को भी बदलते समय के साथ बदलने की आवश्यकता होती है। इस हेतु प्रसार कार्यकर्ता को दो प्रशिक्षणों की आवश्यकता होती है :

i.सेवा पूर्व प्रशिक्षण

समुदाय के साथ कार्य करने से पूर्व प्रसार कार्यकर्ता को इस प्रशिक्षण से गुजरना होता है। यह प्रशिक्षण आमतौर पर शैक्षिक होता है। इस उद्देश्य के लिए उसे अपने पसंद के विषय में डिप्लोमा या डिग्री के लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय में जाना होता है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति, बी. टेक. या बी. एस. सी. कृषि या बी.एस. सी. गृह विज्ञान किसी कृषि विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से कर सकता है। इसके साथ ही उसे समुदाय में कार्य करने का विशिष्ट प्रशिक्षण लेना होता है।

ii. सेवाकालीन प्रशिक्षण

एक प्रसार कार्यकर्ता को लगातार अपना ज्ञान बढ़ाना होता है और नई तकनीकों और नवाचारों के बारे में जानना होता है इसके लिए उसे समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।इसमें अभिविन्यास कार्यक्रम, कम समय के पाठ्यक्रम, नियत कालिक पत्रिका सम्मलेन व सेमीनार शामिल हो सकते हैं।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक सक्षम और अद्यतन प्रसार कार्यकर्ता समुदाय के वांछनीय परिवर्तन के लिए एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। यह प्रसार कार्यकर्ता का समर्पण एवं प्रयास है जिससे पूरा समाज समग्र विकास की ओर अग्रसर होता है।

अभ्यास प्रश्न 4

1. प्रसार कार्यकर्ता को परिवर्तन कारक क्यों कहा जाता है ?
2. शीला एक प्रसार कार्यकर्ता है जोकि १० वर्ष से कार्यरत है। क्या आप सोचते हैं कि उसे भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है ? यदि हाँ तो क्यों ?
3. प्रसार कार्यकर्ता के विभिन्न गुणों एवं कार्यों के बारे में लिखिए।

1.9 सारांश

इस इकाई के पश्चात आप समझ सकते हैं कि प्रसार शिक्षा देश में नियोजित परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुख्यत: ग्रामीण लोगों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण व तरीकों को उन्नत बनाने के एक जरिया है। प्रसार शिक्षा एक परिवर्तन प्रक्रिया है और प्रसार कार्यकर्ता इसे क्रियान्वित करने के साधन हैं। प्रसार कार्यकर्ता का प्रशिक्षण उनके ज्ञान व कौशल को अद्यतन करने और प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य व उसकी भूमिका को समझने में मदद करता है।

1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए बिंदु 1.3 देखें।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के लिए बिंदु 1.5 देखें।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न संख्या 1 के लिए बिंदु 1.7.1 देखें।

प्रश्न संख्या 2 के लिए बिंदु 1.7.2 देखें।

अभ्यास प्रश्न 4

प्रश्न संख्या 1 के लिएबिंदु 1.8 देखें ।

1.11 सन्दर्भ ग्रंथसूची

1) Dahama, O.P.; (1997).Extension and Rural Welfare, Ram Prasad & Sons, Bhopal.

2) Dahama, O.P., Bhatnagar, O.P.; (1985).Education and Communication for Development, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi. Second edition.

3) Supe, S.V.; (1983).An Introduction to Extension Education, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi. Second edition.

4) Atiles, J.H. and Eubank, G.E.; (June 2014). 'Family & Consumer Science and Cooperative Extension in a Diverse World', in *Journal of Extension*, Vol. 52, no.3. Article # 3COM1. www.joe.org

5) Srinath, K.; (20th Nov, 2002). 'Extension Education- Concept and Approaches', in *Winter School on Advances inHarvest Technology*. Cochin.

6) Babu, S., Glendenning, C.J., and Okyere, K.A.; (Dec 2010). *Review of Agricultural Extension in India*. IFPRI Discussion Paper 01048

7) Saha, A.K. (2002) *Extension Education - The third dimension Needs and Aspirations of Indian Youth*. Kamala Raj, J. Soc. Sci., 6(3): 209-214 (2002).

इकाई 2 : प्रसार शिक्षा में ऐतिहासिक विकास

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 प्रसार शिक्षा : पद्धति तथा सिद्धान्त
  2.3.1 प्रसार शिक्षा : एक पद्धति या प्रणाली
    2.3.1.1 प्रसार पद्धति
    2.3.1.2 प्रशिक्षण पद्धति
    2.3.1.3 सहकारी स्व-सहायता पद्धति
    2.3.1.4 एकीकृत पद्धति
  2.3.2 प्रसार शिक्षा के सिद्धान्त
2.4 प्रसार शिक्षा प्रक्रिया
  2.4.1 आवश्यकता निर्धारण/ आँकलन
  2.4.2 कार्यक्रम नियोजन
  2.4.3 कार्यक्रम निष्पादन
2.4.3.1शिक्षण
2.4.3.2 सीखना
  2.4.4 मूल्यांकन
2.5 भारत में प्रसार शिक्षा कार्यक्रम काऐतिहासिक विकास
2.6 सारांश
2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

2.1 प्रस्तावना

छात्रों पिछली इकाई में हमने प्रसार शिक्षा और एक प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका व गुणों के बारे में पढ़ा अब प्रश्न यह उठता है कि एक प्रसार कार्यकर्ता समुदाय में इच्छित परिवर्तन कैसे लाता है। इस इकाई से हम प्रसार शिक्षा के विभिन्न तरीकों और सिद्धान्तों पर चर्चा करेंगें। हम प्रसार शिक्षा के बारे

में भी सीखेगें। इससे आपको यह समझने में भी सहायता मिलेगी कि प्रसार कार्यक्रम कैसे किसी क्षेत्र में कार्यान्वित किये जाते हैं। इस इकाई से आप यह भी समझेंगे कि हमारे देश में प्रसार शिक्षा कैसे शुरू हुई।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात आप निम्न को समझने में सक्षम होगें;

- प्रसार शिक्षा के विभिन्न तरीकों या प्रणालियेां के बीच सूची बनाने समझाने,पहचानने व अन्तर करने में।
- प्रसार शिक्षा के मूल सिद्धान्तों की सूची बनाने तथा उन्हें समझाने में।
- प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के सभी चरणों का पालन करने में।
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को समझने में।
- मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को समझने में तथा हमारे देश में प्रसार शिक्षा की पहल को शुरू करने व बढावा देने हेतु विभिन्न व्यक्तियों व संगठनों द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करने में।

2.3 प्रसार शिक्षा : पद्धति तथा सिद्धान्त

पिछले इकाई में हमने अवधारणा, उद्देश्यों व प्रसार शिक्षा के दर्शन का अध्ययन किया है। अब हम प्रसार शिक्षा के विभिन्न तरीकों , प्रणालियों और सिद्धान्तों को समझने की कोशिश करेंगें जो हमें समझने में मदद करेंगें कि सामुदायिक स्तर पर प्रसार शिक्षा कैसे दी जाती है। समुदाय को शिक्षित करने के लिये किसी भी प्रसार कार्यक्रम में किसी एक सिद्धान्त या एक से अधिक सिद्धान्तों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। एक प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार सिद्धान्तों को समझने से पहले ही प्रसार कार्यक्रम की योजना बना लेनी चाहिए।

2.3.1 प्रसार शिक्षा: एक पद्धति या प्रणाली

अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों में विभिन्न तरीकों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रसार कार्यकर्ता को उनके कार्यक्रमों के लिये सर्वश्रेष्ठ पद्धति की महत्वता को समझना चाहिये। ये प्रणाली एक दूसरे से अलग नहीं हैं इनमें कछ सामान्य बिन्दु भी हो सकते हैं। इसलिये एक कार्यक्रम योजनाकार आसानी से इन प्रणालियेां के संयोजन का उपयोग कर सकता है।

2.3.1.1 प्रसार पद्धति

इस पद्धति के अनुसार प्रसार शिक्षण विधियों का उपयोग कर समुदाय को ज्ञान व कौशल सिखाया जाता है। इस पद्धति का एक उद्देश्य ग्रामीण परिवार के जीवन में सुधार करना है। इस पद्धति ने प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग व पारिवारिक आजीविका आदि के बेहतर तरीकों को अपनाने के लिये प्रेरित किया है। उदाहरण के लिये हम एक समुदाय के लोगों को पैसा बचाने के लिए एक बजट हेतु प्रेरित करना चाहते हैं। हम या तो प्रसार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इसे कर सकते हें या इसके लिए एक नई परियोजना भी शुरू कर सकते हैं। इसे ही प्रसार पद्धति कहा जाता है।

2.3.1.2 प्रशिक्षण पद्धति

इस पद्धति में लोगों को व्यवस्थित रूप से नये तरीकों, विधियों ,कौशल व तकनीक को अपनाने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि यह पद्धति, प्रसार पद्धति के समान है लेकिन इसमें व्यवस्थित कौशल, अभ्यास, तकनीक व सहज सीख पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात एक व्यक्ति से प्रत्येक निर्देश व अभ्यास का पालन करने की उम्मीद होती है। प्रशिक्षण आमतौर पर समुदाय व विषय विशेषज्ञ के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। प्रसार कार्यकर्ता पर लोगों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी होती है और बाद में भी यदि किसी तरीके को अपनाने में प्रशिक्षण के दौरान था अभ्यास के दौरान कोई समस्या आती है तो प्रसार कार्यकर्ता या विशेषज्ञ उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इस पद्धति हेतु विशेषज्ञों को कई प्रशिक्षणों की और विशेषज्ञों व समुदाय के लोगों के बीच निरनतर सूचना के प्रसार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे हमें लोगों को बजट तैयार करना सिखाना है। इस पद्धित में हम केवल बजट बनाना ही नहीं सिखायेगें अपितु हम अपना प्रशिक्षण ऐसे योजित करेंगें कि यह कई अन्य विस्तृत उद्देश्यों को भी पूर्ण करें । हम महिलाओं को हर माह का बजट बनाने और बचत करने के लिये कहेंगें। इस प्रक्रिया के दौरानएक विशेषज्ञ बजट बनाने, स्वंय सहायता समूह का निर्माण करने और माइक्रो क्रेडिट का प्रबन्धन करने के लिये महिलाओं को लगातार सहायता प्रदान करेगा।

2.3.1.3 सहकारी स्व-सहायता पद्धति

सहकारी सहायता पद्धति जैसा कि नाम से पता चलता है इसका उद्देश्य लेागों व स्वयं को एक दूसरे की मदद करने के लिये प्रेरित करना है। लोगों से अपेक्षा की जाती है वे अपनी विभिन्न समस्याओं ओर उनके समाधान को किसी अन्य व्यक्ति से साझा करें जो उनसे बेहतर जानता हो और यहाँ यह कार्य प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका एक सुविधाकर्ता के रूप में है जो लोगों को स्वयं सहायता समूह व सहकारी समितियाँ बनाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। इस पद्धति की सफलता के लिये, लोगों को अपनी शक्ति और भीतर से परिवर्तन मिलना चाहिये। जब

लोग अपने जीवन को बदलने और सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं तो परिणाम शीघ्र और लम्बे समय तक दिखायी देते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में एक प्रसार कार्यकर्ता केवल सुविधाकर्ता और प्रेरक होता है। इस पद्धति में आत्मशासन व स्थानीय शासन पर जोर दिया जाता है। अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता लोगों को कुछ आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिये स्वयं के समूहों को बनाने के लिये प्रेरित करते हैं।

2.3.1.4 एकीकृत पद्धति

इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता जब कई विकास एजेंसियाँजैसे सरकारी व गैर सरकारी ऐजेंसियाँ एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। किसी लक्ष्य या सामान्य उद्देश्यों तक पहुँचने के लिये एक सामान्य प्रबन्धन काम करता है परन्तु कुछ समस्याओं को एकीकृत पद्धति या विभिन्न ऐजेंसियों के बीच समन्वय के द्वारा सबसे अच्छा हल प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये अच्छी फसल, बीज, सिंचाई, मौसम पर सलाह, खेती और कटाई के लिये बेहतर उपकरण, बेहतर भण्डारण, और क्रेडिट सुविधाएं आदि। ये सुविधाएं किसी भी एकल एजेंसी द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। इसके लिये सिंचाई विभाग, मौसम विभाग (मौसम पूर्वानुमान के लिये) तथा विपणन एजेंसियाँ जैसी कई एजेंसियाँ सम्मिलित प्रयास करती हैं। यह एकीकृत पद्धति बड़े राष्ट्रव्यापी काग्रक्रम जैसे आई0आर0डी0पी0 के लिये बहुत उपयोगी है। (इसका अध्ययन हम बाद में विस्तृत रूप से करेंगें)

हमने यहाँ चार अलग अलग पद्धतियों का अध्ययन किया। सामान्यतया हम किसी एक पद्धति या एक से अधिक पद्धतियों के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न 1

1. प्रसार पद्धति तथा प्रशिक्षण पद्धति में क्या भिन्नता है। विभिन्न प्रकार की प्रसार पद्धतियों के बारे में लिखिए।
2. स्व सहायता पद्धति प्रसार शिक्षा के लिये किस प्रकार महत्वपूर्ण है।

2.3.2 प्रसार शिक्षा के सिद्धान्त

सिद्धान्त, कार्यों को दिशा देने वाली मौलिक नीतियों की तरह होते हैं। प्रसार शिक्षा भी कुछ सिद्धान्तों का प्रयोग करती है जो प्रसार श्रमिकों के लिये बहुत उपयोगी है। प्रसार शिक्षा प्रदान करते हुए सभी प्रसार क्रमिकों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है। आइये अब हम मूलभूत सिद्धानतों को समझने की कोशिश करते हैं जो प्रतिष्ठित प्रसार विशेषज्ञों जैसे लीगन व धाम द्वारा समझाये गये हैं।

1. रूचि और आवश्यकता का सिद्धान्त : सभी प्रसार गतिविधियाँ लोगों की आवश्यकता व रूचि पर आधारित हेानी चाहिये, विभिन्न व्यक्तियों, समूहों व गाँवों की अलग अलग रूचि होती है

इसलिये एक कार्यक्रम हर व्यक्ति, समूह या गाँव के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता। एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में हमें सबसे उपयुक्त कार्यक्रम चुनना होता है और लोगों की जरूरत व हित के अनुसार इसे बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये एक गाँव में आपकों मिट्टी के बर्तनों के काम में रूचि रखने वाली महिलायें मिल सकती हैं। दूसरे गाँव की महिलाओं की खाना पकाने या कृषि उत्पाद अधिशेष संरक्षण मे दिलचस्पी हो सकती है। इस प्रकार लोगों की जरूरत व आवश्यकतायें भिन्न होती हैं। प्रसार कार्यकर्ताओं के रूप में हमें इन अन्तरेां को पहचानना चाहिये और उनका सम्मान करना चाहिये। इस प्रकार यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आय की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमे विभिन्न समुदायों या गाँवों के लिये विभिन्न गतिविधियों का चयन करना पड़ सकता है।

2. संगठन के जमीनी स्तर का सिद्धान्त : प्रसार शिक्षा को जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी संगठनों पर विचार करना चाहिये। उदारहण के लिये व्यक्तियों के परिवारों के साथ-साथ स्थानीय निकायों जैसे पंचायत , व्लांक और जिला परिषद् को भी शामिल करना चाहिए। क्योंकि यह हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत त्रि-स्तरीय प्रणाली है।

3. सांस्कृतिक अन्तर का सिद्धान्त : प्रसार शिक्षा लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है, भारत एक बहुत ही विविध देश है हमें उन सभी लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनके साथ हम कार्य कर रहे हैं।

4. **सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धान्त :** प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य लोगों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है जिसके लिये हमें वर्तमान या आधारभूत व्यवहार का आकलन करना होगा। बाद में हमें यह तय करना होगा कि व्यवहार में क्या और कितना परिवर्तन आवश्यक है। इस कारण एक प्रसार कार्यकर्ता को 'परिवर्तन कारक' कहा जाता है।

5. सहयोग व सहभागिता का सिद्धान्त : हमें अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए लोगों की भागीदारी व सहयोग लेना चाहिये। प्रत्येक प्रसार कार्यक्रम को सफल करने के लिए लोगों की कार्यक्रम को स्वंय के कार्यक्रम में बदलना चाहिये। इसका अर्थ है कि हमें स्व सहायता सहयोगी पद्धति का अधिक बार उपयोग करना चाहिये।

6. प्रसार विधियों के उपयोग में अनुकूलनशीलता का सिद्धान्त : हम यह पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लोग, समूह और गाँव एक दूसरे से भिन्न हेाते हैं। उनका ज्ञान भी भिन्न होता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्यक्रम की शिक्षण विधियों को उन लोगों के अनुसार अनुकूलित व समायोजित किया जाता चाहिये जिनके साथ हमें काम कर रहें हैं उदाहरण के लिए यदि हम पारिवारिक बजट बनाने का कौशल सीख रहें हैं तो हमें लोगों की साक्षरता व शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

युवा व शिक्षित महिलाओं की तुलना में अनपढ़ वृद्ध महिलाओं के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

7. काम करने से सीखने का सिद्धान्त : लोगों को काम करने से सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। प्रसार शिक्षा के एक भाग के रूप में प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान को आत्मविश्वास के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि वे स्वयं काम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से किसी कार्य को कर सकता है या नहीं। इसका यह भी अर्थ है कि हमें समुदाय को निरन्तर तब तक सहायता प्रदान करनी चाहिये जब तक वे एक नई विधि या काम करने के तरीके से पूर्णत: आश्वस्त न हों जाएँ।

8. नेतृत्व सिद्धान्त : स्थानीय नेतृत्व हमेशा प्रसार कार्यकर्ता के लिये बहुत मददगार हो सकता है। अगर प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय नेताओं की पहचान करने व समूह के कुछ लोगों में सफलतापूर्वक नेतृत्व को विकसित करने में सक्षम हो तो उसका कार्य आसान हो जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके स्थानीय नेताओं में बुहत विश्वास होता हैं यदि हम स्थानीय नेता को अपने कार्यक्रम के उद्देश्य बताते हैं ओर उन्हें लोगों को अपने कार्यक्रम से सम्बद्ध करने हेतु प्रेरित करने के लिये कहते हें तो हम देखेंगें कि बहुत से लेाग हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगें।

9. पूरे परिवार का पद्धति : परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। प्रसार शिक्षा पूरे परिवार को प्रभावित करती है क्योंकि प्रसार एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब हम पूरे परिवार को शामिल करते हैं तो निर्णय लेना व परिवर्तन करना आसान हो जाता है जो बड़ी सफलता सुनिश्चित करता है।

10. संतुष्टि का सिद्धान्त : प्रसार शिक्षा तब सफल होती है जब अन्तिम परिणाम (परिवर्तन, उत्पाद, प्रौद्योगिकी व अभ्यास) से लोग संतुष्ट होते हैं। अगर लोग संतुष्ट होते हैं तब ही वे बदलते व्यवहार के साथ कार्य करेंगें। उदाहरण के लिये यदि हमने एक समुदाय में एक स्टोव पेश किया है जो ईंधन की खपत कम करता है और कम कीमत का है परन्तु लोग जब परिणाम से संतुष्ट हो तब ही वे कार्यक्रम के साथ जुडे रहेंगें। इसलिये इससे पहले एक परिणाम प्रस्तुत करें। जब लेाग परिणाम से संतुष्ट हो तो उसके बाद ही अभ्यास को पेश करें।

11. प्रशिक्षित विशेषज्ञों के सिद्धान्त : गृह विज्ञान,कृषि विज्ञान व अन्य इसके समान विज्ञान भी बहुत तेजी से आगे बढ रहे हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता को इन क्षेत्रों में प्रगति के बारे में अपने ज्ञान को लगातार अपडेट रखना चाहिये क्योंकि उसे वैज्ञानिकों व समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। जहाँ कहीं भी प्रसार कार्यकर्ता नवीनतम ज्ञान के बारे में आश्वस्त ना हो उसे समुदाय से बातें करने के लिये विशेषज्ञ को आमन्त्रित करना चाहिये।

12. मूल्यांकन का सिद्धान्त : हमें अपने प्रयासों के प्रभाव का आंकलन करने के लिये वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये निरन्तर व अवधिपूर्ण मूल्यांकन किया जाना चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अगर हमें वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं तो इसका अर्थ है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार भले ही हमें अच्छे परिणाम न मिले किन्तुमूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहें हैं या नहीं।

13. व्यवहारिक विज्ञान व लोकतान्त्रिक पद्धति का सिद्धान्त : हम जानते हैं कि प्रसार शिक्षा का पद्धति अन्य विज्ञानों से भी सम्बन्धित है इसलिए इसे व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। इसलिये व्यवहारिक विज्ञान की तरह इसकी भी वैज्ञानिक तरीकों से पुष्टि करनी होगी। इसके अलावा क्योंकि यह समुदाय से सम्बंधित है अत: हमारी पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति होनी चाहिये।

उपरोक्त सिद्धान्त, समुदाय में प्रत्येक प्रसार कार्यकर्ता को प्रभावी बनाने में सहायता कर सकते हैं। ये सिद्धान्त उन लोगों के अवलोकन व अनुसंधान का परिणाम है जिन्होंने समुदाय में बड़े पैमाने पर काम किया है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. व्याख्या कीजिये की कैसे अनुकूलनशीलता का सिद्धांत सांस्कृतिक अन्तर के सिद्धांत से सम्बन्धित है?

प्रश्न 2. प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को विस्तार से लिखिए।

2.4 प्रसार शिक्षा प्रक्रिया

समुदाय को प्रसार शिक्षा प्रदान करने के लिये हम सरल चरणों का अनुसरण करते हैं और इन चरणों को प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया कहा जाता है। अब हम इन मूल चरणों के बारे में अध्ययन करेंगें जो कि प्रसार शिक्षा प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आते हैं।

प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण : हम जानते हैं कि प्रसार शिक्षा में अलग अलग पद्धतियाँ हैं। एक प्रसार शिक्षक के रूप में प्रसार शिक्षा को प्रसारित करने की प्रक्रिया हमारी पद्धति पर निर्भर करती है। प्रसार शिक्षा पद्धति में हम कुछ सामान्य चरणों का पालन करते हैं। इन चरणों को चित्र 2.1 में दिखाया गया है। ये चरण आवश्यकता निर्धारण, कार्यक्रम नियोजन, निष्पादन और मूल्यांकन है।

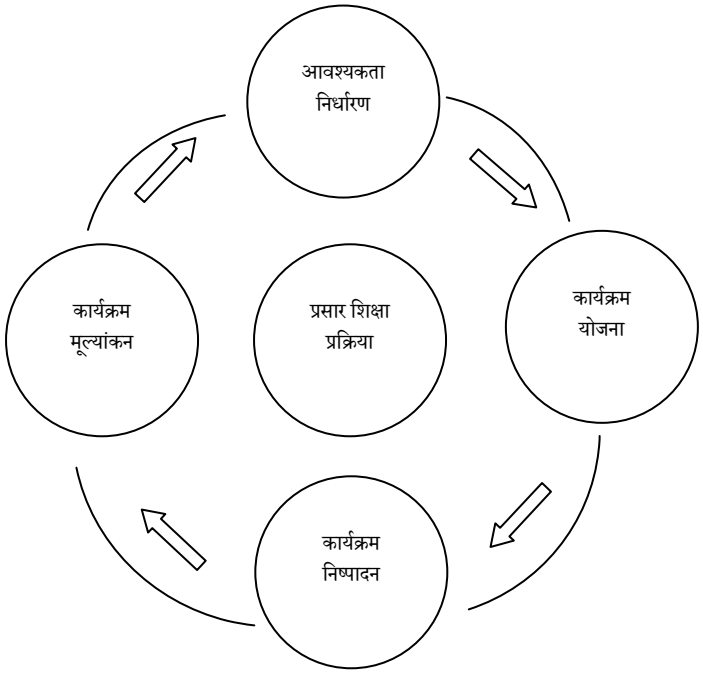

चित्र 2.1 प्रसार शिक्षा के चरण

चित्र 2.1 बताता है कि समुदाय की समस्याओं की पहचान के लिये प्रत्येक प्रसार शिक्षा को सर्वप्रथम आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण करना चाहिये। इसे प्राप्त करने के उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करने के लिये एक कार्यक्रम की योजना बनानी चाहिये। इस कार्यक्रम योजना को समुदाय में क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात मूल्यांकन किया जाना चाहिए जोकि किसी कार्यक्रम की उपलब्धियों व कमियों का प्रतिबिम्ब होता है। इन चरणों का अन्तराल चक्रीय है। सबसे पहले हम समुदाय की समस्याओं की पहचान करते हैं और इसके बाद कार्यक्रम नियोजन और निष्पादन का पालन किया जाता है। इसके पश्चात हमें उस हद (सीमा) तक मूल्यांकन करना होगा जब तक समुदाय की समस्याओं का हल ना हो। इस मूल्यांकन के आधार पर सामुदायिक जरूरतों का पुनः आश्वासन किया जाना चाहिये और चक्र जारी रहता है।

प्राय: हमने देखा है कि किसी भी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में एक प्रसार कार्यकर्ता लगातार एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी घटकों के साथ कार्य करता है। इस प्रकार इन चरणों (घटकों) मे से प्रत्येक प्रसार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइये अब इन चरणों मे से प्रत्येक को

समझने की कोशिश करेंगें क्योंकि उनका उपयोग करने मे यह ज्ञान व कौशल प्रसार कार्यकर्ता के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

2.4.1 आवश्यकता निर्धारण/आंकलन

यह प्रसार शिक्षा का पहला व मूल घटक है। हम सबसे पहले समुदाय की जरूरतों व समस्याओं के ऑकलन करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए पर उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें समुदाय रहता है। एक प्रसार कार्यकर्ता कई लोगों के साथ सम्पर्क करता है। वह अपने ज्ञान व कौशल द्वारा समस्याओं, वर्तमान स्थिति, प्रथाओं और उनके द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ऑकलन करता है। यह सर्वेक्षण समुदाय की प्रसार शिक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण करने में मदद करता है।

2.4.2 कार्यक्रम नियोजन

एक प्रसार कार्यकर्ता, समुदाय द्वारा प्राप्त की गई समस्याओं को हल करने के लिये कार्यक्रम योजना तैयार करता है। वह कार्यक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। कार्यक्रम के उद्देश्य समुदाय के ज्ञान, व्यवहार व कौशल में वांछनीय परिवर्तन है। हम इकाई 9 में कार्यक्रम नियोजन के बारे मे अध्ययन करेंगें क्योंकि यह महत्वपूर्ण कौशल है जिसे प्रत्येक प्रसार कार्यकर्ता को विकसित करना चाहिये। समुदाय के लोगों को इस स्तर पर अपनी वास्तविक भागीदारी को प्रदर्शित करने के लिये शामिल होना चाहिये।

2.4.3 कार्यक्रम निष्पादन

कोई योजना तब ही उपयोगी होती है जब इसे अभ्यास में लाया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र में योजना का निष्पादन आवश्यक है। समुदाय को शिक्षित करने या सिखाने के लिये एक प्रसार कार्यकर्ता विभिन्न प्रसार विधियों को कार्य में या उपयोग मे लाता है। हम इकाई 5 में प्रसार के इन तरीकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार प्रसार शिक्षा में लोगों में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिये सक्रिय शिक्षण व सीखना शामिल है। कार्यक्रम का निष्पादन समुदाय में लक्षित समूह था उस समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ होता है जिसके लिए योजना बनाई जाती है। एक प्रसार कार्यकर्ता लोगों को विषय वस्तु व कौशल सिखाता है। दूसरी ओर लोग अभ्यास हेतु ज्ञान व कौशल को सीखते हैं। कार्यक्रम निष्पादन में सफल होने के लिये हमें शिक्षण और सीखने के बारे में अधिक से अधिक जानने की जरूरत है।

2.4.3.1 शिक्षण

शिक्षण सीखने वाले या दर्शकों के लिए इच्छित संदेश को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के ज्ञान, व्यवहार तथा रवैये में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इच्छित परिवर्तन हेतु एक शिक्षक

द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक को सीखने वाले व्यक्तियों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित कर उनकी संदेश/जानकारी में रूचि पैदा करनी होती है। प्रभावी शिक्षण, आवश्यकता आधारित तथा शिक्षार्थी उन्मुख हेाता है। यह आरामदायक भौतिक वातावरण में होना चाहिये जहाँ शिक्षार्थी आराम तथा केन्द्रित महसूस करें।

प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण

शिक्षण प्रक्रिया के निम्न छः चरण हैं:

1. शिक्षार्थी का ध्यानआकर्षित करना।
2. शिक्षार्थी की बुनियादी जरूरतों या समस्याओं को केन्द्रित कर शिक्षार्थी मे प्रेरणा, भागीदारी व रूचि द्वारा सीखने की रूचि पैदा करना।
3. शिक्षार्थी की प्रोत्साहन, भागीदारी तथा उद्दीपनों द्वारा संदेश प्रक्रिया के प्रति इच्छा को जाग्रत करना।
4. शिक्षार्थी में संदेश प्राप्त करने की दृढ इच्छाशक्ति होनी चाहिए।
5. कार्य में विश्वसनीयता होनी चाहिए।
6. शिक्षार्थी का संतोष शिक्षण प्रक्रिया का अन्तिम लक्ष्य है यही प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढाता है।

2.4.3.2 सीखना

शिक्षार्थी के ज्ञान, रवैये या कौशल में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा दिये गये संदेश को देखना, सुनना, काम करना व समझना आदि शामिल हैं। सीखना व शिक्षण तब होता है जब कोई व्यक्ति उस ज्ञान या कौशल का उपयोग करने की दक्षता को समझाता और हासिल करता है। शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब शिक्षार्थी अपने व्यवहार में सुधार के लिये ज्ञान व कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो। एक प्रसार कार्यकर्ता को प्रभावी शिक्षण के लिये सीखने की प्रभावी स्थितियों का निर्माण करता है।

सीखने की स्थिति : एक प्रसार कार्यकर्ता को ऐसी स्थिति का निर्माण करना होगा जहाँ लोग अधिक अच्छे से समझ सकें, सुन सकें और काम कर सकें। सीखने में लोगों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। इस प्रकार एक प्रसार कार्यकर्ता को शिक्षार्थियों की उम्र, साक्षारता का स्तर, रूचियों व जरूरतों का ध्यान भी रखना होगा। एक प्रसार कार्यकर्ता कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करता है

सीखने की स्थितिमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

1. एक प्रसार कार्यकर्ता या अनुदेशक
2. समुदाय के सदस्य या शिक्षार्थी
3. विषय पर चर्चा
4. भौतिक वातावरण जहाँ शिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न हो।
5. शिक्षण विधियाँ

शिक्षण अनुभव : यह शिक्षार्थी का एक अनुभव है जहाँ सीखने वालों के ज्ञान, व्यवहार व कौशल में वांछनीय परिवर्तन होते हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षार्थी लम्बे समय तक शिक्षक द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद अपने जीवन में भी इसे लागू करने में सक्षम हेाते हैं। इस प्रकार, एक प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, सीखने के अनुभव की व्यवस्था करना और वांछित परिवर्तन की दिशा में शिक्षार्थी को निर्देशित करना है। इस प्रयोजन के लिये प्रसार कार्यकर्ता को एक ही संदेश को बार बार दोहराना चाहिये तथा शिक्षार्थियों से फीडबैक प्राप्त करना चाहिए तथा सबसे उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन भी करने चाहिए। इस उद्देश्य के लिये शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग भी कर सकते हैं।

सीखने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है:

1. नये ज्ञान एवं कौशल को समझने व अभ्यास करने तथा सीखने के लिये पूर्व अनुभव होना आवश्यक है। उदारहण के लिये खाना पकाने की एक नई पद्धति जानने के लिये, व्यक्ति को खाना बनाने के बारे में पता होना चाहिये।

2. शिक्षार्थी को शिक्षण के उद्देश्य से सहमत होना चाहिये। जब लोग इस बात से सहमत होते हैं कि उन्हें सीखना चाहिये तभी वो बेहतर सीखते हैं। उदाहरण के लिये जब महिलायें इससे सहमत हों कि उनके भोजन को अधिक पौष्टिक बनाने के लिये खाना पकाने की एक नई पद्धति को जानने की आवश्यकता है तो वे नई पद्धति जल्दी से सीखेंगी।

3. शिक्षण का परिणाम शिक्षार्थी की मानसिक, भवनात्मक व शैक्षिक क्षमता के अनुसार होना चाहिये। अगर शिक्षार्थी में संदेश समझने की मानसिक क्षमता नहीं है तो परिणाम स्वरूप वांछित परिवर्तन नहीं होंगें।

4. एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कई अनुभव एकत्र किये जाने चाहिये अर्थात संदेश को मजबूत करने तथा नतीजों को बढ़ाने हेतु सीखने के कई अनुभवों को संयोजित करना चाहिये।

5. एक प्रसार कार्यकर्ता को सीखने की स्थिति (तरीकों, तकनीकों, संदेश) का चयन करना चाहिये ताकि उसका उपयोग वह आसानी से व कारगर ढंग से कर सके।

2.4.4 मूल्यांकन

परिणाम के मूल्यांकन के बिना प्रसार शिक्षा अधूरी है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कार्यक्रम के कितने उद्देश्य पूर्ण हो चुके हैं। इस चरण में हम कार्यक्रम की सफलता व विफलता का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मूल्यांकन हमारे प्रयासों की समीक्षा करने, हमारी गलतियों से सीखने व कार्य की जॉच करने में भी मदद करता है। कार्यक्रम के उद्देश्यों की दिशा में मूल्यांकन किया जाता है।अगर हमने मूल्यांकन के कारण कोई सुधार प्रापत किया है तो उसे भी रिकार्ड करना चाहिये। एक अच्छा मूल्यांकन केवल एक फीडबैक नहीं बल्कि अगली येाजना की कार्यवाही हेतु एक सलाह के रूप में कार्य करता है।

मूल्यांकन कब किया जाए?

एक प्रसार कार्यकर्ता को यह पता होना चाहिए कि मूल्यांकन कब करना है। मूल्यांकन दो प्रकारसे किया जा सकता है:

1.आवधिक मूल्यांकन : यह समय समय पर किया जाता है। यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम सही दिशा मे आगे बढ रहें है। इस प्रकार, एक कार्यक्रम में हम हर महत्वपूर्ण चरण के पश्चात मूल्यांकन करते हैं। हम नियोजित उद्देश्य से विसंगतियों की समीक्षा करते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन से हमें अपने प्रयासो को समायोजित करने व समुदाय के लिये कार्यक्रम को अधिक उपयुक्त बनाने में मदद मिलती है।

2.समेकित मूल्यांकन : यह कार्यक्रम के अन्त में किया जाता है इस प्रकार के मूल्यांकन के माध्यम से हम हमारी सफलता व असफलता या कमियों को जान सकते हैं। मूल्यांकन से यह पता लगता है कि हमने क्या सीखा तथा हम सफल हुए या नहीं और यह अगले कार्यक्रम के लिये आधार का कार्य भी करता है।

प्रसार शिक्षा एक सतत या निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है

प्रसार शिक्षा एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक चरण एक के बाद एक चक्रीय तरीके से जारी रहता है। इस प्रकार कार्यक्रम समाप्त होने तक यह सभी चरण एक के बाद एक सम्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि एक प्रसार कार्यक्रम के दौरान हमें स्थिति की योजना व मूल्यांकन करना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न 3

1. प्रसार प्रक्रिया के चार चरणों की सूची बनाइये।

2. मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है।
3. प्रसार शिक्षा को आप कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं।
4. सिद्ध कीजिये की प्रसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

2.5 भारत में प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का ऐतिहासिक विकास

पिछले इकाई में हमने अध्ययन किया कि पहली बार यूनाइटेड किमडम (यूके) में और उसके पश्चात यू0एस0ए0 में प्रसार का इस्तेमाल किया गया था। अब हम पढेंगे कि हमारे देश मेंप्रसार शिक्षा कैसे और कब शुरू की गयी इसके लिए किसने और कब प्रयास किए। आइये अब हम देश के पहले प्रसार शिक्षा के प्रयासों पर विचार करें। पहले सयम में भारतीय गाँव आत्म निर्भर थे और जो भी समस्याएं सामनेआती थी उनमे से अधिकांशत:गाँव के बुर्जर्गों व शासकों द्वार हल कर दी जाती थी। सामाजकल्याण की आवश्यकता 1875 से 1901 तक की दुर्घटनाओं के बाद पड़ी जिसके दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई । इस समय के तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने ग्रामीण विकास के लिए कार्य किया जिसकी शुरुवात एक आयोग बनाकर कुछ नियमों के अंतर्गत कुछ योजनाएं चलाकर की गयी लेकिन गाँव स्तर पर इन योजनाओं को बहुत अधिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। यही भारत में प्रसार कार्य की शुरूआत थी। **भारत की स्वतन्त्रता से पहले किये जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयास निम्न हैं:**

1.श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शान्तिनिकेतन में प्रसार के प्रयास:1908 में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जमीदारी के कालिग्राम परगना में ग्रामीण विकास का कार्य किया। इसका बुनियादी उद्देश्य ग्रामीणों का सहयोग जीतना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना था। गाँव में युवा संगठन स्थापित किये गये थे। बाद में सन्1921 में शान्ति निकेतन में ग्रामीण पुनर्निमाण संस्थान शुरू हुआ था। इस संस्थान में कृषि, शिक्षा, सहकारी समितियों तथा उद्योगों के विकास द्वारा प्रसार शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्य मुख्यतया आठ गॉवों में किया गया था। आज यह प्रसार शिक्षा और विकास गतिविधियों के लिये एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में माना जाता है।यह एक आदर्शवादी परियोजना थी और कुछ गॉवों तक ही सीमित रही।

2. गुड़गांव प्रयोग: यह श्री एफ0एल0 ब्रायन द्वारा शुरू किया गया एक ग्रामीण उत्थान आन्दोलन था। यह बड़े पैमाने पर किया गया प्रयास था। श्री ब्रायन ने पंजाब के गुडगाँव जिले के हर गाँवमें एक गाइड नियुक्त किया जिसके द्वारा विभिन्न गॉवों में कृषि विभागों, बीज, सिंचाई आदि के बारे में विशेष सलाह ग्रामीणों को दी गई। ये येाजना बहुत प्रगति नहीं कर सकी क्योंकि यह प्रसार के कार्यक्रम बनाने में नाकाम रही। इसमें सूचना अधिकारियों द्वारा लोगों पर जोर दिया जा रहा था जिससे उनकी स्वैच्छिक भागीदारी प्राप्त नहीं हुई।

3.सरवेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी , पूना: इस सोसाइटी नेलड़के और लड़कियों को कृषि और कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया। इसे मद्रास (चेन्नई) में शुरू किया गया और फिर बाद में एम0पी0 और यू0 पी0 में शुरू किया गया।इस कार्यक्रम ने समाज में बुनियादी शिक्षा, श्रमिक समस्याओं व कर्जदाता आदि पर घ्यान दिया गया।

4.ईसाई मिशन:ईसाई मिशनों ने कई स्कूलों कॉलेजों, गा्रमीण पुनर्निमार्ण केन्द्रो और संस्थानों जैसे वाई0एम0सी0ए0ए0 के माध्यम से शिक्षा , ग्रामीण पुर्नर्निमाण , प्रसार शिक्षा व चिकित्सा सेवाओं का कार्य किया। आत्म सहायता व सहयोग पर जोर देकर 'एग सेलिंग क्लब' , 'हनी क्लब', 'बुल क्लब', और 'बीवर क्लब' जैसे कई सफल सहकारी क्लबों को खोला गया।

5. गाँधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम (सेवाग्राम परियोजना): महात्मा गाँधी का मानना था कि गाँव राष्ट्र की आत्मा है व हमारे कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का केन्द्र हैं। इसलिये उन्होंने विशेष रूप से गाँवों व खादी पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया।उन्होंने गाँव के आत्मनिर्भर होने के लिये 18 बिन्दुओं वाला ग्रामीण पुनर्निमाण कार्यक्रम तैयार किया गया। यह कार्यक्रम सेवाग्राम परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिन्दुओं मे गाँव, उद्योग, प्रौढ़ एवं शिशु शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, जनजाति व महिलाओं का उत्थान आदि शामिल हैं। यह एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम था जो आन्दोलन में बदल गया।

स्वतंन्त्रता के बाद के कार्यक्रम:

1. **इटावा पायलट परियोजना:**यह परियोजना सन्1948 में यू0पी0 के इटावा के मानेवा गाँव मे शुरू हुई थी। इस कार्यक्रम की कल्पना अमेरिकी वास्तुकार, लेफिटनेंट एल्बर्ट मेयर ऑफ अमेरिका ने की थी। वे अमेरिकी सेना का हिस्सा थे और सन्1944 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत आये थे। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षित कर नये विचारों को स्वीकार कराना तथा अपने मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाने के उद्देश्य से गहन ग्रामीण पुनर्निमाण का परिचय देना था। इस परियोजना के द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण और अभियान के माध्यम से कृषि पद्धतियों व पशुपालन के बेहतर प्रयोग प्रस्तुत किये गये। यह परियोजना सफल रही क्योंकि यह नये विचारों को व्यक्त करने के लिये प्रदर्शन पद्धति का इस्तेमाल करती थी। बाद में कई प्रसार संगठनों ने भारत में सामुदायकि विकास के कार्य करने के लिये इसी के समान मॉडल का इस्तेमाल किया। इस कार्यक्रम से संगठनमें कई बदलाव आये।
2. **गहन कृषि जिला कार्यक्रम:**विशेषज्ञों के एक समूह ने छः वर्षों तक भारत में कृषि समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात 1960 में यह कार्यक्रम शुरू किया। फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा प्रेषित विशेषज्ञों के इस समूह ने देश में खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भरता हासिल करने के तरीकों का

सुझाव दिया। पंचायतों व सहकारी समितियों के माध्यम से बेहतर बीज, सिंचाई प्रर्वतक , पौध संरक्षण, उपकरण व ऋण की तरह सुधारित कृषि पद्धतियों का एक पैकेज प्रस्तावित किया गया। इस कार्यक्रम को 'पैकेज कार्यक्रम' के नाम से जाना जाता हैं और रायपुर में इसका मुख्यालय है।

3. **निलोखेरी प्रयोग :**भारत की आजादी के बाद विभाजन के कारण कई लोग विस्थापित हुए। पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये यह प्रयोग किया गया। इन लोगों को आस पास के 100 गॉवों में एकीकृत किया गया। सन्1948 में कुरूक्षेत्र में एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केद्र शुरू हुआ। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को स्व्योग्य बनने में मदद करना था।

4. **सामुदयिक विकास कार्यक्रम व पंचायती राज**: आजादी के बाद भारत के संविधान का प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का गठन करना था। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास की आवश्यकता महसूस हुई। पहली पंचवर्षीय योजना1951 में सामुदायिक विकास की कल्पना के साथ शुरू की गई। 55 कार्यक्रमों के साथ शुरू हुई प्रत्येक परियोजना में 500 वर्ग मील की दूरी तय की गई। जिसमें 300 गाँव व 0.2 मिलियन लोगों की आबादी थी। बाद में इस योजना को देश के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। ग्रामीण आबादी वाले जिलों को ब्लाक में विभाजित किया गया। प्रत्येक ब्लाक मे 100 -150 गाँव थे। प्रत्येक गाँव की आपनी पंचायत थी। इस प्रकार प्रसार शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय, जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर संचालित किये गये। इन्होंने सामुदायिक विकास की बहुस्तरीय प्रणाली बनाई। उन क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकतानुसार प्रसार योजना बनाकर क्रियान्वित की गई। इस कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र कृषि , स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि थे।

2.6 सारांश

इस इकाई में आपने भारत में प्रसार गतिविधियों के इतिहास के बारे में जाना। हम बाद के अध्यायों में चल रहे प्रसार कार्यक्रमों के बारे मे जानेगें। इन कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम जैसे पंचायत राज का विकास कर्याक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके संगठन, कार्य और प्रयासों ने बहुत कुछ बदल दिया है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार के लिये विभिन्न लोगों व सरकार द्वारा प्रयास किये गये हैं।अब हम प्रसार गतिविधियों का इतिहास जानते हैं प्रसार शिक्षकों के रूप में हमने प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया और इसके लिये आवश्यक विभिन्न तरीकों और सिद्धान्तों को भी समझा। इस ज्ञान व समझ से हम अपने समुदाय मे प्रसार कार्य करने के लिये प्रेरित होंगे। प्रसार शिक्षकों के रूप में आप मौजूदा प्रसार कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. बिंदु 2.3.1.1 तथा बिंदु 2.3.1.2 देखें।
2. बिंदु 2.3.1.3 देखें।

अभ्यास प्रश्न 2

1. बिंदु देखें।

अभ्यास प्रश्न 3

1. बिंदु 2.4 देखें।
2. बिंदु 2.4.4 देखें।
3. बिंदु 2.4.3.2 देखें।
4. बिंदु 2.4.4 देखें।

2.8सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. धामा , ओ0पी0 1981, प्रसार एवं ग्रामीण कल्याण, राम प्रसाद व सन् , भोपाल
2. धामा ओ0पी0 भटनागर, ओ0पी0 1985, विकास हेतु संचार व प्रसार आक्सफोर्ड व आई0बी0एच0 पब्लिशिंग का0प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली, द्वितीय प्रकाशन
3. सूपे, एस0वी0 1983 प्रसार शिक्षा का परिचय, आक्सफोर्ड व आई0वी0च0 पब्लिशिंग को0 प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, द्वितीय प्रकाशन।
4. बबू एस0, ग्लेन्डिनिंग, सी0जे0 व ओकाइरे, के0ए0 2010, भारत में कृषि प्रसार का रिव्यू, आई0एफ0पी0आर0आई0 चर्चा पत्र 01048।

अभ्यास प्रश्न 4

1. भारत में प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का ऐतिहासिक विकास विस्तारपूर्वक लिखिए।

इकाई 3 : प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान की भूमिका

3.1परिचय
3.2उद्देश्य
3.3गृह विज्ञान
3.3.1गृह विज्ञान शिक्षा की संकल्पना व अर्थ
3.3.2गृह विज्ञान शिक्षा के लक्ष्य
3.3.3गृह विज्ञान शिक्षा के महत्व
3.3.4गृह विज्ञान के क्षेत्र
3.4 गृह विज्ञान शिक्षा की विकास एवं वृद्धि में भूमिका
3.4.1व्यक्तिगत विकास के लिये गृह विज्ञान शिक्षा
3.4.2व्यवसायिक विकास के लिये गृह विज्ञान शिक्षा
3.5प्रसार के लिये गृह विज्ञान शिक्षा
3.6विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान
3.7 सारांश
3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

3.1प्रस्तावना

पिछलीइकाई में हमने प्रसार शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन किया। आप जानते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता, बदलाव के कारक हैं और प्रसार की अवधारणा लोगों के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए है। लोग समाज में रहते हैं और परिवार इसकी सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार समुदाय या समाज को बदलने के लिये हमें परिवार में बदलाव करने की आवश्यकता है। हमने यह भी अध्ययन किया है कि प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त पूरे परिवार का दृष्टिकोण है। इस इकाई में हम गृह विज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की खोज करेंगे और जानेंगे कि पूरे देश के विकास में गृह विज्ञान, प्रसार शिक्षा द्वारा व्यक्तियों, परिवार व समुदायों के व्यवहार तथा क्रिया कलापों में वांछित व टिकाऊ बदलाव ला सकती है। यह प्रासंगिक व महत्वपूर्ण दोनों है।

3.2उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात आप निम्न में सक्षम होंगें;

- गृह विज्ञान शिक्षा के अर्थ व अवधारणा को समझने में।
- गृह विज्ञान शिक्षा के महत्व को समझने में।
- गृह विज्ञान शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों को बताने में।
- गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को पहचानने में।
- गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के घटकों की सूची बनाने में।
- विकास व वृद्धि के लिये गृह विज्ञान शिक्षा की भूमिका का वर्णन करने में।
- गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यवसायिक विकल्पों की सूची बनाने में।
- प्रसार शिक्षा के साथ गृह विज्ञान शिक्षा का सम्बन्ध बताने में।
- राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों मे गृह विज्ञान का योगदान केन्द्रित करने में।

3.3गृह विज्ञान

गृह विज्ञान एक विज्ञान है जो परिवार में रहने वाले लोगों के हर पहलू से सम्बन्धित है। लोग अपने परिवार के साथ घर पर अधिक जीवन व्यतीत करते हैं।यह बात गृहणियों के लिये विशेष रूप से सत्य है क्योंकि सभी महिलाएं पुरूष, घर व परिवार की सभी गतिविधियों की केन्द्र हैं। इन गतिविधियों में घर व इसका रखरखाव, भोजन सम्बन्धित गतिविधियाँ, कपड़े व परिवार के सदस्यों का पोषण करना शामिल है। दूसरे शब्दों में इनका कार्य परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य, खुशी, रिश्ते, सन्तुष्टि व विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। गृह विज्ञानएक गृहणी के ज्ञान, क्षमताओं व कौशल को बढाने के लिये बहुआयामी, वैज्ञानिक व बहुउद्देशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। गृह विज्ञान यह सिखाने की व्यवस्थित पद्धति है कि लोग अपने जीवन स्तर में, स्वास्थ्य में, आय व रिश्तों में कैसे सुधार कर सकते हैं। यह लोगों को अपने अधिकतम विकास व संतुष्टि के प्रति मार्गदर्शन देता है। यह परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उनके निजी व व्यवसायिक दोनों विकासों के बारे में सचेत करता रहता है।गृह विज्ञान में प्रशिक्षण केन्द्र पर प्राप्त प्रशिक्षण को पारम्परिक प्रशिक्षण से बदला नहीं जा सकता। यह ऐसी शिक्षा है जो वैज्ञानिक तथ्यों व ज्ञान के साथ घर पर सीखी जाती है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान व निष्कर्षों की सहायता से मिथकों व अंधविश्वास पर काबू पाने में सहायता करता है। आज गृह विज्ञान शिक्षा लोगों को लाभदायक रोजगार दिलाने व स्वरोजगार के अवसर बनाने में सहायता प्रदान करती है। गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा लोग स्वयं के लिये, अपने परिवार के सदस्यों व

समुदाय के कल्याण के लिये अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं।इसी कारण यह प्रसार शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। आइये अब हम गृह विज्ञान शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, महत्व व सीमा के बारे में पढ़ते हैं।

3.3.1गृह विज्ञान शिक्षा की संकल्पना व अर्थ

घर , समाज का निर्माण खण्ड हैं। लोग परिवार में रहते हैं और समुदाय बनाते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हम अपने परिवार के जीवन स्तर में सुधार कर सभी लोगों के जीवन में सुधार कर सकते हैं। गृह विज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के विकास और आय सृजन की गतिविधयों का ध्यान रखता है। गृह विज्ञान शिक्षा का लक्ष्य है कि लड़के व लड़कियों कोविशेष रूप से युवाओं को वैज्ञानिक तरीकों से शिक्षित करना जिससे वे अपनी सुखसमृद्धि के लिये अपने संसाधनों का उचित उपयोग कर सकें। गृह विज्ञान को कला व विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें परिवार के जीवन स्तरमें सुधारतथा परिवार के सदस्यों की संतुष्टि के लिये परिवार के संसाधनों का उपयोग किया जाता हैमुख्य रूप सेआजकल के तेजी से बदलते व गतिशील समाज में । इस प्रकार यह विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं व वयस्क पुरूषों तथा महिलाओं के लिये उपयोगी है जो संसाधनों, ज्ञान व कौशल की कमी को महसूस करते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा उनके संसाधनों की पहचान करने में तथा जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। गृह विज्ञान शिक्षा उन्हें उनके संसाधनों को पहचानने और उनके विकास के लिए उपयोग करने और उनके जीवन स्तर के सुधार लाने में मदद करती है। इसके साथ-साथ गृह विज्ञान शिक्षा महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है।महिलाएं ही घर बनाती हैं औरएक बड़ी संख्या में अपने परिवार की आय सृजन की गतिविधियों में भाग लेती हैं। गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य केन्द्र महिलाओं कोज्ञान, कौशल, आय सृजन के स्त्रोत और सम्पूर्ण परिवार के विकास आदि के सम्बन्ध में जागरूक करना है। महिलाओं से संबंधित कई अन्य मुद्दे जैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वित्तीय स्वतंत्रता, राष्ट्र निर्माण और सशक्तिकरण में साझेदारी, गृह विज्ञान शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र हैं।

गृह विज्ञान शिक्षा कई व्यवसायिक गतिविधियों के लिये लड़के व लड़कियों दोनों को तैयार करती है जैसे घर बनाने, घर आधारित आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ शुरू करने व मजदूरी से कमाई शुरू करना आदि।इस अध्याय में बाद में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे।

गृह विज्ञान शिक्षा सभी को अच्छी सामुदायिक जीवन शैली के लिये तैयार करती है। प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण और संसाधनों को सांझा करने का ज्ञान व कौशल भी गृह विज्ञानका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक निरीक्षण, एक नागरिक के रूप में नैतिकजिम्मेदारी, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक आदि मूल्यों के गुण दिये जाते हैं।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गृह विज्ञान आज के तेजी से बदलते संसार में व्यक्तिगत, परिवार व सामुदायिक जीवन के लिये व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य बनाकर कार्य करता है।

3.3.2 गृह विज्ञान के लक्ष्य

गृह विज्ञान के तीन प्राथमिक लक्ष्य हैं;

1. किसी व्यक्ति व उसके परिवार के सभी सदस्यों के ज्ञान, क्षमताओं व कौशल का अध्ययन करना।

2. यदि सम्भव हो तो घर, परिवार व अपने पेशे के साथ साथ प्रसार गतिविधियों द्वारा सामुदायिक विकास में योगदान करना।

3. लाभदायक स्वरोजगार व नौकरी आदि की तैयारी करना।

इस प्रकार, गृह विज्ञान शिक्षा के लक्ष्य किसी अन्य शिक्षा की अपेक्षा ज्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। ये लक्ष्य भी जनता के विकास के लिये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्येां के साथ संयोजन में हैं। हमारे महान राष्ट्रीय नेता महात्मा गाँधी ने कुटीर आधारित उद्योगों, गाँव की आत्मनिर्भरता, शिक्षा, व स्वच्छता के विकास में बहुत जोर दिया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा'जन धन योजना' तथा'मेक इन इण्डिया' की पहल से देश के हर परिवार के वित्तीय नियोजन व बचत पर बल दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न 1

1. गृह विज्ञान शिक्षा के साथ लेागों के जीवन में कौन से क्षेत्र में सुधार हो सकता है।
2. गृह विज्ञान शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
3. गृह विज्ञान शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों की सूची बनाइए।

3.3.3 गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व

गृह विज्ञान शिक्षा, व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों व राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान दोनों हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू को छूता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ज्ञान व कौशल को तुरन्त सीख सकते हैं।

तालिका 3.1गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व

• वैज्ञानिक ज्ञान देता है जो पारम्परिक ज्ञान का पूरक है।
• एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है।
• गृह प्रबन्धन व परिवार के रखरखाव का प्रशिक्षण देता है।
• दोहरे प्रबन्धन के लिये महिलाओं को तैयार करता है।
• घर तथा परिवेश में सुधार करता है।
• व्यक्गित, परिवार व राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में सहायक है।
• समुदायिक विकास में सहायक है।
• पर्यावरण संरक्षण करता है।
• प्रकृति में सार्वभौमिक है।
• वैज्ञानिक स्वभाव व कलात्मक क्षमताओं का निर्माण करता है।

1. **वैज्ञानिक ज्ञान जो परम्परागत ज्ञान का पूरक हेाता है :** पहले समय में माता पिता का, खासकर माताओं का कार्य अपने अच्चों को शिक्षा देना व पारिवारिक जीवन तैयार करना था। हम अपने पारम्परिक ज्ञान व अनुभव को महत्व देते हैं। गृह विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान का पूरक है। माता पिता अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं परन्तु उनको वैज्ञानिक कारण देकर मार्गदर्शन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिये, एक माँयह तो कह सकती है कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना लड़कियों के लिए अच्छा होता है। लेकिन हो सकता है कि वह यह कहने में सक्षम ना हो कि ऐसा क्यों है और हरी सब्जी कितनी मात्रा लेनी चाहिए । इसके अलावा यदि लड़की को यह पसन्द ना हेा तो अन्य खाद्य पदार्थों से इसे कैसे स्थानान्तरित कर सकते हैं। इन सवालों का जवाब गृह विज्ञान द्वारा दिया जा सकता है। इसके द्वारा एक लड़की जान सकती है कि स्वस्थ्य रहने के लिये दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा क्या है। इसलिये उसे हरी सब्जियाँ खानी चाहिये। च्यूडे व मूंगफली के द्वारा भी वह यह (आयरन) प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार गृह विज्ञान, पारम्परिक ज्ञान को विज्ञान का पूरक करता है, यह मिथकों या अन्धविश्वासों और अच्छे तरीकों के बीच अन्तर करने में मदद करता है।

2. **व्यक्ति का सर्वांगीण विकास**:गृह विज्ञान, सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास के लिये ज्ञान, व्यवहार व कौशल प्रदान करता है। स्वस्थ रहने के लिये भोजन व पोषण का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसी तरह वस्त्र भी निजी तौर पर तैयार किये जाते हैं। मानव व बाल विकास, मनोवैज्ञानिक व मानव सम्बन्धी मुद्दों से निपटने के लिये तैयार करता है। परिवार व गृह प्रबन्धन, परिवार के वित्तपोषण , पैसे बचाने व परिवार के अन्य संसाधनों का प्रबन्धन करने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति को जागरूक व सचेत उपभोक्ता बनने में मदद करता है। गृह विज्ञान किसी भी क्षेत्र में हमें अपनी पसन्द के क्षेत्र में व्यवसाय करने को तैयार करता है। गृह विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है या स्वयं के ज्ञान व कौशल के साथ स्वरोजगार कर सकता है। इस प्रकार गृह विज्ञान की शिक्षा स्वस्थ्य शरीर, भोजन, सौन्दर्य व तरीकों के निर्माण में मदद करती है।
3. **गृह प्रबन्धन और पारिवारिक जीवन का प्रशिक्षण**: गृह विज्ञान, सुखी घर व परिवार की नींव है। यह पारिवारिक संसाधनों को पहचानने व उनका उपयोग करते हुए घर व परिवार के जीवन को सुधारने पर जोर देता है। इसमें घर की आन्तरिक व वाह्य सामग्री की सफाई व सजावट के लिये ज्ञान तथा कौशल भी शामिल है। हम परिवार के सदस्यों के बीच सम्बन्धों को निभाते हुए तथा परिवार के सदस्यों की उम्र व पोषण का ध्यान रखते हुए स्वस्थ्य व पौष्टिक भोजन बनाते हैं। एक व्यक्ति, परिवार के सदस्यों के लिये उपयुक्त कपड़ों का चयन करता है तथा पैसे बचाकर अपने पूरे परिवार के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत व पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है और परिवार की गतिविधियों में ऐसे लोगों की भागीदारी उनके बेहतर कौशल व ज्ञान के कारण बढ़ जाती है। अच्छे परिवार व सामुदायिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिये गृह विज्ञान, संचार का कौशल भी देता है।
4. **दोहरेप्रबन्धन के लिये महिलाओं को तैयार करता है :** आजकल कई महिलाएं, आय सृजन की गतिविधियों में लगी हुई हैं। इससे उनके पास घरेलू कार्य करने के लिये समय कम हो जाता है। उन्हें अपने घर परिवार की उपेक्षा के बिना आर्थिक गतिविधियोंमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है। गृह विज्ञान शिक्षा उन्हें दोहरे प्रबन्धन के लिये तैयार करता है। गृह विज्ञान शिक्षा एक व्यक्ति को अपने सभी संसाधनों जैसे समय, ऊर्जा व धन को कुशलतापूर्वक व प्रभावी रूप से प्रबन्धित करना सिखाता है।
5. **गृह व परिवेश में सुधार :** स्वच्छ व व्यवस्थित घर हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने प्रतिदिन के गृह कार्यों को करने के लिए अपने सभी संसाधनों जैसे धन, समय तथाप्रयासों का प्रबंधन आसानी से सीख लेते हैं। हम अपने आस पास की सुन्दरता को आन्तरिक व वाह्य सज्जा से और अधिक सुन्दर बना सकते हैं।

6. **व्यक्तिगत, पारिवारिक व राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि**: देश का आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर निर्भर है। हम गृह विज्ञान द्वारा अपनी आय बढ़ा सकते हैं और देश से गरीबी घटा सकते हैं। गृह विज्ञान लोगों को स्वयं सहायता द्वारा धन अर्जित करने में भी मदद करता है।
7. **समुदायिक विकास:**प्रसार शिक्षा में प्रशिक्षण द्वारा सामुदायिक विकास हो सकता है। लोगों के सर्वांगीण विकास के लिये गृह विज्ञान के ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। गृह विज्ञान अपने विद्यार्थियों को समाज सेवा व सामुदायिक सेवा का अवसर भी देता है।
8. **पर्यावरण संरक्षण:** लोग अपने वातावरण, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक हेा रहे हैं। वे अपने वातावरण को संरक्षित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ जरूरी संसाधन जैसे पानी, स्वच्छ हवा, मिट्टी व ईधन के स्त्रोतों को संरक्षित करने की तथा इनकी निरन्तर उपलब्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
9. **प्रकृति में सार्वभौमिक है :** घर प्रत्येक समाज व समुदाय की मूल ईकाई है। इस प्रकार गृह विज्ञान, पूरे विश्व में सभी व्यक्तियों से सम्बंधित है क्योंकि सभी व्यक्तियों को घर व परिवार के जीवन का प्रबन्धन करने की आवश्यकता है।
10. **वैज्ञानिक स्वाभाव और कलात्मक क्षमताओं का निर्माण:** गृह विज्ञान पाठ्यक्रम, कला व विज्ञान दोनों से खुद को सामर्थ्यवान बनाता है। एक ओर यह जीवन के सभी प्रयासों के वैज्ञानिक कारणों पर जोर देता है वहीं दूसरी ओर यह पारिवारिक जीवन में ज्ञान व कौशल का प्रयोग करने की कला के महत्व की पहचान करता है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी में नई प्रगति के साथ तालमेल रखने की लगातार आवश्यकता है। यह आज के समय में बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों को पूरा करने में हमारी मदद करता है।

3.3.4गृह विज्ञान के क्षेत्र

परिवार विज्ञान के सभी क्षेत्रों के अध्ययन को आसान करने के लिए गृह विज्ञान पाँच प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है।

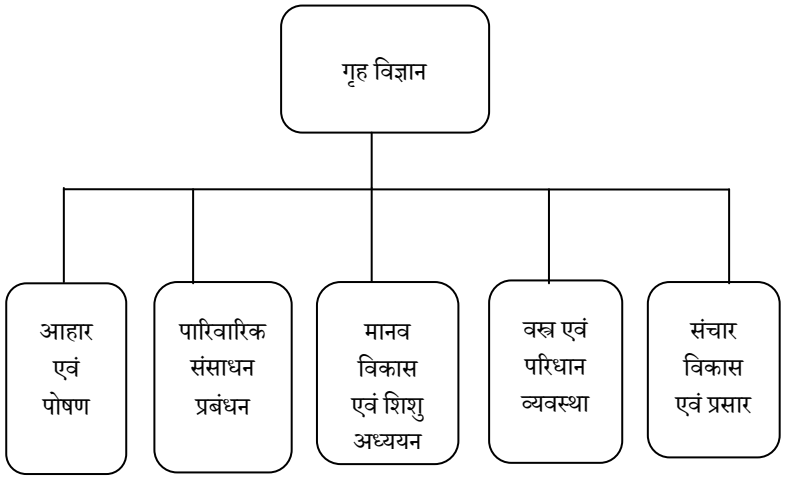

चित्र 3.1 गृह विज्ञान के क्षेत्र

चित्र 3.1 में गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाये गये हैं।उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि गृह विज्ञान पांच प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है लेकिन वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित है। एक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक क्षेत्र मेंअलग-अलग पहलुओं के बारे में सीखता है। अब हम गृह विज्ञान के इन क्षेत्रों के प्रमुख घटकों के बारे में पढेंगे।

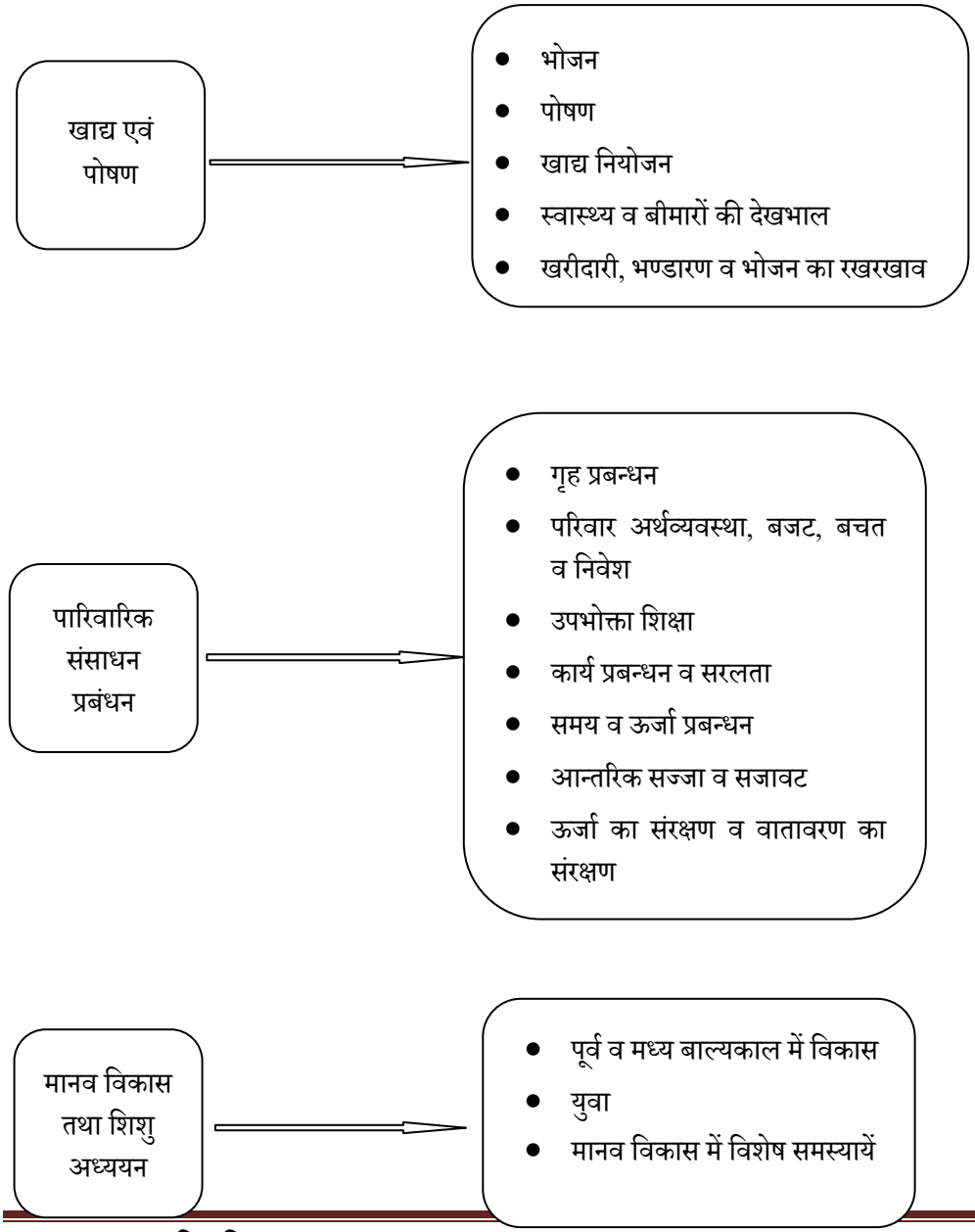

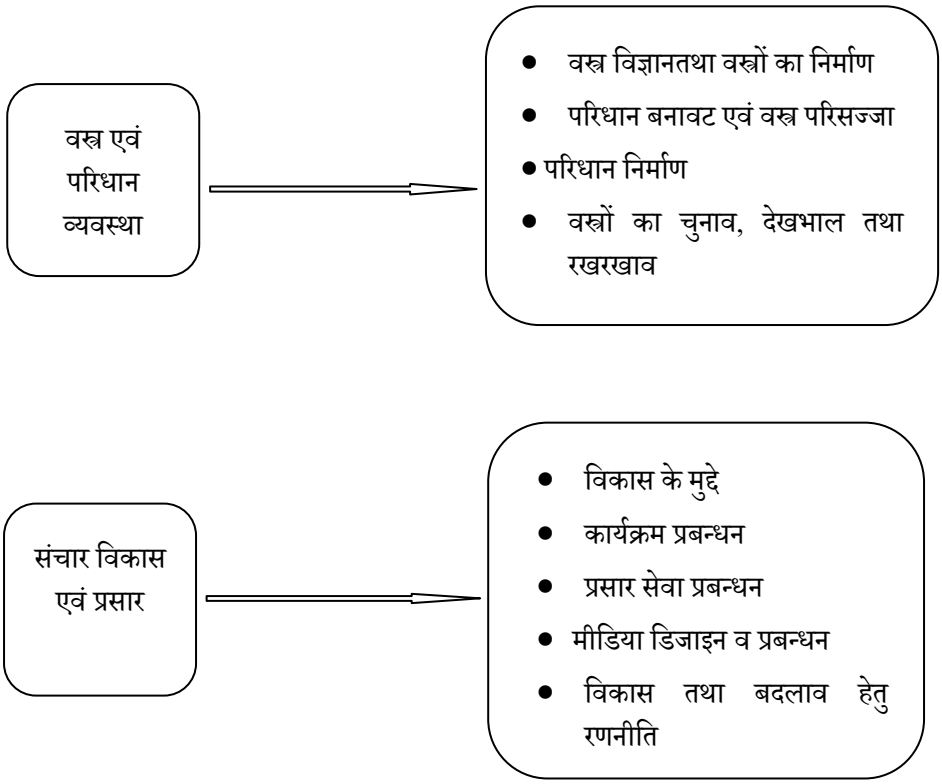

चित्र 3.2: गृह विज्ञान के विभिन्न घटक

अभ्यास प्रश्न 2

1. गृह विज्ञान शिक्षा कैसे एक महिला को दोहरे प्रबन्धन भूमिका व जिम्मेदारियों के लिये तैयार करता है।

2. चित्र के माध्यम से गृह विज्ञान शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइयें।

3.4गृह विज्ञान शिक्षा की विकास एवं वृद्धि में भूमिका

हम चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने यह भी जाना है कि इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। आइये अब हम गृह विज्ञान शिक्षा की मदद से निजी तथा व्यवसायिक विकास एवं विकास के अवसरों के सम्बन्ध में पढेंगे।

3.4.1व्यक्तिगत विकास के लिये गृह विज्ञान शिक्षा

गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बेहतर घर व परिवार के लिये एक व्यक्ति को तैयार करना है। इस प्रकार यह लोगों को अपने घरों को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़ने के लिये तैयार करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिये अच्छे भोजन तथा स्वच्छता का महत्व जानना आवश्यक है जिसका ज्ञान हमें गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा प्राप्त होता है।इससे लोग संतुलित आहार तैयार करना व उपभोग करना सीखते हैं इसके अतिरिक्त वे स्वयं के लिये सही कपड़ों का चुनाव करना भी सीखते हैं। वे अपने घर का उचित प्रबन्धन कर सकते हैं तथा आन्तरिक एवं वाह्य वातावरण को साफ रखना व सजाना सीखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के स्वाभाव ,जरूरतों तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान निकालने में मदद मिलती है। इस प्रकार गृह विज्ञान से शिक्षित व्यक्ति सक्षम, कुशल, रचनात्मक, स्वअनुसारित, आश्वस्त व्यक्ति, वैज्ञानिक ज्ञान वाले तथा कलात्मक स्वभाव से परिपूर्ण होते हैं।

3.4.2व्यवसायिक विकास के लिये गृह विज्ञान शिक्षा

गृह विज्ञान शिक्षा एक व्यक्ति को विभिन्न रोजगारों या व्यवसाय हेतु तैयार करती है। इन्हें हम गृह विज्ञान क्षेत्र के अन्तर्गत दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ये दो श्रेणियाँ**वेतन अर्जित रोजगार**तथा**स्वरोजगार**हैं। वेतन अर्जित करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के लिये काम करता है। यह ऐसा काम होता है जिसमे निर्दिष्ट कार्य के लिये सहमत राशि का भुगतान किया जाता है। स्वरोजगार का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी संगठन का स्वामी है और स्वयं खुद के लिये काम करता है। ऐसे लोग अपने संगठन से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों के लिये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। गृह विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध अलग अलग रोजगारों को समझने के लिए नीचे दी गयी तालिकाओंको ध्यान से पढ़िए । यह वे विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें व्यक्ति अपना रोजगार शुरू कर सकता है।

तालिका 3.2 खाद्य व पोषण क्षेत्र से सम्बन्धित व्यवसायिक विकल्प

	वेतन अर्जित स्वरोजगार	स्वरोजगार
खाद्य कैटरिंग	• प्रबन्धक • रसोइया • वेटर वैट्रेस • सामुदायिक केन्द्रों के प्रभारी • कैंटीन • कैफीटेरिया • खाने की दुकान	• कैंटीन • केफीटेरिया • खाने की दुकान • चाय की दुकान • मोबाइल केटरिंग • समारोह, पार्टी व शादी आदि के लिये भोजन व्यवस्था • भोजन व्यवस्था • भोजन उत्पादन यूनिट • (केन्द्र)
खाद्य संरक्षण	• उत्पादनप्रबन्धक/सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक) • उत्पादन सहायक • गुणवत्ता नियन्त्रण सहायक	• प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उत्पादन इकाई • हॉबी क्लासेज
बेकरी तथा कन्फेक्शनरी	• बेकरी में कार्यकर्ता • एक बेकरी में पर्यवेक्षक	• बेकरी के मालिक • क्लासेज

तालिका 3.3: पारिवारिक संसाधन प्रबन्धन अनुप्रयोग के क्षेत्र से सम्बन्धित विकल्प

	वेतन अर्जित	**स्वरोजगार**
हाउसकीपिंज सेवाएं	• सुविधा प्रबन्धक • होटल, कार्यालयों व अन्य इमारतों में हाउसकिपिंग इन चार्ट	• स्वयं का गेस्ट हाउस • घर पर आधारित भुगतान अथिति सेवा • कार्यालयों व शोरूम, पार्क आदि जैसी अन्य

		इमारतों का रखरखाव • हाउसकीपिंग सेवा कम्पनी • कीट नियन्त्रण सेवा कम्पनी
आन्तरिक व वाह्य डिजाइन व सजावट	• आनतरिक डिजाइनर • फर्नीचर डिजाइनर • फर्नीचर डिजाइनर • बगवानी व भूनिर्माण • प्रदर्शन प्रबन्धन के लिये एम्पोरियम/शोरूम में कर्मचारी	• आन्तरिक डिजाइनर • फर्नीचर डिजाइनर • फर्नीचर उत्पादनकर्ता • फर्नीचर उत्पादनकर्ता • वाह्य डिजाइनर व भूनिर्माण • कला व शिल्प वस्तुओं के लिये डिजाइन • गृह आधारित क्राफ्ट सेंटर
उपभोक्ता वकालत व सेंसरा	• उपभोक्ता संगठन में उपभोक्ता कार्यालय • उपभोक्ता सलाहकार	• उपभोक्ता संगठन के संस्थापक व कार्यकर्ता • उपभोक्ता सलाहकार
उद्यम प्रबन्धन	• एक उद्यम में प्रबन्धक • रिटेल आउटलेट में कर्मचारी	• अपना उद्यम स्थापित व प्रबन्धित करें
वित्ततीय प्रबन्धन	• वित्तीय सलाहकार • लघु बचत एजेट	• व्यक्तिगत वित प्रबन्धन सेवा निवृत्ति योजना , उद्यम वित्तीय प्रबन्धन आदि के लिये वित्तीय परामर्श संगठन
समारोह प्रबन्धन	• समारोह (इवेंट) डिजाइनर • कार्यक्रम प्रबन्धक • समारोह कार्यकर्ता	• परिवार व कारपोरेट आयोजन के प्रबन्धन के लिय प्रबन्ध संगठन

तालिक 3.4 मानव विकास व शिशु अध्ययन के क्षेत्र से सम्बन्धित व्यवसायिक विकल्प

	वेतन अर्जित	स्वरोजगार
प्रीस्कूल व क्रेच	• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता • बालवाड़ी कार्यकर्ता/प्रबन्धक • नर्सरी या प्रीस्कूल सहायक या कार्यकता	• फ्रैंच या डे केयर सेंटर • नर्सरी स्कूलया प्रीस्कूल • हॉवी क्लासेज • ट्यूशन क्लास
खेल के क्षेत्र व खेल पूल	• प्ले क्षेत्र सहायक • प्लेक्षेत्र प्रबन्धक • खेल पूल प्रबन्धक	• खेल क्षेत्र या केन्द्र • खेल पूल • समारोह/ खेल आयोजक
बुजुर्गों की देखभाल	• देखभालकर्ता • वृद्धावस्था गृह सहायक/प्रबन्धक	• देखभाल / सेवा प्रदान करना • वृद्धाश्रम
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों व लोगों की देखभाल	• विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों/बच्चों के देखभालकर्ता • विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या लोगों के घर के प्रबन्धक व सहायककर्ता	• देखभाल / सेवा प्रदान करना • विशेष आवश्यकता वाले लोगों/बच्चों के लिये घर बनाना

तालिक 3.5 वस्त्र तथा परिधान व्यवस्था के क्षेत्र से सम्बन्धित व्यवसायिक विकल्प

	वेतन अर्जित	स्वरोजगार

वस्त्र डिजाइनिंग	• बुनकर • स्पिनर • रंगनेवाला • निटर • वस्त्र डिजाइनर	• वस्त्र डिजाइनर • वस्त्र इकाई (कपडे निर्माण, बुनाई, छपाई आदि) • हॉवी (शौक)कक्षायें (टाई व डाई) कपउे की चित्रकारी, कढाई आदि द्वारा कपउे की सतह की सुन्दरता में वृद्धि • वस्त्र निर्माण व पोशाक की डिजाइनिंग
वस्त्र निर्माण व पोशाक की डिजाइनिंग	• टेलर / दर्जी • नामूनाकार • प्रबन्धक र्प्यवेक्षक • डिजाइनर • मर्चेडाइसर • मर्चेडाइसर डिस्प्लेयर • फेशन बायर	• दर्जी • पोशाक डिजाइनर • परिसज्जाकार • बुटिक • वस्त्र सज्जाकार • हॉबी कक्षाएं
वस्त्रों की देखभाल व रखरखाव	• लाँड्री केन्द्रप्रबन्धक • रफ्फूगर • प्रेस(इस्त्री)वाला	• लाँड्री केन्द्र • होटल, अस्पताल आदि के लिये कपडे धोने की सेवा हेतु सम्पर्क करें।

तालिका 3.6 संचार विकास व प्रसार के क्षेत्र से सम्बन्धित व्यवसायिक विकल्प

	वेतन अर्जित	स्वरोजगार

समाज कल्याण व सामुदायिक विकास	• विकास संगठनों में कर्मचारी • सामाजिक उद्यम • समाज सेवक • प्रशिक्षक व सुविधाकर्ता • सरकारी विकास कार्यक्रमों में नौकरी • जनसंपर्क अधिकारी	• गैर सरकारी संगठन सामाजिक परिवर्तन के लिए • परामर्श
मिडिया सेवा	• पत्रकारिता • लेखक • सामाजिक सलाहकर्ता • मिडिया वकील	• मीडिया उत्पादन व प्रबन्धन • मीडिया वकालत सेवायें • सामाजिक विज्ञापन कम्पनी • स्वतन्त्र पत्रकार • संचार व विकास सहालकार
प्रसार सेवायें	• प्रसार कार्यकर्ता • प्रसार विशेषज्ञ	• एन0जी0ओ0 • वकालत • काउन्सलर

तालिका 3.7 गृह विज्ञान के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित सामान्य वैयिक्तिक विकल्प

	वेतन अर्जित	स्वरोजगार
शिक्षण	• स्कूल शिक्षक • कालेज के प्रोफेसर • व्यस्क शिक्षक • गैर औपचारिक शिक्षक • पालिटेक्निक मे प्रशिक्षक , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0)	• शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान • पॉलीटेक्निक • हॉवी क्लासेज • थिएटर में अल्पावधिपाठ्यक्रम की पेशकश जैसे - कठपुतली, संचार व

	हौटल प्रबन्धन संस्थान आदि मे प्रशिक्षक • प्रसार शिक्षक	अन्य कौशल आदि।
शोध	• गृह विज्ञान से सम्बन्धित किसी क्षेत्र में शोध • खाद्य व उत्पाद परीक्षण • खाद्य व उत्पात विक्रेता • उपभोक्ता शोधकर्ता तथा रिपोर्टर	• शोध संगठन • लेखक • विपणन शोध संगठन
वकालत व सलाहकर्ता	• विषय वस्तु विशेषज्ञ • सलाहकर्ता	• सलाहकार सेवायें • सलाहकार/वकालत सेवायें • एन0जी0ओ0

इससे यह सिद्ध होता है कि गृह विज्ञान शिक्षा का व्यक्तिगत व व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों में योगदान है अपनी गृह विज्ञान शिक्षा के आधार पर हम अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। इसके अलावा अपने चुने हुए व्यवसाय में प्रगति कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वरोजगार करना चहते हैं (जैसे-महिलायें, गृहणियाँ, विद्यार्थी, किसान आदि) गृह विज्ञान के प्रशिक्षण द्वारा यह शुरू कर सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न 3

1. गृह विज्ञान शिक्षा की सहायता से आप कैसे व्यक्तिगत रूप से विकसित हो सकते हैं?
2. पारिवारिक संसाधन प्रबन्धन व डिजाइन एप्लीकेशन के अध्ययन के प्श्चात स्वरोजगार के अवसरों की सूची बनाइये।
3. वस्त्र एवं परिधान व्यवस्था के अध्ययन के पश्चात वेतन अर्जित अवसरों की सूची बनाये।
4. गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों के सामान्य व्यवसायिक अवसर क्या हैं?

3.5 प्रसार के लिये गृह विज्ञान शिक्षा

गृह विज्ञान, प्रसार शिक्षा व गृह विज्ञान शिक्षा का एक संयोजन है। इस अध्याय में हमने गृह विज्ञान शिक्षा के बारे में जाना और जब सामाजिक, आर्थिक व सामुदायिक विकास में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिये प्रसार तकनीकों व तरीकों का प्रयोग किया जाता है तो यह गृह विज्ञान प्रसार बन जाता

है। इस प्रकार गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में गृह विज्ञान क्षेत्र से सम्बन्धित विषयों में व्यवहार, ज्ञान, कौशल व तरीकों में वांछनीय परिवर्तन लाना है। गृह विज्ञान क्षेत्रों से सम्बंधित ज्ञान व कौशल को बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्रों या बस्तियों मे रहने वाले लोगों का व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामुदायिक विकास हो सकता है। यह लोगों को अपने घर व परिवार की समस्याओं को बेहतर ढंग से हल करने में मदद करता है। इससे अच्छी भोजन की आदतों व व्यक्तिगत स्वच्छता का चयन कर उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेाता है। गृह विज्ञान व प्रसार शिक्षा, कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को विकास के अच्छे अवसर देता है।

हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षा में समाज के कुछ वर्गों के लोगों के लिये व्यक्तिगत व व्यवसायिक विकास की संभावनायें है। हम खुद के चारों ओर देखकर कुछ अन्य क्षेत्रों का पता लगा सकते है जो परिवार से सम्बन्धित हो । आप निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में भी गृह विज्ञान शिक्षा को सहायक पायेंगें।

3.6राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों मे गृह विज्ञान का योगदान

गृह विज्ञान एक विशाल क्षेत्र है, यह विषय प्रशिक्षण व बहुआयामी कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके द्वारा होने वाले विकासों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है;

देश का आर्थिक विकास:एक देश के विकास के विभिन्न सूचक हैं। पहला सूचक आर्थिक सूचक है जो लोगों की आय से सम्बन्धित है। गृह विज्ञान शिक्षा व गृह वैज्ञानिक द्वार समर्थित विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम आय सृजन की गतिविधियेां पर प्रकाश डालते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा लोग अपने सभी संसाधनों को अच्छे से प्रबन्धित करना सीखते हैं। व्यक्तिगत व पारिवारिक आय का प्रबन्धन तथा बजट, बचत व निवेश के कौशल व्यक्ति के आर्थिक कल्याण तथा विकास में मदद करते हैं। जो अंतत: उच्च राष्ट्रीय आय मे येागदान देता है। गृह विज्ञान वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। यह महिलायें अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं।

देश का सामाजिक विकास: एक देश का विकास सामाजिक संकेत हैं। ये संकेत साक्षरता, स्वास्थ्य, आवास, महिला समानता आदि हैं। इन सभी क्षेत्रों में गृह विज्ञान ने बहुत येागदान दिया है। इसमें महिलाओं को बेहतर रोजगार, स्वास्थ्य व आवास हेतु ज्ञान व कौशल प्राप्त हुआ है। गृह विज्ञान की शिक्षा ने परिवार नियोजन, कुपोषण उन्मूलन , पोषण, गरीबी व राष्ट्रीय बचत येाजना, स्वच्छता व स्वच्छता के मुददों से सम्बन्धित राष्ट्रीय आक्रोश को बढ़ावा दिया है। मानव विकास व बाल अध्ययन विभाग ने मानव से जुड़े विकास के मुद्दों, बचपन की समस्याओं व चुनौतियों से

अवगत कराया है। वे बच्चों के जीवन को सुधारने व माता पिता को अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान व कौशल देने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

गृह आधारित उद्यम व उद्योगों का सामजिक व आर्थिक विकास: संस्थागत खाद्य प्रशासन के माध्यम से गृह विज्ञान के खाद्य व पोषण विभाग में हॉस्टल (छात्रावास), विद्यालय, रेलवे आदि जैसे संगठनों में लोंगों को स्वस्थ व स्वच्छ भोजन बनाने तथा वितरण की व्यवस्था देने में मदद की है। दूसरी ओर खाद्य विज्ञान व प्रसंस्करण उद्योग के विकास ने बडी संख्या में लोगों को रोजगार दिया है और यह किसानों के लिए भी वरदान स्वरूप है।

इसी तरह वस्त्र व परिधान उद्योग ने भी हमारे देश में बहुत उन्नति की है। गृह विज्ञान शिक्षा ने इसके लिये नये तरीकों व तकनीकों को अपनाया है और विकसित किया है, साथ ही पारम्परिक ज्ञान व व्यवहार को भी संरक्षित व प्रचारित किया है।

डिजाइन अनुप्रयोग विभागों ने हमारे देश में ऊर्जा व आवास की समस्या को पूरा करने के लिये स्थायी समाधान विकसित किया है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये हरित इमारतों, पर्यावरण के अनुकूल उपकरण, ईधन व ऊर्जा आदि के लिये प्रयास किये गये हैं। इमारत व सार्वजनिक क्षेत्र भी लोगों के स्वास्थ्य, खुशी व कल्याण के अनुसार डिजाइन किये गये हैं।

अन्य क्षेत्र जहॉ गृह विज्ञान शिक्षा ने योगदान दिया है वे इवेंट प्रबन्धन इंडस्ट्री, ट्रेवल व टूरिज्म (पर्यटन) व अतिथ्य उद्योग हैं।

राष्ट्रीय कार्यक्रम व प्रसार सेवायें:संचार विकास व प्रसार विभाग ने संग्रहित लोगों के लिये तकनीक विकसित की है। उन्होंने इन तकनीकों विकास संचार व मीडिया के ज्ञान का इस्तेमाल किया है।

अभ्यास प्रश्न 4

1. राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों मे गृह विज्ञान के योगदान को विस्तार से लिखिए।

3.7 सारांश

गृह विज्ञान शिक्षा कलात्मक अनुप्रयोगों के साथ एक बहुआयामी विज्ञान है। यह व्यक्तियोंकी उनके ज्ञान, क्षमताओं व कौशल के सम्पूर्ण विकास करने में मदद करता है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान व प्रसार तकनीकों को जोड़ता है। हमारे देश के सभी लोगों को विकास की ओर ले जाता है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में भी यह योगदान देता है।

3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. बिंदु 3.3 देखें।
2. बिंदु 3.3.1देखें।
3. बिंदु 3.3.2 देखें।

अभ्यास प्रश्न 2

1. बिंदु 3.3.3 देखें।
2. बिंदु 3.3.4 देखें।

अभ्यास प्रश्न 3

1. बिंदु 3.4.1 देखें।
2. तालिका 3.3 देखें।
3. तालिका 3.5 देखें।
4. तालिका 3.7 देखें।

3.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. धामा, ओ0पी0 (1997), प्रसार व ग्रामीण कल्याण। राम प्रसाद व सन्स।
2. धामा, ओ0पी0भटनागर, ओ0पी0 (1985), शिक्षा व विकास के लिये संचार, आक्सफोर्ड व आई0बी0एच0 प्रकाशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेउ, नई दिल्ली, दूसरा प्रकाशन ।
3. सुपे, एस0वी0 (1983), प्रसार शिक्षा, आक्सफोड पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली , दूसरा प्रकाशन।
4. एटिल्स, जे0एच0 व ईबंक, जी0ई0ई0, (जून 2014) परिवार व उपभोक्ता विज्ञान व एक विविध विश्व में सहकारी प्रसार, जर्नल ऑफ एक्सटेंशन, वॉल्यूम (52), न0 3।

खण्ड 2
संचार एवं प्रसार प्रक्रिया

इकाई 4 : संचार

4.1प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 संचार की अवधारणा
4.3.1 संचार का अर्थ एवं परिभाषा
4.3.2 संचार के कार्य
4.3.3 समस्याएँ एवं अवरोधक
4.4 संचार प्रक्रिया
4.4.1 संचार प्रक्रिया के तत्व
4.4.2 संचार के प्रकार
4.5 संचार और प्रसार की पहल
4.6 नए संचार माध्यम
4.7 साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा
4.8 सारांश
4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.10 पारिभाषिक शब्दावली
4.11 सन्दर्भ ग्रंथों की सूची

4.1 प्रस्तावना

संचार सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया है किसी भी विचार को आपस में संचरित करने के कई तरीके हैं। इस इकाई में आप संचार का अर्थ, कार्य, समस्याएं, प्रक्रिया, तत्व तथा प्रकारों के सम्बन्ध में चर्चा करेंगें। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें स्त्रोत से ग्राही के मध्य किसी सूचना का हस्तांतरण किया जाता है, जो अधिकाशंत: हस्तांतरण किया जाता है, जो अधिकाशंत: किसान होते हैं तथा इस सूचना हस्तांतरण द्वारा उनके विचारों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यह इकाई आपको विचारों तथा जानकारी के आदान प्रदान में संचार की अवधारणा को समझने में मदद करेंगी। साथ हे इस इकाई में आप नए संचार के माध्यमों, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के बारे में भी जानेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात आप :

- प्रभावी संचार का अर्थ समझेगें।
- एक प्रभावी संचार के मध्य आने वाली रूकावटों की पहचान कर सकेंगें।
- वैयक्तिक तथा जनसंचार प्रक्रियाओं में अन्तर को समझ सकेंगें।
- प्रसार कार्य में संचार प्रक्रिया के निहितार्थ को समझेगें।

4.3 संचार की अवधारणा

संचार (Communication) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्यूनिस (Communis) से हुई है जिसका तात्पर्य है to make Common या सर्वसामान्य बनाना। संचार का तात्पर्य अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त कर, उन्हें सर्वसामान्य बनाकर दूसरों के साथ साझा करने से है।

4.3.1 संचार का अर्थ एवं परिभाषा

संचार शब्द बहुत व्यापक है और इसके कई अर्थ हैं। क्लीकेन्जर (1991) के अनुसार, यह वाक्य अकल्पनीय है कि कोई व्यक्ति संचार नहीं कर सकता । संचार की प्रक्रिया के लिए एक प्रेषक, एक माध्यम तथा एक ग्राही की आवश्यकता होती है। हालॉकि ग्राही का संचार प्रक्रिया के समय उपस्थित होना आवश्यक नहीं हेाता है। अत: संचार प्रक्रिया वहॉ भी हो सकती है जहॉ समय और स्थान में व्यापक दूरी हो।

संचार प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण हैं:

- **विचार :** पहला, प्रेषक के मस्तिष्क किसी जानकारी का होना यह एक विचार, अवधारणा, जानकारी या अनुभूति हो सकती है।
- **संकेतीकरण(Encoding)**:अगला, ग्राही को शब्दों या संकेतों द्वारा किसी संदेश को भेजना।
- **संकेतवाचन (Decoding) :** अन्तिम, ग्राही द्वार संदेश के शब्दों या संकेंतों को एक अवधारणा में परिवर्तित करके एक व्यक्ति द्वारा समझने योग्य बनाना।

लीगैन्स के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों या भावनाओं को इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसे एक ही प्रकार से स्वीकार करते हैं।

संचार प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के विचारों के प्रभावित करना है।

संचार प्रक्रिया प्रसार , प्रशिक्षण या जानकारी को आगे बढाने के लिए आधारभूत इकाई है। कोई सीखने की प्रक्रिया अर्थात सामाजिक परिवर्तनों या नये आविष्कारों का प्रसार कृषि कार्यों मे हुए सुधारों के संचार के बिना स्पष्ट नहीं हेा सकता। किसी भी प्रसार तंत्र का अंतिम उद्देश्य किसी भी जानकारी को प्रभावपूर्ण तरीके से उपभोक्ता तक पहुचाना होता है। कृषि प्रसार कार्यों में संचार प्रक्रिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि एक प्रसार कार्यकर्ता तथा किसान के मध्य उचित संचार नहीं होगा तो प्रसार इकाई द्वारा विकासित जानकारी, ज्ञान, समझ या कौशल किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। किसी भी नये कृषि के आविष्कार को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ता के मध्य प्रभावी संचार होना अति आवश्यक है। लिटिल (1980) के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों या संगठनों के मध्य किसी जानकारी पूर्व सहमति वाले प्रतीकों के माध्यम से का आदान प्रदान होता है। संचार प्रक्रिया किसी जानकारी को प्रवाहित करने के लिए प्रयोग होने वाली एक द्वीपक्षीय प्रक्रिया है। एक संचार प्रक्रिया की कई विशेषताएं होती है जिन्हें समझने के पश्चात ही कोई प्रसार कार्यकर्ता इस प्रक्रिया के प्रयोग द्रवारा किसी जानकारी को प्रभावी रूप से उपयोगकर्ता तक पहुॅचा सकता है। ये विशेषताएं निम्न हैं:-

1) स्पष्ट एवं विशिष्ट उद्देश्य ।
2) एक प्रभावी संचार प्रक्रिया हेतु प्रसार कार्यकर्ता द्वारा कई प्रदर्शन विधियों को मिलाकर प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रक्रिया एकल रूप से इतनी प्रभावी नहीं होती कि उद्देश्य को पूरा कर सकें।

4.3.2 संचार के कार्य

संचार विभिन्न जानकारियों, व्यवहार, विचार आदि को दूसरों के साथ साझा करने की एक उत्तम कोशिश है। संचार के बहुत सारे कार्य हैं जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नवत हैं;

1)जानकारी का कार्य : जानकारी संचार के सभी कार्यों का आधार है। स्वयं को वातावरण के अनुकूल करना या वातावरण को स्वयं के लिये अनुकूल बनाना इन सभी का आधार तत्व जानकारी ही है। अत: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारियों का आदान प्रदान ही सभी संचार प्रक्रियाओं को कायम रखता है। विभिन्न जानकारियों का संचार कृषि विश्वविद्यालयों के शोध निष्कर्षों के संग्रहण, प्रसंस्करण या प्रसार द्वारा कार्यकर्ता तक तथा अन्तत: किसानों तक पहुॅचाने से होता है।

2)आदेशात्मक या शिक्षाप्रद कार्य: जो व्यक्ति पद के क्रम में श्रेष्ठ हैं (परिवार, व्यापार या अन्य किसी स्थान पर) वे या तो कोई जानकारी देने के लिए या फिर क्या करना है और कैसे करना है जैसे प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए अपने अधीनस्थ से संचार की पहल करते हैं। कोई भी जानकारी उच्च अधिकारियों से नीचे अधीनस्थों की ओर प्रवाहित होती है जिससे उक्त गतिविधि का कार्यान्वयन

किया जा सके। संचार को आदेशात्मक या शिक्षाप्रद कार्य औपचारिक संगठनों में औपचारिक संगठनों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है।

3)प्रभाव या प्रेरक कार्य : यह कर्मचारियों या किसानों का रवैया परिवर्तित करने की क्षमता है। प्रेरक के तीन भाग हैं : स्त्रोत विश्वसनीयता, भावनात्मक अनुरोध तथा सामाजिक एवं अहम की आवश्यकताएं। सामान्यतया प्रेरक किसी भी वातावरण में तभी प्रभावी रूप से कार्य कर पायेगा जब जानकारी प्राप्त करनेका स्त्रोत विश्वसनीय हो।

4) एकीकृत कार्य: पारस्परिक स्तर पर संचार के प्रमुख कार्य स्व: एकीकरण करना है।

5)शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य:शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया के संज्ञानात्मक, प्रभावपूर्ण औरमन:प्रेरक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचार अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

6) मनोरंजन कार्य :मनोरंजन के उद्देश्य से संचार का हर जगह प्रयोग हो रहा है, जैसे लोक संचार ''मीडिया''।

7)भावनात्मक कार्य : संचार विचारों, भावनाओं परिस्थितियों को अत्यन्त धार्मिक तरीके से प्रस्तुत करता है।

8)निर्णय लेना:व्यक्ति के रवैये, व्यवहार तथा प्रथाओं में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु संचार जागरूकता पैदा करके मदद करता है।

4.3.3 समस्याएं एवं अवरोधक

संचार में कार्यों एवं कार्यवाही के कई क्रम हैं जिससे इसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मानव व्यवहार की जटिलता के कारण यह संचार प्रक्रिया में कई समस्याएं तथा अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोधक एक प्रभावी संचारप्रक्रिया को धीमा कर देते हैं जिससे संचार प्रक्रिया या तो असफल थे जाती है या उससे वह परिणाम नहीं मिलतें जो मिलने चाहिए थे। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं:

1)आगे बढ़ने वाली जानकारी सम्बन्धी समस्या : संचार प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व यदि स्त्रोत के पास ग्राही से सम्बन्धित सही जानकारी न हो तो वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं यदि स्त्रोत के पास ग्राही से सम्बन्धित गलत जानकारियाँ होंगी तो संचार प्रक्रिया शुरू होन से पूर्व ही असफल हो जाएगी।

2)हैट्रोफिली : यह वह स्थिति है जो स्त्रोत और ग्राही के असमानता को बताती है ये असमानता कई क्षेत्रों मे हो सकती है जैसे शिक्षा, धारणाओं तथा सामजिकता आदि ।

3)बाधाएं जैसे शोर : कोइ भी बाधा या विकृति जो संचार प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर उसके प्रभाव को कम करते हैं।

4) ध्यान देने की चेतावनी : उदाहरणार्थ भूख, दण्ड प्यास, चिंता या वित्त जैसे कारक प्रतिभागियों का ध्यान संचार प्रक्रिया में कम हो सकता है।

5) भौतिक तथा उत्पादक सामग्री की कमी: एक किसान के पास किसी विचार या आविष्कार को कार्यान्वित करनेके लिए पर्याप्त पूंजी अथवा श्रमिकों का अभाव भी हो सकता है।

6) संज्ञानात्मक मतभेद : यह ज्ञान की अभिवृत्ति है। इसका तात्पर्य उस ज्ञान से है जो व्यक्ति की दिलचस्पी, अभिवृत्ति तथा विश्वासों के साथ होने वाली विसंगति रखता है। किसान कई बार उस तकनीक या नये आविष्कार को भी नहीं अपनाते हैं जो उनके फायदे की होती है।

7)सांस्कृतिक : सांस्कृतिक भिन्नता संचार प्रक्रिया में एक गंभीर बाधक है। इस सम्पूर्ण गतिविधि के विस्तरित क्षेत्र के भीतर (1) संचार प्रणालियों को सांस्कृतिक मूल्यों से किस प्रकार सम्बन्धित किया गया है (2) हमारे संचार प्रणालियों के वर्तमान उपयोग से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी की विशिष्ट नैतिक समस्याएं तथा (3) सांस्कृतिक सीमाओं के ज्यादा होने से संचार में आने वाली समस्याएं आती है। कुछ आविष्कार देश के कुछ भाग या किसी समूह में सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार कर दिये जाते हैं।

8)मनोवैज्ञानिक सम्बन्धी : ये भाषा में भिन्नता सम्बन्धी समस्या भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये भावनात्मक विशेषताओं और मनुष्य की मानसिक सीमाओं के कारक होने वाली बाधाएं भी हो सकती है।

9) भौतिक समस्याएं : भौतिक बाधाएं अक्सर पर्यावरण की प्रकृति के कारण होती है। इन भौतिक समस्याओं का एक उदाहरण प्राकृतिक बाधा है जो तब उत्पन्न होता है जब कर्मचारी अलग अलग भवनाओं अलग अलग स्थानो पर स्थित है। स्टाफ की कमी भी एक अन्य कारक है। पृष्ठभूमि शोर, खराब प्रकाश या एक वातावरण जो बहुत गर्म या बहुत ठंडा है जैसी अव्यवस्था लोगों के मनोबल और एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है, जो अन्तत: संचार प्रक्रिया के प्रभाव को कम करती है।

10) सूचना का चुनाव: जब अच्छी फसल उत्पादन से संबन्धित जानकारी का पैकेज (जैसे अच्छी किस्म के बीज, उचित दूरी, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग आदि) किसानों तक पहुॅचाया जाता है तो किसानों को यह स्वतंत्रता हेाती है कि वो इस पैकेज के किसी भी भाग को अनदेखा कर सकते हैं तथा केवल उसी भाग को चुन सकते हैं जो जानकारी उन्हें चाहिए।

11)सूचना अधिभार तथा सूचना थकान : सूचना अधिभार का अर्थ है अधिकता में जानकारी होना जिसे ग्राही प्रापत करता है तथा उसे प्रकिय्रा में लाता है अर्थात सूचना को समझता है तथा उसकी व्याख्या करता है। एक ही बार में अधिकता में जानकारी से भ्रम तथा सूचना थकान की

स्थिति आ जाती है। इस सबसे समझने में कमी, खराब प्रदर्शन या सम्पूर्ण जानकारी को अस्वीकार करने की स्थिति हो जाती है।

12) गलत संदेश सामग्री : अगर स्त्रोत या संचारकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी ग्राही द्वारा गलत साबित हो गयी तो वह विश्वसनीयता खो देगा।

13)फीडबैक(प्रतिपुष्टि) अवरोध : फीडबैक एक प्रतिक्रिया है जो कि एक दर्शक से प्राप्त होती है। यह दर्शक एक किसान या किसानों का समूह या फिर कोई अन्य ग्राही हो सकता है। पारस्परिक संचार प्रक्रिया में मौखिक या गैर मौखिक प्रतिक्रिया हर व्यक्ति को लगातार नियन्त्रित करती है तथा संदेश सामग्री को संशोधित करती है। यदि कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो गलतफहमी पैदा हो सकती है तथा संचार प्रक्रिया गडबडा सकती है।

14)सोच अवरोधक : किसी संस्था के कर्मचारियों के मध्य सोच सम्बन्धी अवरोधक आने की समस्या रहती है। खराब प्रबन्धन कर्मचारियों से परामर्श का अभाव तथा व्यकितत्व विरोध आदि कुछ कारक है जिससे लोगों में संचार अवरोधित हो सकता है या वे संचार प्रक्रिया को अस्वीकार कर देते है।

प्रेषक से सम्बंधित बाधाएं :

1) **प्रभावी वातावरण :** उस स्थान पर उपस्थित भौतिक सुविधाएं , दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान, दूसरों की उपलब्धियों को मान, सामान्य रूप से स्वीकार्यता और संबंध आदि सभी वातावरण के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक हैं।
2) **अव्यवस्थित प्रयास** : संचार प्रयास को कुछ निश्चित रूप या तरीकों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए जिससे संदेश के उद्देश्य स्पष्ट हो सके और उसी क्रम में उसका संचार किया जा सके।
3) **शुद्धता के मानक :** विभिन्न मानक प्रतीक तो है जो अर्थ को स्पष्ट करते हैं इसमें सही शब्दों या प्रतीकों ,सही तर्क, सही सामग्री या तथ्यों का उपयोग शामिल है।
4) **सामाजिक जिम्मेदायिों के मानक :**यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई व्यक्ति सम्पर्क करता है तो वह ग्राही तथा समाज की प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेता है।
5) **सांस्कृतिक मूल्य तथा सामाजिक आयोजन** :प्रभावी संचार के लिए संचारक को अपने श्रोताओं के सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए।
6) **गलत प्रतीक :** प्रतीकों का प्रयोग हस्तांतरित किये जा रहे विचार को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा श्रोताओं द्वार समझा जा सकता है। प्रतीक किसी व्यक्ति के लिए तभी उपयोगी होते हैं जब व्यक्ति को खुद से पता हेा कि किस स्थान पर प्रयुक्त किये गये हैं उदाहरणार्थ

लाल प्लस का चिन्ह चिकित्सा से सम्बन्धित है तथा नीला प्लस का चिन्ह पशु चिकित्सा के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

7) **संचार प्रक्रिया की गलत धारणा:**प्रेषक द्वारा की गई एक सामान्य गलती पूरे या किसी एक भाग के साथ भेदभाव को दिखात है। ग्रामीण विकास के सफल संचार कार्यकर्ता एक इकाई नहीं है। इसके लिए इकाइयों की श्रंखला की आवश्यकता होती है। संचार प्रक्रिया के सम्बन्ध में सोच उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

संदेश के संचरण से सम्बन्धित अवरोधक :

1) **माध्यम का गलत संचालन** : यदि एक बैठक, रेडियों कार्यक्रम या किसी अन्य माध्यम को सहीतकनीक से प्रयोग न किया जाय तो इस माध्यम की संदेश प्रसारित करने की क्षमता खराब हो जाती है।

2) **गलत माध्यम का चयन :** किसी एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने में सभी माध्यम समान रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। एक प्रेषक के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त माध्यम चुनने के असफल होने से संदेश की व्याख्या उस प्राकर से करने में बाधा हेागी जैसे श्रोताओं द्वारा वांछित है।

3) **भौतिक व्यवधान :** भौति कव्यवधानों से बचने में विफलता अक्सर दर्शकों को सफल संदेश भेजने में बाधा डालती है।

4) **समानान्तर में अपर्याप्त माध्यमों का प्रयोग :** यदि प्रेषक द्वारा समानान्तर में या एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा हो तो इस प्रकार से संदेश अधिकप्रभावी ढंग से पहुँचता है यदि माध्यमों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए।

ग्राही सम्बंधित अवरोधक :

1) **श्रोताओं का ध्यान :** यदि दर्शक ध्यान केन्द्रित करने में असमर्थ हैं तो यह एक शक्तिशाली रूकावट या अवरोध है जो संदेश को वांछित गतव्यतक पहुँचने से रोकता है।
2) **सहयोग,भागीदारी तथा शामिल होने की समस्या :** संचारक या प्रेषक तथा ग्राही दोनों को यह देखते रहना चाहिये कि श्रोता या ग्राही प्रक्रिया के दौरान उचित प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं।
3) **समरूपता की समस्या :** समरूप दर्शकों के मध्य सफल संचार की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार एक प्रेषक अपने श्रोताओं के सम्बन्ध में जितना जानता हो वह उनपर उतना ही अधिक प्रभाव छोडेगा।

4) **प्रेषक की प्रति दर्शकों की मनोवृत्ति** : संचार की प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण कारक है यह है दर्शकों का प्रेषक के प्रति नजरिया। यह प्रेषक का कार्य है कि वो उनके दृष्टिकोण को संदेश के अनुकूल बनाये।

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों को भरिये।

a) संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ---------- से हुई है।
b) ---------- एक प्रतिक्रिया है जो दर्शक या ग्राही से प्राप्त होती है।
c) संचार प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण हैं ----------,----------तथा----------।
d) ----------किसी संचार प्रक्रिया के प्रभाव को कम कर देते हैं।

प्रश्न 2 . ग्राही या श्रोता सम्बन्धी अवरोधक क्या हैं? विस्तारपूर्वक लिखिए।

4.4 संचार प्रक्रिया

संचार का लक्ष्य सूचना देनातथा उस सूचना की समझ एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति दूसरे या समूह तक पहुँचाना है। इस संचार प्रक्रिया को तीन मूलभूत घटकों मे विभाजित किया गया है। एक प्रेषक जो किसी माध्यम की सहायता से ग्राही या श्रोताओं तक संदेश को प्रसारित करता है। प्रेषक पहले एक विचार विकसित करता है जिससे एक संदेश निर्मित करता है जिसे वह श्रोताओं तक पहुँचाता है जो उसका अर्थ निकालकर समझते हैं। किसी संदेश को विकसित करना संकेतीकरण (Encoding) कहलाता है। संदेश की व्याख्या करना संकेत वाचन (Decoding) कहलाता है। मानव संचार एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। खेती की आधुनिक तकनीकों की दिशा में किसानों के मूल्यों और दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी संचार प्रक्रिया अतिमहत्वपूर्ण है। संचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता किसानों तक जानकारी पहुँचाने में सक्षम होते हैं तथा वह उनकी समस्याएं भी समझ सकते हैं।

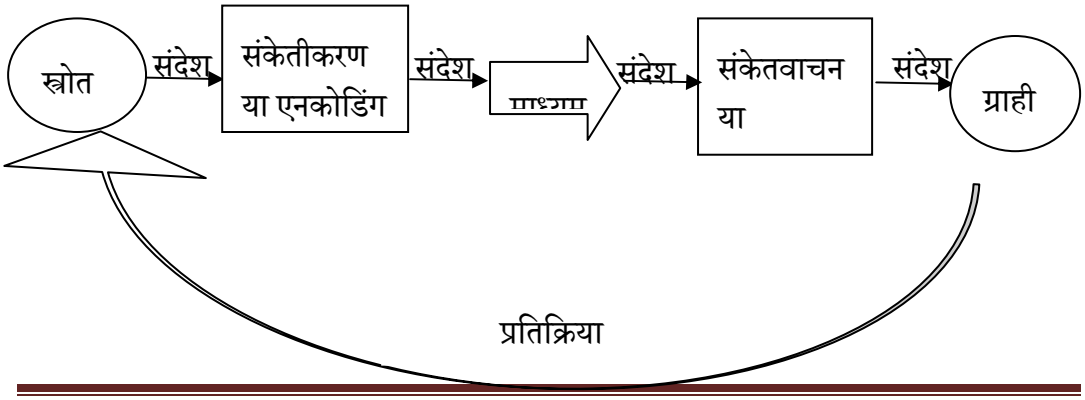

चित्र संख्या 4.1 संचार प्रक्रिया

4.4.1 संचार प्रक्रिया के तत्व

- **कम्यूनिकेटर या प्रेषक**:प्रेषक को एन्कोडर या कूट लेखक के रूप मे जाना जाता है, जो सूचना/संदेश भेजता है तथ यह निर्णय भी लेता है कि कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा। यह सब प्रेषक के विभाग में चलता है। प्रेषक खुद से ही सवाल पूछता है कि मै किन शब्दों का प्रयोग करूँगा ? किन संकेतों या चित्रों का प्रयोग करूँगा ।
- **संदेश :**यह सभी तकनीकी जानकारी सामग्री है जो प्रेषक विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित करता है और श्रोताओं को भेजता है।
- **माध्यम :** माध्यम वह है जो चुने हुए संदेश का श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। संचार माध्यम एक माध्यम है जिसके द्वार किसी संदेश या सूचना का प्रसार प्रेषक से एक या अधिक ग्राही या श्रोताओं तक किया जाता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन,इंटरनेट, रेडियों, फिल्मशो तथा प्रदर्शन आदि ।
- **संदेश का वर्णन** : यह संदेश व्यक्त करने मे या व्यक्त करने के लिए आवश्यक तकनीक या तरीके या प्रदर्शन से सम्बन्धित है। यही एक तरीका है जिसमे संदेश में आवश्यक परिवर्तन कर उसे श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संदेश या सूचना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।
- **श्रोता/ग्राही :** श्रोता भावी उत्तरदायी होते हैं अर्थात किसान जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभान्वित होते हैं। श्रोता/ग्राही या संकेतवाचक संदेश का अर्थ निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राही प्रेषक को प्रतिक्रिया देनेके लिए भी जिम्मेदार होता है। एक शब्द मे कहें तो किसी भी संदेश की व्याख्या करना ही उसका मुख्य कार्य है।
- **फीडबैक या प्रतिक्रिया** : यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही निर्धारित करता है कि संकेतवाचक या ग्राही को वांछित अर्थ समझ आया या नहीं और यह भी कि संचार प्रक्रिया सफल हुई या नहीं।

4.4.2 संचार के प्रकार

प्रसार के एक शैक्षिक प्रयास के रूप मे संचार का प्रयोग ग्रामीण समुदाय मे सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसकी कई विधियाँ हैं जैसे खेत और घर भ्रमण से प्रदर्शन तक, क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, टेलीविजन आदि। संचार को निम्नप्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है;

वैयक्तिक संचार (Interpersonal Communication) : इस प्रकार के संचार में दो व्यक्तियों के मध्य संचार प्रक्रिया होती है। संदेश प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। प्रतिक्रिया तुरन्त तथा प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होती है। इस पद्धति में प्रसार कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्तिसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की पहचान अलग रखता है। इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जब संपर्क करने वाले व्यक्त्यिों की संख्या कम होती है, वो प्रेषक के आस पास उपस्थित होते हैं तथा संचार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ खेत या घर भ्रमण, किसानों को फोन आदि।

सामूहिक संचार(Group Communication) : इस पद्धति में प्रसार काग्रकर्ता व्यक्तिगत रूप से किसी से सम्पर्क नहीं करता अपितु व्यक्त्यिों के समूहों से सम्पर्ककरता है। इसका अर्थ है विचारों, जानकारी या सूचना तथा कौशलों का दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के साथ आदान प्रदान करना। उदाहरणार्थ परिणाम प्रदर्शनविधि प्रदर्शन, समूह बैठक आदि ।

जन संचार (Mass Communication):जन संचार, प्रोद्योगिकी के क्षेत्र मे महत्पूर्ण प्रगतिको संदर्भित करता है जिसके द्वारा श्रोताओं की एक बड़ी संख्या के मध्य संदेश भेजा जा सकता है जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि। इस पद्धति में प्रसार कार्यकर्ता लोगों की विशाल और विषम जनसंख्या के साथ संचार करता है तथा व्यक्तिगत रूप से वह किसी से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। इस पद्धति का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जहाँ बहुत कम समय में विशाल जन समूह के मध्य किसी सूचना या संदेश का प्रसार करना होता है। समूह बैठकों में करीब 100 लोगों का समूह हो सकता है, अभियान और प्रदर्शनी मे यह संख्या 1000 तक हो सकती है तथा समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविजन में यही संख्या 10000 तक पहुँच सकती है। इसमें कुछ मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए बने हुए स्त्रोतको बडी संख्या के दर्शकों के कार्यकरने हेतु सक्षम बनाता है। इस पद्धति में प्रतिक्रिया सीमित तथा देर से प्राप्त होती है। जनसंचारपद्धति एक बड़ी जनसंख्या के मध्य तीव्रता से सूचना पहुँचाने का उचित माध्यम है। इसके अन्तर्गत कृषि प्रकाशन, जन बैठक, अभियान, प्रदर्शनी,अखबार,रेडियों आदि आते हैं।

4.5 संचार और प्रसार की पहल

संचार माध्यम तथा प्रसार विधियाँ प्रसार कार्य को प्रभावी बनाने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता को पहले यह समझना चाहिए कि उसके पास कौन से विधियाँ उपलब्ध हैं दूसरा वह उनमें से किस विधि का प्रयोग करना है और कब करना है तीसरा वह प्रत्येक विधि का उपयेाग करने मे सक्षम होना चाहिए। प्रभावी संचार को लेागों तक पहुँचने के लिए प्रयोग की जा रही तकनीक में महत्वपूर्ण रूप से दिखाया जाता है। विभिन्न कार्य प्रणालियों मे होने वाले परिवर्तनों के लिए विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ जिम्मेदार होती है ये विधियाँ निम्नवत हैं सामान्य बैठकें, विधि प्रदर्शन बैठकें, नेता

प्रशिक्षण बैठकेंतथा अध्ययन पाठयक्रम बैठकें आदि। ये विधियाँ लोगों को सीखने , देखने ,सुनने, चर्चा करने तथा कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को उपयुक्त विधि का चयन करना चाहिए, चयनित विधियों का उपयुक्त संयोजन होना चाहिए तथा उन्हें उचित क्रम में उपयोग करने में प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम होना चाहिए। प्रसार विधियों के बारे में सोचने और उनका उपयोग करने में हमें हमेशा उन विधियों को ढूढना होगा जिनसे वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। कुछ तरीके श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने में मददगार होते हैं जैसे उदाहरण के लिए प्रदर्शनी/ग्रामीणों के दिमाग के खोलने और उन्हें जिज्ञासु बनाने में सहायक हेाती है जैसे फिल्म शो, कुछ कार्यों को करने के नए तरीकों को प्रदर्शित करने के लिए उपयेाग किया जाता है जैसे विधि प्रदर्शन/नई तकनीकों का ग्रामीण परिस्थितियों मे प्रदर्शन जिससे की ग्रामीण उसके लाभ व हानियॉ देख सके जैसे परिणाम प्रदर्शन/ कुछ विधियाँ इस लिए प्रयोग की जाती है कि गाँव के लोगों को सोचने और एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके । किसी व्यक्ति का आर्थिक/सामाजिक स्तर जितना मजबूत होगा उसके द्वारा प्रसारित किये जा रहे संदेश या जानकारी को स्वीकार करने की संभावना भी उतनी अधिक होगी। प्रसार की इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जैसे श्रोता,क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की रूचि,ज्ञान तथा व्यवहार अलग अलग हेाता है यह भिन्नता सम्पूर्ण शिक्षण पद्धति को प्रभावित करती है।उदाहरणार्थ – कम पढ़े लिखे या अनपढ़ तथा निम्न आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति व्यक्तिगत भ्रमण तथा परिणाम प्रदर्शन विधियों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देगें जबकि पढ़े लिखे व्यक्ति समूह चर्चाओं/बैठकों, लिखित सामग्री आदि के प्रति अच्छी

प्रतिक्रिया देते हैं। प्रचार प्रसार की इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके कुछ निश्चित एवं विशिष्ट लक्ष्यों के प्रति जागरूक करना है। इनकी विभिन्न विधियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है;

चित्र 4.2 प्रचार और प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण

व्यक्तिगत प्रस्ताव	**समूह प्रस्ताव**	**जन प्रस्ताव**
1) व्यक्तिगत भ्रमण a) खेतभ्रमण b) घर भ्रमण 2) कार्यालय काल 3) व्यक्तिगत पत्र	1) विधि 2) परिणाम 3) समूह नेता का प्रशिक्षण 4) चर्चा बैठकें ● समूह चर्चा ● पैनल चर्चा ● संगोष्ठी ● गोष्ठी ● समूह साक्षात्कार	1) फिल्म और स्लाइड 2) फ्लैश कार्ड 3) मुदित सामग्री 4) मॉडल और प्रदर्शन 5) रेडियों 6) दर्ज वार्ता 7) चार्ट, रेखाचित्र 8) सरक्युलर लैटर 9) समाचार पत्र 10) अभियान 11) टी0वी0

	• वार्तायां सार्वजनिक वार्तालाप • कार्यशाला **5)** कार्य क्षेत्र **6)** यात्राएं	

व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ: किसानों का ज्ञान ,कौशल, मूल्य , व्यक्तिगत संसाधन ताकि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि कारक निर्णय लेने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत: प्रसार कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रत्येक व्यक्ति की रूचि का पता हो कि वह किस जानकारी को प्राप्त करना चाहता है। व्यक्तिगत शिक्षण के लिए प्रसार कार्यकर्ता को उस व्यक्ति के जीवन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों, से अवगत होना चाहिए। व्यक्तिगत सम्पर्क कई बार किसानो की कुछ विशेष समस्याओं के सम्बन्ध मे जानकारी देने सम्बन्धित होता है। व्यक्तिगत सम्पर्क विधि के कुछ तरीके निम्न हैं:

- **खेत एवं घर भ्रमण**:व्यक्तिगत सम्पर्क की यह अत्यन्त स्वाभाविक, सहज एवं सफल पद्धति है। इसमे प्रसार कार्यकर्ता का अपने क्षेत्र के लोगों से सीधा सम्पर्क स्थापित होता है तथा वह उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाता है। प्रसार कार्यकर्ता खेत में जाकर वहॉ की भूमि,रोपण, प्रत्यारोपण, सिंचाई,कीडों से बचाव,जल निकासी ,कृषि अन्त्रों आदि से भी हो सकता है। इसी प्रकार घर जाकर घर की साफ सफाई गर्भवस्था में देखभाल, बच्चों की बीमारी मे उनकी देखरेख तथा पोषण सम्बन्धी व्यवहारिक बाते अधिक प्रभावी रूप में समझायी जा सकती हे।
- **किसानों से भेट/कार्यालय भेंट** : किसानों द्वारा प्रसार कार्यकर्ता को जानकारी एकत्रित करने या ऊपरी समस्याओं के समाधान करने हेतु कॉल या कार्यालय में जाकर भेंट करना इसके अन्तर्गत आता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रसार कार्यकर्ता के कार्यालयमें उपस्थित रहने का समय निश्चित हो तथा कार्यालय किसानों की पहुँच के भीतर हो।
- **व्यक्तिगत पत्र** :व्यक्तिगत पत्र का उपयोग कुछ जानकारियाँ जैसे घर या खेत भ्रमण की प्रतिक्रिया देने या स्थानीय नेताओं से सम्पर्क करने के लिए किया जाता है। किसानों को लिखे हुए पत्र में सभी आवश्यक जानकारियाँ होनी चाहिए। पत्र स्पष्ट, संक्षिप्त, सही तथा विनम्र भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए।

लाभ

1) घर से बाहर न निकल जाने वाले लोगों के लिए लाभदायक
2) लोगों को जटिल विधियाँ सिखाने में।

3) यह गाँव की समस्याओं या खेतों अथवा घर से सम्बन्धित समस्याओं के बारे मे सीधी जानकारी प्राप्त होती है।
4) यह किसान और प्रसार कार्यकर्ता के मध्य आत्म विश्वास स्थापित करता है।

हानियाँ

1) यह महँगा तथा अधिक समय लगने वाली प्रकिया है।
2) कम लोगों तक सीमित।
3) पक्षपात की संभावना।

समूह शिक्षण पद्धति : यह पद्धति दो या दो से अधिक लोगों के मध्य सूचना प्रसारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस पद्धति के लिए आवश्यक है कि प्रसार कार्कर्ता इस बात की जानकारी रखे कि (1) वह किस प्रकार के समूह में सूचना प्रसार कर रहा है (2) नेतृत्व का प्रकार (3) समूह के लोगों का रूझान।

(a) परिणाम प्रदर्शन (Result Demonstration): उन्नतया नई एवं पद्धतियों के महत्व एवं उपयोगिता का प्रदर्शन करने का यह उचित माध्यम है। पुरानी एवं नई पद्धति की तुलना भी इसके माध्यम से की जा सकती है। परिणाम प्रदर्शन स्थानीय स्थितियों एवं संसाधनों के माध्यम से सम्पन्न होता है अत: लोगों के मन के यह विश्वास हो जाता है कि वे इस पद्धति को अपना सकेत हैं। परिणाम प्रदर्शन का उद्देश्य प्रसार कार्यकर्ता के प्रति किसानो के मन मे विश्वास को विकसित करना है तथा उस तकनीक या विधि के प्रति भी जिनका प्रदर्शन प्रसार कार्यकर्ता द्वारा किया जाए। उदाहरणार्थ : कृषि सम्बन्धित नई तकनीकों का प्रदर्शन, नये उद्योग धन्धों सम्बन्धी तथा कुछ गृहोपयोगी विधियों जैसे खाद्य संरक्षण तथा साफ सफाई आदि से सम्बन्घित प्रदर्शन।

(b) विधि प्रदर्शन (Method Demonstration): विधि प्रदर्शन एक शिक्षण विधि है जो किसी भी नई तकनीक या उन्नत तकनीक को रोचक तथा विश्वसनीय तरीके से समूह के समक्ष पेश करतीहै जिससे लोग उसकी आवश्यकता को समझें तथा ये भी समझ सकें कि उसका अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में किस प्रकार अनुप्रयोग किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग किसी नई तकनीक के प्रयोग को समझाने के लिए किया जाता है। विधि प्रदर्शन को गैर तुलनात्मक प्रदर्शन कहा जाता है। इस पद्धति में किसानों को यह भी सिखाया जाता है कि वे स्वयं से किस प्रकार किसी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि के अन्तर्गत निम्न आते हैं: फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग कब और कैसे किया जाए, कीटों और रोगों का नियन्त्रण, खेत के नए औजारों की मरम्मत और रखरखाव तथा नई उन्नत किस्मों की फसलों का उत्पादन आदि।

(c) समूह बैठक (Group Meeting): इसके अन्तर्गत प्रदर्शन बैठकों को छोड़कर प्रसार कार्यकर्ता द्वारा आयोजित सभी बैठकें शामिल हैं। इस विधि का आयोजन व्याख्यानों, चर्चाओं,

स्लाइड दिखाकर गति चित्रों के द्वारा किया जा सकता है। यह सभी किसानों की एक मीटिंग के रूप मे भी हो सकता है जिसमे वो विषय वस्तु विशेषज्ञ का व्याख्यान सुनेंगे। बैठक की रूपरेखा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह किसानों या श्रोताओं को अच्छे से समझ आये तथा बैठक का एजेंडा को अच्छे से समझ आये तथा बैठक का एजेंडा ध्यान देकर तैयार किया जाना चाहिए जिससे वह बैठक के सभी उद्देश्यों को ठीक प्रकार से पूरा करे। समूह बैठक में प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति की बात पूरी तरह से सुनता है चाहे वह उसकी बात से सहमत हो या ना हो। इस प्रकार की बैठकों में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने स्वतंत्रता हेानी चाहिए। बैठक के तीन चरण हैं बैठक की येाजना बनाना, बैठक का आयोजन तथा बैठक की जॉच तथा आगे की कार्यवाही करना। बैठक की योजना के अन्तर्गत बैठक के विषय, समय, स्थल आदि का चयन,वक्त एवं अध्यक्ष का चयन तथा बैठक के प्रचार प्रसार की व्यवस्था आदि आते हैं। बैठक के आयोजन में कार्यक्रम की प्रक्रिया तथा दर्शकों या श्रोताओं की भागीदारी आदि शामिल हैं। बैठक की जॉच तथा आगे की कार्यवाही में बैठक का सार, प्रेस विज्ञप्ति , प्रदर्शन तथा मूल्यांकन आदि शामिल है।

(d) अध्ययन दौरा या एक्सपोजर विजिट :यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें लोगों के एक समूह को एक अध्ययन दौरे पर ले जाया जाता है ताकि वो किसी भी नई तकनीक के परिणाम को वास्तविक परिस्थिति में देख सकें। इसका अर्थ है कि पूरा समूह एक या एक से अधिक दिन के लिए साथ यात्रा करेगा। यात्रा कृषि से सम्बन्धित लोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इस पद्धति में लोग वास्तविक परिस्थितियों मे देखकर सीखते हैं। यात्राएं शिक्षण समूहों के लिए सबसे उपयुक्त है जैसे युवा किसान क्लब के सदस्य। यह यात्रा किसी शोध केन्द्र, प्रदर्शन, खेत या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान की हो सकती है। किसान दूसरे स्थानों पर जाकर यह देख सकते हैं वहाँ के किसान कैसे काम करते हैं? क्या फसल उगाते हैं? तथा वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? यात्राओं से स्थानीय किसानों को यह देखने का मौका मिलता है कि किसान खेती किस प्रकार करते हैं तथा वे किस प्रकार अन्य किसानों के साथ विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान कर सकते हैं।

समूह पद्धति के लाभ:

1. सामान्यतया ये व्यक्तिगत पद्धतियों से कम लागत की पद्धति है।
2. एक समय मे अधिक लोगों तक पहुँचा जा सकता है।
3. एक समूह के लोगां के मध्य विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान हेाता है।

समूह पद्धति की हानियाँ:

1. किसी एक निर्णय तक पहुँचने में काफी समय लगता है।
2. समुदाय में प्रभावशाली लोग चर्चाओं मे हावी हो सकते हैं।

3. लोगों का कभी कभी समस्याओं पर सहमत होना तथा एकजुट होकर काम करना मुश्किल हो जाता है।
4. एक समूह में व्यक्तिगत समस्याएं अच्छी तरह से हल नहीं की जाती है।
5. जो लोग समूह मे शामिल नहीं होते हैं उन तकपहुँचना मुश्किल हेाता है।

जन समूह पद्धति:यह पद्धति तब प्रयोग में लायी जाती है जब प्रसार प्रक्रिया एक बड़े पैमाने पर की जाती है। उदाहरणार्थ; रेडियो, पोस्टर, टेलीविजन, समाचार पत्र, स्लाइड शो आदि। जन समूह पद्धति का प्रयोग मुख्यतः जन समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। समूह पद्धतियाँ किसी भी प्रसार कार्यकर्ता की शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाने में बहुत सहायक हैं। प्रकाशन, टेलीविजन, प्रदर्शन , पोस्टर आदि व्यक्तिगत रूप से या समूहों से सम्पर्क करने वालों के दोहराव मे मददगार होते हैं। ये किसी सूचना के प्रसार को एक बहुतबड़े समुदाय या फिर प्रत्येक व्यक्ति के मध्य करने में सहायक हेाते हैं। प्रमुख जन समूह पद्धतियाँ निम्न हैं:

1. **कृषि प्रकाशन (Farm Publications)** : इसमे विज्ञाप्ति पत्र, लघुपुस्तिका, पर्चे, फोल्डर, पोस्टर आदि शामिल हैं। प्रकाशन प्रसार करने के अच्छे स्त्रोत हैं और यह अन्य तरीकों को भी प्रभावित करते हैं। ये प्रतिभागियों को बैठकों में भ्रमण द्वारा या फिर डाक द्वारा दिये जा सकते हैं। इनका प्रयोग समाचारों के पूरक के रूप में उस समय प्रयोग किया जा सकता है जब भी कोई नईजानकारी उपलब्ध हो। अन्य शिक्षण सामग्री की तुलना मे इनका उत्पादन एवं उपयोग सस्ता है।

2. **अभियान (Campaign)** : जागरूकता अभियान किसी गाँव में किसी विशेष विषय से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार करने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए: आमों में विकृति या कुपोषण की रोकथाम आदि।

3. **प्रदर्शनी (Exhibition) :** इनका मुख्य उद्देश्य उन लोगों के हितों को ध्यान में रखना है जो उन्हें देखते हैं। ये उनके नजरिए को प्रभावित करते हैं। उनके ज्ञान मे वृद्धि करते हैं तथा उन्हें कार्यवाही करने को प्रेरित करते हैं। प्रदर्शनी को निरक्षरों के लिए एक बेहतर शिक्षण पद्धति माना जाता है। इसमें नमूने, मॉडल, चार्ट तथा पोस्टर आदि का व्यवस्थित प्रदर्शन किया जाता है।

4. **समाचार (News Paper)** : ये उन लोगों को कृषि और सामान्य सामुदायिक विकास की जानकारी देने का एक बहुमूल्य साधन है जो पढ़ सकते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता में अपने क्षेत्र के किसानों की शिक्षा के लिए सूचनात्मक मुद्रण सामग्री तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए । यह सामग्री कार्यात्मक , बुद्धिमत्ता से योजनाबद्ध तथा उचित प्रकार से लिखी हुई होनी चाहिए।

5. **रेडियो (Radio)** : यह एक शक्तिशाली साधन तथा किसानों की व्यापक संख्या के मध्य संचार या प्रचार करने का सबसे तेज माध्यम है। यह सभी संस्कृति के लोगों तक पहुँचता है जो संचरण की भाषा समझते हैं।

6. **टेलीविजन:** यह रेडियो प्रसारण मे दूसरा आयाम जोड़ता है जिससे प्रसार कार्यकर्ता के पास उपलब्ध विधियों या तरीकों की संख्या बढ़ जाती है।

7. **मोबाइल फोन द्वारा वाक संदेश**:तकनीकी उन्नति के प्रचार के लिए कृषि सुझाव, पशु प्रबंधन प्रथाओं, स्वास्थ्य , पोषण आदि पर किसानों को वाक संदेश भेजा जा सकता है।

लाभ:

- लोगों में सामान्य जागरूकता फैलाने मे लाभदायक ।
- ज्ञान के प्रसार तथा विचार बनाने तथा बदलने मे सहायक।
- कम समय में एक बड़ी संख्या मे लोगों से संचार ।

हानियाँ :

- प्रेषित की जा रही जानकारी की मात्रा सीमित हेाती है।
- कई स्थानों पर रेडियो तथा टीवी के सिग्नल अच्छे नहीं हेाते तथा लोग उन्हें खुद से ठीक नहीं कर पाते हैं मुख्य रूप से टी0वी0के सिग्नल।
- प्रभाव का मूल्यांकन करना मुश्किल है क्योंकि कोई तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हेाती है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. संचार प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों के बारे में संक्षेप में लिखिए।

प्रश्न 2. रिक्त स्थान भरिये।

a) खेतों एवं घर का भ्रमण लोगों का ----------हासिल करने के लिए किया जाता है।
b) निजी पत्र----------द्वारा किसानों के लिए लिखा जाता है।
c) ----------शिक्षण पद्धति का प्रयोग एक बड़ी संख्या के मध्य जानकारी पहुँचाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 3.प्रचार और प्रसार शिक्षण विधियों के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइये।

4.6 नए संचार माध्यम

जैसा की आपने पूर्व में पढ़ा संचार एक जटिल प्रक्रिया है। उसके कई रूप या प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं –

(क) मौखिक संचार : एक-दूसरे के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं। इसमें हाथ की गति, आँखों व चेहरे के भाव, स्वर के उतार-चढ़ाव आदि क्रियाएँ होती हैं।

(ख) अंतरवैयक्तिक संचार : जब दो व्यक्ति आपस में और आमने-सामने संचार करते हैं तो इसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार की मदद से आपसी संबंध विकसित करते हैं और रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है।

(ग) समूह संचार : इसमें एक समूह आपस में विचार-विमर्श या चर्चा करता है। कक्षा-समूह इसका अच्छा उदाहरण है। इस रूप का प्रयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है।

(घ) जनसंचार : जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके माध्यम हैं।

4.6.1 न्यू मीडिया:न्यू मीडिया कोई भी मीडिया है जो अखबारों के लेख और ब्लॉग से लेकर संगीत और पॉडकास्ट तक डिजिटल रूप से वितरित किए जाते हैं। किसी वेबसाइट या ईमेल से लेकर मोबाइल फोन और स्ट्रीमिंग ऐप्स तक, इंटरनेट से संबंधित संचार के किसी भी रूप को नया मीडिया माना जा सकता है।

इंटरनेट: इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुँच दुनिया के कोने-कोने तक है और उसकी रफ़्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपनेवाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं। रेडियो सुन सकते हैं। सिनेमा देख सकते हैं। किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पलभर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं।यह एक अंतक्रियात्मक माध्यम है यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल-जवाब, बहस-मुबाहिसों में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लाग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कंवर्जेंस के युग में पहुँचा दिया है और संचार की नई संभावनाएँ जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहाँ पढ़ने-लिखने वालों के लिए,

शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियाँ भी हैं। पहली खामी तो यही है कि उसमें ऐसे विषय एवं सामग्री भर दी गई हैं जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएँ सामने आई हैं।

सोशल मीडिया: सोशल मीडिया डिजिटल इंटरनेट जनसंचार माध्यम का एक रूप है। सोशल मीडिया से तात्पर्य ऐसे माध्यम से है, जहाँ पर विश्व के अलग-अलग हिस्सों में दूरदराज बैठे लोग आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। इसके लिए वे इंटरनेट के माध्यम का उपयोग करते हैं। यह माध्यम एक आभासी संसार की तरह है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, और अपने विचार और निजी बातें आदि शेयर करते हैं। सोशल मीडिया के रूप में अनेक प्लेटफार्म यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट पर सक्रिय हैं, जिनमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का नाम प्रमुख है।

सोशल नेटवर्किंग, दोस्तों, परिवार, सहपाठियों, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया कार्यक्रमों का उपयोग है । ब्रांड पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए विपणक(Marketers) सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं । सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ा रखने में मदद करते हैं और यह पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक परिवेश में हर दिन क्या हो रहा है ।इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीटर, लिंक्डीन आदि सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण है।

सोशल नेटवर्किंग के लाभ :

- सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आपका सामाजिक दायरा बड़ता हैं और आप अकेलेपन का शिकार होने से बचते है।
- कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको बिज़नेस को भी फायदा पहुंचा सकता है।
- सोशल नेटवर्किंग साइट्स से आप हमेशा व्यस्त रह सकते है।
- सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से आपको अपने कौशल विकास में मदद मिलती है।

सोशल नेटवर्किंग के नुकसान:

- सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है।
- सोशल नेटवर्किंग एक प्रकार की लत है। आप इसके आदि होते चले जाते है। जो कि आपकी लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है।
- आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते है कि आप अपने जीवन की महत्त्वपूर्ण चीजों को भूल जाते है।
- कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स से आपका डाटा और फोटो चोरी कर लिए जाते है जिनका दुष्प्रयोग किया जा सकता है।

4.7 साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा

इंटरनेट के कई प्लेटफार्म और सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करते है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगो को ये नहीं भूलना चाहिएकि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियों , ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके है। लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दे। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है। और बहुत काम की भी। इस इकाई में अब आप जानेंगे की साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा क्या है?

- **साइबर अपराध (CyberCrime):**इंटरनेट का उपयोग कर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा किया गया कानून विरुद्ध कार्य या अपराध को साइबर अपराध कहते है। साईबर क्राइम को आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब एक व्यक्ति मोबाइल,कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल कपट या धोका कर गैर कानूनी तरीके कार्य को अंजाम देता है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य साइबर अपराध कहलाता है ओर ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को साइबर अपराधी कहते है।
- **साइबर सुरक्षा (CyberSecurity):** साइबर सुरक्षा(Cyber Security) या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा (Information Technology Security) कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को अनधिकृत पहुँच या हमलों से बचाने की तकनीकें हैं जो साइबर-भौतिक प्रणालियों (Cyber-Physical Systems) और महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के दोहन पर लक्षित हैं।

  साइबर सुरक्षा निम्न तरीकों से की जाती है-

  नेटवर्क सुरक्षा (Network security)
  एप्लीकेशन सुरक्षा (Application Security)
  सूचना सुरक्षा (Information Security)
  ईमेल सुरक्षा (Email Security)
  नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (Network Access Control)
  डाटा लॉस प्रिवेंशन (Data Loss Prevention)

4.7.1 साइबर अपराध के प्रकार

निम्नलिखित प्रकार के साइबर अपराध आईटी अधिनियम 2000 के तहत संरक्षित हैं –

पहचान की चोरी (Identity Roberry) –आइडेंटिटी डकैती का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि इन्टरनेट के ज़रिये लोगों के व्यक्तिगत आंकड़े जैसे बैंक डिटेल आदि का दुरुपयोग कुछ लोग खुद को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए करते है।

बदनामी (Defamation) –जबकिसी व्यक्ति या संस्था की इंटरनेट के ज़रिये मानहानि होती है तो ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।

हैकिंग (Hacking) –धोखाधड़ी या अनैतिक तरीकों से आंकड़ों तक पहुंच को हैकिंग कहा जाता है।

साइबरबुलिंग (Cyberbullying) – साइबरबुलिंग साइबर अपराध का एक रूप है जो डिजिटल मोड के उपयोग के माध्यम से डराने, परेशान करने, बदनाम करने या बौद्धिक गिरावट का कार्य करता है जिसमें सभी सोशल मीडिया शामिल हैं।

साइबर आतंकवाद (Cyber terrorism) –साइबर आतंकवाद का उपयोग किसी भी व्यक्ति, एजेंसियोंया किसी भी सरकार को गंभीर क्षति करने के कारण के लिए किया जाता है।

फ़िशिंग (Phishing) –यह लोगों को पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डेटा जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए भरोसेमंद कंपनियों से आने वाले ईमेल भेजने की भ्रामक तकनीक है।

विशिंग (Vishing) –लोगों को बैंक खाता संख्या और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए राजी करने के लिए फोन कॉल करना या ध्वनि संदेश छोड़ना जो विश्वसनीय प्रतीत होते विशिंग के अंतर्गत आते हैं।

स्मिशिंग (Smishing) –स्मिशिंग एक प्रकार का फ़िशिंग हमला है जो हमारे मोबाइल फोन का उपयोग हमारे सामाजिक सुरक्षा नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

दोषपूर्ण फाइल एप्लीकेशन : आपके स्मार्टफोन तथा व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए सीधे मैसेज भेजना, गेमिंग, ई-मेल और वेबसाइट के द्वारा आपकोट्वेषपूर्ण तथा बुरे एप्लीकेशन और फाइल भेजना |

सामाजिक इंजीनियरिंग : सामाजिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है।

साइबर बुलिंग: इलेक्ट्रोनिक तथा संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित या बुली करने का एक प्रकार है |

पहचान चुराना: वित्तीय लाभ के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर/ सहयोगियों के नाम पर ऋण लेने या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को जान-बूझकर क्षति पहुंचाना।

(जॉब फ्रॉड) नौकरी से संबंधित जालसाजी: किसी कर्मचारी अथवा भावी कर्मचारी द्वारा अपने नियोकक्ता के प्रति धोखाधड़ी या कपटपूर्ण निरूपण करना |

बैंकिंग फ्रॉड : स्वयं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थ[न के रूप में प्रस्तुत करके जमाकर्ता के खाते से धोखाधड़ी करके धन प्राप्त करना।

चाइल्ड पोनोग्राफी:ऐसे अपराध में अपराधी खुद अपनी पहचान छुपाकर फर्जी आईडी बनाकर चैट रूम का उपयोग करते है और सामने वाले को धोखे में रखकर बातचीत करते हैं। इसमें छोटे बच्चो को या नाबालिको को इतनी समझदारी नहीं होती ऐसी स्तिथि में अपराधी बच्चो को डराते धमकाते है लेकिन बच्चे माता पिता के डर से ये बात घर वालो या माता पिता को नही बताते हैंऔर एब्यूजर्स के शिकार हो जाते है।

सिम कार्ड क्लोनिंग:सिम कार्ड क्लोनिंग सायबर क्राइम का एक नया तारिका साइबर अपराधियों ने अपनाया है। सिम कार्ड क्लोनिंग मैं साइबर अपराधी सिम कार्ड विक्रेता एजेंटों से संपर्क कर या फिर किसी दूसरे बहाने से मोबाइल को अपने हाथ में लेकर चोरी से या धोखे पूर्वक सिम को किसी उपकरण द्वारा कॉपी कर लेना यानी डुप्लीकेट सिम बना लेना सिम क्लोनिंग के कहलाता है। यह एक ऐसा साइबर अपराध का प्रकार है जिससे साइबर अपराधी बिना कोई ओटीपी प्राप्त किए हुए आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है।

4.7.2 भारत में साइबर अपराध सुरक्षा से जुड़े कानून

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डिजिटल प्रारूप में कंप्यूटर, लैपटॉप सिस्टम, नेटवर्क औरअतिरिक्त जानकारी और डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता है।अधिनियम विभिन्न चीजों के बीच बाद के अपराधों को सूचीबद्ध करता है। वे हैं-

- कंप्यूटर आपूर्ति दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़।
- लैपटॉप संपत्ति आदि के उपयोग को धोखा देना।
- साइबर आतंकवाद के एक लैपटॉप गैजेट अधिनियम के साथ हैकिंग यानी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने के लक्ष्य के साथ एक शामिल गैजेट तक पहुंच प्राप्त करना।

4.7.3 सरकार द्वारा साइबर अपराध सुरक्षा में उठाये गए कदम

साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra) –इसे 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वायरस और स्पाइवेयर को हटाकर अपने कंप्यूटर और उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (National Cyber Security Coordination Center – NCCC) –इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका मिशन इंटरनेट ट्रैफ़िक और संचार

मेटाडेटा (जो प्रत्येक बातचीत के अंदर छिपी जानकारी के छोटे टुकड़े हैं) को स्कैन करके वास्तविक समय के साइबर खतरों का पता लगाना है।

साइबर सुरक्षित भारत पहल (Cyber Surakshit Bharat Initiative) –साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) और फ्रंटलाइन आईटी कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2018 में शुरू किया गया था।

साइबर सुरक्षा नीति: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 को भारत के नागरिकों और व्यवसायों के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाने के लिए विकसित किया गया था।

आईटी अधिनियम, 2000: वर्तमान में, सूचना अधिनियम, 2000 देश में साइबर अपराध और डिजिटल वाणिज्य से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):केंद्र सरकार ने देश में साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से संभालने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण योजना: यह योजना ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने, एकत्र किए गए सबूतों को देखने और संरक्षित करने के लिए फोरेंसिक इकाइयों की स्थापना, कानून लागू करने वाले अधिकारियों की क्षमता निर्माण, साइबर स्पेस से अश्लील सामग्री को हटाने के लिए उपकरणों के अनुसंधान और विकास की अनुमति देती है और जनता को जागरूक करती है।

4.7.3 आइये चर्चा करे कि आप साइबर अपराध का शिकार होने से अपने आपको कैसे बचा सकते है:--

- अपनी Gmail/Email id का पासवर्ड कही पर ना लिखे और ना ही कोई मोबाइल Notepad App पर लिखें। आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखें।
- समय समय पर अपनी आईडी का पासवर्ड बदलते रहे।
- लॉगिन यूजरनेम और पासवर्ड भी गोपनीय रखे।
- मोबाइल फोन और लैपटॉप में Antivirus रखें जो समय समय पर ऑटोमैटिक वायरस को नष्ट करता रहता है।
- मोबाइल या कंप्यूटर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने से पहले Google Account मे जाकर अपनी आईडी Remove जरूर करें।
- अनजान मैसेज लिंक या मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन पर बिना जानकारी के क्लिक ना करे उसे remove कर दे।

- मनी ट्रांसफर एप जैसे SBI नेटबैंकिंग, Phone Pay, Google Pay व अन्य जो भी आप उपयोग करते हो काम होने पर तुरंत Logout करे।
- अपने मोबाइल फ़ोन की सर्च हिस्ट्री भी समय समय पर Remove करते रहें।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। साइबर बुली अपने शिकार से दोस्ती करने के लिए जाली एकाउंट भी बना सकता है।
- सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपनी निजी सूचना जैसे जन्म,तिथि,पत्ता और फोन नम्बर साझा न करें।
- यह भी याद रखें कि एक अच्छा इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के नाते आपको घटिया कमेंट या दुःखदायी मेसेज या परेशान करने वाली पिक्चर्स / वीडियोज आनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए।
- अपने कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन या हाथ में रखे जाने वाले किसी अन्य यंत्र पर हमेशा अच्छे वाला एंटीवायरस इंस्टाल करें। एंटीवायरस और अन्य एप्लिकेशनों को नियमित रूप से अपडेट करते रहें।
- अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताएं। आपको अपने ऑनलाइन गेमिंग एकाउंट और अन्य ऑनलाइन एकाउंट के लिए जटिल पासवर्ड रखना चाहिए। अच्छा हो कि आप नियमित अंतराल पर अपना पासवर्ड बदलते रहें।
- मोबाइल नबंर आपके बैंक खाते के साथ जुड़ा होता है। लिए हमेशा एक जटिल पासवर्ड प्रयोग करें।
- अपने मोबाइल अथवा कम्प्यूटर में कभी भी चोरी का सॉफ्टवेयर इंस्टाल न करें। यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि यह आपके उपकरण की सुरक्षा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमेशा अपने कम्प्यूटर तथा मोबाइल फोन में अच्छा एंटीवायरस इंस्टाल करें। यह आवश्यक है कि आप अपने कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा एंटीवायरस को अपडेट रखें।
- कभी भी किसी सार्वजनिक वाय-फाई या साइबर कैफे के कम्प्यूटर का प्रयोग ऑनलाइन लेनदेन के लिए न करे क्योंकि हो सकता है कि साइबर कैफे के कम्प्यूटर में अपडेटिड एंटीवायरस न हो या मैलवेयर से इंफैक्टिड हो जो आपके बैंक विवरण और अन्य महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है जैसे कार्ड नं., कार्ड समाप्ति की तारीख, सी वी वी आदि।
- अपने बैंक खाते और क्रेडिट कार्डों के मासिक विवरण को नियमित रूप से जांचने की आदत डालें।यह देखें कि कोई अप्राधिकृत लेनदेन तो नहीं हुआ है।

- यदि आपको यह पता चले कि आपके बैंक खाते या कार्ड के विवरण किसी के द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं / चुरा लिए गए हैं या आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड गुम होगया है तो तुरंत बैंक को फोन करे और अपना कार्ड /खाता तुरंत ब्लॉक कर दें। यदि आपके खाते से कोई अप्राधिकृत लेनदेन हुए हैं तो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन पर औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएं।
- सोशल नेटवर्किंग साइटों पर शेयर किए गए लिंकों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ीकी जा सकती है। साइबर अपराधी मैलिसियस लिंक या मेलवेयर से युक्त कोईपोस्ट शेयर कर सकते हैं। यदि आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपकाकम्प्यूटर या मोबाइल इंफैक्टिड हो सकता है या जोखिम ग्रस्त हो सकता है।
- यदि आप अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया एकाउंटस एक्सेस कर रहे हैं तो अपने फोन को एक्सेस करने के लिए एक मुश्किल पासवर्ड बनाएं।
- अपना सोशल मीडिया एकाउंट हैक हो जाने / खतरे में पड़ जाने पर अपने कांटैक्टस को अलर्ट ई मेल या मैसेज भेज दें। अपने सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर को तत्काल अस्थायी रूप से अपना एकाउंट बंद करने के लिए कहें।
- यदि आपको पता चले कि आपका जाली एकाउंट बनाया गया है, मीडिया प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करे | आप अपने माता-पिता की सहायता से शिकायत भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- अज्ञात स्रोतों से अवांछित सॉफ्टवेयर और ऐप्स इंस्टॉल न करें। अज्ञात व्यक्ति से सोशल मीडिया पर प्राप्त लिंक या फाइल पर कभी भी क्लिक न करे, यह आपकेकम्प्यूटर को मैलवेयर से इन्फेक्ट करने का प्रयास हो सकता है।
- जाली खबरें अथवा झांसा देने वाले संदेश सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलते हैं। इससे कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है तथा कुछ मामलों में जान की हानि भी हो सकती है। सोशल मीडिया अथवा मैसेजिंग एप पर कोई भी संदेश आगे भेजने अथवा साझा करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि कर लें।
- कॉपीराइटेड विषयवस्तु जैसे कविता, निबंध, वीडियो, संगीत, चित्र, संगीत, संगीत की रचना, साफ्टवेयर इत्यादि को लेखक की अनुमति के बिना कभी भीडाउनलोड अथवा अपलोड न करें।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसने हमारे बातचीत करने,मित्र बनाने,अद्यतन जानकारी को साझा करने,गेम्स खेलने, खरीददारी करने इत्यादि के तरीके को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है|हमारी नई पीढ़ी बहुत ही युवा अवस्था में साइबर स्पेस से रूबरू हो रही है। ज्यादा-से-ज्यादा

बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलने, मित्र बनाने के लिए तथा सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में स्मार्ट फोन से सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, शॉपिंग इत्यादि तक पहुंच काफी व्यापक हो गई है। साइबर स्पेस हमें वास्तव में विश्व भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ता से जोड़ता है। साइबर स्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ साइबर अपराधों में भी अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। बच्चों को इससे से बहुत अधिक खतरा है क्योंकि वे साइबर स्पेस से जुड़े खतरों एवं सुरक्षा उपायों की सीमित समझ के साथ साइबर स्पेस का उपयोग कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न 1. आजकल कौन कौन से नए संचार के माध्यम उपलब्ध है? विस्तार से बताइए।

प्रश्न 2. साइबर अपराध से आप क्या समझते है? साइबर सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

4.8 सारांश

संचार एक गतिशील, निरंतर होने वाली अपरिवर्तनीय तथा प्रासंगिक प्रक्रिया है, अन्य तत्वों के अस्तित्व और कार्य प्रणाली को स्वीकार किये बिना इस प्रक्रिया के किसी भी तत्व में भाग लेना संभव नहीं है। संचार की प्रभावशीलता को मापने मेंमहत्वपूर्ण कारक व्यक्ति की सामान्य समझ है। अतः प्रभावी संचार तभी होता है जब श्रोता या ग्राही संदेश की वही व्याख्या करता है जो सोचकर प्रेषक ने संदेश भेजा होता है। किसी संगठन मे संचार कार्यों के अन्तर्गत सूचना देना, राजी करना तथा प्रोत्साहित करना आदि आते हैं। सूचना देने के अन्तर्गत दर्शकों या श्रोताओं को आंकड़े तथा जानकारी प्रदान करना आता है जिससे वे एक समझदारी पूर्ण निर्णय ले सकें। संचार लोगों मे स्वैच्छिक परिवर्तन लाने का एक उपकरण है तथा इसका लक्ष्य प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। संचार की सफलता इस पर निर्भर करती है कि प्रेषक द्वार भेजे गये संदेश को ग्राही कितनी अच्छी तरह से समझ पाता है। ग्राही को प्रभावित करने में असफल रहने के दो कारण हो सकते हैं प्रथम है क्षमता न होना या दूसरा गलत धारणा बनाना। इसके अतिरिक्त इस इकाई मेंआपको उपयोग के आधार पर विभिन्न वर्गीकरणों को समझाया गया है। प्रशिक्षण के समय प्रसार कार्यकर्ता को यह महसूस हो जाएगा कि कई परिस्थितियों में किसी एक शिक्षण विधि के स्थान पर दो या अधिक विधियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग में लानालाभप्रद रहता है। मुख्य बिन्दुओं को संक्षिप्त मेंनिम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

(अ) प्रसार शिक्षा की विधियों को एक उपकरण के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है जो एक

प्रसार कार्यकर्ता तथा कृषि समुदाय के मध्य किसी भी नई जानकारी या तकनीक को स्वतंत्र रूप से संचरित करता है। (ब) संचार विधि किसी उद्देश्य की प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। माध्यमों का चुनाव या संचार विधि को प्रसार शिक्षण पद्धति भी कहा जाता है जोलक्षित दर्शकों या श्रोताओं की संख्या, उनके स्थान, तथा संचार के लिए उपलबध समय पर निर्भर करती है। लक्षित दर्शकों की संख्या के आधार पर विभिन्न विधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) व्यक्तिगत विधियाँ (2) समूह विधियाँ (3) जनसमूह विधियाँ। व्यक्तिगत विधियों का प्रयोग इस तथ्य को साबित करने के लिए किया जाता है कि ''सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है''।समूह विधियों मे एक समूह के व्यक्तियों की प्रतिक्रिया, उनके कार्यों में आने वाले परिवर्तनों तथा कोई निर्णय लेने से पहले दूसरे के विचारों को सुनने की क्षमता आदि को देखा जाता है। बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचने के लिए जन समूह विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने इस इकाई में नए संचार माध्यमों के बारे में भी पड़ा और साथ की साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के बारे में भी जाना।

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों को भरिये।

a) कम्यूनिस (Communis)
b) फीडबैक
c) विचार , संकेतीकरण (Encoding) तथा संकेतवाचन (Decoding)
d) अवरोधक

प्रश्न 2. बिंदु 4.3.3 देखिये।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. बिंदु 4.4.1 देखिये।

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों को भरिये।

a) विश्वास
b) प्रसार कार्यकर्ता
c) जन समूह

4.10 पारिभाषिक शब्दावली

- **डिकोडिंग या संकेतवाचन (Decoding) :** यह संकेतीकरण (Encoding) का रिसीवर या ग्राही द्वारा प्राप्त संस्करण है। यह किसी शाब्दिक, मौखिक या दृश्य संदेश का अनुवाद है जिससे उस संदेश की व्याख्या की जा सके।
- **प्रभाव (Effect) :** यह किसी संचार प्रक्रिया का अपेक्षित परिणाम है। संदेश का उद्देश्य वह परिणाम है जिसमें किसान कम से कम नये विचार या नई तकनीक को लागू करने का प्रयास करते हैं।
- **प्रतिक्रिया (Feedback)**: यह श्रोता या ग्राही की प्रतिक्रिया है। इस स्तर पर प्रेषक ग्राही प्रेषक बन जाता है।
- **साइबर अपराध (CyberCrime):**इंटरनेट का उपयोग कर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा किया गया कानून विरुद्ध कार्य या अपराध को साइबर अपराध कहते है। साईबर क्राइम को आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब एक व्यक्ति मोबाइल,कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल कपट या धोका कर गैर कानूनी तरीके कार्य को अंजाम देता है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य साइबर अपराध कहलाता है ।

4.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Clevenger, I. (1991). Can one not Communicate? A conflict of models? Communication studies 42: 355
2. Dahama, O. P. and Bhatnagar, O. P. (1987). Education and Communication for development,Second edition Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.
3. Dubey, V.K. and Bishnoi, I. (2008). Extension Education and Communication . I Ed. New Age International (P) Limited Publishers., New Delhi.
4. FAO, Corporate Document Repository. Produced by Economic and Social Development Department.
5. Ibitoye, J. S. and N. E. Mundi (2004) Essentials of Agricultural Extension, Rowis Publishers Ankpa,
6. Khandai, H; Yadav, K and Mathur, A. (2011). Extension Education. APH Publishing Corporation, New Delhi-110002, pp-304.

7. Kumar, B. and Hansra, B.S. (2000). Extension Education for Human Resource Development. Concept Publishing Company, New Delhi.
8. Little, S. P. (1980). Communication in Business, 2nd ed., Longman Group Ltd, London
9. Obibuaku, L. O. (1983). Agricultural Extension as a Strategy for Agricultural Transformation, University of Nigeria Press, Nsukka
10. Ray, G.L. (2006). Extension Communication and Management. Sixth edition. Kalyani publishers , Rajinder Nagar, Ludhiana.
11. Reddy,A.A. (2006). Extension Education. Shree Lakshmi Press Bapatla Guntur Dist. Andra Pradesh.
12. Yadla, V.L. and Jasrai, S. (2000). Home Science Reference Book for UGC National Eligibility Test JRF/ Lecturership. Kalyani Publishers, New Delhi.
13. https://www.vimarsh.mp.gov.in/files/CyberSafetyHindi.pdf

\

इकाई 5 : संचार के मॉडल

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 संचार के मॉडल से अभिप्राय
5.4 संचार के विभिन्न मॉडल
5.4.1 अरस्तू का मॉडल
5.4.2 लॉसवेल फार्मूला
5.4.3 शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप
5.4.4 बरलो का SMCR प्रारूप
5.4.5 लीगन का मॉडल
5.4.6 ओस्गुड और श्रेम का परिपत्र (सर्कुलर) मॉडल
5.5 एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताए
5.6 संचार उत्पन्न होने वाली बाधाएं और बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ
5.7 सारांश
5.8 पारिभाषिक शब्दावली
5.9 अभ्यास प्रश्नो के उत्तर
5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
5.11 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

संचार एक मनुष्य के जीवन की अनिवार्य क्रियाओं में से एक है। संचार तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति अपने विचारों तथा जानकारियों को(जैसा उसने सोचा था उसी ढंग से दूसरे व्यक्तितक)सफलतापूर्वक पंहुचा दे और यह तभी सम्भव है जब संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित होगी।

संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व होते हैं और साथ ही साथ कई बाधाए भी होती है। अंत: इन बाधाओं को दूर करने के लिए संचार के इन तत्वों को ध्यान में रखने तथा इनके मध्य के सम्बन्धो को जानने की आवश्यकता है जो की संचार के विभन्न मॉडलो के अधयन्न से ही सम्भव है ताकि संचार पूर्ण हो सके और संचार से वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- संचार के विभिन्न मॉडलों को समझ पायेगे;
- एक अच्छे संचारक की विशेषताओं के बारे में जान पायेगे;
- संचार की प्रक्रिया में मौजूद विभिन्न बाधाओं की पहचान कर पायेगे; तथा
- प्रभावी संचार के लिए क्या–क्या रणनीतिया हो सकती है ये जान पायेगे।

आइये सर्वप्रथम ये जाने की संचार के मॉडल से क्या अभिप्राय है।

5.3 संचार के मॉडल से अभिप्राय

मॉडल एक तर्क की प्रणाली है जो किसी स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करता है। एक मॉडल में लेखक द्वारा तत्वों को तार्किक रूप से इस तरीके से प्रस्तुत जाता है जिससे की तत्वों के मध्य के संबंधो को आसानी से समझाजा सके। संचार मॉडल, संचार की व्यवस्थित प्रक्रिया को दर्शाता है जो यह समझने में सहायता करता है कि संचार कैसे किया जा सकता है। संचार मॉडल कुछ खास परिस्थियो के अंतर्गन संचार के प्रभावो की भविष्यवाणी और तत्वों को मापने के साधन तथा प्रक्रिया के विषय में संकेत भी देते है।

संचार के कुछ मॉडल निम्नलिखित के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं:

5.4 संचार के विभिन्न मॉडल

5.4.1 अरस्तू का मॉडल (384-322 B.C.)

संचारका पहला बुनियादी मॉडलअरस्तू द्वारा प्रदान किया गया था। इस मॉडल मेंसंचार के पांचतत्व(एलिमेन्ट),अर्थात् वक्ता(स्पीकर), संदेश/भाषण,श्रोतागण/प्राप्तकर्ता, प्रभाव और अवसरमौजूद हैं। इन पांचो तत्वों में से प्रत्येक तत्व का संवाद में उपस्थित होना अति आवश्यक है।

अरस्तू के अनुसार, संचार की प्रक्रिया में पांच तत्व(एलिमेन्ट)सम्मिलित होते है:

1.वक्ता:वह व्यक्ति जो संवाद का प्रारम्भ करता है।

2.संदेश: वक्ता द्वारा बोली गयी बात।

3.प्राप्तकर्ता/श्रोतागण:वह व्यक्ति जो वक्ता द्वारा कही गयी बात को सुनता है।

4. प्रभाव

5.अवसर

अरस्तू के अनुसार संचार का मुख्य उद्देष्य श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना होता है। इसके लिए वक्ता विभिन्न अवसरों के अनुसार अपने संदेश बनाता है और उन्हें श्रोताओं तक पहुंचाता है जिससे की उन पर प्रभाव डाला जा सके।

अरस्तू के अनुसार सार्वजनिक भाषण देने कि प्रक्रिया में वक्ता अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए किसी भी वक्ता को अपनी बात रखने से पहले श्रोताओ की रुचि एवं जरूरतों का विश्लेषण कर लेना चाहिये। वक्ता द्वारा कहे गए शब्द ऐसे होने चाहियें जोदर्शकों के मन तथा उनके विचारोको प्रभावित कर दे।

इसेनिम्नलिखितरेखाचित्र (चित्र1: अरस्तू का मॉडल) केमाध्यमसेसमझाजासकताहै :-

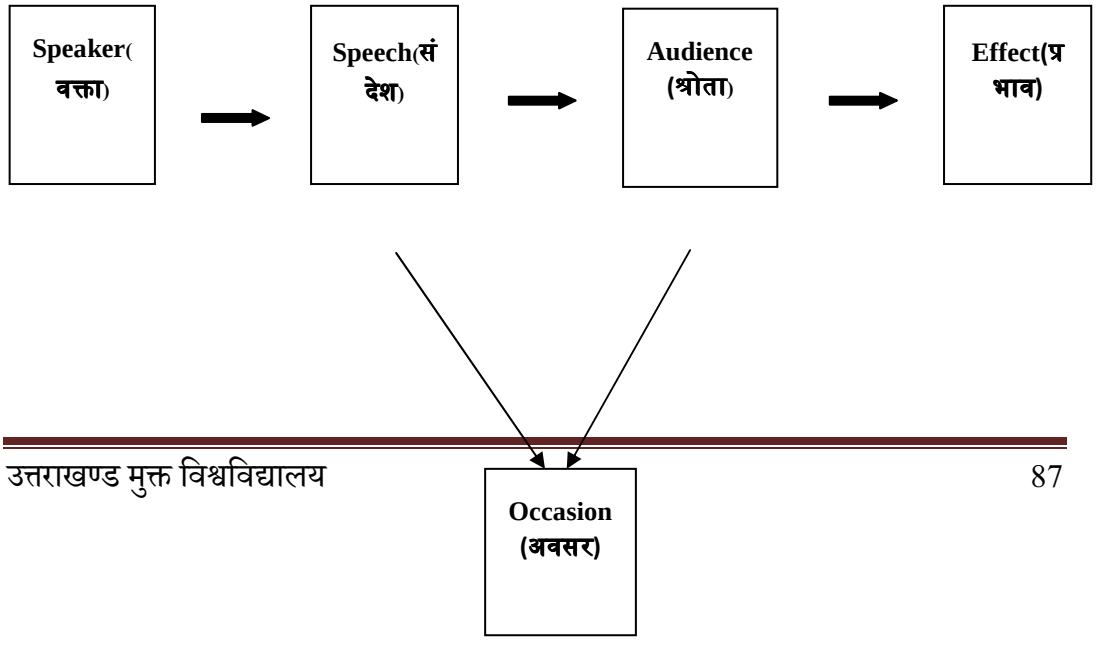

5.4.2 लॉसवेलफार्मूला (1948)

हेराल्डडी.लॉसवेलअमेरिकाकेप्रसिद्धराजनीतिशास्त्रीएवंसंचार सिद्धांतकार थे। लॉसवेलमुख्य रूप से जन संचार(मास कम्युनिकेशन) औरमत प्रचार से संबंधित थे। इसीलिए इन्होंनेनेसन्1948मेंसंचारकाएकशाब्दिकमॉडलप्रस्तुतकियायहमॉडलप्रश्नोंकेरूपमेंथा।लॉसवेलकेअनुसार- संचारकीकिसीप्रक्रियाकोसमझनेकेलिएसबसेबेहतरतरीकानिम्नपांचप्रश्नोंकेउत्तरोंकोतलाशकरना है।जो इस प्रकार है:

1. कौन (Who)
2. क्याकहा (Says what)
3. किसमाध्यमसे (In which channel),
4. किसमे (To whom) और

चित्र1: अरस्तू का मॉडल

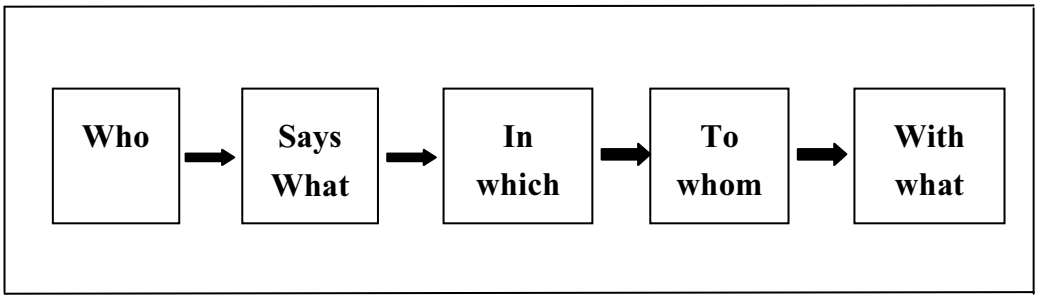

इसेनिम्नलिखितरेखाचित्र (चित्र2: लॉसवेल फार्मूला) केमाध्यमसेसमझाजासकताहै ;

Communicator Message Channel Receiver Effect

कौनक्याकहाकिसमाध्यमसेकिससेकिसप्रभावसे

चित्र2: लॉसवेल फार्मूला

इनपांचप्रश्नोंकेउत्तरोसेजहांसंचारप्रक्रियाकोसमझने में आसानी होती है, वहीं इन प्रश्नों से संचार शोध के पांच क्षेत्र भी विकसित होते हैं, जो निम्नांकित हैं:

1. कौन(Who): प्रेषक –संदेश भेजने वाला व्यक्ति
2. क्या(What): संदेश
3. चैनल(Channel): संचार माध्यम
4. किसको(Whom): प्राप्तिकर्ता/श्रोता
5. प्रभाव(Effect): परिणाम- लॉसवेल की विशेष रूप से जनसंख्या पर जन संचार के परिणामों को जानने में दिलचस्पी थी। इसलिए "प्रभाव" की अवधारणा उनके प्रमुख योगदानों में से एक है, की कैसे कोई संदेश प्राप्तकर्ता या श्रोताओं को प्रभावित करता है।

हेराल्ड डी. लॉसवेल ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका में प्रचार की प्रकृति, तरीका और प्रचारकों की भूमिका विषय पर अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि आम जनता के विचारों, व्यवहारों व क्रिया-कलापों को परिवर्तित या प्रभावित करने में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी आधार पर लॉसवेल ने अरस्तु के संचार प्रारूप के दोषों को दूर कर अपना शाब्दिक संचार फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसमें अवसर के स्थान पर उन्होंने संचार माध्यम का उल्लेख किया। लॉसवेल ने अपने संचार प्रारूप का निर्माण बहुवादी समाज को केंद्र में रखकर किया, जहां भारी संख्या में संचार माध्यम और विविध प्रकार के श्रोता मौजूद थे। हेराल्ड डी. लॉसवेल ने अपने संचार प्रारूप में फीडबैक को प्रभाव के रूप में बताया है तथा संचार प्रक्रिया के सभी तत्त्वों को अपने मॉडल में सम्मिलित किया है।

लॉसवेल फार्मूले की सीमाएं:स्कूल ऑफसोशियोलॉजी, शिकागो के सदस्य रह चुके हेराल्ड डी.लॉसवेल के फार्मूले को संचार प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। इसके बावजूद संचार विशेषज्ञों ने इस मॉडल में निम्नलिखित कमियाँ बताई हैं :

1. लॉसवेलका फार्मूला एकरेखीय संचार प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके कारण यह एक सीधी रेखा में कार्य करता है।

2. इसमें फीडबैक को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है।
3. इस मॉडल में संचार की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
4. संचार को जिन पांच भागों में विभाजित किया गया है, वे सभी आपस में अंत:सम्बन्धित हैं।

इस मॉडल में संचार के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यवधान को नजर अंदाज किया गया है।

5.4.3 शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप (1949)

संचारकेगणितीयमॉडलकोक्लाउडई.शैननऔरवारेनवीवर ने (1949) मेंअमेरिकामेंमिलकरदिया था। यहमॉडल मुख्यतःटेलीफोनद्वारासंदेशभेजनेकीकार्य प्रणालीपरआधारितहै।शैननएकगणितज्ञव इलेक्ट्रानिकइंजीनियरथे।उनकीगहन रूचिसंचारशोधकेक्षेत्रमेंथी।क्लाउडई. शैननेप्रथमबारटेलीफोनद्वारा संचारकी प्रक्रियाकोमॉडलकेरूपमें (1948) मेंविश्वके समक्ष रखा था। सन् 1949 मेंशैनन ने अपनेसाथीवारेनवीवरकेसाथमिलकर"संचारकेगणितीयसिद्धांत" नामकपुस्तकप्रकाशितकी।इसपुस्तकमेंशैननऔरवीवरनेपहलेकेसंचारप्रारूपोकोसंशोधितकर केप्रस्तुतकिया।इसतरह से, शैननऔरवीवरके द्वारासंगठित रूप से प्रकाशित पुस्तिक "संचारकेगणितीयप्रारूप" मेंमुख्यत: छहतत्वों काउल्लेखकियागया है।

जो कि इस प्रकार हैं:

i. सूचनास्रोत
ii. सूचनाप्रेषक
iii. संचारमार्ग
iv. शोर
v. प्रापक
vi. गन्तव्यस्थल

इसेनिम्नलिखितरेखाचित्र (चित्र5.3:शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप) केमाध्यमसेसमझाजासकताहै-

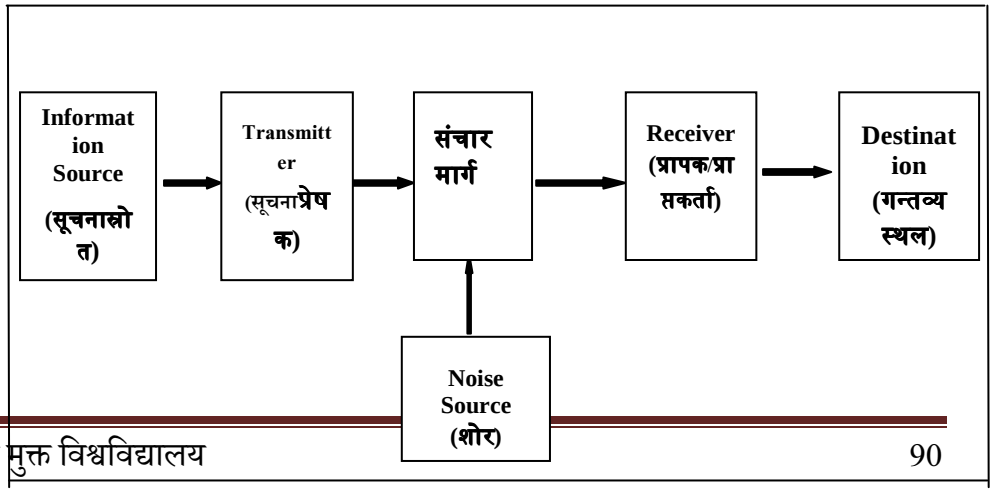

चित्र5.3:शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप

उक्तमॉडलमेंसंचारकाआरम्भसूचनास्रोतसेहोताहैजोसंदेशकोउत्पन्नकरताहै।सूचनाप्रेषकउक्त मॉडल में संचार का आरम्भ सूचना स्रोत से होता है जो संदेश को उत्पन्न करता है। संचारक, सूचना प्रेषक के रूपमेंकार्यकरनेवालेवाचिकयंत्र (टेलीफोन)केमाध्यमसेअपनेसंदेशकोसम्प्रेषितकरताहै।संचारमार्गमेंसंदेशकाप्रवाहप्रापककेसुननेतकहोताहै, जिससेसंदेशअपनेगन्तव्यस्थलतकपहुंचताहै।इसप्रक्रियामेंशोरएकप्रकारकाव्यवधानहै, जोसंचारकेप्रभावकोविकृतयाकमजोरकरनेकाकार्यकरताहै।शैननऔरवीवरकेगणितीयसंचारप्रारूपको अभियांत्रिकवसूचनासिद्धांतप्रारूपभीकहतेहैं।

सूचनाऔरशोर: किसीभीसूचनाकास्रोत,व्यक्तियासंस्थान (संचारक) होतेहैं, जोप्रतिदिनभारीसंख्यामेंसूचनाओंकोसंकलितकरनेतथासमाज (प्रापक) के लिएमहत्व सूचनाओंकोसम्प्रेषितकरनेकाकार्यकरतेहैं।सूचनासम्प्रेषणप्रक्रियाकेदौरानसंचारमार्गमेंकिसीनकिसीकारणसेशोरउत्पन्नहोताहै,
जिससेसूचनाविकृतवप्रभावितहोतीहै।सूचनासम्प्रेषणप्रक्रियामेंशोरकीअवधारणाकोसर्वप्रथमशैनन-वीवरनेप्रस्तुत
किया।इनकेगणितीयसंचारप्रारूपकीसबसेबड़ीविशेषताभीशोरहीहै।शोरसेतात्पर्यसंचारमार्गमेंआनेवाले व्यवधानसेहै, जिसकेप्रभावकेकारणसंदेश अपनेवास्तविकअर्थोंमेंप्रापकतकनहींपहुंचताहै।

यदिसूचनाप्रेषकद्वारासम्प्रेषितसूचनासंकेतसंचारमार्गसेहोतेहुएअपनेवास्तविकरूपमेंप्रापकतकपहुंचजातीहैतोमानाजाताहैकिसंचारमार्गमेंकोईव्यवधाननहींहै, लेकिनऐसाकमहीहोताहै।सामान्यत: सम्प्रेषितसूचनासंकेतकेसाथकोईनकोईशोरअवश्यहीजुड़जाताहै।शोरजितनाअधिकहोताहै, व्यवधानभीउसीअनुपातमेंउत्पन्नहोताहै।इसकेविपरीत,
शोरकेकमहोनेकीस्थितिमेंव्यवधानभीकमहोताहैतथासंचारप्रक्रियाबेहतररूपमेंसम्पन्नहोतीहै।शैननऔर वीवरनेशोरकेकारणउत्पन्नहोनेवालेव्यवधानकोकमकरनेकेलिएशब्द-बहुलताकेसिद्धांतपरजोरदियाहै, जिसकातात्पर्यहै- किसीसंदेशकोबार-बारबोलनायादुहराना।दूसरेशब्दोंमें, जिससूचनायासंदेशकेविकृतहोनेकीसंभावनाहोतीहै, लोगउसेबार-

बारबोलतेयादुहरातेहैं।यदिसंचारकएकहीवाक्यकोबार-बारबोलताहै या दुहराता है तो उसका संदेश अपने वास्तविक अर्थो में प्रापक तक पहुंचता है।

शैनन-वीवर के गणितीय संचार प्रारूप का उल्लेख निम्न प्रकार से भी किया गया है -

1. सूचना स्रोत के पास एक संदेश होता है।
2. सूचना प्रेषक की मदद से सूचना स्रोत संदेश को सम्प्रेषित करता है।
3. सूचना प्रेषक संदेश को संकेत में परिवर्तित करता है।
4. परिवर्तित संकेत को संचार मार्ग से हो कर गुजरना पड़ता है।
5. संचार मार्ग में शोर के कारण व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे सम्प्रेषित संकेत प्रभावित होता है।
6. प्रापक संचार मार्ग में सम्प्रेषित संकेत को ग्रहण करता है।

कमियां: शैनन और वीवर का गणितीयसंचारप्रारूपमुख्यत: दोप्रश्नोंपरआधारितहै।पहला, संचारमार्गमेंसम्प्रेषितसूचनाकोकिसप्रकारउसकेवास्तविकरूपमेंप्रापकतकपहुंचायाजाएतथादूसरा, संचारमार्गमेंशोरकेकारणसूचनाकितनाविकृतहोतीहै।
उन्होंनेइसप्रक्रियामेंकहींभीफीडबैककाउल्लेखनहींकियाहै।इसीकमीकेकारणशैननऔरवीवरकेगणितीयसंचारप्रारूपकोएक-तरफाकहाजाताहै।

5.4.4 बरलो काSMCR मॉडल(1960)

डेविड के. बरलो ने सन् (1960)में अपना संचार मॉडल प्रस्तुत किया, जो संदेश के भावनात्मक पहलू पर आधारित है।

बरलो के मॉडल में S-M-C-R का अर्थ है :

S : **Source** (प्रेषक)
M : **Message** (संदेश)
C : **Channel** (माध्यम)
R : **Receiver** (प्राप्तकर्ता

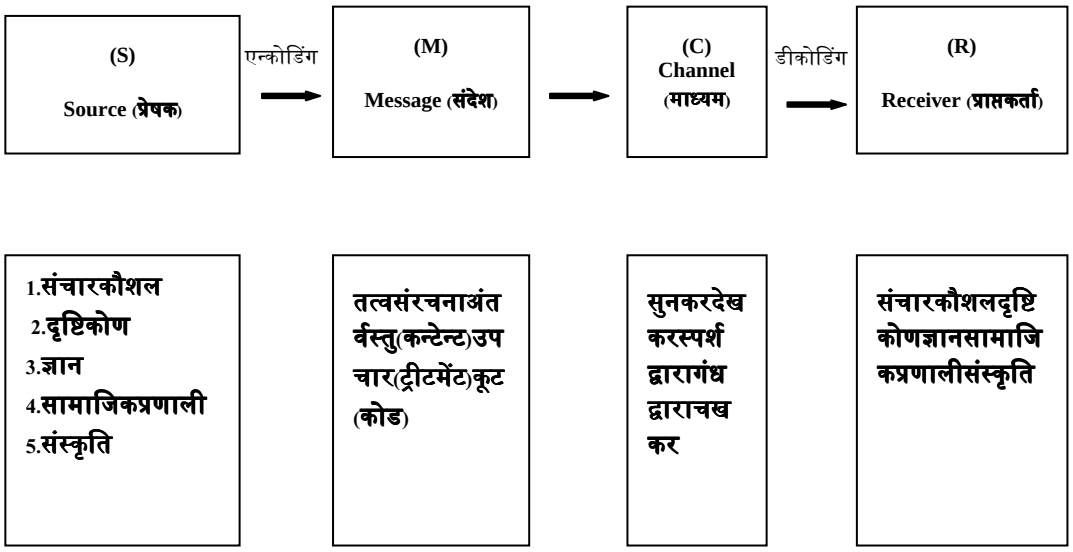

चित्र5.3: बरलो का SMCR मॉडल

1. प्रेषक (Source)

प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश भेज कर संचार की प्रक्रिया का आरंभ करता है। इसके प्रभाव को जानने के लिए व्यक्ति के गुणों को जानना जरूरी है। इसका विश्लेषण प्रेषक के संचार कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाजिक व्यवस्था व संस्कृति के आधार पर किया जा सकता है।

i. **संचार कौशल (कम्युनिकेशन स्किल्स):**संवाद करने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत गुण/कौशलो की आवश्कता होती है और अगर वह व्यक्ति अपने उनकौशलो का उपयोग संचार की प्रक्रिया में करता है तो उसे उस व्यक्ति का

संचारकौशल कहते है। उदहारण के लिए व्यक्ति के पढ़ने, लिखने बोलने और सुनने की क्षमता आदि उसका संचार कौशल है।

ii. **रवैया (ऐटिटुड):** किसी भी प्रेषक का अपने दर्शकों,विषय और स्वयं के प्रति रवैया, संवाद की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

iii. **ज्ञान (नॉलेज):**प्रेषक को उस विषय के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसके विषय में वो बोलने वाला हो। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षकविषय के सम्बन्ध में जो भी बताते है उन्हें उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी होती है।

iv. **सामाजिक प्रणाली (सोशल सिस्टम):**सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत समाज के विभिन्न पहलु आते है जैसे की: सामाजिक मूल्य, विश्वास, संस्कृति, धर्म और समाज की सामान्य समझ।

v. **संस्कृति (कल्चर):**संस्कृति भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है।

- **एन्कोडिंग:**जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में परिवर्तित करता है, तो एक संदेश की रचना होती है। संदेश की रचना करने की इस प्रक्रिया को एन्कोडिंग कहते है।

2. संदेश:

i. **तत्व (एलिमेंट):** तत्व में बहुत सी चीजे आती है जैसे कीभाषा, हाव-भाव, शारीरिक हाव–भाव इत्यादि। इसलिए ये सभी किसी भी संदेश केतत्व होते हैं।

ii. **संरचना (स्ट्रक्चर):**किस तरह से हम विभिन्न भागों में संदेश को व्यवस्थित करते हैं इस प्रक्रिया को संदेश की संरचना करना कहते है।

iii. **अंतर्वस्तु (कन्टेन्ट):** किसी भी संदेश की शुरुआत से अंत तक में जो भी बात या तथ्य सम्मिलित होते है, उसे उस संदेश की अंतर्वस्तु (कन्टेन्ट) कहते है। उदाहरण के लिए शुरुआत से अंत तक जो भी शिक्षककक्षा में बोलता है वह संदेश की अंतर्वस्तु/(कन्टेन्ट) कहलाताहै।

iv. **उपचार (ट्रीटमेंट):**यह संदेश की पैकिंग को संदर्भित करता है। किस तरीके से कोई भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है या जिस तरीके से संदेश पारित

किया जाता है या उसे वितरित किया जाता है। इसे संदेश का उपचार(ट्रीटमेंट)कहते है।

v. **कूट (कोड):**संदेश के कूट से अर्थ है की किस तरह से संदेश को भेजा जा रहा है और किस तरीके से संदेश को भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे-भाषा कीदृष्टिसेहिन्दी, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि तथा चित्रात्मक दृष्टि से फिल्म, फोटोग्राफ इत्यादि के रूप में हम किसी भी संदेश को भेज सकते है।

3. **माध्यम (चैनल):** माध्यम के द्वारा ही हम सूचना को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुँचाते है। निम्नलिखित पांच इंद्रियां इस प्रकार हैं, जिनका उपयोग करके हम सूचना प्राप्त करते हैं:

हम जो भी संचार करते हैं, वह इन चैनलों के माध्यम से ही सफल हो पाता है।

i. **सुन कर:**हम संदेश प्राप्त करने के लिए कानों का उपयोग करते है।
ii. **देख कर:** किसी भी चित्र (पोस्टर)को देखकर हमें उस चित्र में दर्शाया गया संदेश मिल जाता है।
iii. **स्पर्श द्वारा:** किसी भी वस्तु को छू कर हमें आभास हो जाता है की वह वस्तु कठोर है या मुलायम।
iv. **गंध द्वारा:** कोई भी गंध संवाद के लिए एक माध्यम हो सकती है। उदाहरण के लिए जली हुई गंध से ये संदेश मिलता है कि कोई वस्तु जल रही है तथा गंध से हम यह भी पता लगा सकते हैं की खाने में क्या बनाया जा रहा है।
v. **चख कर:** जीभ भी संचार का एक माध्यम है, जिसके द्वारा भोजन को चख कर भी संचार सम्भव है।

- **डिकोडिंग:** जब संदेश प्राप्तकर्ता (रिसीवर) के पास पहुँचता है वह पहले उसे समझने की कोशिश करता है की वास्तव में प्रेषक (सेन्डर) क्या सुनना चाहता है और इसके बाद ही प्राप्तकर्ताउसी के अनुसार जवाब देता है। इस पूरी प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते है।

4. **प्राप्तकर्ता:**प्रेषक (सेन्डर) और प्राप्तकर्ता (रिसीवर) दोनों का स्तर एक सामान होना चाहिए। इससे यह तात्पर्य है की प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और संस्कृति में जितनी समानता होगी उनके मध्य का संचार भी उतना ही सफल होगा।

5.4.5 लीगन का मॉडल (1963)

लीगन्स ने सन् (1963) में संचार को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, इंप्रेशन का आदान-प्रदान इस तरीके से करते है कि प्रत्येक को अर्थ,आशय और संदेश के उपयोग की स्पष्ट समझ प्राप्त होती है। इस प्रकार लीगन्स द्वारा दिए गए संचार मॉडल में निम्नलिखित तत्व हैं:

- **वक्ता**
- **संदेश या कन्टेन्ट**
- **संचार के माध्यम**
- **संदेश का उपचार (ट्रीटमेंट)**
- **दर्शक**
- **दर्शकों की प्रतिक्रिया/फ़ीडबैक**

इस मॉडल में संदेश के ट्रीटमेंट/उपचार तथा दर्शकों की प्रतिक्रिया (फीडबैक) पर अधिक जोर दिया गया है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा श्रोताओ के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है।

5.4.6 ओस्गुड और श्रेम का परिपत्र(सर्कुलर)मॉडल

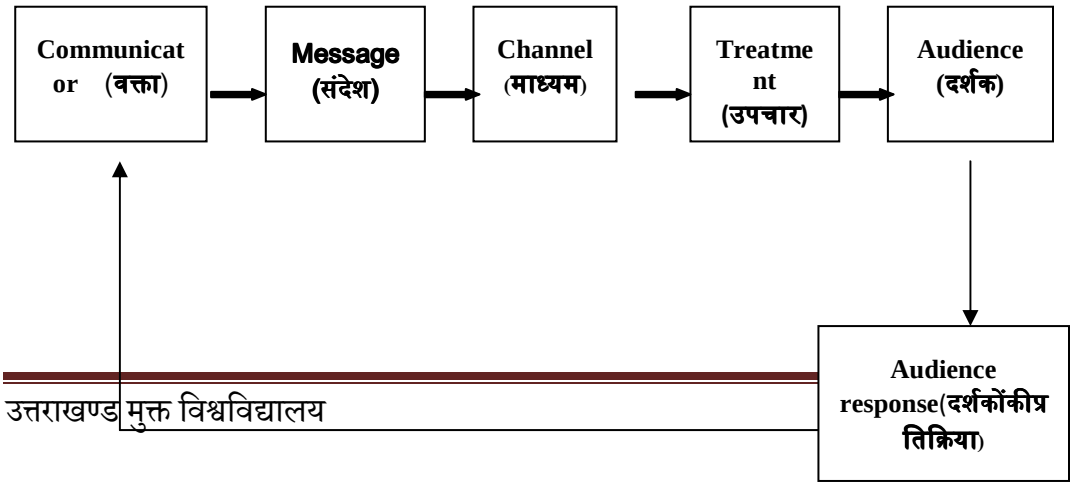

ऊपर बताये गए सभी मॉडल संचार को एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करते है, जिसके अंतर्गत प्रेषक और श्रोता (रिसीवर) की भूमिका स्पष्ट रूप से विशिष्ट हैं। लेकिनओस्गुड और श्रेम ने कहा कि संचार प्रक्रिया को एक रेखीयप्रक्रिया समझना भ्रामक है क्योंकि संचार प्रक्रिया की ना कोई शुरुआत होती है और ना कोई अन्त। यह एक अन्तहीन प्रक्रिया है। इस मॉडल में संचार की परिपत्र प्रकृति पर जोर दिया गया है। संचार के इस मॉडल में ये बताया गया है की संचार की प्रक्रिया में प्रतिभागियों के मध्य स्रोत/एनकोडर और रिसीवर/डिकोडर की भूमिकाओं की अदला-बदलीहोती रहती है।

जब भी हम अपने आस-पास की दुनिया से कोई भी जानकारी या तथ्य प्राप्त करते हैं, यहां तक की, हमारे सामने जो भी हो रहा है। उदहारण के लिए: देखने जैसे बहुत ही आसान कार्य में भी हम व्याख्यान (इंटरप्रिटेशन) की सक्रिय प्रक्रिया में व्यस्त होते है, हम किसी भी सूचना को ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेते है किन्तु सक्रिय रूप से उस सूचना को समझने का प्रयत्न भी करते हैं।

मॉडल निम्नलिखित है;

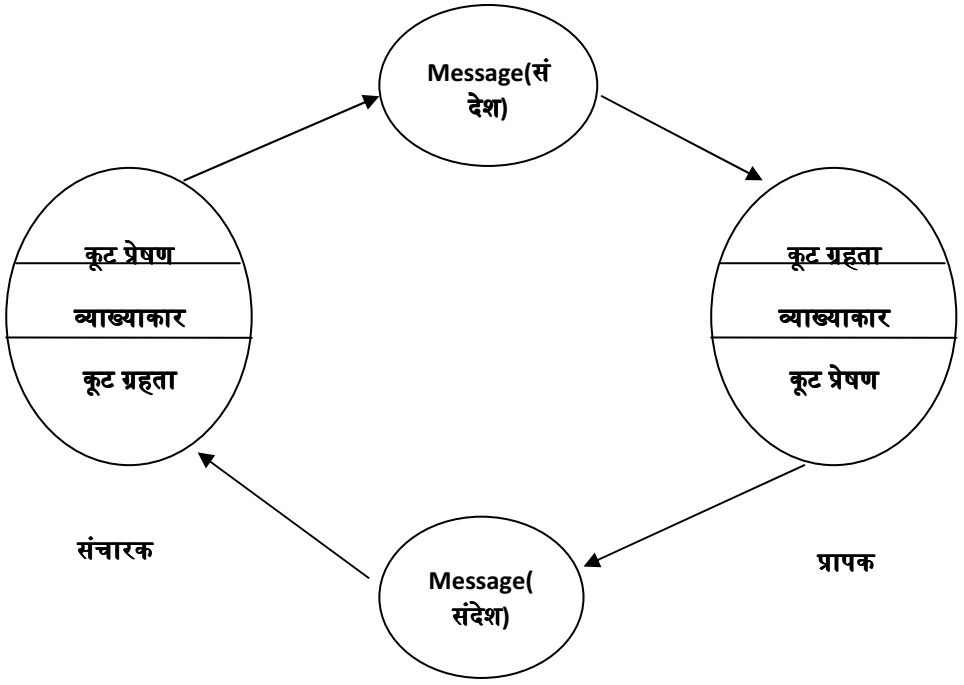

चित्र 5.4:ओस्गुड

आगे बढ़ने से पूर्व आइए कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें।

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिए:

1. शोर कोएकतत्व की तरह..... संचार के किस मॉडल में सम्मिलित किया गया है।
2. संचार का SMCRमॉडल..... किसके द्वारा दिया गया है।
3. ओसोगुड और श्रेम ने संचार का..... मॉडल दिया है।

अब हम एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओ के विषय में जानेगे।

5.5 एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं

एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताए इस प्रकार है:

5.5.1 एक अच्छा श्रोता

एक अच्छा श्रोता होना एक सफल संचारक की पहचान है। चीजों को केवल सुनने के बजाये, उन्हें ध्यान देकर सुनना, उससे जानकारी लेना, उनका प्रसंस्करण करना, उसके संदर्भ और अर्थ को समझना और तर्कसंगत, बुद्धिमान प्रतिक्रियाएं देने के लिए एक संचारक को एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरुरी है। सही ढंग से सुनने में असमर्थता या अनिच्छा से गलतफहमी और संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

5.5.2 एक अच्छा संचारक अपने दर्शकों को जानता है

एक अच्छे संचारक को पता होना चाहिए की उसके श्रोता कौन है और वे कहा से आ रहे है। उसे अपने श्रोताओ के अनुसार ही उनके लिए संदेश की रचना करनी चाहिए। संचारक को ये प्रयास करना चाहिए की वो हमेशा अपने दर्शकों के लिए उचित भाषा, स्वर, ऊर्जा और जुनूनके साथ बोलें। श्रोता से प्राप्त संकेतों पर ध्यान दें। श्रोताओ के आँखों से संपर्क करें और इस बात का ध्यान रखे की श्रोता सहमति में सिर हिला रहा है की नहीं जिससे ये पता चलता रहे की श्रोता को संदेश समझ में आ रहा है या नहीं।

5.5.3 एक अच्छा संचारक हमेशा तैयार रहता है

एक अच्छे संचारक को संचार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और पहले से ही जो संदेश देना हो उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। कुछ भी अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। संचारक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए की वो जोर-जोर से कई बार अभ्यास कर ले ताकि संचारक को जो भी संदेश श्रोताओ तक पहुचना है वो उसका अभ्यस्त हो जाए और वह अनुमोदित समय के भीतर संदेस को श्रोताओ तक पंहुचा दे।

5.5.4 एक अच्छा संगठनकर्ता

अच्छे संचारक अपने विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से अपने श्रोताओ तक पहुचाना सुनिश्चित करते है ताकि श्रोताओ तक उनका संदेश संगठित व व्यवस्थित रूप में पहुचे। अच्छे संचारक अपने कथनो या संदेशो को संक्षिप्त रूप मेंव्यवस्थित करते है जिससे श्रोताओ को संदेश को समझने में आसानी होती है। इस तरह श्रोताओं के लिए संचारक द्वारा कही दिए गए संदेश का पालन करना बहुत मुश्किल नहीं होता है।

5.5.5 एक अच्छा संचारक जानकारीपूर्ण और प्रतिभाशाली होता है

विषयके बारे में अच्छी तरह से बोलने के लिए अपने विषय के बारे में पता होना आवश्यक होता है। कोई भी श्रोता उस व्यक्ति को सुनना नहीं चाहता जिसे वास्तव में उस विषय की कोई भी जानकारी न हो जिसके बारे वो बात कर रहा हो। लेकिन वह संचारक जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, उसे एक विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है। लोग उससे जुड़ते है और उसे सुनते है, क्योंकि वह एक प्रकार की अधिकार और ज्ञान की भावना के साथ बोलता है।

5.5.6 एक अच्छा संचारक आत्मविश्वास के साथ बोलता है

एक अच्छा संचारक अपने विषय को अच्छी तरह से जानने के साथ ही उसके विषय में विश्वास के साथ बात करता हैं और जब संचारक विश्वास के साथ बात करता है तो उसके श्रोता उसे अच्छी प्रतिक्रिया देते है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न : सही/गलत बताइए।

a. सही ढंग से सुनने में असमर्थता या अनिच्छा से संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
b. एक अच्छे संचारक के लिए विषय की जानकारी होना आवश्यक नहीं है।

c. जब संचारक विश्वास के साथ बात करता है तो उसके श्रोता उसे अच्छी प्रतिक्रिया देते है।

5.6 संचार में उत्पन्न होने वाली बाधाएं और बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ

बाधा शब्द का अर्थ अवरोध होता है, बाधा एक समस्या है जो संदेश के संचरण मार्ग में आती है और संदेश के संचरण की प्रक्रिया में पूरी तरह से या आंशिक रूप सेअवरोध उत्पन्न करती है।

विभिन्न प्रकार की बाधाएं इस प्रकार हैं:

5.6.1 भौतिक या पर्यावरण से उत्पन्न होने वाले अवरोध

a. **शोर -** बाहरी कारकों द्वारा की गई आवाज़, जैसे यातायात, संगीत की तेज़ आवाज, ट्रेन और हवाई जहाज, या लोगों की भीड़ हमारे संचार को प्रभावित करती है।

b. **समय और दूरी -** समय तब भौतिक बाधा बन जाता है जब लोगों को अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय क्षेत्रों में संवाद करना पड़ता है। लोगों के बीच की शारीरिक दूरी भी उनके बीच बातचीत करने में समस्याएं पैदा कर सकती है तथा दूरी की वजहे से भी लोग मौखिक रूप से या आमने सामने से संचार नहीं कर पाते है।

c. **संचार प्रणाली में दोष** – यांत्रिक और संचार उपकरणों में दोष भी संचार में भौतिक बाधाए उत्पन्न करते है। जैसे की दोषपूर्ण फैक्स मशीन या टाइपराइटर। इसी तरह,एक ख़राब टेलीफोन लाइन संदेश के गैर-प्रसारण का कारण बन सकती है।

d. **गलत माध्यम का चयन** – अगर संचारक/प्रेषक उस माध्यम का चयन करता है जिससे प्राप्तकर्ता/रिसीवर परिचित नहीं है तो इससे भी संचार की प्रक्रिया में बाधा उतपन्न होती है ।

e. **शारीरिक दोष -** जैसे तुतलाना, सुनने में परेशानी, अस्पष्ट बोली आदि।

भौतिक या पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ

भौतिक कारणों या पर्यावरण से उत्पन्न होने वालीबाधाओं को दूर करना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान होता है। जैसे की लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन के उपयोग द्वारा भीड़ भरे स्थानों में शोर और दूरी से उत्पन्न बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यातायात संकेत और यातायात

पुलिसकर्मियों केअमौखिक (नॉन-वर्बल) इशारे सड़कों पर भौतिक अवरोधों को दूर करते हैं। समय और दूरी के कारण संचार में होने वाले अंतर को तकनीकी प्रगति से दूर करने में मदद मिली है। तकनीकी उपकरणों के विफल हो जाने पर एक वैकल्पिक व्यवस्था करना संभव है। साथ ही पूर्तिकर योजना (बैक-अप प्लान) किसी भी परेशानी हल करने में मदद करता है।

5.6.2 भाषा या अर्थ-संबंधी बाधाएं

भाषा संचार का मुख्य माध्यम है और शब्द इसके औजार हैं। भाषा भी संचार में बाधा बन सकती है, जैसे की अर्थ-संबंधी(अर्थ),वाक्यविन्यास (व्याकरण), ध्वन्यात्मक (उच्चारण, आवाज़ का उतार-चढ़ाव,पिच/स्वरमान आदि) और भाषाई (अलग-अलग भाषाओं में) इस प्रकार, भाषा द्वारा भी बाधाएं कई तरीकों से उत्पन्न हो सकती हैं:

a) **शब्दजाल (जारगन) या अपरिचित शब्दावली -** कुछ ऐसे विशेष शब्द या तकनीकी शब्द होते है जो किसी निश्चित समूह या कार्य क्षेत्र से जैसे की डॉक्टरों, वकील, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कॉलेज के छात्रों से संबंधित होते हैं। वे उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके अपने स्वयं के, विशेष शब्दगण होते हैं, जिन्हें उनके समूह के बाहर किसी के द्वारा नहीं समझा जा सकता है।
b) **भाषा में अंतर -** जब लोग एक दूसरे की भाषा नहीं जानते है तब अपरिचित भाषा संचार में एक बाधा बन जाती है। इस बाधा को हम संचार में एक ऐसी भाषा का उपयोग करके दूर कर सकते है जिसे संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों ही समझते हो। जैसे कक्षा में विषयवस्तु का अनुवाद करके भी हम इस बाधा को दूर कर सकते है।
c) कभी-कभी, एक ही शब्द का अलग-अलग संदर्भों में उपयोग किया जाता है, जिनका अर्थ पूरी तरह से अलग होता हैं। उदहारण के लिए जैसे: हार्ड(Hard) शब्द अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है: हार्ड चेयर, हार्ड वर्क, हार्ड टाइम - ये सब एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग-अलग हैं।
d) वे शब्द जिनका उच्चारण करने से एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है लेकिन इसका मतलब बहुत अलग होता हैं। यह भी संचार में एक तरह की बाधा पैदा करते है। उदाहरण के लिए जैसे:

गृह (Gṛah) = House

ग्रह (Grah) = Planet

मात्र (Maatr) = Only

मातृ (Maatṛ) = Mother

भाषा या अर्थ-संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ:

भाषा या अर्थ-संबंधी बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है यदि प्रेषक (सेन्डर) और प्राप्तकर्ता (रिसीवर) संचार के लिए एक ऐसी भाषा का चुनाव करते हैंजिस भाषा को दोनों ही बहुत अच्छी तरह से समझते हो। एक अनुवादक या व्याख्याकार की सहायता से भी भाषा सम्बंधित बाधा पर काबू पाने में मदद मिलती है। अपने श्रोतागण की भाषा (टारगेट लैंग्वेज)के संपर्क में आने तथा भाषा कौशल के अधिग्रहण के लिए प्रशिक्षण लेने से भी भाषा एवं अर्थ सम्बंधित बाधा पर काबू पाने में मदद मिलती है। सावधानीपूर्वक अध्ययन और भाषा के सही उपयोग से भाषा अवरोधों से बचा जा सकता है। भाषा का उपयोग करते समय भाषा में स्पष्टता मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।किसी खास व्यवसाय या समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष शब्दो या अभिव्यक्ति (जारगन वर्ड्स) जिन्हें समझने में दूसरों को मुश्किल होती हो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए।

5.6.3मनोवैज्ञानिक बाधाएं

संचार एक मानसिक गतिविधि है और इसका मुख्य उद्देश्य समझ पैदा करना है। लेकिन मानव मस्तिष्क जटिल होता है और संचार के परिणामस्वरुप समझ उत्पन्न हो ऐसा जरुरी नहीं है। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक कारण है जो संचार में बाधा पैदा कर सकते है।

a) **भावनाएं-** भावनाए संचार में उत्पन्न होने वाली सबसे आम मनोवैज्ञानिक बाधाओं में से एक है। भावनाओं को प्राप्त संचार संदेश से जोड़ा जा सकता है अथवा यह भी हो सकता है की ये पहले से ही प्रेषक या प्राप्तकर्ता के दिमाग में संचार प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही हो। दोनों ही मामलों में, यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है। सकारात्मक भावनाए, जैसे खुशी और मस्ती, या नकारात्मक भावनाए जैसे भय, क्रोध, अविश्वास आदि। दोनों सकारात्मक और नकारात्मक भावनाए बाधा के रूप में कार्य करती हैं, अगर इन पे कोई रोक न लगायी जाए।

b) पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा (प्रेज्यूडिस)- यह व्यक्ति द्वारा बनाई गयी एक राय होती है जिसके लिए उसके पास कोई तर्कसंगत आधार या वैध कारण नहीं होता है। यह किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के विरुद्ध या उसके पक्ष में हो सकती है, लेकिन यह सार्थक संचार के लिए एक बाधा बन जाती है। पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा (प्रेज्यूडिस) अनभिज्ञता और सूचना की

कमी पर आधारित होती हैं, उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों या लोगों के समूह के बारे में पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा।

c) **स्व-छवि या विभिन्न धारणाएं-** प्रत्येक व्यक्ति की उसके अपने मन में खुद की एक छवि होती है, जो वो स्वयं के बारे में सोचता/सोचती है। यह उनकी खुद की धारणा होती है, किसी भी व्यक्ति की स्व-छवि उसकी आनुवंशिकता, उसके पर्यावरण और उसके अनुभवों का उत्पाद होती है, और इस तरह हर व्यक्ति की स्व-छवि अद्वितीय और दूसरों से अलग होती है। स्व-छवि संचार में एक बाधा भी पैदा कर सकती है क्योंकि हम उस संचार को स्वीकार करते हैं जो हमारी स्व-छवि के अनुरूप होता है। हम उस संचार से बचते है या अस्वीकार करते हैं, जो हमारी स्वयं की छवि के अनुरूप नहीं होता है।

d) **बंद/सुप्त दिमाग :** एकबंद/ सुप्त दिमाग वह होता है जो किसी विषय पर, किसी विचार या राय को स्वीकार करने से इनकार करता है, क्योंकि यह उनके विचारो से अलग होते है। इस तरह के लोग एक विषय पर अपनी राय बना लेते हैं, और फिर वे अपने से भिन्न मत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनने से इनकार करते हैं। एक बंद दिमाग कुछ अतीत के अनुभव या सिर्फ आदत का नतीजा हो सकते है। इस मनोवैज्ञानिक बाधा को दूर करना बहुत कठिन होता है।

e) **स्थिति (स्टेटस)-** इस शब्द का अर्थ श्रेणी या पद से सम्बंधित है। यह आर्थिक, सामाजिक या व्यावसायिक स्थिति हो सकती है। किसी भी संगठन में पदक्रम, पद में अंतर पैदा करता है और यह एक सामान्य स्थिति है। इस प्रकार, स्थिति खुद ही बाधाओं का कारण नहीं है; बल्कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति के प्रति जरुरत से ज्यादा सचेत हो जाता है, चाहे वह उच्च या निम्न हो, तब स्थिति एक बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापार संगठन में, एक वरिष्ठ कार्यकारी जो अपनी वरिष्ठता के बारे में अनावश्यक रूप से जरुरत से ज्यादा सचेत है, वह अपने जूनियर के साथ ठीक से संवाद नहीं करेगा, और उसे आवश्यक जानकारी नहीं देगा। इसी तरह, अगर एक जूनियर अपनी जूनियर स्थिति के प्रति जरुरत से ज्यादा जागरूक है, तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारिओ के साथ संवाद करने से कतराएगा, तब भी जब संवाद जरूरी हो।

f) **लापरवाही और अधीरता:** कभी-कभी प्राप्तकर्ता (रिसीवर) प्रेषक के संदेश पर ध्यान नहीं देता है, या वह संदेश को पूरी तरह से और ठीक से सुनने के लिए बहुत अधीर हो जाता है । प्राय: मौखिक संचार में इस प्रकार की बाधाएं आम होती हैं।

मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर काबू पाने के लिए रणनीतियाँ

1. लचीलापन और खुले दिमाग वाला रवैया अपनाना चाहिए।
2. अलग-अलग प्रकार के वातावरण और विभिन्न प्रकार दृष्टिकोणों के संपर्क में आने से दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद मिलती है।
3. सहानुभूति के साथ सुनने से दूसरों की धारणाओं को अपनाने में मदद मिलती है।

5.6.4 अंतर-सांस्कृतिक बाधाएं

एक देश के भीतर सांस्कृतिक विविधता होती है और विभिन्न देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक अंतर होता है, ये दोनों ही संचार में बाधाएं है और इन बाधाओं का मुख्य कारण यह है कि लोग अपनी- अपनी संस्कृतियों के अभ्यस्त हैंऔर उन्होंने अपनी सांस्कृतिक अनुकूलता के अनुसार काम करने, संचार, भोजन, ड्रेसिंग इत्यादि की कुछ आदतों का विकास कर लिया हैं। उन्हें ऐसे लोगों से बात करना मुश्किल लगता है जो दूसरी संस्कृति से आते हैं, और जिनकी आदतें अलग होती हैं। किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए भारत में दोनों हाथ जोड़ नमस्कार किया जाता है जो एक अरब देश या जापान काफी भिन्न तरीके से किया जाता है। एक अलग संस्कृति के भोजन और पहनावे की आदतें किसी व्यक्ति को असुविधाजनक स्थिति में डाल सकती हैं। स्थान और समय की अवधारणाए भी अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग होती हैं; उदाहरण के लिए, भारतीयों को एक दूसरे के करीब बैठने और कार्यालयों या सार्वजनिक स्थानों में जगह साझा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि, एक यूरोपीय इस तरह के दखल या हस्तक्षेप करने वाले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह, जो लोग ऐसी संस्कृति से आते हैं, जहां समय बहुत ही मूल्यवान होता है, वे लोग उन लोगों के साथ अधीर रवैया अपनाते है जो ऐसी संस्कृति से आते हैं, जहां सब कुछ धीमे, अनौपचारिक तरीके से किया जाता है।

निम्नलिखित चीजों में भिन्नता के कारण संचार में निम्न सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है:

a) सांस्कृतिक विविधता
b) समय
c) स्थान
d) भोजन
e) शिष्टाचार
f) निर्णय लेना

मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अवरोधों को दूर करना कठिन है, क्योंकि उन्हें पहचानना एक मुश्किल कार्य है, एक लचीले और खुले दिमाग वाले रवैये को अपनाने से भी इन बाधाओ से बचा या इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। संचार का मुख्य उद्देश्य है - लोगों के बीच समझ के पुलों का निर्माण करना है।

अंतर-सांस्कृतिक बाधाओ को दूर करने के उपाय

अंतर-सांस्कृतिक अवरोधों के साथ काम करते समय प्रेषक को इन बिंदुओ पर ध्यान देना चाहिए-

a) ऐसी भाषा का उपयोग करें जो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और सही हो।
b) अपने विचारो को सरल और सटीक तरीके से प्रस्तुत करें।
c) संचार के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित

इकाई के अंत में अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न : सही अथवा गलत बताइए।

a. समय और दूरी का अंतर प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार की प्रक्रिया में भौतिक बाधा उत्पन्न करता है।
b. पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा संचार में उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधाओं में नहीं आती है।
c. अलग-अलग प्रकार के वातावरण और विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों केसंपर्क में आने से संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है।
d. भोजन, शिष्टाचार और सांस्कृतिक विविधता में अंतर के कारण संचार में अंतर-सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती है।

5.7 सारांश

इस इकाई के उपरान्त आप जान गए होगे की मानव विकास के लिए संचार बहुत ही आवश्यक है,लेकिन साथ ही संचार एक जटिल प्रक्रिया भी है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हर दिन कुछ न कुछ वार्तालाप/संचार करता ही है पर ये बता पाना मुशकिल कार्य है की उनके मध्य का ये संचार कितना सफल रहा। संचार की प्रक्रिया में कुछ तत्वों का होना आवश्यक है परन्तु अगर वे तत्व सुव्यवस्थित नहीं होंगे तो संचार की प्रक्रिया का सफल हो पाना असंभव है। संचार के कई विद्वानों ने

संचार के कई मॉडल दिए है जो संचार की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में दर्शाते है परन्तु संचार के ज्यादातर मॉडलो में कुछ न कुछ कमिया भी है जिससे संचार में कई प्रकार की बाधाए उत्पन्न होती है।इन बाधाओ को आधुनिक तकनीको या उपकरणों का उपयोग करके कुछ मात्रा में कम या दूर किया जा सकता है। कुछ बाधाए ऐसी भी होती है जिन्हें व्यक्ति स्वयं ही अपने हाव-भावों, विचारो, समझ, दृष्टीकोण इत्यादि में सकारात्मक परिवर्तन और व्यापकता लाके दूर कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताए होती है, परन्तु व्यक्ति में कुछ विशेषताए ऐसी भी होती है जो उसे एक अच्छा वक्ता या सफल संचारक बनती है। ऐसे व्यक्तियों को अन्य लोग सुनना पसंद करते है तथा वे अच्छे संचारक की कही गयी बातो को प्रभावी ढंग से चरितार्थ करके भी दिखलाते है।

5.8 पारिभाषिक शब्दावली

- **वक्ता:**वह व्यक्ति जो संवाद का प्रारम्भ करता है।
- **संदेश:** वक्ता द्वारा बोली गयी बात।
- **प्राप्तकर्ता/श्रोतागण:**वह व्यक्ति जो वक्ता द्वारा कही गयी बात को सुनता है।
- **शोर:** संचारमार्गमेंआनेवालेव्यवधानजिसकेप्रभावकेकारणसंदेश अपनेवास्तविकअर्थोंमेंप्राप्तकर्ता तकनहींपहुंच पाताहै।
- **एन्कोडिंग:** संदेश की रचना करने की प्रक्रिया को एन्कोडिंग कहते है।
- **शब्दजाल (जारगन) या अपरिचित शब्दावली -** ऐसे विशेष शब्द या तकनीकी शब्द जो किसी निश्चित समूह या कार्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं।

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिए।

a) शैनन और वीवर
b) बरलो
c) परिपत्र(सर्कुलर) मॉडल

अभ्यास प्रश्न 2

सही/गलत बताइए।

a) सही
b) गलत

c) सही

अभ्यास प्रश्न 3

सही अथवा गलत बताइए।

a) सही
b) गलत
c) गलत
d) सही

5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. G.L. Ray, Extension Communication and Management, Kalyani Publishers.
2. O.P. Dhama, & O.P. Bhatnagar, Education and Communication for Development. 2nd edition. Oxford & IBH Publishing Co.Pvt.Ltd, New Delhi.
3. D.K. Berlo, The Process of Communication, Holt, Rinehart Winstone Inc., New York.
4. V.K. **Dubey &I.** Bishnoi, Extension Education and Communication. New Age International Pvt. Ltd.Publishers.

5.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. संचार के किन्ही प्रमुख चार मॉडलों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिये।
2. एक अच्छे संचारक में क्या-क्या विशेषताए होती है विस्तृत रूप से समझाए।
3. संचार में उत्पन्न होने वाली भाषा एवं अर्थ सम्बन्धी बाधाओ के विषय में विस्तारपूर्वक समझाइये।

इकाई 6: नवाचार,अभिग्रहण एवं प्रसार

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 नवाचार
6.4 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण
6.5 संचार तथा प्रसार प्रक्रिया
6.6. अभिग्रहण प्रक्रिया
6.7 नवाचार का प्रसार
6.8 नवाचार निर्णय प्रक्रिया
6.9 अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक
6.10 नवाचार की अभिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका
6.11 सारांश
6.12 पारिभाषिक शब्दावली
6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
6.14निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आप नवाचार के बारे में पढेंगे जिसका अर्थ है नई पद्धति अथवा नया आविष्कार। आप नवाचार के विभिन्न तत्वों तथा नवाचार ग्रहण करने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। किसी व्यक्ति की किसी नवाचार को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर हम उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं इसके सम्बन्ध में भी इस इकाई में बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस इकाई में आप नवाचार एवं प्रसार के सम्बन्ध को जानेंगे। इस इकाई के माध्यम से अभिग्रहण को भी समझेंगे। तो आइये इकाई की आरम्भ करने से पूर्व इसके उद्देश्यों को भी समझने का प्रयास करें।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई को पूर्ण करने के पश्चात आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे;

- नवाचार का अर्थ एवं नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक
- नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया तथा अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण
- संचार तथा प्रसार प्रक्रिया
- नवाचार का प्रसार
- नवाचार निर्णय प्रक्रिया
- अभिग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित करने वालेकारक
- प्रसार प्रक्रिया में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका।

6.3 नवाचार

6.3.1 परिभाषा

"यह एक विचार, अभ्यास या वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी नए विचार के रूप में अपनाया जाता है।समाज के विकास हेतु नवाचार तथा उसका विस्तारण अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से ही लोगों के सोच विचार तथा रीति रिवाजों आदि में परिवर्तन लाया जा सकता है और यदि सोच परिवर्तित हो गयी तो व्यक्ति द्वारा संपादित कार्यों में स्वयं ही परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए **बारनेट** ने नवाचार को सामाजिक परिवर्तन का आधार कहा है क्योंकि जब तक कोई नई पद्धति या नया विचार समाज में नहीं विस्तारित होगा तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिशर ने कहा है " पूर्व स्थिति अथवा रहन सहन के तरीकों में भिन्नता कों ही संक्षेप में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।"

6.3.2 नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक

नवाचार को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं ये कारक अलग अलग तरीके से समाज में अपना प्रभाव डालते हैं।

एवरेट एम रोजर्स (1931-2004) ने किसी भी नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया को प्रभावित होने वाले पांच कारकों की पहचान की जो अंततः इसकी सफलता की डिग्री को तय करते हैं। इन विभिन्न कारकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

a) प्रौद्योगिक कारक

मनुष्य के जीवन में परिवर्तनों का एक मुख्य कारण प्रौद्योगिकीकरण है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी प्रौद्योगिकीकरण के कारण कई अच्छे परिवर्तन हुए हैं। जैसे यदि हम घर का कार्य कर रही महिलाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि जो काम करने में कई घंटे लग जाते थे प्रौद्योगिकीकरण के कारण वह कार्य मशीनों से कुछ मिनटों में हो जाता है उदाहरणार्थ : कपड़े धोने के लिए मशीन का प्रयोग, पीसने के लिए मिक्सी का प्रयोग, गैस चूल्हा, वैक्यूम क्लीनर आदि। इसी प्रकार यदि हम कृषि कार्यों में आये सुधारों को देखते हैं तो उसका कारण भी प्रौद्योगिकीकरण ही है जिसने उन्नत किस्म के बीज तथा अत्याधुनिक मशीनें देकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता तो की ही है साथ ही साथ समय तथा श्रम की बचत भी की है। इसके अतिरिक्त परिवहन एवं संचार में जो सुधार हुए हैं उनके पीछे भी प्रौद्योगिकीकरण का बहुत योगदान है।पुराने समय में लोगों को कई मीलों की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी किन्तु आज हमारे पास किसी छोटी से छोटी या किसी अधिक दूरी को तय करने के लिए भी कई साधन हैं जैसे कार, बस, ट्रेन , आदि। इसी प्रकार आज प्रौद्योगिकी ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम मोबाईल फोन से मीलों दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं तथा उसे वीडियो कॉल की सहायता से देख भी सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी ने लोगों को नवाचार अपनाने को प्रेरित किया है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु आते हैं;

i) अनुकूलता

अनुकूलता से यह मापा जाता है कि क्या नवाचार मानदंडों, मूल्यों और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं या धार्मिक विश्वासों के अनुरूप है या नहीं जो समाज में बहुत मान्य हैं। नवाचार के उत्पाद की उपभोक्ताओं की मौजूदा पृष्ठभूमि, व्यवहार और जीवन शैली के तरीकों से अनुकूलता भी जनता द्वारा इसको अपनाए जाने के प्रतिशत को प्रभावित करती है। किसी उत्पाद की अनुकूलता यह मापती है कि यह जरूरतों, मूल्य प्रणालियों और मानदंडों, जीवन शैली, संस्कृति आदि से कितनी निकटता से जुड़ा हुआ है। अनुकूलता का स्तर जितना अधिक होगा प्रसार उतना ही तीव्र गति से होगा और यदि अनुकूलता का स्तर कम है तो उसका प्रसार भी धीमी गति से होगा। इसके साथ ही साथ कोई भी नवाचार बहुत अधिक तीव्र गति से फैलेगा जब वह उपभोक्ताओं को उनके मूल्यों, मानदंडों, जीवन शैली, संस्कृतियों आदि को बदलने को बाध्य नहीं करेगा।

ii) जटिलता

कोई भी नवाचार यदि समझने तथा उपयोग में लाने में जटिल होगा तो उसका प्रसार बहुत आसानी से नहीं होगा जबकि यदि नवाचार समझने तथा उपयोग में लाने में आसान होगा तो वह नवाचार आसानी से फैल जाएगा। जब हम जटिलता की बात करते हैं तो उस समय तकनीकी जटिलता का नाम सर्वप्रथम आता है जोकि प्रसार में बाधा के उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के लोग तकनीकी रूप से अधिक सक्षम हैं तथा तकनीकी जटिलताओं का अच्छे से सामना करते हैं।

iii) परीक्षण करने की क्षमता

किसी भी नवाचार का परीक्षण करने की क्षमता उस नवाचार को अपनाए जाने की क्षमता का निर्धारण करती है। परीक्षण क्षमता जितनी अधिक होगी, प्रसार की दर उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे लोगों को नवाचार को आज़माने, उसे आंकने और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने का अवसर मिलता है। उपभोक्ता अभिनव पेशकश की कोशिश कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर इसे स्वीकार / अस्वीकार करके खरीद प्रतिबद्धता पर निर्णय ले सकते हैं।

b) सांस्कृतिक कारक

हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है जिससे उस समाज का उद्भव हुआ होता है। प्रत्येक समाज की किसी नये विचार या नई पद्धति के प्रति अलग अलग प्रतिक्रया होती है कुछ बहुत आसानी से सब कुछ अपना लेते हैं तथा कुछ उसका विरोध करते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता संचार प्रक्रिया में एक गंभीर बाधक है। इस सम्पूर्ण गतिविधि के विस्तरित क्षेत्र के भीतर (1) संचार प्रणालियों को सांस्कृतिक मूल्यों से किस प्रकार सम्बन्धित किया गया है (2) हमारे संचार प्रणालियों के वर्तमान उपयोग से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी की विशिष्ट नैतिक समस्याएं तथा (3) सांस्कृतिक सीमाओं के ज्यादा होने से संचार में आने वाली समस्याएं आती है। कुछ नवाचार देश के कुछ भाग या किसी समूह में सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार कर दिये जाते हैं जबकि किसी समाज द्वारा बहुत शीघ्रता से स्वीकार कर लिए जाते हैं।

c) आर्थिक कारक

किसी भी नवाचार को अपनाने में आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि किसी भी नयी तकनीक अथवा नवाचार को अपनाने हेतु व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन का होना बहुत आवश्यक है अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी नवाचार के फायदे को जानने के बाद भी उसे नहीं अपना पायेगा। उदाहरणार्थ : आप कपड़े धोने का काम हाथ से कर रहे हों और तभी आपको पता चले कि इस काम के लिए अब बाजार में वाशिंग मशीन उपलब्ध हैं तो यदि आपके पास धन की उपलब्धता हो तो आप उसे खरीद सकते हैं अन्यथा आप ये तो जानते हैं कि वाशिंग मशीन खरीदना फायदेमंद है उससे आपका समय एवं मेहनत दोनों की बचत होती है किन्तु क्योंकि आपके पास उसे खरीदने हेतु धन नहीं है अत: आप उसे नहीं खरीद पाएंगे।

d) सापेक्ष लाभ

एक नवीनता को तभी अधिक व्यापक रूप से अपनाया जाएगा जब वह उस समय उपस्थित वैकल्पिक समाधान से बेहतर होगा जिसे बदलना है। सापेक्ष लाभ को आर्थिक रूप से मापा जा सकता है (नई तकनीक पुरानी से सस्ती है अथवा या यदि महंगी है तो पुरानी तकनीक से अधिक

शक्तिशाली है) अथवा यह एक सुविधा कारक भी हो सकता है (ईमेल प्राप्त करना पत्र लिखने और पोस्ट पर जाने से तेज है) या स्थिति पहलू ("मुझे अच्छा दिखने के लिए इस उत्पाद की आवश्यकता है") हो सकता है।

6.3.3 नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया

बील और बोहेन के अग्रणी काम ने एक पाँच-चरण प्रक्रिया की पहचान की, जिनसे होकर ही कोई व्यक्ति किसी नवाचार को ग्रहण करता है। इनमें से प्रत्येक चरण के लिए नवाचार से सम्बंधित स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। यह जानकारी या तो समुदाय के बाहर के बाहरी प्रभावों से या समुदाय के प्रभावशाली सदस्यों के माध्यम से आती है। प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग दरों से इन चरणों को पार करता है, जिसके परिणामस्वरूप नवाचार अभिग्रहण करने में लगे समय में भी भिन्नता होती है।नवाचार प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:

1. **जागरूकता या अभिज्ञा(awareness)**

इसका अर्थ है, व्यक्तिगत रूप से पता चलना कि कोई नवाचार हुआ है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास नवाचार से सम्बंधित विवरण उपलब्ध नहीं होता है, यह एक बहुत ही निष्क्रिय अवस्था है। जागरूकता सामान्यतया समुदाय के बाहर के स्रोतों और सूचना के अन्य स्रोतों द्वारा आती है।

2. अभिरुचि (interest)

इसमें व्यक्ति नवाचार से सम्बंधित अधिक से अधिक जानकारी चाहता है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि नवाचार उनकी मदद कर सकता है। वे सक्रिय रूप से नई जानकारी एकत्रित करने में जुट जाते हैं। व्यक्ति समुदाय के बाहर और भीतर दोनों स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करने में लग जाता है।

3. मूल्यांकन (evaluation)

इस चरण में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करके नवाचार की मानसिक रूप से जांच करता है तथायह निर्धारित करने की कोशिश करता कि क्या यह वास्तव में नवाचार उसके काम को प्रभावित करेगा और यह कैसे उसके कार्यों को आसान या बेहतर बना देगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है और पहला ऐसा चरण है जहां बाहरी संपर्कों के स्थान पर समुदाय की आवाजें (अर्थात सहकर्मी, दोस्त या पड़ोसी) किसी व्यक्ति पर अधिक प्रभाव डालती हैं।

4. परीक्षण (trial)

इस चरण में व्यक्ति वास्तव में नवाचार का परीक्षण यह देखने के लिए करता है कि वास्तविकता अपेक्षाओं से मेल खाती है या नहीं। इस स्तर परजानकारी प्रदान करने वाले हर स्रोत का उपयोग किया जाता है, हालांकि करीबी सामुदायिक संबंध अभी भी सबसे जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं।

5. अभिग्रहण (Adoption)

यह नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति नवाचार को पसंद करता है और इसे पूरे दिल से अपनाता है। यह प्रासंगिक उपयोग के सभी क्षेत्रों में लागू होता है और व्यक्ति अक्सर समुदाय में नवाचार का एक मजबूत समर्थक बन जाता है। इस स्तर पर समुदाय से आने वाली आवाज़ें अथवा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अभिग्रहण को अंगीकरण भी कहते है. सामान्य शब्दों में किसी चीज को अपनाना ही अभिग्रहण (Adoption) है। विकसित तकनीकों को ग्रामीणों तक पहुँचाना, उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करना, उनका प्रचार-प्रसार करना भी महत्वपूर्ण काम है। साथ ही यह देखना भी जरूरी है की कितने ग्रामीणों ने विकसित तकनीकी जानकारी को अपनाया है। यदि नहीं अपनाया है तो इसके पीछे क्या कारण है।

6.3.1 परिभाषा

- ❖ नवीन प्रक्रिया, नई पद्धति, नई खोज या नई विकसित तकनीक को अपनाने के लिए विचार करना और सोच-विचारकर उसे अपनाना ही अभिग्रहण कहलाता है।
- ❖ किसी नयी जानकारी को अपनी इच्छा के अनुसार अपनाने को अंगीकरण कहते हैं।
- ❖ अभिग्रहण एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें से व्यक्ति गुजरता है तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से नए विचारों का अंततः अभिग्रहण करता है। (Adoption is the mental process through which an individual passes from hearing about an innovation to final adoption). **– E.M. Rogers**

6.4 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण

सामाजिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति किसी नई तकनीकी को एक साथ अधिग्रहित नहीं करते हैं। कुछ अभिग्रहणकर्ता नई तकनीकी को शीघ्र अधिग्रहित कर लेते हैं तो वहीँ कुछ अति विलम्ब से नई तकनीक को अधिग्रहित करते हैं।

आवृति आधार पर समय के ऊपर रखने पर नवप्रवर्तन का अभिग्रहण एक सामान्य घंटी आकार वक्र का अनुसरण करेगा। यदि अभिग्रहणकरता की संचयी संख्या को रखा जाता है, तो परिणामस्वरूप S- आकार का वक्र बनेगा। समय अवधि में कुछ अभिग्राही होने पर S-आकार वक्र धीरे-धीरे बढेगा, प्रणाली में लगभग आधे व्यक्तियों द्वारा ग्रहण करने पर इसकी गति अधिकतम तक बढ़ेगी और कुछ शेष व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से ग्रहण करने पर क्रमश: धीमी दर से बढ़ेगी (आकृति 1)। जैसाकि मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, S-आकार वक्र 'अध्ययन वक्र' जैसा है।

सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक अभिग्रहण एक समझ के तहत होता है, जो व्यक्ति द्वारा अध्ययन प्रयास के समकक्ष होता है। ये दोनों वक्र सामान आंकड़े सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा समय पर नवप्रवर्तन के अभिग्रहण के लिए हैं, लेकिन घंटी- आकर वक्र इन आंकड़ों को प्रत्येक वर्ष ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार दर्शाता है, वहीँ S-आकार वक्र इन आंकड़ों को संचयी आधार पर दर्शाता है।

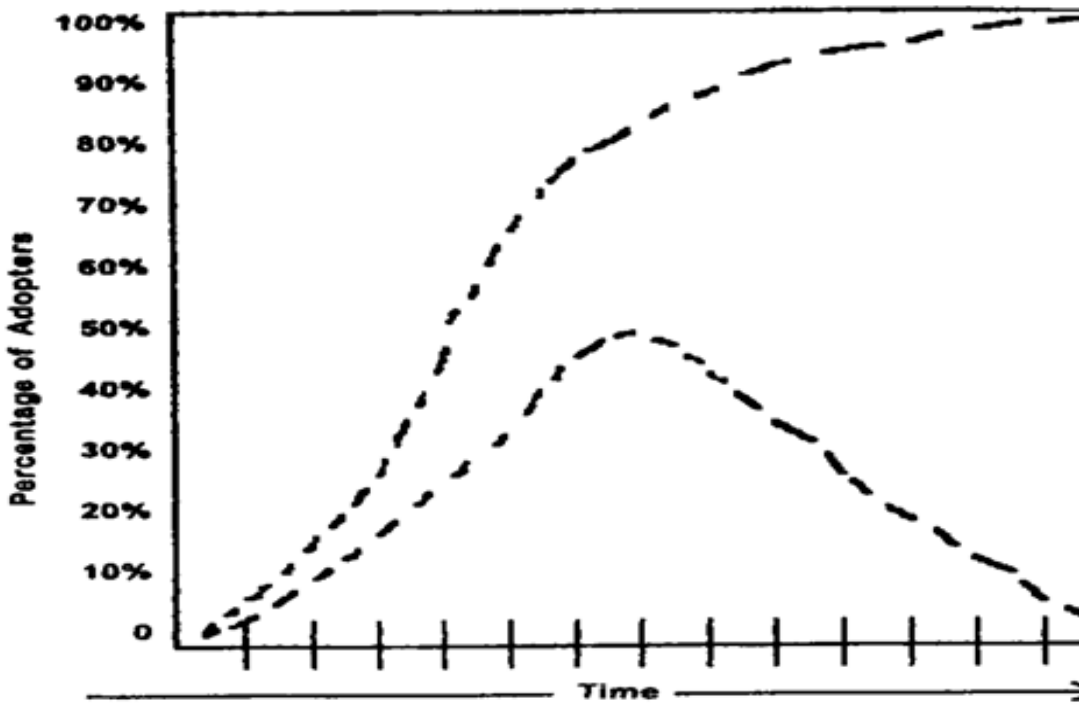

चित्र 6.1:- अनुकूलक श्रेणियों के लिए घंटी आकार आवृत्ति वक्र रेखा और एस-आकृति संचयी वक्र रेखा

समय पर अभिग्रहणकर्ताओं का वितरण निकट रूप से सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ता है और इसकी सामान्य वक्र की सांख्यिकी अवधारणा द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। Rogers द्वारा नई तकनीक को अधिग्रहित करने के आधार पर अभिग्रहणकर्त्ताओं का वर्गीकरण निम्न पांच प्रकार से किया गया है:

1. **अग्रग्राही (Innovators)**
2. **शीघ्रग्राही (Early Adopters)**
3. **शीघ्र बहुसंख्यक (Early Majority)**
4. **विलम्ब बहुसंख्यक (late Majority)**

5. अन्तिम ग्राही (laggards or last Adopters)

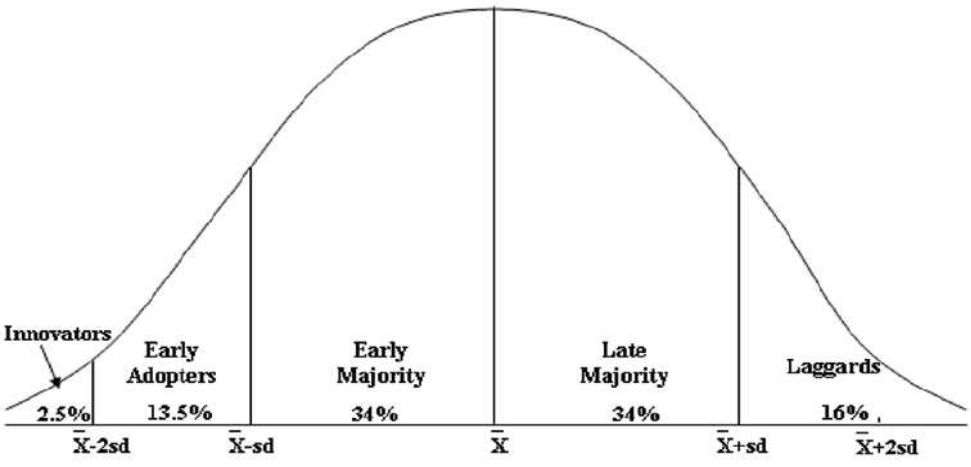

चित्र 6.2:- नवप्रवर्तनशीलता के आधार पर अभिग्राहियों का वर्गीकरण

1. **अग्रग्राही/ Innovators (नवप्रवर्तक/ उद्यम) -** ये वे व्यक्ति होते हैं, जो किसी नई सूचना को प्राप्त होते ही ग्रहण कर लेते हैं। ये विज्ञान में विश्वास करने वाले तथा खोजी प्रवृति के लोग होते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 2.5 प्रतिशत है । ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:
   - i) ये प्राय: शिक्षित होते हैं ।
   - ii) ये आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हैं तथा जोखिम उठाने का साहस होता है ।
   - iii) नेतृत्व का गुण रखने वाले होते हैं ।
   - iv) इनका जन संचार माध्यमों (रेडियो, टी.वी.) से लगाव होता है ।
   - v) मानसिक रूप से नयी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने को तत्पर रहते हैं ।
   - vi) इनके सरकारी संगठनों, उच्च स्तर के अधिकारियों से सम्बन्ध होते हैं ।
   - vii) इन लोगों के माध्यम से ही क्षेत्र में नयी तकनीकी का प्रसार आसानी से होता है।
2. **शीघ्रग्राही/ Early Adopters (सम्मानीय)-** ये वे व्यक्ति होते हैं, जो किसी नयी तकनीकी जानकारी होने के पश्चात शीघ्र ग्रहण करते हैं लेकिन अग्रग्रही की अपेक्षा ग्रहण करने की गति धीमी होती है अर्थात् ये व्यक्ति नयी तकनीकी को सोच-समझकर प्रयोग में लाते हैं । समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 13.5 प्रतिशत है । ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

i) ये किसी नयी तकनीकी को शीघ्र बहुसंख्यकों की अपेक्षा शीघ्र ग्रहण करते हैं।

ii) ये माध्यम शिक्षित होते हैं।

iii) इनका सामाजिक- आर्थिक स्तर ऊँचा होता है।

iv) ये व्यक्ति भी सामाजिक व सरकारी संगठनों की गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्थानीय प्रसार कार्यकर्ताओं अथवा कृषि वैज्ञानिकों से इनका सम्बन्ध अच्छा होता है।

v) इनमे लोगों के व्यव्हार को बदलने की क्षमता होती है।

vi) ये ग्रामीण स्तरीय नेता होते हैं।

vii) पड़ोस के लोग इनसे व्यक्तिगत कार्यों में सलाह लेते हैं।

viii) ये व्यक्ति भी पत्र- पत्रिकाओं एवं अन्य संचार माध्यमों का प्रयोग जरते हैं।

3. **शीघ्र बहुसंख्यक/ Early Majority (सतर्क)-** ये वे व्यक्ति होते हैं जो नयी अग्रग्राहियों तथा शीघ्रग्राहियों (Innovators and Early Adopters) के क्रियाकलापों को देखते रहते हैं। उनके परिणाम जानते रहते हैं तथा संतुष्ट होने के बाद उसे तुरंत ही अपना लेते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 34 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

   i) ये उम्र, शिक्षा व कृषि अनुभवों में मध्यम स्तर के होते हैं।

   ii) ये कभी-कभी कृषि पत्र-पत्रिकाओं को भी पढ़ते हैं।

   iii) इनका उच्च मध्यम आर्थिक एवं सामाजिक स्तर होता है।

   iv) सरकारी संगठनों की गतिविधियों में कम भाग लेते हैं।

   v) ये व्यक्ति समाज का नेतृत्व तो नहीं करते, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में सक्रीय भाग लेते हैं।

   vi) ये समाज का अनौपचारिक नेतृत्व करते हैं।

   vii) इनकी कृषि सूचनाओं का स्रोत सामान्यत: पड़ौसी व मित्र होते हैं।

4. **विलम्ब बहुसंख्यक/ late Majority (संशयी)-** ये वे व्यक्ति होते हैं जो नयी तकनीकी एवं विचार को काफी विलम्ब से अपनाते हैं। ये प्राय: अशिक्षित वाले होते हैं। ये लोग आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 34 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

i) ये व्यक्ति कम शिक्षित एवं अधिक आयु के होते हैं।

ii) ये सामाजिक संगठनों के सदस्य होते हैं, लेकिन उसकी गतिविधियों में कम भाग लेते हैं।

iii) ये व्यक्ति कृषि पत्र-पत्रिकाओं का बहुत कम उपयोग करते हैं।

iv) इनकी आय कम होती है, फार्म आकार भी छोटा होता है।

v) जोखिम सहने की क्षमता कम होती है।

5. **अन्तिम ग्राही/ laggards or last Adopters (परंपरागत)-** ये वह व्यक्ति है, जो किसी तकनीकी का प्रयोग करने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। ये नयी जानकारी को तब अपनाने का प्रयास करते हैं जब उस खोज का महत्व ही समाप्त होने लगता है। इनका दृढ़ विश्वास अपने द्वारा अपनाये जाने वाली पद्धति में ही होता है। इनके व्यवहार को बदलना बड़ा कठिन है। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 16 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

i) बहुत कम शिक्षित अथवा अशिक्षित होते हैं।

ii) इनका सामाजिक- आर्थिक स्तर बहुत छोटा होता है।

iii) ये रूढ़िवादी होते हैं।

iv) ये दूसरे ग्रामीण नेताओं में विश्वास रखते हैं।

v) ये की नए विचार के प्रति उदासीन रहते हैं।

vi) सूचना के स्रोत इनके सगे- सम्बन्धी होते हैं।

vii) वैज्ञानिक पद्धतियों में इनका विश्वास कम होता है।

viii) इनका जन संचार माध्यमों अथवा कृषि पत्रिकाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

6.5संचार तथा प्रसार प्रक्रिया

संचार का लक्ष्य सूचना देना तथा उस सूचना की समझ एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति दूसरे या समूह तक पहुॅचाना है। इस संचार प्रक्रिया को तीन मूलभूत घटकों मे विभाजित किया गया है। एक प्रेषक जो किसी माध्यम की सहायता से ग्राही या श्रोताओं तक संदेश को प्रसारित करता है। प्रेषक पहले एक विचार विकसित करता है जिससे एक संदेश निर्मित करता है जिसे वह श्रोताओं तक पहुँचाता है जो उसका अर्थ निकालकर समझते हैं। किसी संदेश को विकसित करना संकेतीकरण (Encoding) कहलाता है। संदेश की व्याख्या करना संकेत वाचन (Decoding) कहलाता है।

मानव संचार एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। खेती की आधुनिक तकनीकों की दिशा में किसानों के मूल्यों और दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी संचार प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण है। संचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता किसानों तक जानकारी पहुँचाने में सक्षम होते हैं तथा वह उनकी समस्याएं भी समझ सकते हैं।

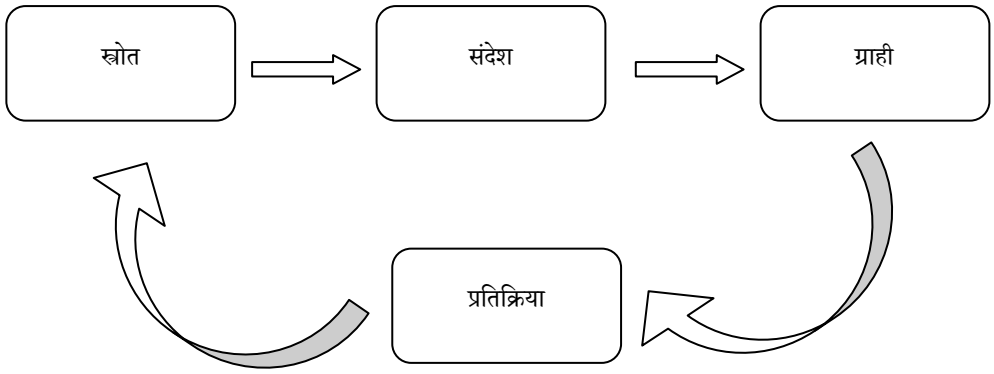

चित्र 6.3 संचार प्रक्रिया

संचार प्रक्रिया के तत्व

- **कम्यूनिकेटर या प्रेषक** : प्रेषक को एन्कोडर या कूट लेखक के रूप मे जाना जाता है, जो सूचना/संदेश भेजता है तथ यह निर्णय भी लेता है कि कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा। यह सब प्रेषक के विभाग में चलता है। प्रेषक खुद से ही सवाल पूछता है कि मै किन शब्दों का प्रयोग करूँगा ? किन संकेतों या चित्रों का प्रयोग करूँगा।
- **संदेश :** यह सभी तकनीकी जानकारी सामग्री है जो प्रेषक विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित करता है और श्रोताओं को भेजता है।
- **माध्यम :** माध्यम वह है जो चुने हुए संदेश का श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। संचार माध्यम एक माध्यम है जिसके द्वार किसी संदेश या सूचना का प्रसार प्रेषक से एक या अधिक ग्राही या श्रोताओं तक किया जाता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन,इंटरनेट, रेडियों, फिल्मशो तथा प्रदर्शन आदि।
- **संदेश का वर्णन** : यह संदेश व्यक्त करने मे या व्यक्त करने के लिए आवश्यक तकनीक या तरीके या प्रदर्शन से सम्बन्धित है। यही एक तरीका है जिसमे संदेश में आवश्यक परिवर्तन कर

उसे श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संदेश या सूचना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।

- **श्रोता/ग्राही :** श्रोता भावी उत्तरदायी होते हैं अर्थात किसान जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभान्वित होते हैं। श्रोता/ग्राही या संकेतवाचक संदेश का अर्थ निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राही प्रेषक को प्रतिक्रिया देने के लिए भी जिम्मेदार होता है। एक शब्द मे कहें तो किसी भी संदेश की व्याख्या करना ही उसका मुख्य कार्य है।

फीडबैक या प्रतिक्रिया : यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही निर्धारित करता है कि संकेतवाचक या ग्राही को वांछित अर्थ समझ आया या नहीं और यह भी कि संचार प्रक्रिया सफल हुई या नहीं।

6.6अभिग्रहण प्रक्रिया

- ❖ नये विचारों को अपनाने से पूर्व एक व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं से मानसिक रूप से गुजरता है। इसी मानसिक प्रक्रिया को अभिग्रहणप्रक्रिया कहते हैं।
- ❖ अभिग्रहणप्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विशेष किसी नवीन ज्ञान की प्रथम जानकारी से लेकर उस ज्ञान की ग्राह्यता के निर्णय तक गुजरता है । (Adoption process is the mental process through which an individual passes from the first knowledge of an innovation to a decision to adopt).

- S.V. Supe

वास्तव में अंगीकरण/ अभिग्रहण एक ऐसा निर्णय है जो एक नवाचार के पूर्ण प्रयोग तक संलग्न रहता है।

6.7नवाचार का प्रसार

नवाचार का प्रसार तब होता है जब एक विचार किसी समाज में पारस्परिक संचार का उपयोग करके फैलता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दक्षिण कोरिया में वर्ष 1968 में मिलता है। इस समय के दौरान वहां जन्मदर बहुत अधिक थी जिसे नियंत्रित करने के लिए गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। महिलाओं को जन्म नियंत्रण विधियों और सूचना तथा अनुभवों को साझा करने हेतु एक मंच पर एकत्रित करने के लिए महिला क्लब बनाए गए। रोजर्स और उनके सहयोगियों ने सन् 1973 तक मामले का अध्ययन किया। उन्होंने कई अलग-अलग गांवों में महिलाओं का साक्षात्कार लिया। उन्होंने पाया कि गाँव के नेताओं ने सबसे पहले मीडिया से और परिवार नियोजन

कार्यकर्ताओं से जन्म नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की थी; फिर इसे गाँव के बाकी हिस्सों में प्रसारित कर दिया। रोजर्स ने पाया कि सबसे अच्छी सफलता वाले गांव वे थे जहां नेता ने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से बात की थी, और फिर महिला क्लबों ने भी इस पर चर्चा की। इस प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है।

नवाचार का प्रसार बहुत सरल लगता है किन्तु इसकी प्रक्रिया वास्तव में काफी जटिल है। नवाचार को अपनाने की दर और परिवर्तन एजेंट जैसे सभी कारक इस अद्भुत सिद्धांत को बनाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।

"प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के बीच समय के साथ कुछ चैनलों के माध्यम से एक नवीनता का संचार किया जाता है।

यह एक विशेष प्रकार का संचार है, जिसमें संदेश नए विचारों से संबंधित हैं। इस वाक्य में चार मुख्य तत्व हैं जो नवाचारों का प्रसार करते हैं। ये तत्व **नवाचार, संचार चैनल, समय और सामाजिक प्रणाली हैं।** आइये अब इन सभी तत्वों को विस्तार से पढ़ें;

I. नवाचार

"यह एक विचार, अभ्यास या वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी नए विचार के रूप में अपनाया जाता है।

नवाचार की विशेषताएं

सभी नवाचारों में कुछ विशेषताएं होती हैं। जो निम्नवत हैं:

1. **सापेक्ष लाभ :** पहली विशेषता जो सभी नवाचारों से संबंधित है, सापेक्ष लाभ कहलाती है। यह वह डिग्री है जिसमें एक नवाचार को पूर्व के विचार से बेहतर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि नवाचार पुराने विचार की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है तो वह उसे अपना लेता है अत: जितना अधिक कथित लाभ, होगा उस नवाचार को अपनाने की दर भी उतनी ही अधिक होगी।
2. **संगतता :** एक नवाचार की अगली विशेषता संगतता है। यह वह डिग्री है जिसमें एक नवाचार को मौजूदा मूल्यों, पिछले अनुभवों और संभावित अपनाने वालों की जरूरतों के अनुरूप होने के रूप में माना जाता है। एक विचार जो एक सामाजिक प्रणाली के मूल्यों और मानदंडों के साथ संगत नहीं है, उसे एक नवाचार के रूप में तेजी से नहीं लिया जाएगा जो संगत है। एक ऐसे

विचार के लिए जिसे अपनाया जाना संगत नहीं है, एक नए मूल्य प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। यह धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है।

3. **जटिलता :**नवाचार की एक और विशेषता जटिलता है।यह इस बात को दर्शाता है की किसी एक नवाचार को समझना और उपयोग करना कितना मुश्किल है। जितना अधिक जटिल विचार होता है, उसे अपनाने में उतना ही अधिक समय लगता है। "नए विचार जो समझने में सरल हैं, वे उन नवाचारों की तुलना में अधिक तेजी से अपनाए जाते हैं, जिन्हें अपनाने के लिए नए कौशल और समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है।
4. **परीक्षण क्षमता :** नवाचार की चौथी विशेषता परीक्षण क्षमता है। यह वह डिग्री है जिस पर एक विचार को सीमित आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। "एक ऐसा नवाचार जो परीक्षण योग्य है, यह उस व्यक्तिकी अनिश्चितता को कम करता है जो इसे अपनाने के लिए विचार कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार के नवाचार में करके सीखने की संभावना है।
5. **अवलोकनशीलता :** नवाचारों की अंतिम विशेषता अवलोकनशीलता है। यह वह डिग्री है जिसमें किसी विचार के परिणाम दिखाई देते हैं। लोगों के लिए एक नवाचार के परिणामों को देखना जितना आसान होगा, वे उतनी ही तेजी से उस विचार को अपनाते हैं। परिणाम देखने में सक्षम होना चर्चा को बढाता है और व्यक्तियों के बीच अधिक चर्चा तेजी से विचार का प्रसार करती है। सापेक्ष लाभ, अनुकूलता, जटिलता, परीक्षणशीलता और अवलोकनशीलता एक नवीन विचार का निर्माण करते हैं।

II. संचार माध्यम

नवाचारों के प्रसार का अगला मुख्य तत्व संचार माध्यम हैं। यह एक रास्ता है जिसके द्वारा कोई सन्देश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलता है। संचार माध्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार के व्यक्ति से संवाद किया जाना है। दो या दो से अधिक व्यक्ति समलिंगी होने पर संचार अधिक प्रभावी होता है, या उनमें कुछ चीजें समान होती हैं जैसे: समान दिलचस्पी का होनाया एक ही पड़ोस में रहना। जब ऐसा होता है तो , "कोई विचार ज्ञान लाभ, दृष्टिकोण निर्माण और परिवर्तनके संदर्भ में अधिक प्रभावी होता है। इसके विपरीत तब होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति विषमलैंगिक हों तथा एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस मामले में संचार बहुत अप्रभावी है।

III. समय

प्रसार प्रक्रिया में समय तीसरा तत्व है। समय दो तरह से प्रसार में शामिल है। पहला, नवाचार-निर्णय प्रक्रिया और दूसरा एक प्रणाली में अपनाने की नवाचार दर है।

इस प्रक्रिया के पांच मुख्य चरण हैं, पहला ज्ञान, फिर अनुनय, अगला निर्णय, कार्यान्वयन और अंत में पुष्टि। नवाचार-निर्णय की अवधि नवाचार-निर्णय प्रक्रिया से गुजरने में लगने वाला समय है। दूसरे तरीके से समय नवाचारों के प्रसार में शामिल है जिसे नवाचार को अपनाने की दर कहा जाता है। यह वह गति है जिसके साथ एक समाज में रहने वाले लोग एक विचार को अपनाते हैं।

IV. समाज अथवा सामाजिक प्रणाली

नवाचार के प्रसार का अंतिम तत्व एक सामाजिक प्रणाली है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कई कारक हैं। एक प्रणाली की सामाजिक और संचार संरचना प्रणाली में नवाचारों के प्रसार को सुगम या बाधित करती है। एक नवाचार के आने पर किसी प्रणाली को निम्न चार कारकों का सामना करना पड़ता है; पहला "मानदंड" है यह एक सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के लिए स्थापित व्यवहार का तरीका है। दूसरा है नेतृत्व क्षमता, यह वह तरीका है जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। तीसरे क्षेत्र को नवाचार-निर्णय कहा जाता है।

6.8नवाचार निर्णय प्रक्रिया

यह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति नवाचार के पहले ज्ञान से गुजरता है और नए विचार के कार्यान्वयन के लिए एक निर्णय के लिए नवाचार के प्रति एक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। ज्ञान- यह तब होता है जब एक व्यक्ति नवाचार के संपर्क में आता है और यह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में कुछ समझ हासिल करता है। यह तीन तरह की होती है

जागरूकता ज्ञान: इसमें एक नवाचार क्या है तथानवाचार का उपयोग करने का क्या लाभ होगा जैसे प्रश्न शामिल हैं।

कैसे करें ज्ञान: इसके अंतर्गत नवाचार का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी आती है। जैसे : इसका सही इस्तेमाल कैसे करें?

सिद्धांत ज्ञान: नवाचार की कार्यप्रणाली को शामिल करना, अर्थात् उसका सैद्धांतिक पहलू।

6.8.1 नवाचार निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण

नवाचार निर्णय प्रक्रिया की पाँच अवस्थाएँ:

1. ज्ञान

2. प्रोत्साहन

3. निर्णय

4. कार्यान्वयन

5. पुष्टि

6.8.2 नवाचार-निर्णय के प्रकार

स्वैच्छिक नवाचार निर्णय : ये ऐसे नवाचार निर्णय हैं जिन्हें अपनाने या अस्वीकार करने का विकल्प है तथा ये समाज के किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए गए हैं।

सामूहिक नवाचार-निर्णय: इस प्रकार के नवाचार निर्णय को अपनाने या अस्वीकार करने का विकल्प होता है जो एक प्रणाली के सदस्यों के बीच आम सहमति से बने हैं।

प्राधिकरण नवाचार-निर्णय: ये एक ऐसे नवाचार को अपनाने या अस्वीकार करने के विकल्प हैं जो एक प्रणाली में अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनके पास शक्ति, पद या तकनीकी अनुभव है।

6.8.3 नवाचार निर्णय के परिणाम

परिणाम एक नवाचार को अपनाने या अस्वीकृति के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या सामाजिक प्रणाली में होने वाले परिवर्तन हैं। ये निम्न प्रकार से हो सकते हैं;

i. **वांछनीय बनाम अवांछनीय परिणाम:** इस बात पर निर्भर करता है कि किसी सामाजिक प्रणाली में एक नवाचार के प्रभाव कार्यात्मक या दुष्क्रियाशील हैं।
ii. **प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष परिणाम:** इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति या सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन एक नवाचार के तत्काल जवाब में होते हैं या एक नवाचार के प्रत्यक्ष परिणामों के दूसरे क्रम के परिणाम के रूप में।
iii. **प्रत्याशित बनाम अप्रत्याशित परिणाम:** इस बात पर निर्भर करता है कि परिवर्तन किसी सामाजिक प्रणाली के सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं।

6.9 अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक

अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक हैं:

6.9.1 व्यक्तिगत कारक (Personal factors) - कुछ व्यक्ति किसी नयी जानकारी/ विचार को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं वहीँ कुछ व्यक्ति शीघ्र ग्रहण नहीं करते ।इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

i) **आयु (Age):** युवा वर्ग के कृषक , अधिक आयु के कृषकों की अपेक्षा, नए विचारों को शीघ्र ग्रहण करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि युवा कृषक में अधिक आयु के कृषकों की अपेक्षा जोखिम सहने की क्षमता अधिक होता हिया तथा युवा कृषक में नूतन कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। (हालांकि कई अध्ययनों के परिणाम आयु व अभिग्रहण के बीच नकारत्मक संबंधों के अस्तित्व का समर्थन नहीं करते।

ii) **शिक्षा (Education):** शिक्षित कृषक, अशिक्षित अथवा कम शिक्षित कृषकों की अपेक्षा नए विचारों को शीघ्र ग्रहण करते हैं।

iii) **मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological factors):** विश्वसनीय सूचना स्रोत नए विचारों को अपनाने में बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं।

मानसिक रूप से लचीले अथवा हरफनमौला स्वाभाव के व्यक्ति नए विचारों को शीघ ग्रहण करते हैं । जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टी से कुठिल स्वाभाव के व्यक्ति नए विचारों को ग्रहण करने से भयभीत रहते हैं।

iv) **सांस्कृतिक कारक (Cultural factors):** मनुष्य के जीवन में सांस्कृतिक कारकों (जीवन मूल्य एवं अभिवृति) का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है ।जिनके जीवन मूल्य उच्च होते हैं वे व्यक्ति सदा परिवर्तनशील कार्य करते हैं । वहीँ दूसरी ओर रूढ़िवादी एवं समाज सा अलग-अलग रहने वाले व्यक्ति अपने पुराने विचारों पर ही चलना पसंद करते हैं, इसलिए अभिग्रहण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

v) **इसके अलावा अन्य करक हैं-** व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति की परिवर्तनशीलता, व्यक्ति की स्मृति इत्यादि।

6.9.2 सामाजिक कारक (Social factors) - व्यक्ति का सामाजिक जीवन स्तर एवं सामाजिक संबंधों का उसके जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है । जिन व्यक्तियों का सामाजिक जीवन उच्च स्तर का होता है, वही सदा परिवर्तनशील व्यतीत करता है।

i. **सामाजिक मूल्य (Social values):** किस सीमा तक परिवर्तनों को ग्रहण किया जाता है यह समूह के मूल्यों और अपेक्षाओं और व्यक्ति के स्वीकार करने की अपेक्षा की सीमा पर निर्भर करता है। जहाँ परम्पराओं और मूल्यों को बनाये रखने पर अधिक ध्यान दिया जाता है वहां नए विचारों को ग्रहण करने की गति धीमी होती है। दूसरी ओर, जहाँ व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत सफलता पर जोर दिया जाता है वहां नए विचार तीव्र गति से ग्रहित होते हैं।

ii. **स्थानीय नेतृत्व (local leadership):** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन एवं नए विचारों के अधिग्रहण को स्थानीय नेता बहुत प्रभावित करते हैं। शिक्षित, युवा नेता सदा नए विचारों

को ग्रहण कर अपने मित्रों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ समाजों की स्थिति ऐसी होती है की जब तक उस समाज का नेता किसी नए विचार/ तकनीकी को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उस समाज का कोई भी व्यक्ति उन विचारों को ग्रहण नहीं करता। इसलिए अधिग्रहण की प्रक्रिया में स्थानीय नेता का सीधा प्रभाव पड़ता है।

iii. **सामाजिक सम्बन्ध (Social contacts):** व्यक्ति के समाज के अंतर्गत तथा समाज के बाहर के सम्बन्ध नए विचारों एवं तकनीकी के अधिग्रहण व विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि व्यक्ति के किसी एक ऐसे क्रियाशील संगठन से सम्बन्ध हैं, जो सदा क्रियाशील रहकर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के व्यवहार, जीवनशैली में परिवर्तन होगा। ऐसी परिस्थिति में नए विचारों एवं तकनीकी का अधिग्रहण एवं विसरण तीव्र गति से होता है। यदि संगठन निष्क्रिय है तो उसका बुरा असर पड़ता है।

6.9.3पारिस्थितिकीय कारक (Ecological/ Situational factors)- नए विचारों के अधिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में निम्नलिखित पारिस्थितिकीय कारकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है:

i) **कार्य की प्रकृति (Nature of practice):**नए विचारों का अधिग्रहण, कार्य की प्रकृति से सीधा सम्बन्ध रखता है। कार्य जटिल है, तो उसे अपनाने में विलम्ब होगा ।यदि कार्य पद्धति सरल है तो उसे आसानी एवं शीघ्रता से अपनाया जायेगा। यदि नए विचारों को अपनाने में अधिक धन की आवश्यकता नहीं है और उसका प्रभाव छोटे पैमाने में परीक्षण करके देखा जा सकता है तो उस विचार को शीघ्र अपना लिया जायेगा।

ii) **फार्म आय (Farm income):** जिन कृषि फार्मों से आय अधिक होती है वहां नयी तकनीकी का अधिग्रहण शीघ्र एवं अधिक होता है।

iii) **फार्म स्थिति (Farm size):** जिन कृषि फार्मों का आकर बड़ा होता है वहां नयी तकनीकी का अधिग्रहण शीघ्र होता है।

iv) **फार्म स्थिति (Farm status):** जिन कृषकों के स्वयं के फार्म होते हैं वे पट्टे पर लिए कृषि फार्मों की अपेक्षा नयी तकनीकी को शीघ्र ग्रहण करते हैं।

v) **फार्म सूचना स्रोत (Source of farm information):** जिन कृषकों के फार्म सूचना स्रोत एक से अधिक होते हैं, ऐसे कृषक नयी तकनीकी का शीघ्र अधिग्रहण करते हैं। एक अध्ययन मैं यह पाया गया है कि जिन कृषकों का फार्म सूचना स्रोत केवल रिश्तेदार, मित्र एवं पड़ौसी होते है, ऐसे कृषक नयी तकनीकी का अधिग्रहण धीमी गति से करते हैं।

vi) **रहन-सहन का स्तर (level of living):** जिन कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा होता है, वे निम्न जीवन स्तर वाले कृषकों की अपेक्षा नयी तकनीकियों का शीघ्र अधिग्रहण करते हैं।

6.10 नवाचार की अभिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका

Dwarakinath (2001) द्वारा नवाचार की अभिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में प्रसार कार्यकर्ता की निम्नलिखित भूमिका का उल्लेख किया गया है।

1. लोगों को संभावित अभिग्रहणकर्ताओं के रूप में सुधार के लिए संपर्क करना और उनके साथ विश्वास और तालमेल का आधार बनाना।
2. लोगों के साथ मिलकर उनकी जरूरतें और समस्याएँ, जिन पर नयी कार्य पद्धति संबद्ध हों की पहचान करना।
3. रुचि रखने वाले लोगों को मूल्यांकन और नयी कार्यपद्धति का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना। (encouraging interested people to evaluate and try the practices).
4. नयी कार्य पद्धति को अपनाने में विश्वास करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करना। (guiding those who are convinced, in adopting the new practices)
5. अन्य संभावित अभिकर्ताओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करना । (spreading the technology through other potential dopters).
6. लोगों को उनके द्वारा अपनाये गए सुधारों की समीक्षा करने में, संतुष्टि प्राप्त करने में और स्वयं में आत्मविश्वास हासिल करने में सहायता करना । (help people to make a review of the improvements adopted and derive satisfaction and gain confidence in themselves).
7. भविष्य में सुधार के लिए नए लक्ष्यों को स्थापित करने में लोगों का समर्थन करना । (support people to set new goals for further improvement).

6.11 सारांश

शिक्षार्थियो प्रस्तुत इकाई में आपने नवाचार व अभिग्रहण के अर्थ को समझा तथा किसी भी नवाचार प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के सम्बन्ध में पढ़ा। आपने नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया को भी समझा तथा इस अभिग्रहण में लगाने वाले समय के आधार पर अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है यह भी जाना। इसके पश्चात आपने संचार तथा प्रसार

प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ा जिसमें संचार प्रक्रिया के तत्वों को भी समझा। शिक्षार्थियो कोई भी नवाचार तभी सफल माना जाता है जब उसका प्रचार एवं प्रसार उचित रूप से हुआ हो अत: इस इकाई में आपने नवाचार के प्रसार से सम्बंधित जानकारी भी प्राप्त की और इकाई के अंत में आपने नवाचार निर्णय प्रक्रिया को बहुत विस्तार से समझा। इस प्रकार से इस इकाई में हमने नवाचार एवं प्रसार से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की।

6.12 पारिभाषिक शब्दावली

नवाचार :"यह एक विचार, अभ्यास या वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी नए विचार के रूप में अपनाया जाता है।

प्रसार : प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के बीच समय के साथ कुछ चैनलों के माध्यम से एक नवीनता का संचार किया जाता है।

6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Havelock, R.G. (1973). *The change agent's guide to innovation in education*. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications,
- Rogers, E.M. (1995). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Rogers, E. M. (2003*). Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Seevers, B., & Graham, D. (2012). *Education through Cooperative Extension*. (3rd ed.). Fayetteville, AR: University of Arkansas Bookstore.
- Clevenger, I. (1991). Can one not Communicate? A conflict of models? Communication studies 42: 355
- Dahama, O. P. and Bhatnagar, O. P. (1987). Education and Communication for development,Second edition Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.
- Dubey, V.K. and Bishnoi, I. (2008). Extension Education and Communication . I Ed. New Age International (P) Limited Publishers., New Delhi.

- FAO, Corporate Document Repository. Produced by Economic and Social Development Department.
- Ibitoye, J. S. and N. E. Mundi (2004) Essentials of Agricultural Extension, Rowis Publishers Ankpa,
- Khandai, H; Yadav, K and Mathur, A. (2011). Extension Education. APH Publishing Corporation, New Delhi-110002, pp-304.
- Kumar, B. and Hansra, B.S. (2000). Extension Education for Human Resource Development. Concept Publishing Company, New Delhi.
- Little, S. P. (1980). Communication in Business, 2nd ed., Longman Group Ltd, London
- Obibuaku, L. O. (1983). Agricultural Extension as a Strategy for Agricultural Transformation, University of Nigeria Press, Nsukka
- Ray, G.L. (2006). Extension Communication and Management. Sixth edition. Kalyani publishers , Rajinder Nagar, Ludhiana.
- Reddy,A.A. (2006). Extension Education. Shree Lakshmi Press Bapatla Guntur Dist. Andra Pradesh.
- Yadla, V.L. and Jasrai, S. (2000). Home Science Reference Book for UGC National Eligibility Test JRF/ Lecturership. Kalyani Publishers, New Delhi.
- **Error! Hyperlink reference not valid.**
- https://www.slideshare.net

6.14 निबंधात्मक प्रश्न

1) नवाचार से आप क्या समझते हैं? किसी नवाचार का प्रसार क्यों आवश्यक है?
2) नवाचार को प्रभावित करने वाले तत्वों को विस्तार पूर्वक लिखिए।
3) अभिग्रहण से आप क्या समझते है? अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले तत्वों को विस्तार पूर्वक लिखिए।

खण्ड 3
प्रसार शिक्षा के उपकरण

इकाई7 : प्रसारशिक्षा,शिक्षणएवंअधिगम

7.1 प्रस्तावना
7.2 उद्देश्य
7.3 शिक्षण एवं अधिगम के चरण एवं सिद्धान्त
7.4 प्रभावशाली प्रसार शिक्षण एवम अधिगम के मापदंड
7.5 प्रसार शिक्षा विधि एवं अभिप्रेरण
7.6 अभिप्रेरण के प्रकार
7.7 प्रसार शिक्षा के चरण
7.8 सारांश
7.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
7.10 पारिभाषिक शब्दावली
7.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची
7.12 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने पढ़ा कि किस प्रकार प्रसार शिक्षा परम्परागत एवं सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थानों के पूर्व निर्धारित एवं औपचारिक पाठयक्रम, से परे युवाओं एवं प्रौढों को प्रदत्त की जाती है। प्रसार शिक्षा के मूल में ग्रामीण विकास की अवधारणा निहित है। प्रसार शिक्षा औपचारिक विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वयं अपने प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करना है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गतप्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा को समेकित किया गया है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता को आवश्यक ज्ञान प्रदान कर उनकी विचार शक्ति को एक वैज्ञानिक दिशा प्रदान करती है। प्रस्तुत इकाई में आप प्रसार शिक्षा की मूलभूत विशेषतायें एवं गुण, प्रसार शिक्षा में शिक्षण एवं अधिगम का स्वरूप, प्रसार शिक्षा विधियों तथा प्रसार शिक्षा में अभिप्रेरणा की महत्ता तथा इनके व्यवहारिक पहलुओं से परिचित होंगे।

7.2 उद्येश्य

बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रसार शिक्षा की भूमिका और भी अधिक प्रबल हो उठी है। आज कृषि, स्वास्थय, पोषण शिक्षा एवं संचार क्षेत्रों में नित नवीन सूचनाओं, तकनीकों एवं नवाचार को आम जनता जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है,तक पहुँचाने का कार्य प्रसार शिक्षा द्वारा ही संभव है।

भारत में यह विडम्बना ही कही जायेगी कि जहाँ एक ओर स्वतन्त्रता के पश्चात, भारतवंशियों ने चिकित्सा, तकनीकी, कला, शिक्षा, खेल इत्यादि क्षेत्रों में एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है वहीं दूसरी ओर भारत अभी भी विश्व के सर्वाधिक कुपोषित, अशिक्षित, निर्धन एवं वंचित जनसमूहों का आश्रय भी है। इसी सामाजिक असमानता को दूर करने में प्रसार शिक्षा का विशेष योगदान है। विगत वर्षों के शोध कार्यों से प्रमाणित होता है कि प्रसार शिक्षा इस असमानता को दूर करने एवं विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध हुयी है। प्रस्तुत इकाई के अध्ध्ययन के बाद आप जान पायेंगे कि प्रसार शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार ,ग्रामीण उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग, अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार तथा अभिवृत्तियों में संर्वधन कर अपने जीवन स्तर को श्रेष्ठतम बनाने में करते हैं।

7.3शिक्षण एवं अधिगम के चरण एवं सिद्धांत

शिक्षण अधिगम विधियों अर्थात नवीन सूचनाओं एवं ज्ञान को दिशा निर्देशित करता है फलतः अधिगम में व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करता है। शिक्षण विधियाँ अधिगम या सीखने के लिये वातावरण तैयार करता है, यहाँ पर वातावरण सृजित करने का अर्थ अवसर प्रदान करने, अधिगम गतिविधियाँ आयोजित करने तथा विषय सामग्री प्रदान करने से है। शिक्षक द्वारा सृजित वातावरण औपचारिक एवं अनऔपचारिक हो सकता है। प्रस्तुत इकाई में हम अनौपचारिक वातावरण के विषय में चर्चा करेंगें। शिक्षणार्थीयों के अधिगम (सीखने) का स्तर शिक्षक द्वारा अपनाई गयी शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है।

शिक्षण विधियों के प्रकार

1. प्रशिक्षु प्रधान विधि: इसके अंतर्गत निम्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

- पुस्तकालय का उपयोग
- प्रयोगशाला का उपयोग
- प्रश्नावली का उपयोग
- सर्वे विधि का उपयोग
- फील्ड यात्रायें
- केस स्टडी / परियोजना विधि

2.**प्रशिक्षक प्रधान विधि**: इसके अंतर्गत निम्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

- व्याख्यान विधि

- परामर्श
- केस स्टडी
- प्रदर्शनविधि परिणाम

3.सहयोग विधि:इसके अंतर्गत निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है।

- इंटर्नशिप
- समूह व्याख्यान
- सेमिनार
- सिम्पोजियम
- पैनल
- प्रश्नोत्तर प्रणाली

4.**कार्यकारी विधि**: इस विधि में निर्देशों के माध्यम से व्यक्ति कौशल विकास किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति की योग्यता को जागृत किया जाता है।

शिक्षण सिद्धान्त

शिक्षण विधियों को अपनाने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें

1.शिक्षक द्वारा पाठयक्रम का उददेश्य विद्यार्थियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये, साथ ही विद्यार्थियों को भी पाठ्यक्रम का समर्थन करना चाहिये । विद्यार्थियों के साथ प्रथम भेंट में ही शिक्षक को प्रयास करना चाहिये कि वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित विषय वस्तु का परिचय छात्रों से करा दे तथा स्वयं विद्यार्थीयों से भी उनकी पाठ्यक्रम के प्रति अपनी अपेक्षायें स्पष्ट कर दे।

2.विद्यार्थीयों को सीखने की उत्सुकता होनी चाहिये।

3.शिक्षक को छात्रों के प्रतिमित्रतापूर्वक एवं अनौपचारिक व्यवहार का प्रर्दशन करना चाहिये।

4.शिक्षक को छात्रों की समस्या का स्वयं निवारण करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

5.वे सभी भौतिक परिस्थितियों जिनमें शिक्षण कार्य संपन्न किया जाना है अनुकूल होनी चाहिये।

6.शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभागिता निश्चित करनी चाहिये तथा संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का उत्तरदायित्व तय करने पर अधिगम प्रक्रिया और अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती है।

7.शिक्षक को छात्र द्वारा उपार्जित अधिगम अनुभव का ठोस एवं सकारात्मक उपयोग करना चाहिये।

8.प्रत्येक कक्षा से पूर्व शिक्षक के पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिये तथा शिक्षण सह सामग्री तैयार रखनी चाहिये एवं छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये।

9.शिक्षक को स्वयं भी शिक्षण कार्य के प्रति उत्साही होना चाहिये।

10.शिक्षक को यथासंभव विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिये।

11.एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिये सर्वप्रथम स्वयं एक उत्सुक विद्यार्थी होना चाहिये तथा समय समय पर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहनी चाहिये।

एक श्रेष्ठ शिक्षक के गुण एवं विशेषतायें

1.एक शिक्षक को पहले स्वयं को एक विद्यार्थी मानना चाहिये तथा अपने विषय में यथासंभव विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये अपने विषय की हर नवीनतम जानकारी से उसे अवगत होना चाहिये।

2.एक शिक्षक तभी सफल हो सकेगा जब उसे अपने कार्य में गहन रूचि हो तथा विद्यार्थियों के सम्मुख अपने प्रत्येक प्रस्तुतीकरण में उसकी यह अभिरूचि परिलक्षित होनी चाहिये।

3.शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से एक प्रकार का जुडाव अनुभव करना चाहिये तभी वह उनकी समस्याओं का निवारण कर पाने में सक्षम हो सकेगा।

4.शिक्षक को प्रत्येक छात्र के लिये निष्पक्ष होना चाहिये।

5.शिक्षक को संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिये।

6.शिक्षक की भाषा विन्रम तथा उच्चारण, भाव, आवाज स्पष्ट होनी चाहिये।

7.शिक्षक को विद्यार्थियों की कार्यक्षमता को उभारने तथा उन्हें सदैव प्रोत्साहित करने पर बल देना चाहिये।

8.प्रसार शिक्षक को आधुनिक शिक्षण विधियों जैसे: स्लाइड प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर आदि का ज्ञान होना चाहिये तथा समय समय पर अपने ज्ञान का संर्वधन करते रहना चाहिये। शिक्षक को अपने कार्यक्षेत्र में एक उत्साही अनुसंधान कर्ता होना चाहिये।

9.शिक्षक को व्यवसायिक योग्यता के विकास हेतु तथा नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु सेमिनार,गोष्ठियों में भाग लेना चाहिये।

शिक्षण विधियाँ:

एक आर्दश वातावारण में शिक्षण विधियाँ वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी/ग्रामीणों के मध्य ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है जिससे प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो जाता है। प्रसार कायकर्ता शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली माध्यम से आरंभ करता है जिससे शिक्षणार्थियों के बीच सीखने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है।

प्रसार कार्यकर्ता निम्न परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है:

- लोगों का अपनी ओर ध्यान आर्कषित करता है और उनमें रूचि उत्पन्न करता है, जिससे वे सीखने को तैयार हो जाते हैं
- सीखने के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं।
- लोगों की सोच एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है।
- ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता का अनुसरण करते हैं।
- किसी नवीन ज्ञान को सीखने के बाद उसके उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त संतुष्टि ग्रामीणों को और अधिक सीखने को प्रेरित करती है।

एक प्रसार शिक्षक को निम्न बातों का ज्ञान होना चाहिये:

1.उसके पास कौन सी शिक्षण विधियाँ उपलब्ध हैं?

2.क्या उसे शिक्षण विधियों के प्रयोग की जानकारी है?

3.यह शिक्षण विधि किन किन के लिये उपयोगी है?

अधिगम के सिद्धान्त

सीखना अथवा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नवीन ज्ञान अथवा अपने वर्तमान ज्ञान में वृद्धि कर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। अधिगम प्रक्रिया शिक्षार्थी के प्रयास अथवा अनुभवों के अभाव में अपूर्ण हैं। अधिगम प्रक्रिया में मनुष्य की समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ - दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद, तथा त्वचा सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इन सभी ज्ञानेन्द्रियों का अधिगम (सीखने की) प्रक्रिया में समान योगदान है।

- यदि किसी शिक्षणार्थी की निवर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि किसी नवीन व्यवहार को अंगीकृत करने से हो तो अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया सहज एवं सुसाध्य मानी जाती है।

- अधिगम बोधगम्य होना चाहिये, विद्यार्थीयों को यह आभास होना चाहिये कि वह इस नवीन आचरण को क्यों अपना रहा है। इस आचरण से उसे क्या लाभ होगा एवं उसके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं।
- दो या दो से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया को सहज एवं सुलभ बना देता है। अतः शिक्षणकर्ता द्वारा शिंक्षण विधि इस प्रकार डिजाईन की जानी चाहिये कि इनमें अधिकाधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग हो सके।अधिगम की दृष्टि से, विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रतिधारण क्षमता निम्नवत् है:

शिक्षण विधियाँ एवं उनकी प्रतिधारण क्षमता

क्रमांक	अधिगम हेतु अनुप्रयोगिक शिक्षण विधि	प्रतिधारण क्षमता (प्रतिशत में)
1.	पढने पर	10
2.	सुनने पर	20
3.	देखने पर	30
4.	सुनने एवंदेखने पर	50
5.	विषय पर चर्चा करने पर	70
6.	करके देखने पर	90

अत: ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि जितनी अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग किया जायेगा, अधिगम क्षमता उतनी ही अधिक विकसित होगी।

- शिक्षणार्थीयों द्वारा सक्रिय प्रतिभाग द्वारा प्राप्त अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है।अतः प्रसार शिक्षक को चाहिये कि वे सक्रिय प्रतिभागिता हेतु कक्षा में लक्ष्य निर्धारित करे।
- अधिगमकर्ता द्वारा सीखे गये व्यवहार की पुनरावृत्ति, प्रतिधारण क्षमता को बढा देता है, अतः यह आवश्यक है कि सीखी गयी अथवा नवीन धारित सूचनाओं का एक निश्चित अन्तराल पर दोहराव किया जाये।
- अधिगम तब और अधिक सुगम हो जाता है जब सिखायी गयी विषय वस्तु वास्तविक जीवन जैसी अथवा उससे मेल खाती हो। दूसरे शब्दों में प्रसार शिक्षक द्वारा सिखायी गतिविधियाँ एवं विषय वस्तु का सीधा संबध शिक्षणार्थी की जीवन की परिस्थितियों से हो, ऐसे में प्रदर्शन विधि, वीडियो, चार्ट पोस्टर, फार्म विजिट इत्यादि विशेषज्ञों से भेंट विशेष उपयोगी है।

- अधिगम तब और अधिक सरल हो जाता है जब शिक्षार्थी नवीन सूचना, ज्ञान ग्रहण करने को तत्पर हो, प्रसार कार्यकर्ता को चाहिये कि वह नवीन ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने से पूर्व शिक्षणार्थीं का उत्साह वर्धन करे।
- शिक्षणार्थी को उनके नवीन व्यवहार एवं ज्ञान की प्रगति संबधी आख्या दी जाये तथा उन्हें इस बात के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये कि वो नयी सूचना को अपनी भाषा में समझकर उन बिन्दुओं को लिखे अथवा मौखिक रूप से अधिग्रहित करे जिनकी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता उन्हें भविष्य में प्रतीत होगी।
- शिक्षक द्वारा दिया गया प्रोत्साहन तथा पुरूस्कार भी अधिगम को सुगम्य तथा एक सुखद अनुभव में परिवर्तित कर देते हैं।
- शिक्षणार्थीयों तथा लाभार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन भीअधिगम को प्रेरित करता है। स्वमूल्यांकन के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं कमियों का विश्लेषण स्वयं निर्भीक होकर कर सकता है।
- प्रसार कार्यकर्ता अथवा प्रसार शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि सभी शिक्षणार्थी की अधिगम क्षमता एक समान नहीं होती है अर्थात अध्ययन / अध्यापन करते समय विषय सामग्री तथा शिक्षण प्रक्रिया विधि में विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- अधिगमकर्ता के उत्तरदायित्वों में वृद्धि,अधिगम में भी वृद्धि करेगी।

अधिगम प्रक्रिया

अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रयासों एवं अनुभवों के माध्यम से अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अतः प्रसार शिक्षक को अपनी कक्षा अर्थात शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षार्थी को ऐसे पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिये जहाँ उसे अधिकाधिक अनुभव प्राप्त हो सके।

अधिगम के नियम

सर्वप्रथम एडवर्ड थोर्नडीक (1932) ने अधिगम के प्रारम्भिक तीन नियम प्रतिपादित किये, ये निम्नवत हैं:

1. तत्परता का नियम

अधिगमकर्ता अर्थात सीखने वाला व्यक्ति किसी भी नवीन ज्ञान एवं सूचना हेतु तभी तत्पर होगा, जब उसे यह आभास होगा कि उसके समस्त उददेश्यों की प्राप्ति इस नवीन ज्ञान द्वारा हो सकेगी।

अतः इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रसार शिक्षक सर्वप्रथम अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं एवं इससे अपेक्षित व्यवहार का विश्लेषण करे तथा इसके अनुसार अपना पाठयक्रम तथा शिक्षण विधियों को तैयार करें। प्रसार शिक्षा प्रदान करते समय प्रसार शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि अधिगमकर्ता इस नवीन ज्ञान, विचार इत्यादि से संतुष्ट है कि नहीं।

2. अभ्यास का नियम

यह नियम अधिगमकर्ता द्वारा किये गये अभ्यास अर्थात पुनरावृति पर बल देता है। नवीन धारित सूचना का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में अधिकाधिक अथवा एक निश्चित अन्तराल बाद अवश्य किया जाना चाहिये। बारम्बार किया गया अभ्यास व्यक्ति की आदत में परिवर्तित हो जाता है जो कि व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक पहल का प्रतीक है।

3. प्रभाव का नियम

अधिगम प्रक्रिया यदि सुखद एवं आनन्द दायक हो तो अधिगमकर्ता नवीन सूचनाओं को शीघ्रता से अधिग्रहीत करता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि अधिगमकर्ता को उसकी व्यक्तिगत चुनौतियों से उपर उठकर नये कौशल सीखने को प्रेरित किया जाये। जहाँ जहाँ उसे कठिनाई हो वहाँ उसकी तुरन्त सहायता की जानी चाहिये। इससे शिक्षार्थी न केवल स्वयं प्रेरित होगा बल्कि अपने समुदाय के अन्य लोगों कों भी सीखने के लिये प्रेरित करेगा।

उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त एक और नियम अधिगम के संबध में प्रचलित है।

4. सम्बन्ध का नियम

अधिगम के संबध मे यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी, सीखी गयी वस्तुओं, नवीन सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण करें। जिसमें शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नवीन धारित सूचनाओं के मध्य संबध (प्रत्यक्षीकरण) निम्नवत स्थापित किया जा सकता है।

- कारण एवं प्रभाव
- ज्ञात एवं अज्ञात
- नवीन एवं प्राचीन
- विशिष्ट सामान्य

संपूर्ण अधिगम के लिये यह आवश्यक है कि सीखी गयी सूचनाओं का शिक्षार्थी से कहीं न कहीं संबध अवश्य होना चाहिये, तभी अधिगम की प्रासंगिकता सिद्ध हो सकेगी।

अधिगम के प्रकार

1. प्रयास एवं त्रुटि

अधिगम एक धीमी एवं सतत रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयास एवं त्रुटि विधि में व्यक्ति बारम्बार अपने प्रयासों एवं अनुभवों से सीखता है, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति का सामना सफलता एवं असफलता दोनों से ही हो सकता है। जहाँ एक ओर सफलता व्यक्ति का आत्मविश्वास बढाती है वहीं दूसरी ओर असफलता समय की कसौटी पर व्यक्ति की योग्यता को निखार कर उसे और अधिक योग्य और सक्षम बनाती है।

2. अवलोकन

अवलोकन अथवा निरीक्षण को अधिगम की सहज एवं सरल विधि कहा जा सकता है। किसी भी प्राप्त नवीन सूचना को मात्र सैद्धान्तिक रूप से ही प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति को अधिगम की प्राप्ति नहीं होती है। प्रसार कार्यकर्ता यदि एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखायी जाने वाली विषय वस्तु का साक्षात अवलोकन लाभार्थी को करा दे तो अधिगम सरल हो जाता है।

3. अन्तःकरण

अधिगम अथवा सीख के विषय में कहा गया है यदि आप सीखने के इच्छुक नहीं हैं तो आप को कोई सिखा नहीं सकता और यदि आप सीखने के प्रति दृढ संकल्पित हैं तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सीखने की इच्छा आपके अन्तःकरण में होनी चाहिये तभी आप सच्चे अर्थों में सीख पायेगें।

4. अनुसरण

अनुसरण एक नैर्सगिक प्रक्रिया है, हम सभी जाने अनजाने अपने आस पास के परिवेश में उपस्थित व्यकितयों तथा घटनाओं से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, इसे ही अनुसरण कहा जाता है। अनुसरण का अधिगम में बहुत महत्व है। अनुसरण के प्रकार नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक आर्दश प्रसार कार्यकर्ता सकारात्मक अनुसरण उदाहरण के लिये अपने क्षेत्र में विशिष्टता एवं उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अनुसरण कर सीखने को ग्रामीणों को प्रेरित करता है।

अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को निम्न कारक प्रभावित करते हैं:

1.सीखने का प्रयोजन

2.सीखने की क्षमता

3. आकांक्षा का स्तर

4.सीखने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति

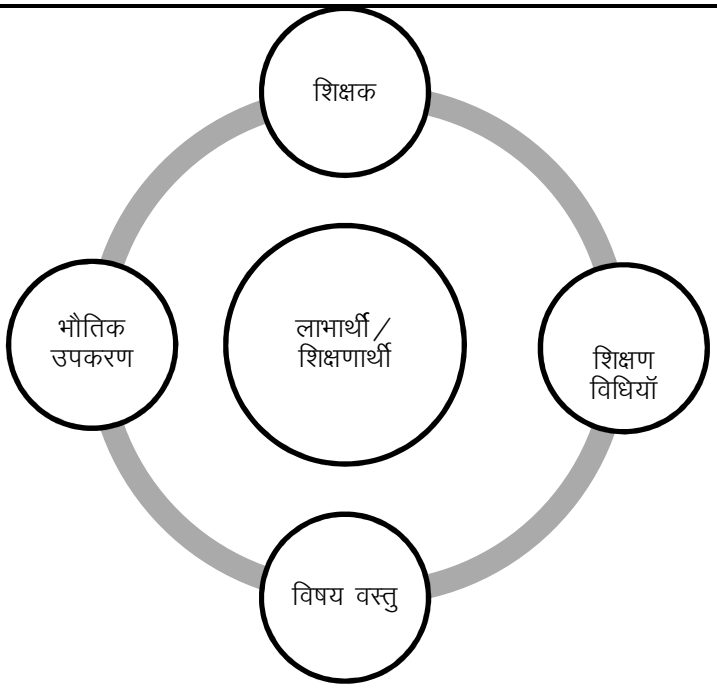

चित्र 7.1: अधिगम के घटक

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) शिक्षक को स्वयं भी .....के प्रति उत्साही होना चाहिये।
b) एक प्रसार कार्यकर्ता लोगों की .....एवं .....में परिवर्तन लाने का कार्य करता है
c) .....वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नवीन ज्ञान अथवा अपने वर्तमान ज्ञान में वृद्धि कर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है।
d) सर्वप्रथम .....ने अधिगम के प्रारम्भिक तीन नियम प्रतिपादित किये।

7.4प्रभावशालीशिक्षणएवंएवंअधिगमकेमापदंड

शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिये आवश्यक है, विशेषकर वह वर्ग जो गरीबी, सांस्कृतिक, पारम्परिक, सामाजिक तथा भाषायी भिन्नताओं के कारणवश समाज की मुख्यधारा से जुड नहीं पाया है तथा शिक्षा तक अपनी पहुँच नहीं बना सका है। ग्रामीण परिवेश में एक प्रसार शिक्षक को प्रायः ऐसे वर्ग से सामना करना ही पड़ता है ऐसे में शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावशाली बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। एक प्रभावशाली शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्न बिन्दुओं का होना आवश्यक है।

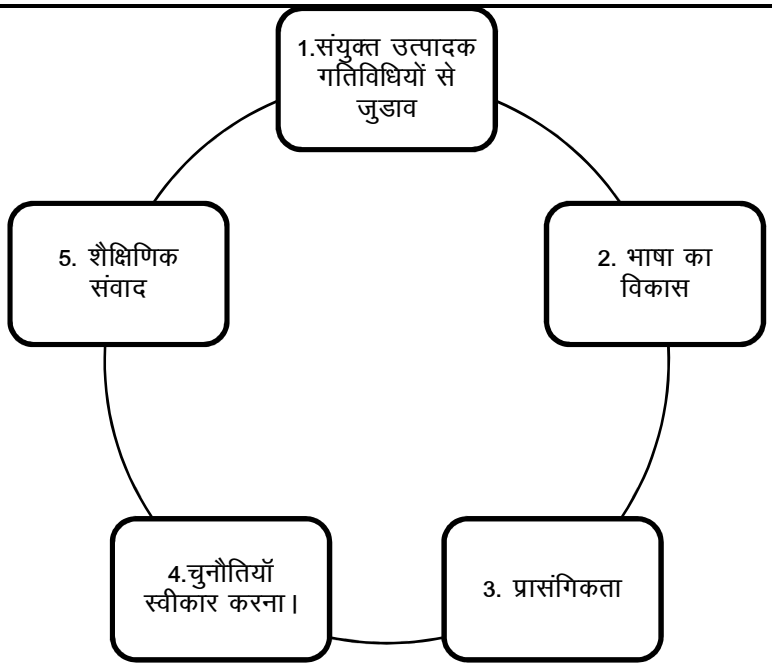

चित्र 7.2: प्रभावशाली शिक्षण एवं एवं अधिगम के मापदंड

1. संयुक्त उत्पादक -परिणाम उन्मुख गतिविधियों से जुड़ाव

शोध अध्ययनों के अनुसार यदि किसी एक समान लक्ष्य के लिये विषय विशेषज्ञ तथा नवीन शिक्षणार्थी द्वारा मिलजुल कर प्रयास किया जाता है तो इस स्थिति में सर्वाधिक अधिगम प्राप्त किया जा सकता है दूसरे शब्दों में यह सीखने की आर्दश स्थिति है । संयुक्त गतिविधियाँ परिणाम उन्मुख होती हैं तथा इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक के साथ जो संवाद उत्पन्न होता है उससे नवीन धारित ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में मूर्त रूप मिलता है। संयुक्त गतिविधियाँ उन परिस्थितियों में विशेष रूप से सहायक हैं जहाँ शिक्षणकर्ता तथा अधिगमकर्ता की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारम्परिक पृष्ठभूमि में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है।

शिक्षण तथा अधिगम में संयुक्त उत्पादक -परिणाम उन्मुख गतिविधियों से जुडाव के सूचकः

- शिक्षक द्वारा ऐसी गतिविधियों को डिजाईन करना जो विद्यार्थीयों की प्रतिभागिता के अभाव में पूर्ण न हो सके।
- शिक्षक गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु समय तथा संयुक्त परिणाम उन्मुख गतिधियों से उत्पन्न मांगों को पूर्ण करता है।

- शिक्षक कक्षा में आसन व्यवस्था को इस प्रकार तैयार करता है कि कक्षा में विद्यार्थी व्यकितगत तथा सामूहिक रूप में सुविधापूर्वक संप्रेक्षण कर सकें।
- शिक्षक द्वारा स्वयं भी उन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया जा सके।
- शिक्षक द्वारा यह आवश्यक है कि परस्पर आपसी संवाद को बढाने के लिये कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के असमांग समूह को (विद्यार्थियों की भावना को आहत किये बिना) कई उपसमूहों जैसे मित्रता, अकादमिक योग्यता, भाषा, रूचि, प्रोजेक्ट के आधार पर विभक्त करें।
- शिक्षक विद्यार्थियों को मिलजुल कर उन्हें विभिन्न छोटे- बडे समूहों में कार्य करना सिखायें।
- शिक्षक तथा विद्यार्थियों दोनो के लिये तकनीकी संसाधनों तक पहुँच सुगम बनायी जानी चाहिये ताकि शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त संसाधनों का समयान्तर्गत तथा संयुक्त रूप में प्रयोग किया जा सके।
- शिक्षक द्वारा विद्यार्थीयों के मध्य सहयोग की भावना का अनुवीक्षण एवं सर्मथन सकारात्मक रूप में किया जाना चाहिये।

2. भाषा विकास

किसी भी शैक्षिणिक एवं प्रसार गतिविधि का प्रमुख उददेश्य उपलब्ध पाठयक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी की भाषायी क्षमता का विकास करना है। प्रसार केन्द्र की सफलता एक विशिष्ट सीमा तक इस पर निर्भर करती है क्यों कि ज्ञान, वैचारिक शक्ति, तार्किक शक्ति भाषायी विकास के अभाव में संभव नहीं है। चाहे वह प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली सामाजिक भाषा हो या औपचारिक अथवा विषयगत भाषा, शिक्षक तथा अधिगमकर्ता की सफलता का आधार है,जो प्रश्न पूछने, उत्तर देने तथा तर्क शक्ति के रूप में परिलक्षित होता है। कक्षा में फलदायी संवादो तथा विद्यार्थियों को पढने-लिखने की अच्छी आदतों को विकसित कर, शिक्षक अधिगमकर्ता के भाषायी ज्ञान का अवलोकन कर उसे उचित मार्गदर्शन दे सकता है।

शिक्षण अधिगम में भाषायी विकास के सूचकः

i. शिक्षक को विद्यार्थी के मध्य होने वाली वार्ता को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिये।
ii. विद्यार्थी के मध्य संवाद का प्रतिउत्तर एवं सकारात्मक फीडबैक अवश्य देना चाहिये तथा संवाद के मध्य ही भाषागत संसोधन तथा शब्दावली संर्वधन हेतु उचित दिशा निर्देशन दिया जाना चाहिये।
iii. विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक भाषा के विकास को उदाहरणों, प्रश्नों, संसोधनों तथा प्रसंशा इत्यादि के माध्यम से बढावा देना चाहिये।

iv. प्रसन्नचित्त वातावरण में दृष्टि सम्पर्क, फोकस समूह इत्यादि के माध्यम से शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित किये जाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये।

v. एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को संवाद के पर्याप्त अवसर दिये जाने चाहिये।

vi. विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा तथा शैक्षणिक भाषा दोनों के विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

3. प्रासंगिकता

यदि शिक्षक द्वारा पढाये गये विषय का विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों मे व्यवहारिक अनुप्रयोग करता है तो इससे पढायी गयी विषय वस्तु की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। सामान्यतया विद्यालयों, प्रसार संस्थानों द्वारा प्रमुख रूप से सिद्धान्तों एवं विचारों को सारगर्भित रूप में सिखाया जाता है , प्रासंगिकता वह माध्यम है जिससे विद्यार्थी इन सिद्धान्तों एवं विचारों को अपने निर्वतमान ज्ञान से जोड़ता है तथा कक्षा के भीतर सीखी गयी सूचनाओं को बाहरी वातावरण के साथ समायोजित करता है।

शिक्षण अधिगम में भाषायी विकास के सूचक

i. कक्षा में गतिविधियों का आरम्भ उन विषयों से करना चाहिये, जिनसे विद्यार्थी अपनी घरेलू, सामुदायिक तथा विद्यालयी परिस्थितियों के संदर्भ में परिचित हो। इससे विद्यार्थी, शिक्षक तथा उनके द्वारा सिखाये गयी विषय वस्तु से एक संबध अनुभव कर सके।

ii. शिक्षणार्थी के समुदाय एवं स्थानीय मानदंडो के अनुरूप गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिये।

iii. शिक्षणार्थीयों, अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों से बातचीत तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं दस्तावेजों को समुदाय के मध्य पढकर समझाना तथा स्थानीय मानदंडों संबधी सूचनायें एवं ज्ञान प्राप्त करना।

iv. सामुदायिक अधिगम गतिविधियों को शिक्षणार्थी के साथ संयुक्त रूप से संचालित करना।

v. कक्षा तथा संबधित शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षणार्थी के परिवार माता पिता एवं अन्य सदस्यों को भी प्रतिभाग के अवसर प्रदान करना।

vi. शैक्षणिक गतिविधियों को विद्यार्थीयों की अभिरूचि के अनुसार विविधतायुक्त एवं रूचिपूर्ण बनाना।

4. चुनौतिया स्वीकार करना

साधारण परिस्थितियों में तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन कर लेता है परन्तु विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार असफलताओं को अपनी प्रेरणा एवं नवीन अवसर के रूप में लिया जाये यह जानना (विशेषकर ग्रामीण समुदाय के लिये जो विकास की मुख्यधारा से जुड नहीं पाया है) अति आवश्यक है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों के लिये तैयार करती है।

चुनौतियाँ स्वीकार करने की क्षमता विकसित करना

i. शिक्षक को छात्रों के कार्य प्रर्दशन को बेहतर बनाने के लिये प्रत्येक बार चुनौतीपूर्ण मानक प्रस्तुत करने चाहिये।
ii. शैक्षणिक गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करना कि विद्यार्थियों का समस्या को समझने का स्तर बढ जाये।
iii. पिछली उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों को इससे एक स्तर आगे की नयी चुनौतियों को समझने एवं स्वीकार करने में सहायता प्रदान करनी चाहिये।
iv. विद्यार्थीयों को स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष मूल्यांकन प्रदान करना चाहिये।

5. शैक्षणिक संवाद

सोचने विचार करने की क्षमता, निर्माण करने की क्षमता तथा अभिव्यकित एवं विचारों का आदान प्रदान संवाद द्वारा ही संभव है। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर रूप में अथवा विचारों के आदान प्रदान के रूप में परिलक्षित होते हैं। आर्दश परिस्थितियों में शिक्षक विद्यार्थी को भली भांति सुनता है एवं शिक्षणार्थीयों द्वारा दिये गये उत्तर का अनुमान लगाकर अन्य विद्यार्थियों के मध्य इस उत्तर का समायोजन करता है। शिक्षण एवं अधिगम में संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिधारण क्षमता तथा शिक्षण के प्रति उनका पहलू भी ज्ञात होता है।

शैक्षणिक संवाद परिलक्षित होता है जब;

i. शिक्षक कक्षा को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के छोटे से समूह के मध्य नियमित एवं बारम्बार संप्रेक्षण हो सके।
ii. विद्यार्थियों के साथ स्पष्ट एवं निर्देशित संवाद के लिये शिक्षक के पास एक निर्धारित लक्ष्य होता है।
iii. शैक्षणिक संवाद में किसी भी समय विद्यार्थीयों की प्रतिभागिता शिक्षक की प्रतिभागिता से संख्यात्मक रूप से अधिक होती है।
iv. लिखित संदर्भों तथा संबधित संसाधनों के प्रयोग से विद्यार्थियों के विचारों, निर्णयों एवं तर्कों को सर्मथन दिया जाता है।
v. शैक्षणिक संवाद में कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का आवश्यकीय रूप से का सहभाग होता है।

vi. शिक्षक विद्यार्थीयों के समझ के स्तर को समझने के लिये विद्यार्थी की हर बात को ध्यानपूर्वक सुनता है।

vii. प्रश्नों, तर्कों, प्रशंसा तथा प्रोत्साहन के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढावा देना तथा उन्हें इस प्रकार तैयार करना कि उनके व्यकितत्व में संवाद क्षमता परिलक्षित हो।

7.5प्रसारशिक्षाविधिएवंअभिप्रेरण

प्रसार शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वैछिक शिक्षण सिद्धान्त का पालन करती है। स्वयं की सहायता हेतु स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करने के निमित कोई व्यक्ति तभी जिज्ञासु या प्रयत्नशील होता है, जब कोई प्रेरक शक्ति उसे प्रभावित करती है। वास्तव में मनुष्य की समस्त क्रियायें अभिप्रेरण द्वारा ही संचालित होती हैं। अभिप्रेरणा, आवश्यकता, अन्रतनाद तथा प्रोत्साहन जैसे तत्वों से प्रभावित होती है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्वचेतन को जगाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरण कहा जाता है। अभिप्रेरण से तात्पर्य एक इच्छाशक्ति अथवा कई इच्छाशक्तियों के संयोग से है जो कि उददे्श्य की प्राप्ति हेतु कार्य करती हैं। अभिप्रेरणा सदैव लक्ष्य प्रधान होती है एवं इसकी प्रवृति व्यक्ति के व्यवहार को संतुष्टि प्रदान करती है। आवश्यकतायें अभिप्रेरणा के लिये आधार का निर्माण करती हैं। जैविक आवश्यकतायें, इच्छायें, भावनायें, संवेग, संवेदनायें, सामाजिक अभिप्रेरक तथा मानव स्वभाव व आदतें अभिप्रेरणा को जगाने वाली आवश्यकतायें कही जा सकती हैं।

प्रसार एवं अभिप्रेरण

किसी भी प्रसार कार्य की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि स्वयं प्रसार कार्यकर्ता एवं ग्रामीण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रेरित हों। स्वतन्त्रता पूर्व भारत में इस प्रकार के विकास कार्यो का अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर पाने का कारण प्रसार कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों में उत्साह एवं प्रेरणा का अभाव होना पाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये एक शोध अध्ध्यन में कृषकों के मध्य अभिप्रेरण के निम्न प्रतिमान प्रदर्शित हुये उनमें प्रमुख हैं - कृषकों के बच्चों के लिये बेहतर भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा,खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करना, नवीन विचारों एवं अभियानों का अन्वेषण, व्यक्ति विशेष की योग्यताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर स्वउपलब्धि प्राप्त करना, ऋण मुक्ति, गाँव में सर्वोत्तम कृषक बनकर सम्मान प्राप्त करना, वृद्धजनों की सुरक्षा, समुदाय के भीतर स्वंय का पुष्टिकरण कर संबद्धता प्राप्त करना, समुदाय के भीतर शक्ति ग्रहण करना।

ग्रामीण एवं अभिप्रेरण

प्रसार कार्यों में प्रोत्साहन एवं इसका ग्रामीणों के अभिप्रेरण पर पड़ने वाले प्रभाव की यदि चर्चा करें तो आप पायेंगे कि प्रसार कार्यों में पारितोष किसी वस्तु, धनराशि, प्रतीक चिन्ह, सम्मान, स्वीकृति

के रूप में दिया जा सकता है। इस प्रकार का प्रोत्साहन ग्रामीणों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं दोनों को समान प्रकार से प्रेरित करते हैं। प्रसार कार्यक्रमों में पारितोष का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये;

i. पारितोष केवल ग्रामीणों के प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना चाहिये।
ii. प्रतिद्वन्दियों की योग्यता, आयु, प्रशिक्षण, अनुभव इत्यादि में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिये। अन्यथा पारितोष विवरण न्यायोचित नहीं होगा।
iii. पुरूस्कार का प्रयोग शिक्षणार्थीयों की उन्नति हेतु होना चाहिये तथा यह अधिगम अनुभव के प्रतिफल के रूप में होना चाहिये।
iv. पुरूस्कार प्रदान किये जाने के मानक सुनियोजित, सुप्रचारित एवं समस्त प्रतिभागियों द्वारा भली भांति समझ लिये जाने चाहिये।
v. पुरूस्कार का स्वरूप व्यक्तिगत संसाधनों से निर्मित होना चाहिये ना कि भौतिक संसाधनों से। पुरूस्कार इस प्रकार प्ररदान किया जाना चाहिये कि यह व्यक्ति में पुनः उपलब्धि, सहयोग एवं नेतृत्व की भावना का संचार कर सके।
vi. केवल प्रतिभागियों या इसके समूह के द्वारा किये गये प्रयासों, उपलब्धियों को पुरूस्कार प्रदान किया जाना चाहिये। पुरूस्कार व्यवस्था तब अप्रभावी समझी जाती है, जब इसमें किसी बाहरी समूह द्वारा किसी कार्य विशेष के लिये सहायता प्रदान की गयी हो।
vii. यथासंभव पुरूस्कार समूहों में प्रदान किये जाने चाहिये ताकि आपसी प्रतिद्वंदिता, अंह, बैर के स्थान पर सहयोग एवं सद्भावना विकसित हो सके।
viii. समर्थ एवं निश्पक्ष निर्णायकों द्वारा पुरूस्कार की पात्रता निर्धारित की जानी चाहिये, तथा इसका आधार व्यक्ति अथवा समूह को भविष्य में पुनः प्रोत्साहन, अभिप्रेरण प्रदान करने वाले घटक के रूप में होना चाहिये।
ix. समूह में सभी को पुरूस्कार प्राप्त किये जाने के संबध में अभिप्रेरित किया जाना चाहिये, एक ही व्यक्ति द्वारा अधिकाधिक पुरूस्कार प्राप्त किया जाना व्यक्तिगत उन्नति का प्रतीक तो है परन्तु सामाजिक उन्नति का नहीं।
x. जहाँ तक संभव हो पुरूस्कार उद्घोषणा के उपरान्त समय पर ही वितरित कर देना चाहिये।
xi. पुरूस्कार वितरण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा करवाना चाहिये जिसने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये हों, इससे पुरूस्कार प्राप्त करने वाले एवं अन्य प्रतिभागियों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी।
xii. पुरूस्कार वितरण व्यवस्था का भी समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार इसे अद्यत्न और परिवर्तित किया जाना चाहिये।

7.6अभिप्रेरणकेप्रकार

अभिप्रेरण मनुष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आर्थिक सामाजिक व परिस्थितिजन्य कारणों से अवसरों से वंचित समूहों जिनको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, का मनोबल बढाया जाना अति आवश्यक है। ताकि वो अपने समस्त संकोच त्यागकर अनऔपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सके, यहाँ पर व्यक्ति को एक प्रेरक शक्ति की आवश्यकता पढती है जो किसी न किसी रूप एवं प्रकार में उसे कार्य करनें की प्रेरणा देती है। अभिप्रेरकों को निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है।

जन्मजात अभिप्रेरक

जन्मजात अभिप्रेरक जन्म से ही उपस्थित रहते हैं। इसका संबध आनुवांशिकी तथा जन्मपूर्ण वातावरण से है। मनुष्य का स्वभाव, इच्छायें, प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व एक विशेष सीमा तक इस प्रकार के अभिप्रेरकों से निर्धारित होती हैं। जन्मजात अभिप्रेरकों का अधिगम में विशेष योगदान है।

उपार्जित अभिप्रेरक

जैसा कि पूर्व में वर्णित है, जन्मपूर्व वातावरण तथा आनुवांशिकी जन्मजात अभिप्रेरकों के लिये उत्तरदायी है वहीं जन्म पश्चात वातावरण जिसमें परिवार, विद्यालय, समाज, संबधित व्यक्तियों का प्रभाव सम्मिलित है व्यक्ति द्वारा उपार्जित अभिप्रेरकों से प्रत्यक्ष रूप से संबधित होते हैं। उपार्जित अभिप्रेरकों को पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1.व्यक्तिगतः जिसमें व्यक्ति की रूचियाँ, आदतें, व्यवहार, क्रिया-प्रतिक्रिया, दृष्टिकोण इत्यादि सम्मिलित हैं।

2.सामाजिकः इस प्रकार के अभिप्रेरकों में सामुदायिकता, समाजीकरण, स्वाग्रह, समूह के प्रति वफादारी, अनुशासन जैसे अभिप्रेरक सम्मिलित है। समुदायों, विशेषकर ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा इन अभिप्रेरक तत्वों से संबधित होती है, अतः इनका अपना एक विशेष महत्व है।

प्रसार कार्यकर्ता को अभिप्रेरण तत्वों का यदि पूर्वाभास हो तो उसके लिये प्रसार शिक्षण सहज हो जाता है। अभिप्रेरण कई बार असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को संभव कर दता है। व्यक्ति की मौलिक रचनात्मकता एवं योग्यता को निखारने में भी अभिप्रेरण तत्वों का विशेष योगदान है।

7.7प्रसारशिक्षाकेचरण

प्रसार शिक्षा के चरणों को AIDCKASE के रूप में जाना जाता है।

चित्र7.3 प्रसार शिक्षा के चरण

1. **A...ttention**	ध्यानाकर्षण
2. **I...ntersest**	अभिरूचि
3. **D...esire**	आकांक्षा
4. **C...onviction**	विश्वास
5. **K...nowledge**	ज्ञान
6. **A..ction**	क्रिया
7. **S...atisfaction**	संतुष्टि
8. **E...valuation**	मूल्यॉकन

- **ध्यानाकर्षण**: यह प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है, किसी भी नवीन सूचना (तकनीक) के संबध में अभियोजित समूह का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिये - मनरेगा, डायरेक्ट कैश अन्तरण इत्यादि के संबध में आधार कार्ड की उपयोगिता इस योजना से ग्रामीण तभी जुडेंगे,जब उनकी अभिरूचि एवं आकाँक्षायें इस ओर होंगी। किसी नवीन सूचना का प्रतिफल अथवा परिणाम ग्रामीणों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है।

- **अभिरूचि**: अभिरूचि या रूचि जागृत होना प्रसार शिक्षा का द्वितीय चरण है। जब किसी व्यक्ति को यह आभास हो जाये कि नवीन तकनीक अथवा सूचना उसके लाभ की है तथा यह उसके ज्ञान, कौशल एवं सन्तुष्टि में वृद्धि करेगी तो वह व्यक्ति उसके बारे में उत्सुकता से जानने को तत्पर हो जाता है। इस प्रकार से उसमें स्वतः ही रूचि उत्पन्न हो जाती है। प्रसार कार्यकर्ता के लिये यह एक सुनहरा अवसर है जब वह उस विषय वस्तु के विषय में पूर्ण रूप से शिक्षणार्थी को बता सकता है।

- **आकांक्षा:** यह प्रसार शिक्षा का तीसरा एवं अति महत्वपूर्ण चरण है। जिसका आशय है कि व्यक्ति अपने सभी पूर्वाग्रहों को त्यागकर परिवर्तन के लिये अभिप्रेरित हो जाये, इस स्तर पर यह आवश्यक है कि व्यक्ति को नवीन सूचना के विषय में खुलकर बताया जाये। प्रर्दशन, फार्म, भेंट, व्यक्तिगत सम्पर्क, विषय संबधी साहित्य अथवा किसी भी प्रकार के उपलब्ध संसाधनों से लक्षित समूहों का परिचय अवश्य कराया जाना चाहिये।अभिरूचि का आकांक्षा में परिवर्तन एक प्रकार से प्रसार शिक्षक की आधी सफलता मानी जा सकती है क्यों कि आकांक्षा एक आन्तरिक प्रेरक शक्ति है।
- **विश्वास**: यह प्रसार शिक्षा की वह महत्वपूर्ण अवस्था है जब प्रसार कार्यकर्ता प्रबल प्रोत्साहन द्वारा ग्रामीणों में उन्हीं की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नई तकनीक विचार अथवा कार्यपद्धति की उपयोगिता के विषय में ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करता है। इसी अवस्था में ग्रामीण नये विचार से संबधित आवश्यक ज्ञान एवं पर्याप्त सूचना प्राप्त कर चुके होते हैं साथ ही उन्हें यह भी अनुभव हो जाता है कि नवीन विचार एवं तकनीक किस प्रकार कार्य करेगी एवं उसके क्या क्या संभावित लाभ एवं अनुप्रयोग हैं। कार्य क्षेत्र जहाँ पर वास्तविक कार्य हो रहा हो उदाहरण के लिये कृषि के संबध में उन्नत बीज, जैविक खाद इत्यादि का अनुप्रयोग एवं इस संबध में विशेषज्ञों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क, आवश्यक एवं मूलभूत प्रशिक्षण इस स्तर के आवश्यक बिन्दु है।
- **ज्ञान**: किसी भी नवीन विषय के प्रति विश्वास व्यक्ति का प्रोत्साहित करता है कि व्यक्ति उस विषय के प्रति अधिकाधिक सूचना प्राप्त करे। सूचना एवं नवीन जानकारी के लिये ग्रामीण एक विशिष्ट सीमा तक प्रसार कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह वह समय है जब प्रसार कार्यकर्ता का दायित्व बढ जाता है। प्रसार कार्यकर्ता इस समय अधिकाधिक जानकारी (ज्ञान) संबधित व्यक्तियों को प्रदान करता है ताकि वे कार्य सम्पादन में जुट जायें।
- **क्रिया**: प्रसार शिक्षा के इस चरण का सीधा संबध शिक्षण एवं अधिगम के दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग से है। कोई भी शोध कार्य, परियोजना, कार्यक्रम तभी सफल है जब लक्षित व्यक्ति उसे अपने व्यवहार में लाता है, ऐसा इस चरण के द्वारा ही संभव है। जैसा कि पहले इंगित किया गया है प्रसार शिक्षा का स्वरूप अनऔपचारिक एवं व्यवहारिक है, व्यवहारिक शिक्षण की लक्ष्यपूर्ति तभी होती है जब इसमें बताई गई बातों को क्रियात्मकता मिले। जब प्रसार शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नवीन जानकारियों एवं सूचनाओं का ग्रामीण जनता अनुसरण करती है तभी प्रसार कार्यक्रम सफल माना जाता है।
- **संतुष्टि**: प्रसार शिक्षण द्वारा दीर्घकालीन परिवर्तन हेतु आवश्यक है कि ग्रामीणों केा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो तथा उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके। वांछित लक्ष्य का तात्पर्य व्यक्ति की

आवश्यकता पूर्ति, समस्या का निदान, कार्य क्षमता में वृद्धि इत्यादि सम्मिलित हैं जिनकी पूर्ति होने पर व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है।

- **मूल्यांकन:** अन्य सभी शिक्षण विधियों की भांति प्रसार शिक्षा में भी मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षणार्थी दोनों के लिये ही लाभप्रद है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी कमियों को जानकर, सकारात्मक रूप से स्वयं में दीर्घकालीन सुधार ला सकता है। साथ ही मूल्यांकन यह भी बताता है कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं? मूल्यांकन एक विशलेषणात्मक अध्धयन है।

प्रसार शिक्षा प्रदान करते समय ग्रामीणों का बौद्धिक - शैक्षिक स्तर, उनकी सामाजिक स्थिति, प्रसार माध्यमों की उपलब्धता, यातायात सुविधा जैसे बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे के..... हैं।
b) मनुष्य की समस्त क्रियायें ..... द्वारा ही संचालित होती हैं।
c) ग्रामीणों का ..... करने के लिए उन्हें पारितोष दिया जा सकता है।
d) प्रसार कार्यक्रम की सफलता ..... दोनों पर समान रूप से निर्भर करती है।

7.8सारांश

प्रसार शब्द का अर्थ हैं फैलाना अथवा प्रसारित करना। सूचना एवं तकनीक के इस युग में नित नवीन विकसित होती हुयी तकनीक एवं इसके लाभ से ग्रामीणों को परिचित कराना, सही अर्थो में प्रसार शिक्षा के कारण ही संभव हो सका है। प्रसार एक कार्यक्रम है क्यों कि इसे एक कार्यक्रम की भांति नियोजित करके चलाया जाता है। भारत में प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों एवं अंचलो केा ध्यान में रखकर डिजाइन की गयी है। भारत गाँवों का देश है, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। इसी भावना के केन्द्र में निहित है प्रसार शिक्षा जिसका प्रमुख उददेश्य ग्रामीणों के मध्य अशिक्षा, अन्धविश्वास, दरिद्रता दूर कर उसके स्थान पर शिक्षा, समृद्धि तार्किकता, आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। प्रसार शिक्षा का उद्भव ग्रामीण विकास के दृष्टिगत ही हुआ है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों में नयी तकनीक, शोध, अनुसंधान, उत्पादन प्रक्रिया को संर्वधित करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सर्वाधिक सुगम एवं सहज माध्यम मे उपलब्ध कराता है। प्रसार प्रक्रिया का कभी अन्त नहीं होता है नदी की धारा की भांति यह अविरल हैं। प्रसार शिक्षा अधिगम की अत्यन्त उपयोगी विधा है जो ज्ञान,सूचना जानकारी, कार्य करने के कौशल /कार्य विधि तथा मनोवृति में

परिवर्तन लाकर मानव व्यवहार को सकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। प्रसार शिक्षा ने ग्रामीणों को स्वयं में कुछ कर दिखाने की प्रतिभा विकसित की है। विगत कुछ वर्षों से जहाँग्रामीण समुदाय पलायन का दंश झेल रहा था वहीं आज प्रसार शिक्षा के प्रभाव से कई शहरी नागरिक रोजगार के बेहतर अवसर सृजन करने तथा ग्रामीण समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये गाँवों की ओर प्रस्थान कर रहें हैं जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिये एक शुभ संकेत है।

7.9पारिभाषिक शब्दावली

- **प्रसार:** प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेनशन का हिन्दी रूपान्तरण है। एक्सटेनशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टैनिसो से मिलकर बना है, एक्स का अर्थ होता है बाहर तथा टैनिसो का अर्थ है फैलाना अथवा प्रसारित या विस्तृत करना। इस प्रकार प्रसार शिक्षा का अर्थ "किसी महत्वपूर्ण सूचना के अधिकाधिक विस्तारण" से माना जा सकता है

- **अभिप्रेरण:** अभिप्रेरण से तात्पर्य एक इच्छाशक्ति अथवा कई इच्छाशक्तियों के संयोग से है जो कि उददे्श्य की प्राप्ति हेतु कार्य करती हैं अभिप्रेरण सदैव लक्ष्य प्रधान होता है।

- **प्रसार शिक्षण**: प्रसार शिक्षा में शिक्षण वह माध्यम है जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के मध्य ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है, जिससे कि ग्रामीण एवं प्रसार कार्यकर्ता के बीच सकारात्मक संचार संभव हो जाता है तथा ग्रामीणों के बीच सीखने की जिज्ञासा प्रबल हो उठती है।

- **अधिगम**: अधिगम (सीखना) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब कोई व्यकित अपने स्वयं के प्रयासों एवं अनुभवों से अपने व्यवहार एवं क्रिया विधि में वांछित एवं सकारात्मक परिवर्तन पाता है।

7.10अभ्यासप्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) शिक्षण कार्य
b) सोच , मनोवृत्ति
c) सीखना अथवा अधिगम

d) एडवर्ड थोर्नडीक (1932)

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) पूरक
b) अभिप्रेरण
c) प्रोत्साहन
d) ग्रामीणों तथा प्रसार कार्यकर्ता

7.11संदर्भग्रन्थसूची

- Education and Communication for Development, Second Edition (2017) Dhama, O.P. and Bhatnagar, O.P. ISBN- 81-204-0030-5, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi.
- Throndike E. (1932), The Fundamental of Learning, AMS Press Inc. ISBN - 0404-06429-9
- प्रसार शिक्षा, डा० वृन्दा सिंह, ISBN- 978-81-7056-570-3 द्वितीय संस्करण,पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- प्रसार शिक्षा, डा० एस० एल० त्रिपाठी, ISBN-978-81-7555-221-0यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- प्रसार विज्ञान डा० श्रीमती सुनीता मिश्रा, ISBN-81-7555-180-1 यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- Center for Research and Education, Diversity and Excellence (CREDE), University of California, www.-bcf.usc.edu.

7.12निबंधात्मकप्रश्न

1. प्रसार शिक्षा के चरणों के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए?
2. प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कीजिए?
3. प्रभावशाली शिक्षण एवं अधिगम हेतु मापदंडों के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए?

इकाई8 :प्रसारशिक्षाकीविधियाँ

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्देश्य
8.3 प्रसार शिक्षा की विधियाँ
8.3.1 प्रसार शिक्षा की विधियों का वर्गीकरण
8.3.1.1 व्यक्तिगत व निजी सम्पर्क विधि
8.3.1.2 समूह सम्पर्क विधि
8.3.1.3 जन सम्पर्क विधि
8.3.2 प्रसार शिक्षा की विधियों का चुनाव
8.3.3 शिक्षण पद्धतियों की सापेक्ष प्रभावशीलता
8.4 सारांश
8.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.6सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8.1प्रस्तावना

विद्यार्थियो पिछली इकाईयों में आप प्रसार शिक्षा, इसकी महत्वता, विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों और हमारे देश में इसकी महत्वता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आपने प्रभावशील संचार की प्रसार कार्यक्रम की सफलता में महत्वता के बारे में भी पिछली इकाई में जाना। आपको आश्चर्य होता होगा की कैसे प्रसार शिक्षा लोगों में ज्ञान, प्रवृत्ति और कौशल का संचार करता है। इस इकाई में हम प्रसार कार्यकर्ता द्वारा समुदाय में संदेश प्रसारित करने हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा करेंगें। यह विधियाँ, प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले बुनियादी उपकरण हैं। आइये अब इन समस्त विधियों के बारे में जाने जिससे हम किसी सूचना को प्रभावी ढंग से व कुशलता पूर्वक संचारितकर सकें।

8.2उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे;

- प्रसार शिक्षा की विधियों को परिभाषित करने में।
- प्रसार कार्यकर्ता के सम्पर्क के आधार पर प्रसार शिक्षा की विधियों का वर्गीकरण।

- उचित प्रसार शिक्षा की विधि का चयन।
- शिक्षण तरीकों की तुलनात्मक प्रभावशीलता की जाँच।

8.3प्रसारशिक्षाकीविधियाँ

प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के ज्ञान व व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सबसे पहले हमें समुदाय के लोगों में अपना संदेश भेजना होगा लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम यह कैसे करेंगे? इस उद्देश्य के लिये हम कई शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा की विधियाँ ऐसे मार्ग हैं जिनके द्वारा समुदाय तक पहुँचकर, उपयुक्त सूचना, कौशल, तरीके या प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान अथवा व्यवहार में इच्छित बदलाव लाने हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं। यह प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले तरीके हैं।

इससेपहले कि हम इन विधियों के बारे में विस्तार से जानें, यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी एक विधि से ज्यादा, इन विधियों के संयोजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकला है कि जब हम एक विधि का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक तिहाई परिवार प्रभावित होते हैं परन्तु जब हम ज्यादा विधियों का इस्तेमाल करते हैं तो दस में से लगभग नौ परिवार प्रभावित होते हैं, इसलिये एक अकेली विधि की अपेक्षा कई विधियों का संयोजन बेहतर होता है।

8.3.1 प्रसार शिक्षा के विधियों का वर्गीकरण

प्रसार शिक्षा में अपनी सूचना प्रसारित करने की कई विधियाँ हैं। अब हम इन सूचनाओं को कुछ वर्गों में विभाजित करेंगे जिससे हम इनको अच्छी तरह समझ सकें। इन्हें वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीके हैं। हम यहाँ सबसे प्रचलित वर्गीकरण की चर्चा करेंगें। इस वर्गीकरण के अनुसार, सभी विधियों को मुख्यत: निजी या व्यक्तिगत विधियों, समूह सम्पर्क विधियों और जन सम्पर्क विधियों में विभाजित किया जा सकता है इस वर्गीकरण को हम चित्र **5.1**द्वारा समझ सकते हैं।

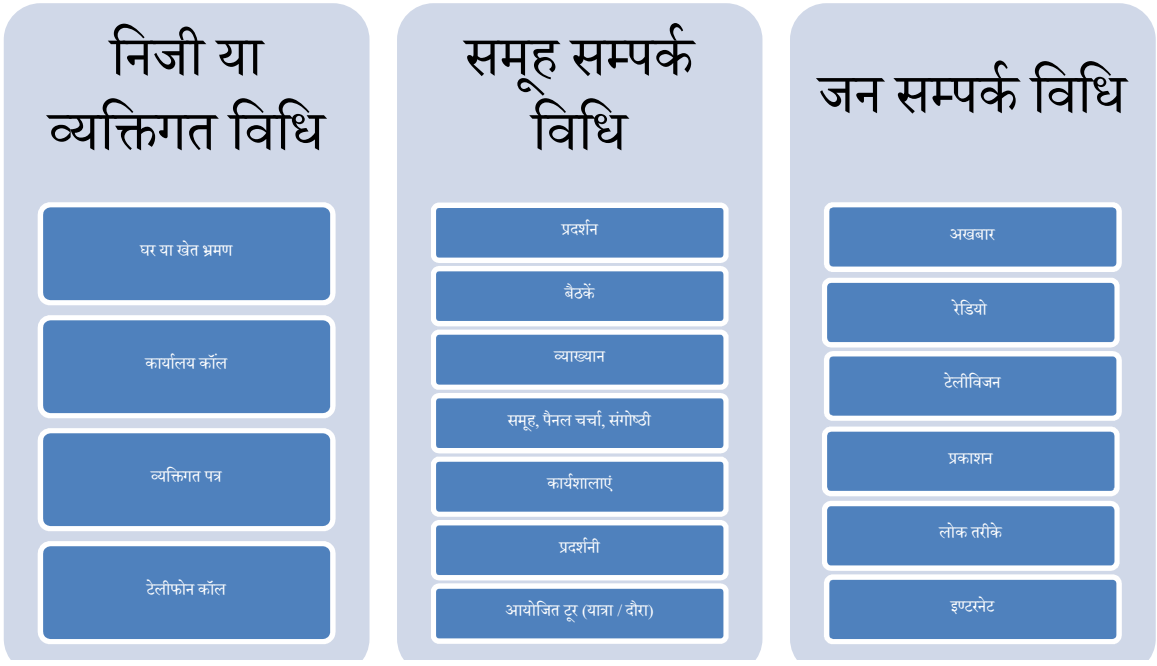

चित्र 8.1 प्रसार शिक्षा विधियों का वर्गीकरण

ऊपर के चित्र द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रसार कार्यकर्ता, समुदाय के लोगों से व्यक्तिगत, समूह में या जन सम्पर्क द्वारा सम्पर्क कर सकता है , हर एक वर्ग में कुछ तरीके हैं, आइये अब इन सबकों विस्तृत रूप में जानें।

8.3.1.1 व्यक्तिगत व निजी सम्पर्क की विधियाँ

हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है अत: निजी और समूह स्तर पर, ज्ञान, कौशल व कार्यों में परिवर्तन आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये जो भी विधि व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को प्रभावित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है उसे व्यक्तिगत या निजी सम्पर्क की विधि कहते हैं। इन विधियों में प्रसार कार्यकर्ता का समुदाय के हर एक व्यक्ति के साथ पारस्परिक व आमने-सामने से सम्पर्क होता है। लोगों में सूचना प्रसारित करने हेतु प्रसार कार्यकर्ता, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति की आवश्यकता, ज्ञान, व्यवहार व प्रवृत्ति के अनुसार सूचना को अनुकूल बनाता है। इन विधियों का उपयोग तब भी किया जाना है जब समुदाय या किसान किसी खास समस्या से जुझ रहा हो या किसी विशिष्ट सूचना हेतु आग्रह करे, इसे अच्छे से समझने हेतु एक उदाहरण को लेते हैं। आपने लोगों को पारम्परिक चुल्हे की जगह बिना धुए वाले चुल्हें के इस्तेमाल के लिये कहना है। इस उद्देश्य के लिये व्यक्तिगत सम्पर्क सबसे बेहतर रहेगा। आप व्यक्तिगत रूप से घरों में जाकर नई तकनीक की

कार्यविधि बता सकते हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्तिगत सम्पर्क की विधि घर या खेत भ्रमण, कार्यलय कॉल, टेलीफोनकॉल, व्यक्तिगत पत्र व परिणाम प्रदर्शन है। अब हम इन विधियों को विस्तृत रूप में जानेगें।

1. घर या खेत भ्रमण

एक प्रसार कार्यकर्ता, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या को जांचने, समस्या का समाधान देने या आम दिन के मामलों पर चर्चा करने हेतु खेतों या घर का व्यक्तिगत भ्रमण करता है। इससे, व्यक्ति अपने वातावरण (माहौल) में सहज महसूस करता है तथा अपने व्यक्तिगत कार्य करते हुए भी चर्चा कर सकता है। कोई बाधा या खलल ना होने और प्रसार कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने के कारण इसमें व्यक्ति बदलाव हेतु अधिक प्रेरित होता है। घर और खेतों का भ्रमण निम्न कारणों से सबसे ज्यादा अनुकूल होता है;

- समुदाय के सदस्यों को जानने हेतु।
- समुदाय के सदस्यों के मध्य मित्रता व विश्वास बनाने हेतु।
- समुदाय के लोगों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं का ज्ञान व उनको समझना।
- लोगों को उन्नत तरीकों, उत्पाद व प्रौद्योगिकी को विकास, और आय व जीवन शैली में बदलाव हेतु प्रेरित करना।
- उन्नत तरीकों के लिये प्रेरित करना व सुझाव देना।
- सुझाये गये तरीकों के परिणामों को देखना व ध्यान देना।
- सामुहिक सम्मेलन व प्रदर्शन व भ्रमण हेतु सहयोग प्राप्त करना।
- स्थानीय युवाओं को नेता के रूप में, उत्प्रेरकों व बदलाव के कारकों की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना व प्रोत्साहित करना।

2. कार्यालय कॉल

प्रसार कार्यकताओं का कार्यालय आमतौर पर समुदाय के निकट होता है।यह कार्यालय ,विकास कार्यक्रमों को लागू करने व क्रियान्वित करने में लोडल बिन्दु (मुख्य बिन्दु) के रूप में कार्य करते हैं यदि प्रसार कार्यकर्ता कार्यस्थल (गॉव) में नहीं तो जब भी लोग चाहे, समुदाय के लोगों के लिये कार्यलय व प्रसार कार्यकर्ता उपस्थित होना चाहिये। समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं को इधर ला सकते हैं। वह , प्रसार कार्यकर्ता के कार्यालय में सुझाव व सूचना के लिये आसकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को उस हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखनीचाहिये जो कि कार्यालय में आता है।प्रसार शिक्षण का यह तरीका निम्न उद्देश्यों केलिये अनुकूल है :

- समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिये।

- एक मुख्य बिन्दु (नोडल बिन्दु) के तौर पर कार्य करना जहाँ सभी उपयोगी व प्रयोगात्मक सूचना उपलब्ध हो।
- समुदाय को नयी तकनीकों, विधियों व विचारों को अपनाने की प्रक्रियाओं में सहायता देना।
- आपातकालीन स्थिति (त्वरित प्रतिक्रिया) में समय से सहायता करना।
- विषय विशेषज्ञों व समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

3. व्यक्तिगत पत्र

व्यक्तिगत पत्र, सूचना देने हेतुआवेदन का उत्तर देने हेतु बैठकों की अनुवर्ती कारवाई आदि के लिये प्रभावशाली रूप में उपयोग में लाया जाता है। कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के दौरान, प्रसार कार्यकर्ता, व्यक्तिगत पत्रों के द्वारा समुदाय के लोगों से व्यक्तिगत सम्बन्ध रखता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत घर और कृषि भ्रमण के तरीके की जगह भी ले सकते हैं और देख-रेख के रूप में कार्य कर सकते हैं।

यह संचार के जल्दी व सस्ते साधन हैं और फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर अपनापन रखते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर समुदाय के सदस्यों को महावता दिखाते हैं , हॉलाकि, यह उस स्थिति में उपयोग में नहीं ला सकते जब समुदाय के लोग अशिक्षित हो, इसलिये इनका उपयोग अधिक शिक्षित देशों में सिमित हैं लेकिन मगर समुदाय के लोग लिख वपढ सकते हैं तो निम्न उद्देश्यों की वजह से यह उपयुक्त है।

- व्यक्तिगत सवाल, सलाह या अनुरोध के जवाब देने के लिये।
- घर या खेत भ्रमण के एक अनुवर्ती के रूप में।
- सामूहिक बैठक के पश्चात, विशिष्ट, विस्तृत लिखित सूचना देने के लिये।
- स्वयंसेवकों, स्थानीय नेताओं या समुदाय के सदस्यों को विशेष निर्देश देने हेतु।

4. टेलीफोन कॉल

अगर लोगों के पास इसकी उपलब्धता हो तो कार्यालय कॉल व व्यक्तिगत पत्रों की जगह टेलीफोन कॉल का उपयोग कर सकते हैं। आजकल कई लोगों के पास अपना व्यक्तिगत फोन का कनेक्शन है। कई दूर के इलाकों के सामुदायिक केन्द्रों में टेलीफोन होता है इसलिये लोग, प्रसार कार्यकर्ता को फोन कर उनसे सलाह व सूचना ले सकते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता फोन के द्वारा भी व्यक्तिगत भ्रमण को कर सकता है। टेलीफोन समय व यात्रा में होने वाले खर्चे को कम करता है। यह तरीका तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब समुदाय के लोग अशिक्षित हों। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी कमी है यह कि सभी व्यक्तियों के पास टेलीफोन कनेक्शन या इसकी पहुँच हो यह आवश्यक नहीं है।

अभ्यास प्रश्न1

1. प्रसार कार्यकर्ता को विभिन्न शिक्षण तरीकों के बारे में जानना क्यों आवश्यक है ?
2. प्रसार शिक्षण तरीकों के सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण को बतायें ?
3. व्यक्तिगत शिक्षण के तरीकेक्या हैं ?
4. समुदाय में मित्रता करने के लिये प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले किसी एक व्यक्तिगत सम्पर्क तरीके का नाम बताइये व व्याख्या कीजिये ?
5. आजकलबहुत से प्रसार कार्यकताओं के पास टेलीफोन है क्या आपको लगता है कि यह प्रसार शिक्षा में उसकी मदद कर सकता है ? यदि हाँ, तो कैसे ?

8.3.1.2 समूहिक सम्पर्क के तरीके

सामूहिक सम्पर्क के तरीकों की उच्च सफलता दर है, क्योंकि एक ही समुदाय में रहने वाले लोग, सामूहिक निर्णय लेते हैं और समूह के विचारों से आसानी से सहमत हो जाते हैं वे समूह में एक दूसरे से सीखते भी हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता, अपने विचार समूह के सामने प्रस्तुत करने के लिये किसी भी सम्पर्क विधि का उपयोग कर सकता है, समूह के प्रतिभागी (समुदाय के सदस्य) सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और कार्यवाही के लिये सामूहिक निर्णय ले सकते हैं। वे पूरी प्रक्रिया में एक दूसरे की मदद करते हैं और कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हैं। समूह के रूप में वे शक्तिशाली महसूस करते हैं और बदलाव के लिये शक्ति प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ – यदि आपने गाँव की महिलाओं को परिवार का बजट बनाकर पैसा बचाना सिखाना है एवं इसके लिए स्वयं सहायता समूह का निर्माण व माइक्रो क्रेडिट शुरु करना है तो सामूहिक सम्पर्क विधि इस उद्देश्य के लिये सबसे उपयुक्त होगी। आप एक गाँव में जा सकते हैं और स्थानीय महिलाओं से सम्पर्क कर सकते हैं, उनको समूह बनाने के लिये कहें, एक सामूहिक बैठक की व्यवस्था करें और दस लोगों के समूह को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिये प्रेरित करें। आइये अब कुछ सामूहिक सम्पर्क विधियों की विस्तृत में चर्चा करें;

1. प्रदर्शन

प्रदर्शन सबसे पुरानी व सबसे सरल विस्तार शिक्षण पद्धति है। यह बहुत प्रभावी व विश्वसनीय है, जिसके द्वारा किसी भी तकनीक, विधि अथवा परिणाम को सरल व आसान रूप में दिखाया जा सकता है। प्रदर्शन में कोई तकनीक की क्रियाविधि या सम्पूर्ण प्रक्रिया आसानी से दिखाई जा सकती है तथा लोग व्यवहारिक रूप से देख सकते है कि कैसे कोई प्रक्रिया होती है और इसे अपने तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। यह तरीका निम्न उद्देश्यों की वजह से सबसे ज्यादा उपयुक्त है;

- किसी प्रक्रिया या तरीके या क्रियाविधि को प्रभावी रूप से दिखाने के लिये।

- नई तकनीक का काम दिखाने के लिये।
- अलग-अलग (विभिन्न) प्रक्रियाओं के परिणामों की तुलना के लिये।
- खुद से कार्य कर सीखने के लिये।
- किसी तरीके का व्यवहारिक कार्यान्वयन जानने के लिये।

2. बैठकें

बैठकों के कई प्रकार है एक प्रसार कार्यकर्ता एक व्यक्ति के साथ (घर व खेत की व्यक्तिगत भ्रमण के दौरान) या एक समूह के साथ बैठक की व्यवस्था कर सकता है। समूह की बैठकें, समुदाय के सदस्यों के साथ विचार विमर्श हेतुएक प्रभावी तरीके के रूप में इस्तेमाल होती है बैठकों में दोनों ओर से संचार होता है और प्रसार कार्यकर्ता को तत्काल ही लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है।यह तरीका निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जा सकता है;

- सामुदायिक परेशानियों को चिन्हित करने हेतु।
- समुदाय के लिये संकट पैदा कर रहीवर्तमान स्थिति की जाँच करने के लिये।
- सम्भावित समाधान या विभिन्न कार्यवाहियों की चर्चा के लिये।
- लोगों को नवाचारित, व्यवहारिक व उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिये।
- लोगों को सामूहिक कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिये।
- युवा क्लब,गृहणी क्लब, सहकारी समिति आदि समूह बनाने के लिये।
- समूह के लोगों की चर्चा करने , सहमति देने व सामूहिक निर्णय लेने में मदद करना।
- लोगों के मध्य एकता,एकजुटता और 'एकरूपता' की भावना बनाने के लिये।
- कार्यवाही करने की योजना बनाने (योजना बैठक) , विशिष्ट क्रिया विधियाँ, रूचिकर शौक (विशेष रूचि बैठक) या लोगों को शिक्षित करने (प्रशिक्षण बैठकें) के लिये।

3. व्याख्यान

यह सूचना प्रसार करने का उपयोगी व कारगर तरीका है। सामान्यत: यह विधि विषय विशेषज्ञ द्वारा तकनीकी सूचना देने के लिये प्रयोग में लायी जाती है। एक प्रसार कार्यकर्ता एक नई तकनीक के बारे में लोगों को बताने हेतु, व्याख्यान के लिये विशेषज्ञ को बुला सकता है। यह अधिकतर तब प्रयोग होता है जब समूह शिक्षित हो तथा उसे तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो। यह विधि निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग लायी जा सकती है;

- किसी तकनीक, तरीके या विचार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये।
- विस्तृत कार्य जैसे तकनीकी प्रक्रिया दिखाने के लिये।

- वैज्ञानिक पृष्ठ भूमि समझाने या उपकरण की क्रियाविधि बताने हेतु।

4. समूह, पैनल चर्चा, संगोष्ठी

घर या खेत के व्यक्तिगत भ्रमण के पश्चात एक अनौपचारिक समूह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण (सहायक) हो सकती है। विषय विशेषज्ञ से नई तकनीक से सम्बन्धित चर्चा करना महत्वपूर्ण हो सकता है। संगोष्ठी वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों द्वारा की जाने वाली अति विशिष्ट चर्चा है जिसमें सामग्री (विषय) की जटिलता के आधार पर प्रसार कार्यकर्ता इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं

a) अनौपचारिक चर्चा
b) समूह चर्चा
c) पैनल चर्चा या संगोष्टी

इन विधियों का उपयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर सकते हैं;

- घर या खेत के व्यक्तिगत भ्रमण की जाँच करने के लिए।
- तकनीकीयाविशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिये।
- समुदाय की समस्याओं का सीधे वैज्ञानिकों या विषय विशेषज्ञों से समाधान निकलवाने हेतु।
- वैज्ञानिकों को सीधे समुदाय या कार्यक्षेत्र से ऑंकडे इकठ्ठा करने में मदद करने हेतु।
- सूचना प्रसारित करने के लिये या गलत मान्यताओं या प्रथाओं के उन्मूलन हेतु समुदाय को वैज्ञानिक आधार व तथ्य प्रदान करने के लिये।
- कार्य में सुधार के लिये मुख्यत: तकनीकी कौशल के लिये कौशल प्रदान करने हेतु।

5. कार्यशालाएँ

यह कौशल प्रशिक्षण का एक प्रभावी तरीका है। एक प्रसार कार्यकर्ता या तो स्वयं से या विशेषज्ञ की मदद से कार्यशाला का आयोजन कर सकता है। इस विधि में विशेषज्ञ के मार्ग दर्शन में लोगों द्वारा कार्य किया जाता है। कार्यशाला के दौरान, कौशल का प्रदर्शन किया जाता है और समुदाय के सदस्यों को छोटे छोटे समूहों में बॉंटा जाता है। यह समूह स्वयं कार्य करते हैं और इससे सीखते हैं। विशेषज्ञ या प्रसार कार्यकर्ता इसमें लोगों की मदद उनका मार्गदर्शन कर दोबारा से प्रक्रिया दिखाकर या किसी समस्या का समाधान करके करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य एक सरलीकृत करने वाले के रूप में होता है इस शिक्षण के तरीके का प्रयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कर सकते हैं।

- कौशल विकसित करने या और प्रभावी ढंग से काम करने के लिये।
- नई तकनीक की क्रियाविधि/कार्यप्रणाली जानने के लिये और स्वयं इसका आत्मविश्वास के साथ उपयोग करने के लिये।

- विभिन्न प्रक्रियाओं या काम करने के तरीकों की तुलना करने के लिये।
- स्वयं कार्य कर सीखने के लिये।
- किसी तरीके का व्यवहारिक कार्यान्वयन जानने के लिये।

6. प्रदर्शनी

वास्तविक वस्तुएँ, नमूने, मॉडल,चार्ट, पोस्टर आदि प्रदर्शन की वस्तुएँ हैं जिन्हें मुख्यत: लोगों का ध्यान खींचने के लिये प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। समुदाय के लोगों को समूह के माध्यम से एक प्रदर्शनी दिखायी जा सकती है जिससे कि वह नयी योजना, तकनीकी या नये तरीके को अपनाये।प्रदर्शनियाँ कभी समूह सम्पर्क विधि और कभी जन संचार विधि समझी जाती हैं। जब प्रदर्शनी एक समूह को शिक्षित करने के लिये लगाई जाती है तब यह समूह सम्पर्क विधि होती है दूसरी तरफ यदि यह मेले में कई लोगों को शिक्षित करने हेतु लगाई जाती है तो यह जन सम्पर्क विधि होती है। निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस विधि (तरीके) का प्रयोग किया जाता है;

- सूचना को जल्दी व आसान तरीके से प्रदर्शित करने के लिये।
- लोगों की कला व रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिये।
- अच्छे दामों में शिल्प (हस्तनिर्मित) वस्तुओं को बेचने और कारीगरों की अधिक आय के लिये।
- बिलों की सहायता से अशिक्षित लोगों तक प्रभावी ढंग से सूचना पहुँचाने हेतु।
- कल्पना और प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिये। लोगों को कहानी में कहानी के पात्रों से परिचित करने के लिये और एक नयी सोच कहानी के रूप में रखने के लिये। यहकहानी बताने का आसान तरीका है।
- अपने घर व खेतों में लोगों को नया तरीका अपनाने हेतु समझाने के लिये।

7. आयोजित टूर (यात्रा / दौरा)

इस विधि में लोगों को एक शैक्षणिक भ्रमण में ले जाया जा सकता है ताकि वह एक नये तरीके, तकनीक व विधि के परिणाम देख सकें और जिन लोगों ने इन्हें सफलतापूर्वक अपनाया है उनसे सीख सकें। निम्न उद्देश्यों के लिये यह विधि सबसे उपयुक्त है;

- एक नई विधि तथा तकनीक के परिणाम के निरीक्षण हेतु वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला या शोध संस्थानों में किये गये कार्यों का निरीक्षण करने के लिये।
- किसी एक समुदाय के लोगों की वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या ऐसे समुदायों से बातचीत करवाना जिनके रहन सहन या आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है|

- लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु।

आगे बढ़ने से पहले आइये कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें|

अभ्यास प्रश्न 2

1. क्या आपको लगता है कि समूह सम्पर्क के तरीके, एक प्रसार कार्यकर्ता को उसके प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं?
2. लोगों के साथ मिटिंग (बैठक) करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
3. शिक्षा हेतु समूह सम्पर्क के सबसे उपयुक्त तरीके का नाम बताइये?
4. एक प्रसार उद्देश्य बताइये जिसे आप आपने समुदाय के लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं (हस्तशिल्प की वस्तुओं) की प्रदर्शिनी से प्राप्त कर सकते है ?

8.3.1.3जन सम्पर्क के तरीके

जन सम्पर्क के तरीके वे सभी तरीके हैं जिनका उपयोग लोगों की बड़ी संख्या तक किसी जानकारी को पहुँचाने में किया जाता है। आपने प्रसार की पिछली इकाई में जनसम्पर्क के बारे में पढा था। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार इन संचार साधनों का प्रयोग प्रसार कार्यकर्ता द्वारा एक बड़े समुदाय में एक साथ किसी जानकारी कि पहुँचाने के लिये किया जाता है। यह विधियाँ सूचना, समाचार और आपकातकालीन घोषणाओं के प्रसार के लिये सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत बनने वाले कम लागत के शौचालयों की जानकारी गाँव के सभी लोगों तक पहुँचानी है और आप यह जानकारी लोगों तक जल्दी पहुँचाना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए जनसम्पर्क विधि सबसे उपयुक्त होगी। प्रसार कार्यकर्ता निम्न जन सम्पर्क विधियों का प्रयोग कर सकता है।

- **अखबार**

यह लोगों की बडी संख्या के मध्य तेजी से सूचना प्रसारित करने का मूल्यवान व सस्ता तरीका है। यह लोगों की नये विचार में रूचि उत्पन्न करने, सफलता की कहानियों, अनुभव व विधियाँ साझा करने में मददगार होते हैं हालाँकि यह केवल शिक्षित लोगों तक जानकारी पहुँचाने में मदद करता है। एक प्रसार कार्यकर्ता को प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने में भी सक्षम होना चाहिये। लेख अच्छे से लिखे हुए, सरल व सूचना प्रदान करने वाले होने चाहिये। निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह तरीका सबसे उपयुक्त है

- समय पर व जल्दी सूचना प्रसारित करने के लिये।

- सफलता की कहानियाँ साझा करने और लोगों की सफलता/उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिये।
- लोगों के कार्य में सुधार या आय प्राप्ति के लिये आसान तरीके या अनुसरण करने हेतु आसान विचार देना।
- बारिश, बाढ़ या तूफान जैसी आपात स्थिति में लोगों को सतर्क करने के लिये।

- **रेडियो**

यह हमारे देश में व्यापक पहुँच का सबसे सस्ता और लोकप्रिय जन -सम्पर्क का तरीका है। इसके माध्यम से अशिक्षित जनता में भी सूचना का प्रसार आसानी से हो सकता है। एक ही जानकारी का आसानी से कई भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। एक प्रसार कार्यकर्ता एक बार सूचना को रिकार्ड कर , उसे कई बार रेडियो में सुना सकता है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सबसे उपयुक्त है

- बहुत कम खर्च में, अशिक्षित लोगों तक जल्दी और समय से सूचना पहुँचाने के लिये।
- लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सफलता की कहानियाँ साझा करने और लोगों की उपलब्धियों में प्रकाश डालने के लिये।
- कार्य सुधारने और आय उत्पन्न करने के आसान तरीके बताना। यह कार्य सामाजिक / सामुदायिक नेताओं, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा किया जा सकता है।
- एक ही संदेश कई बार दोहराने के प्रसारण के लिये।
- लोगों को बारिश, बाढ़, तूफान जैसी आपातकालीन स्थिति में सतर्क करने के लिये।

- **टेलीविजन**

जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है कि गतिशील चित्रों का ध्वनि के साथ मिलना, संदेश को संचारित करने का प्रभावशाली तरीका है। यही टेलीविजन को अन्य जनसम्पर्क के तरीकों से श्रेष्ठ बनाता है। हालाँकि सभी लोगों के पास टेलीविजन की उपलब्धता नहीं होती। यह प्रसार कार्यक्रम उद्देश्यों की पूर्ति में टेलीविजन की एक कमी है। टेलीविजन का उपयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकता है;

- बडी संख्या में लोगों को एक ही अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिये।
- बडी संख्या में लोगों के लिये विशेषज्ञों द्वारा दिये गये व्याख्यान व चर्चा को रिकार्ड करना और दोहराना।

- लोगों को प्रेरित करने के लिये किसी विचार, तरीके या तकनीकी को नेता व हस्तियाँ समर्थन दे सकती हैं।
- स्वच्छता, बालिका शिक्षा, धन की बचत आदि जैसी उपयोगी व प्रभावी प्रथाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना।

- **<u>प्रकाशन</u>**

प्रकाशन में बुलेटिन, पर्चो (पैम्फलेट्स), लीफलैट, फाल्डर, पोस्टर आदि सम्मिलित हैं। यह पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों से संवाद करने का प्रभावी तरीका है। सामान्यत: यह शिक्षण के विभिन्न तरीकों को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयोग होते हैं। इनके द्वारा सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों, विधि व तकनीकी पर एक विस्तृत जानकारी चर्चा, प्रदर्शन और बैठकों के बाद दी जा सकती है।

- दौरों (भ्रमण), प्रदर्शन, प्रदर्शिनियों के दौरान जानकारी के पूरक के रूप में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।
- विवरण और निर्देशों के साथ जानकारी पूरक बनाने के लिये।
- लोगों को कार्यवाही के लिये प्रोत्साहित करने हेतु तथ्यों को समझाना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना या किसी नये विचार को प्रोत्साहित करना ।
- अन्य शिक्षण विधियों को सुदृढ करना और प्रगति के अवसरों में सुधार करना।
- विस्तृत जानकारियों को घर ले जाना और खाली समय में पढना।
- सूचना को दोहराने व आसानी से प्रसार करने के लिये।

- **<u>लोक तरीके</u>**

भारत में लोक मीडिया का प्रयोग बड़े पैमाने पर शिक्षा के लिये किया जाता है।ग्रामीण लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव होता है क्योंकि इन माध्यमों के साथ उनकी खुद की पहचान होती है। कुछ लोकप्रिय लोक तरीके लोक गीत, संगीत और नृत्य , नाटक व रंगमंच, कठपुतली आदि हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता द्वारा इन तरीकों को प्रयोग में लाने के निम्न कारण हैं;

- ग्रामीण लोगों के साथ बातचीत को बढ़ावा देने व सुधार लाने के लिये।
- सूचना व चर्चा के एक पारम्परिक माध्यम के रूप में।

- यह एक पारस्परिक सम्बन्ध बनाता है और कई लोग जो यात्राओं और गानों के साथ जुडे होते हैं उनका सहयोग लिया जाता है। वे आसानी से सूचना को अपनाते हैं और कार्यक्रम के साथ जुडते हैं।
- इस विधि द्वारा व्यक्तिगत व घनिष्ट सम्बन्ध बनते हैं। यह कई संवेदनशील मुद्दों को आसान बनाती है जैसे महिला समानता, बालिका शिक्षा , 18 वर्ष के बाद ही कन्या का विवाह करना आदि।

- **इण्टरनेट**

कई वर्षों से शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये उपग्रह का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इण्टरनेट पिछले कुछ समय से ही लोगों तक पहुँचा है जिससे गाँवों में भी लोग कम्प्यूटर व इण्टरनेट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता लोगों तक नवीनतम शिक्षण जानकारी पहुँचाने के लिये विभिन्न विडियो व प्रस्तुतियों (प्रेजेन्टेशन) को इण्टरनेट द्वारा डाउनलोड कर सकता है। हाल में ही विकसित देशों द्वारा ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे ग्रामीण लोग अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें। एक प्रसार कार्यकर्ता निम्न उद्देश्यों के लिये इण्टरनेट का प्रयोग कर सकता है;

- नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिये।
- अपने समुदाय की ग्रामीण लोक प्रथाओं की सफलता को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिये।
- समुदाय की मदद के लिये विस्तृत और उन्नत तरीकों को खोजने के लिये।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न 1. प्रसारकार्यकर्ता को जन सम्पर्क के तरीकों की क्यों आवश्यकता होती है?

प्रश्न 2. प्रसार शिक्षा में कैसे इण्टरनेट, प्रसार कार्यकर्ता की मदद कर सकता है?

8.3.2 प्रसार शिक्षा की विधियों का चयन

एक प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा प्रसार की विधियों के संयोजन के चयन करने की सलाह दी जाती है इसलिये यह जानना उसके लिये बहुत आवश्यक है कि कैसे सबसे उपयुक्त संयोजन का उपयोग करें। ऐसा करने से पूर्व ध्यान देने योग्य कुछ बिन्दु निम्न हैं;

1) उपलब्ध तरीकों के विभिन्न प्रकार।
2) हर तरीके के फायदे व नुकसान।
3) यह जानना कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किन व्यक्तिगत, सामूहिक या जन सम्पर्क विधियों का संयोजन हो सकता है।

4) प्रसार कार्यक्रम के प्रकार व अवधि।
5) सूचना के अनुसार उपयुक्त तरीका।
6) तरीका इस्तेमाल करने के लिये उपलब्ध कौशल।
7) लक्षित समूह या लोगों की आयु , लिंग,शिक्षण स्तर , संस्कृति आदि के आधार पर पहचान।
8) स्थानीय परिस्थितियाँ व रिवाज जैसे – बुवाई या फसल कटाई का मौसम, मौसम की स्थिति की पहचान।
9) तरीके या विधि के प्रयोग के लिये वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता।

इसे समझने के लिये एक उदाहरण लेते हैं।राधा एक प्रसार कार्यकर्ता है उसे लोगों को खाना बनाने के लिये सौर कुकर के इस्तेमाल हेतु प्रेरित करने के लिये उचित तरीके का इस्तेमाल करना है। सर्वप्रथम वह हर एक प्रसार तरीके के उपयोग, लाभ व कमियों को जानने के बाद वह लक्षित समूह के बारे में उनकी प्रथाओं, खाने पीने की आदतों, स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसने व्यक्तिगत सम्पर्क तरीके (घर भ्रमण), सामूहिक सम्पर्क तरीका (उत्पाद प्रदर्शन व समूह चर्चा) और जन संचार विधि (लीफलैट, रेडियों, टेलीवीजन) कुल छ: विधियों का चयन किया। घर के भ्रमण के दौरान उसने हर एक परिवार को ईधन बचाने, धुएँ से होने वाली बीमारीयों से बचने और पैसे बचाने के लिये सौर कुकर के इस्तेमाल के लिये प्रेरित किया। हर एक परिवार में उसने एक लीफलैट छोडा जिसमें सौर कुकर की क्रियाप्रणाली व लाभ लिखे थे ।20 परिवारों के समूह को सौर कुकर की क्रियाप्रणाली दिखाने के लिये समय और जगह का चयन भी उसे करना होगा। कुछ शुरूआती सामूहिक बैठकों में वह समुदाय को सौर कुकर व उसकी क्रियाविधि दिखायेगी। वह सभी समस्याओं का समाधान करेगी। समूह चर्चा में वह लोगों से सौर कुकर से लोगों की उम्मीद व उपयोगिता पर अपने विचार रखने के लिये प्रेरित करेगी। वह उत्पाद से सम्बन्धित रेडियोवार्ता सुनने और टेलीविजन पर कार्यक्रम देखने को कहेगी (अगर उपलब्ध) हो। कार्यक्रम के बाद के चरण में राधा सामुहिक बैठकों का उपयोग कर सकती है ताकि जो परिवार नई तकनीक (सौर कुकर) अपना चुके है या अपनाना चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। उसके बाद वह धर भ्रमण व सामूहिक बैठकों द्वारा नई तकनीक को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम भी लक्षित समूह को प्रेरित करने में उसकी मदद करेंगें। इसलिये हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कई तरीकों का संयोजन समुदाय में प्रसार कार्यकर्ता की सफलता की संभावना को बेहतर बना सकता है।

8.3.3 शिक्षण विधिकी सापेक्ष प्रभावशीलता

हमने प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई विधियों के बारे में अध्ययन किया है। कोई एक विधि या कई विधियों के संयोजन के चयन में हमें प्रसार कार्यके लिये उसकी सापेक्ष प्रभावशीलता को जाँचना चाहिए। शिक्षण विधि की सापेक्ष प्रभावशीलता निम्न बिन्दुओं पर निर्भर करती है;

- **विधि / तरीके का प्रभाव**

इसका अर्थ है किसी विधि द्वारा लोगों में वांछनीय परिवर्तन लाने की सफलता, कुछ संदेश,कुछ तरीकों में अन्य तरीकों की अपेक्षा अच्छे से संचरित होते हैं। उदाहरण के स्वरूप एक लीफलैट, सौलर कुकर की निर्माणविधि, कार्यप्रणाली और तकनीक को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बता सकता है जबकि कुछ सामाजिक प्रथाओं जैसे 18 वर्ष के बाद ही लडकी की शादी करने हेतु लोगों को प्रेरित करने में यह बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकता।

- **प्रयास की आवश्यकता**

किसी विधि में किये गये प्रयास भी उसकी सापेक्ष प्रभावशीलता को बताता है। उदाहरण के लिये एक टेलीविजन कार्यक्रम लोगों को प्रेरित कर सकता है परन्तु इसे तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसके लिये भी उत्पादन हेतु अग्रिम रिकॉर्डिंग की सुविधा की जरूरत हेाती है इसलिये लागत और संसाधनों को पहले से तैयार करने की जरूरत होती है और एक टेलीवीजन कार्यक्रम का उपयोग करने में इससे भी ज्यादा प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए एक प्रसारकार्यकर्ता को यह गणना करनी आवश्यक है कि किसी खास तरीके को इस्तेमाल करने में कितने प्रयास की जरूरत होगी औरवे कितना प्रभावशाली होगा। ऑकलन के बाद वह कुछ तरीकों जैसे प्रदर्शन या बैठकों का पता कर सकता है जिनकी सफलता उनके प्रयोग में किये गये प्रयासों की अपेक्षा अधिक है। यही कारण है कि ऊपर दिये गये कुछ तरीके प्रसार कार्यकताओं के मध्य बहुत लोकप्रिय होते हैं। हॉलाकि प्रसार कार्यकर्ता को कम इस्तेमाल किये गये तरीकों के साथ भी प्रयोग करना चाहिये।आप यह पायेंगे कि समय बदलने के साथ शिक्षण तरीकों की सापेक्ष प्रभावशीलता भी बदलती है।

अभ्यास प्रश्न 4

प्रश्न 1. प्रसार शिक्षा विधियों के चयन में ध्यान रखने वाले आवश्यक हैबिन्दुओं के बारे में लिखिए ?

प्रश्न 2. आप एक शिक्षण के तरीके की सापेक्षप्रभावशीलता कैसे जाँचेंगे व्याख्या कीजिये ?

8.4 सारांश

प्रसार शिक्षा, समुदाय में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिये कई शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करता है। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिये इन तरीकों/ विधियों के बारे में जानना और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह विधियाँ उपयुक्त होगी यह जानना बहुत आवश्यक है। एक प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि वह समुदाय तक कोई जानकारी पहुँचाने के लिए किसी एक विधि के स्थान पर कई विधियों का संयोजन प्रयोग करें। यह तरीके सम्पर्क के आधार पर वर्गीकृत किये गये हैं

जैसे व्यक्तिगत सम्पर्क विधियाँ, सामूहिक सम्पर्क विधियाँ और जन सम्पर्क के तरीके। हर प्रसार कार्यकर्ता को उनमें से ज्यादातर विधियों का उपयोग करने में दक्षता और विशेषज्ञता का विकास करना होगा। अवसर या उद्देश्य के आधार पर वह सफलतापूर्वक वांछनीय परिवर्तन लाने के लिये सबसे उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल कर सकता है।

8.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. प्रसार शिक्षण विधि समुदाय तक पहुँचने और समुदाय के कार्यों में इच्छित बदलाव हेतु सूचना, कौशल, तरीके या तकनीक को सांझा करने के रास्तें हैं। यह प्रसार कार्यकताओं द्वारा, प्रसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले साधन हैं।
2. सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण, प्रसारकर्ता द्वारा समुदाय से सम्पर्क पर आधारित है।इस वर्गीकरण के अनुसार सभी विधियों को व्यक्तिगत सम्पर्क विधि, सामुहिक सम्पर्क विधि और जन सम्पर्क विधियों में वर्गीकृत कियागया है।
3. वे सभी तरीके जिनको व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को प्रभावित करने के लिये उपयोग में लाया जाता है व्यक्तिगत सम्पर्क तरीका या विधि कहलाता है। इन तरीकों में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को आपने सामने वार्ता करने का अवसर मिलता है। एक प्रसार कार्यकर्ता संदेश प्रसारित करने के लिये व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करता है।वह लोगों की आवश्यकताओं,ज्ञान, व्यवहार व दृष्टिकोण के अनुसार संदेश को अनुकूलित बनाता है।
4. बिंदु 8.3.1.1 देखें।
5. हाँ टेलीफोन, प्रसार कार्यकर्ता की उनके कार्य में मदद कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1. बिंदु 8.3.1.2 देखें।
2. बिंदु8.3.1.2 देखें।
3. प्रदर्शन
4. बिंदु8.3.1.2 देखें।

अभ्यास प्रश्न 3

1. प्रसार कार्यकर्ता जनसम्पर्क के तरीकों को सूचना प्रसारित करने, समाचार और आपात की स्थिति में कई लोगों तक पहुँचने के लिये प्रयोग में ला सकते हैं।
2. बिन्दु 8.3.1.3 देखें।

अभ्यास प्रश्न 4

1. 8.3.2से देखें।
2. शिक्षण की सापेक्ष प्रभावशीलता उसको इस्तेमाल करने में किये गये प्रयास और प्रभावशीलता से आंकी जाती है।

8.5 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- घामा , ओ0 पी0 (1997) प्रसार और ग्रामीण विकासराम प्रसाद एण्ड सन्स, भोपाल
- घामा ओ0 पी0 भटनागर, औ0पी0 (1985) विकास हेतु प्रसार एवं प्रचार ओक्सफोड और आई0बी0एच0 प्रकाशन कम्पनी, नई दिल्ली, द्वतीय प्रकाशन
- एटिलेस, जे0एच0औ ड्यूबेंच, जी0ई0(जून2014) परिवार और उपभोक्ता विज्ञान और विविध दुनिया में सहकारी प्रसार जनरल ऑफ एक्सटेशन 52(3). www.joe.org
- श्रीनाथ के0 (20 नवम्बर 2002) प्रसार शिक्षा संकल्पना और द्रृष्टिकोण विनर स्कूल ऑन एडवांस इन हारवेस्ट टेक्नोलॉजी, कोचीन।
- बाबू, एस0 ग्लेन्डनींग, सी0जे0 और ओकीरी के0 ए0 (दिसम्बर 2010) रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इण्डिया आई0 एफ0पी0आर0आई0चर्चा पत्र 01048
- साह, ए0के0 (2002) प्रसारशिक्षा भारतीय युवायोंकी आकांक्षाओं को तीसरे आयाम की जरूरत कमल राज, जरनल ऑफ सोशियल सांइस 6(3):309-214 (2002)

इकाई9 : श्रव्य -दृश्यसामग्री

9.1 प्रस्तावना
9.2उद्देश्य
9.3सामग्री
9.3.1अर्थ
9.3.2वर्गीकरण
9.3.2वर्गीकरण
9.3.2.1 प्रोजेक्शन के आधार पर श्रृव्य-दृश्य सामग्री का वर्गीकरण
9.3.2.2 क्रमिक विकास के आधार पर श्रृव्य -दृश्य सामग्री का वर्गीकरण
9.3.2.3 ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर श्रृव्य-दृश्य का वर्गीकरण
9.3.3 प्रोजेक्टेड तथा गैर-प्रोजेक्टेड सामग्रीका महत्व
9.4सारांश
9.5 पारिभाषिक शब्दावली
9.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.1 प्रस्तावना

सभी शैक्षिक निर्देशन अध्ययन व सीखने की स्थिति में संचार को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास करते हैं जिससे लोगों तक आसानी से जानकारी पहुंचायी जा सके। प्रसार शिक्षण विधियाँ या संचार माध्यम ऐसे उपकरण है जो प्रसार कार्यकर्ता की ग्रामीण लोगों तक विचार व कौशल स्थनान्तरित

करने में सहायता करते हैं। इन उपकरणों को श्रृव्य दृश्य या प्रसार सामग्री कहा जाता है। कई ग्रामीण लोग निरक्षर होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग दर्शकों को देखने, सुनने व सीखने में सक्षम बनाता हैं। तेजी से सीखने, जानने तथायाद रखने के लिये एवं ज्यादा सीखने के लिये इन सामग्रियों का उपयोग हेाता है। प्रशिक्षण सत्रों में रेडियो, टेलीविजन और वीडियों को संयुक्त रूप से दिखाया जा सकता है। इसलिये श्रृव्य-दृश्य सामग्री का उपयोग सूचनाओं को संप्रेषित करनेमें प्रभावशाली होता है।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई के अंत में आप निम्न में सक्षम हो जायेंगे;

- श्रृव्य-दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने में।
- अनुमानित व गैर अनुमानित (अप्रक्षेप) सामग्री में परिचित होने में (प्रक्षेप)।
- प्रसार प्रशिक्षण के लिये रेडियो, टेलीविजन व वीडियों के उपयोग का महत्व समझाने में।

9.3 सामग्री

प्रशिक्षण के दौरान उपयोग होने वाली कोई भी सामग्री, शिक्षार्थियों को सुनने व देखने दोनों ज्ञानेन्द्रियों की भागीदारी के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों तक आसानी से पहुंचने में सहायता करती है। दर्शकों को वास्तविकता पास से दिखाने के लिये श्रृव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है जिससे वे प्रदान की जा रही जानकारी को अच्छे से समझसकें। इस प्रयोजन के लिए हम प्रदर्शन, चित्र , फोटो, ब्लैकबोर्ड, स्लाइड व टेलीविजन का उपयोग करते हैं।

9.3.1अर्थ

श्रृव्य-दृश्य सामग्री शिक्षण उपकरण हैं जिनका उपयोग ध्वनि व दृश्य के माध्यम से संदेशों को अधिक प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुँचाने के लिये किया जाता है। ये सामग्रियाँ, कान व आँख जैसे संवेदी अंगों को उत्तेजित करने में मदद करती हैं और दर्शकों में संदेश की त्वरित समझ पैदा करते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से शिक्षणप्रक्रिया को सुधारने के लिये किया जाता है जिससे संदेश अधिक स्पष्ट रूप से दर्शकों के मध्य प्रकट हो सकें। ओलेटन व ओनाजी (1987) के अनुसार शिक्षणसामग्री वे सामग्रियाँहैं जिनके द्वारा दर्शकों को निर्देशों की कल्पना करनेतथा उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिये ज्ञान, कौशल प्रदान किया जाता है जिससे वो अपने व्यवहार तथा जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

किंडर (2003) के अनुसार निर्देश या शैक्षणिक सामग्री ऐसे उपकरणों के रूप में परिभाषित किये जाते हैं जिनके द्वारा अनुभवों को ज्यादा प्रभावी व गतिशील बनाया जा सकता है।

बार्थ (2005) के अनुसार यह हॉर्डवेयर तथासॉफ्टवेयर, उपकरणों एवं सामग्रियों का व्यवस्थित उपयोग है।आग्यूमिलेड (2005) ने इन्हें उपकरणों के रूप में परिभाषित किया जो हार्डवेयर (उपकरण) व साफ्टवेयर (उपभोग्य सामाग्रियों) को शामिल करता है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकता है। श्रृव्य दृश्य सामग्री (प्रसार सामग्री) शिक्षण/ संचार को और अधिक प्रभावी बनने हेतु प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले निर्देशात्मक उपकरण है। श्रृव्य-दृश्य सामग्री शब्द का उपयोग आमतौर पर गलत किया जाता है। श्रृव्य-दृश्य दो शब्दों का संयोजन है। श्रृव्य जिसे हम सुन सकते हैं एवं दृश्य जिसे हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों का संयोजन भी हो सकता है। सामान्य श्रृव्य सामग्री के अंतर्गत बोले गये शब्द, विभिन्न ध्वनियाँ एवं संगीत आदि आते हैं। जबकि दृश्य सामग्रियों में पोस्टर, चित्र, कार्टून्स, ग्राफिक्स, मानचित्र व त्रिआयामी मांडल आदि आते हैं। जब हम एक गतिशील पिच्चर, प्रोजेक्टर या ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो हम सामग्री पेश करने के साधनों के बारे में बात कर रहे होते हैंसामग्री की नहीं। ये सामग्रियाँ लक्षित समूह या दर्शकों को परिवर्तनों के लिए तथा अधिक से अधिक जानकारी अवशोषित करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सामग्रियाँप्रसार कार्यकर्ता को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, सरल व संक्षेप में प्रस्तुत करने में सहायता करती हैं।श्रृव्य-दृश्य सामग्रियोंको उन स्थानों पर बहुत महत्व दिया जाता है जहाँ पर दर्शक अनपढ़ तथा रूढीवादी होते हैं।

9.3.2वर्गीकरण

शिक्षण सामग्रियों को सीखने के प्रकार, उद्देश्य व कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें या तो अकेले या अन्य सामग्रियों के साथ संयोजित कर उपयोग में लाया जाता है। प्रशिक्षक को श्रृव्य-दृश्य सामग्री के बारे में अवगत होना चाहिए और वे उन्हें उपयोग में लाने में कुशल होने चाहिये।

9.3.2.1 प्रोजेक्शन के आधार पर श्रृव्य-दृश्य सामग्री का वर्गीकरण

शिक्षण सामग्रीयों को दो प्रमुख श्रेणियों के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है: (1) अनुमानित (प्रोजेक्टेड) व (2) गैर अनुमानित शिक्षण सामग्री (गैर अनुमानित शिक्षण सामग्री)

1.प्रोजेक्टेड अनुदेशात्मक सामग्री: ये निर्देशात्मक सामग्री हैं जिन्हें संचालित करने के लिये बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती हैं उदाहरण:ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म, स्ट्रिप प्रोजेक्टर। यदि उपकरण का चयन उपयुक्त हो तथा उन्हें कुशलतापूर्वक प्रयोग में लाया जाए तो ये बहुत प्रभावी होतेहैं।

2.नॉन प्रोजेक्टेड अनुदेशात्मक सामग्री: ये उन अनुदेशात्मक सामाग्रियों को संदर्भित करता है जिन्हें बिना बिजली की सहायता से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें वो सभी सामग्रियाँ आती हैं

जिनके प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है जैसे: फिल्प चार्ट, ग्राफ फ्लैनल बोर्ड, चॉक बोर्ड, चित्र, मॉडल या वास्तविक वस्तुएंआदि।

9.3.2.2 क्रमिक विकास के आधार पर श्रृव्य -दृश्य सामग्री का वर्गीकरण

i. प्रथम पीढ़ी के माध्यम - हस्तनिर्मित चार्ट, ग्राफ, प्रदर्शन, मॉडल, हस्तलिखित सामग्री आदि।
ii. द्वितीय पीढ़ी के माध्यम - मुद्रित पाठ्य, मुद्रित ग्राफिक्स, कार्यपुस्तिका आदि।
iii. तीसरी पीढ़ी के माध्यम - फोटो, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्में, रिकार्डिंग, रेडियो, टेलीलेक्चर आदि।
iv. चौथी पीढ़ी के माध्यम - टेलीविजन, प्रोग्रामिंग निर्देश, भाषा प्रयोगशाला, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, कम्प्यूटर।

9.3.2.3 ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर श्रृव्य-दृश्य का वर्गीकरण

इस वर्गीकरण के अनुसार, सभी शिक्षण सामाग्रियाँ तीन प्रकार की होती हैं;

i. दृश्य सामग्री
ii. श्रृव्य सामग्री
iii. श्रृव्य-दृश्य सामग्री

इन सामग्रियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है;

दृश्य सामग्री एक निर्देशात्मक या संचार उपकरण है जिसमें संदेश देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जाता।श्रृव्य सामग्री एक अनुदेशात्मक उपकरण है जिसमें संदेश सुना जा सकता है परन्तु देखा नहीं जा सकता है। एक श्रृव्य-दृश्य सामग्री एक अनुदेसात्मक/निर्देशात्मक उपकरण हैं जिसमें संदेश सुना और देखा दोनों जा सकता है। श्रृव्य दृश्य सामग्री को तालिका 9.1 में दिखाए गए अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

तालिका 9.1 - श्रृव्य-दृश्य सामग्री का वर्गीरण

श्रृव्य सामग्री	**दृश्य सामग्री**			**श्रृव्य-दृश्य सामग्री**
	नॉन प्रोजेक्ट	**प्रोजेक्ट**	**अन्य**	
1. रेडियो	a. मॉडल नमूना	a. स्लाइड	a. प्रदर्शनी	1. सिनेमा (मोशन पिच्चर)

2. रिकार्डिंग	b. फ्लैनल ग्राफ	b. फिल्म स्ट्रिप	b. प्रदर्शन	2. विडियो
i. टेप	c. फलैश कार्ड	c. मौन चलचित्र या चलित चलचित्र	c. साहित्य	3. टेलीविजन
ii. डिस्क	d. फोटोग्राफ	d. अपारदर्शी प्रोजेक्टर		4. ड्रामा व कठपुतली शो
iii. तार	e. चित्र	e. ओवरहेडप्रोजेक्टर के माध्यम से अनुमानित चित्र		5. लोक गीत व लोकनृत्य
3. सार्वजनिक भाषण व ध्वनि टिप्पणियॉ	f. चार्ट			
4. टेलीफोन	g. पोस्टर			
	h. चॉक बोर्ड			
	i. बुलेटिन बोर्ड			

श्रृव्य-दृश्य सामग्री को एक अन्य तरीके से भी वर्गीकृत किया जा सकता है यह हैप्रदर्शन तथा प्रस्तुति। प्रदर्शन के अंतर्गत वह सामग्रियाँ आती हैं जिनको देखकर दर्शक संदेश प्राप्त करते हैं उदाहरणार्थ : पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल, प्रदर्शनी आदि ।इन्हें चर्चा से पहले ही दर्शकों को दिखा दिया जाता है जिससे उन्हें विषय के सम्बन्ध में पूर्वाभास हो सके। कभी कभी इन्हें चर्चा के साथ भी दिखाया जा सकता है।

प्रस्तुति के अंतर्गत सामग्रीको दर्शकों के समक्ष उसी समय प्रस्तुत किया जाता है जब उस विषय पर चर्चा भी की जा रही होती है जिससे दर्शकों को एक अर्थपूर्ण समझ प्राप्त हो । उदाहरण फलैश कार्ड, चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स आदि।

A. श्रृव्य सामग्री: श्रृव्य (सुनने) की भावना के माध्यम से शिक्षार्क्षियों तक पहुँचने में मदद करने के लिये श्रृव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये शिक्षण सामग्रियाँ, शिक्षार्थियों को सुनने की प्रक्रिया द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करती हैं। इनमें से उदाहरण स्वरूप रेडियो व रिकार्ड प्लेयरहैं जिनमें कृषि विज्ञान सम्बन्धित विषयों पर रेडियो प्रसारण हो सकता है व शैक्षणिक कार्यक्रम रिकार्ड किये जा सकते हैं।

रेडियो: एक शक्तिशाली संचार उपकरण है जो जनसंचार का एक त्वरित माध्यम है।संचार क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के बावजूद, रेडियो अभी भी सबसे व्यापक, सुलभ, सस्ता व लचीला जन सम्पर्क माध्यम है। कई कारणों से ये जनता तक पहुँचने का सबसे मूल्यावान संचार उपकरण हो सकता है। रेडियो कार्यक्रम बहुत तत्कालिक है क्योंकि नई परिस्थितियेां के अनुसार रेडियो कार्यक्रम जल्दी

बदला जा सकता है। इसे कम से कम खर्च एवं समय पर बड़ी से बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाया जा सकता है। उदारहण के तौर पर छोटे व पोर्टेबल रेडियो जो कि ग्रामीण किसानों के लिये काफी सस्ते हैं लगभग हर ग्रामीण व्यक्ति के पास आसानी से देखे जा सकते हैं।कोई भी सूचना इसके द्वारा देश भर में तुरन्त सभी घरों तक पहुंचायी जा सकती है। यह मानव आवाज को ऊर्जा प्रदान करता है तथा साक्षरता सम्बन्धी अवरोधकों को दूर करता है जिनका आमतौर पर प्रिंट मीडिया को सामना करना पड़ता है।रेडियोसंचार का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली व कुछ परिस्थितियों में ग्रामीण लोगों के साथ संचार करने का एकमात्र तरीका है। प्रसार कार्यकर्ता नये तरीकों व तकनीकों के बारे में जानकारी कासंचार करने के लिये रेडियो का प्रयोग करते हैं। फसल कीटों, रोगों, मौसम, बाजार समाचार आदि के बारे में जानकारी संचारित करने के लिये आमतौर पर वार्ता, समूह चर्चा, लोकगीत, संवाद व नाटक का उपयोग किया जाता है जो रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित किये जाते हैं। स्थानीय स्तर पर संगठित प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय समस्याओं व कृषि गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिये रेडियोका सफलप्रयोग करते हैं।

किसी नई तकनीक को अपनाने सम्बन्धी जागरूकता फैलाने में रेडियो सबसे ज्यादा प्रभावी है। यह स्वास्थ्य, खेती, व्यापार, कृषि, तथा प्रतिदिन की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं द्वारा एक सच्चा स्थानीय जन संचार माध्यम बन सकता है। अखिल भारतीय रेडियो(ए0आई0आर0) सभी प्रमुख भाषाओं व स्थानीय भाषाओं में प्रसारित होता है।

गुण:

1.तत्काल

2.यथार्थवादी

3.समय वस्थान में पहुँच

4.भावनात्मक प्रभाव

5.प्रमाणिकता

6.सस्ता

7. पोर्टेबल

दोष:

1.एक माध्यम के रूप में अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होती है।

2.एक पक्षीय संचार के रूप में।

3.एक असुविधाजनक एक समय की घटना के रूप में।

4.ऐसी सामग्री के रूप में जिसे आप दोबारा व पहले नहीं सुन सकते।

स्थानीय रेडियो/सामुदायिक रेडियो:अभी कुछ समय से सामुदायिक रेडियो प्रसारण का उपयोग लोकप्रिय हो रहा है यह कुछ मीडिया जैसे सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक प्रसारण के माध्यम सेसंचार विकास के तीसरे स्तर के रूप मे कार्य करता है। विकास के प्रभावी संचार के माध्यम के रूप में रेडियो की लोकप्रियता के कारण ऑल इण्डिया रेडियो ने स्थानीय रेडियो स्टेशन की अवधारणा के प्रयोग से प्रसारण के नये चरण में प्रवेश किया। इसके कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति व आकांक्षाओं केा प्रतिविम्बित करने वाले होते हैं। सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में लोगों को उनके संगठन व विकास संगठनों की सूचना प्रसारित करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार रेडियोलोगों की आवाज तथा विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक बन जाता है।

रिकार्डिंग:टेप रिकार्डिंग श्रव्य सामग्रियों में से एक है। किसी जानकारी तथा निर्देश को प्राप्त करने के लिये एक टेप रिकार्डर का इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है। एक टेप रिकार्डर, पुनः उपयोग के लिये टेप पर ध्वनि संग्रह करने का एक उपकरण है। यह अक्सर किसानों के साथ वार्तालाप, साक्षात्कार व चर्चा को रिकार्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे बाद में रेडियो के लिए या अन्य कहीं प्रयोग किया जाता है।इसका उपयोग टेप पर गाना चलाने या चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है। रिकार्ड किये गये निर्देश अथवासूचना को भविष्य में फिर से दिखाया जा सकता है। टेप में रिकार्ड किये गये कार्यक्रम किसीसमूह के लिये या एक व्यक्ति के लिये हो सकते हैं। ध्वनि 3 तरीकों से दर्ज की जा सकती हैं। डिस्क रिकार्डिंगयांत्रिक प्रक्रिया द्वारा की जाती है, टेप रिकार्डिंग या तार रिकार्डिंग एक चुम्बकीय प्रक्रिया है तथा फिल्म रिकार्डिंग एक प्रकाशीयप्रक्रिया है। रेडियो के अलावारिकार्ड प्लेयर व टेप रिकार्डर मुख्यत काम में आने वाली श्रव्य सामग्रियाँ हैं। श्रृव्य कैसेट तकनीक सस्ती तथा आसान पहुँच वाली होती है। यह प्रयोग में आसान होती हैं। रिकार्डिंग के द्वारा (1) भाषण को संग्रहित किया जा सकता है तथा उसका सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है।(2) उत्पादकों के लिये एक विवरण या निर्देश दिया जा सकता है तथा (3)श्रोता की पहचान की जा सकती है तथा मौखिक रूप से प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

B. दृश्य सामग्री:शिक्षण हेतु उपयोग की जाने वाले ऐसी सामग्रियाँ जो देखने के माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों तक पहुचने में मदद करती हैं उन्हें दृश्य सामग्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। दृश्य सामग्री ऐसी शिक्षण सामग्री है जो दर्शकों को दृष्टि के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करती है। ये प्रसार प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं विशेषकर क्योंकिवे शिक्षार्थियों द्वारा तथ्यों को बनाये रखते हैं। ये एक चीनी कहावत की सच्चचाई का उदाहरण देते हैं जो इस प्रकार है:

मै जो सुनता हूँ, मै भूल जाता हूँ।

मैं जो देखता हूँ, मुझे याद है।

मै जो करता हूँ, मै समझता हूँ।

दृश्य सामग्री दृष्टि के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षण के उपकरण है। ये समर्थन करने वाली सामग्रियाँ है तथा ये अकेले कोई प्रक्रिया नहीं सिखा सकती हैं। उन्हें केवल एक उपकरण माना जाना चाहिए जो बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। ओलाटून्जी (2005) ने दृश्य सामग्रियों को दो वर्गों वास्तविक वस्तुओं और प्रतिनिधित्वकारी दृश्य सामग्री में वर्गीकृत किया है।

1. वास्तविक वस्तुएं:इसमेंवास्तविक वस्तुएं शामिल हैं जैसे कुदाल, पशुचारा, उर्वरक, कृषि मशीनरी, पौधे, पशु आदि।
2. प्रतिनिधि दृश्य सामग्री:ये शिक्षण सामग्री है जो वास्तविक वस्तुओं के नमूनों के प्रतीक हैं इसमे चित्र, फोटो,चार्ट व आलेख शामिल हैं।

विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्रियाँ

1. नान प्रोजेक्टेड या गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्रियाँ

- **पोस्टर**:पोस्टर एक महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री है।एक अच्छा पोस्टर लोगों के बीच जागरूकता व रूचि पैदा करता है। यह लोगों को प्रेरित करता है और प्रक्रिया की ओर ले जाता है। इसके तीन भाग होते हैं। सामान्यतयासबसे पहलेउद्देश्य या दृष्टिकोण की घोषणा की जाती है। दूसरा स्थिति निर्धारित करता है और तीसरा कार्यवाहीकी सिफारिश करता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये एक पोस्टर बड़ा होना चाहिए और एक समय मेंकेवल एक ही संवाद करना चाहिये। इसमें स्पष्टता होनी चाहिये और शब्दों को स्पष्ट व ताकतवार होना चाहिये। पोस्टर का आकार 50×75 सेमी0 से कम नहीं होना चाहिये। तकनीकी जानकारी पेश करने के लिये पोस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पोस्टर को किसी विषय के निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं से तैयार किया जाना चाहिये जैसे कि सटीक विषय, लिखना, सम्पादित करना, जानकारी की पूर्ण सामग्री, सटीक विषय को संशोधित करना, फोटो के बडे प्रिंट बनाने की व्यवस्था करना आदि।आजकल कम्प्यूटर डिजाइनिंग कापोस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है जो काफी आकर्षित होते हैं व लक्षित समूह का ध्यान खीचते हैं।

1.पिक्चर (चित्र):यहएक नजर में स्पष्ट रूप से संदेश प्रसारित करने वाला होना चाहिये।

2.शब्दों में अनुशीर्षक (कैप्सन): यह यथा सम्भव छोटाहोना चाहिए। एक पेास्टर मे पॉच शब्दों का कैप्शन सबसे अच्छा होता है। कैप्शन खड़ानहीं लिखा जाना चाहिये क्योंकि यह पढ़ने में कठिनाई पैदा करता है।

3.रंग:चमकीले व आकर्षक रंगों का प्रयोग करना चाहिए परन्तु कई रंगों का उपयोग न करें।

4.स्थान: पर्याप्त स्थान प्रदान करें।

5.ले आउट: यह अच्छी तरह सन्तुलित होना चाहिये ताकि दर्शक इसे आसानी से कैप्शन व चित्रों के माध्यम से देख सकें।

6.जॉच:दूसरों को पेास्टर दिखाएं यदि किसीगलत धारणा या अस्पष्टता का पता चले तो इसे तुरन्त हटा देना चाहिये।

गुण:पोस्टर में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। येस्थायी रिकार्ड, पुनः प्रयोग के लायक तथा बनाने में आसान होते हैं।

चित्र, मानचित्र, चार्ट तथा आलेख:चित्र, मानचित्र, चार्ट तथा आलेख दृश्य सामग्री हैं जिनके जानकारी संक्षेप में होती हैजिसेअधिक या कम सार के रूप मेंप्रस्तुत किया जाताहै। इस प्रकार के दृश्य व्यापक और सार्थक तरीके से बड़ी मात्रा में जानकारी पेश करने के लिये बहुत सुविधाजनक है। उदाहारण के लिये एक आरेख, एक वस्तु या विचार का एक रेखा चित्रण है। एक नक्शा एक क्षेत्र का एक जानकारीपूर्ण आरेख है। एक चार्ट तालिका के रूप में जानकारी है और एक आलेख कारकों के बीच का आरेखीय सम्बन्ध बताता है। ये विशेष रूप से शिक्षण में सहायता करते हैं मुख्यतः किसी उन्नत तरीके पर चरणबद्ध तरीके से प्रकाश डालने हेतु जैसे: इसे कैसे करना है? प्रसार कार्यकर्ता के लिये चार्टकागज की बडी शीट पर सम्बन्धित सामग्री के विभिन्न प्रकार पेश करने का एक ग्राफिक माध्यम है। चार्ट, प्रतीकों, शब्द, चित्र, संख्यात्मक व चित्रों का संयोजन है जो एक साथ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं या सम्बन्धों के सारांशको स्पष्ट रूप से पेश करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार, चार्ट जटिल विचारों को आसानी से बताता है। चार्ट एकल शीट या एक श्रंखला के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं।

- **चार्ट के प्रकार:**चार्ट निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

पुल चार्ट:इसमेंलिखित संदेश होते हैं तो मोटे कार्डबोर्ड या प्लाईवुड की पट्टियों से छिपे हुए होते हैं। छिपे हुए संदेश कोदर्शकों को प्रस्तुति के समय दिखाया जा सकता है।

स्ट्रीप टीस चार्ट: पुल चार्ट की तरह स्ट्रीप टीस चार्ट का संदेशभी एक पट्टी के पीछे छुपा होता है। इसमे चार्ट की जानकारी पतले कागज की पट्टी से ढकी होती है।पट्टी के पीछे मोम, टेप या अन्य चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। पिन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक पूरी कहानी को एक तस्वीर के रूप में या लिखित रूप में दर्शाया जाता है तथा कागज की पट्टियों के पीछे रखा जाता है। और फिर हम कागज के पट्टियोंको हटाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं।

फ्लोचार्ट: ये चित्र संगठनात्मक या प्रशासनिक सम्बन्ध दिखाने के लिये उपयोग में लाये जाते हैं। येएक संगठन की संरचना भी दिखाते हैं इसमें लाइनों के साथ जुडे डब्बे स्तर व लाइनें अधिकार को दिखाती हैं।

बार ग्राफ: इनका उपयोग अलग अलग समय पर या अलग अलग परिस्थितियों में मात्रा की तुलना करने के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिये लगातार तीन वर्षों में परीक्षण भूखण्डों पर फसल की पैदावार में वृद्धि करने वाले उर्वरकों का प्रभाव एक 'बार चार्ट' में दिखाया जा सकता है।

समय चार्ट: उदाहरणार्थ: रेलवे की समय सारणी।

नौकरी चार्ट:उदाहरणार्थ : एक ग्राम सेवक की ड्यूटी सारणी।

ट्री चार्ट : इसे प्रवाह चार्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें किसी पेड़ या एक घास के आकार द्वाराकिसी विकास को दिखाने को दिखाया जाता है। विभाजन और उपविभाजन को एक पेड़ के तने ,शाखाओं एवं उपशाखाओं के द्वारा या नदियों एवं उपनदियों द्वारा दिखाया जाता है।

ओवर ले चार्ट: कई सचित्र शीट के रूप में होते हैं जिनको एक के ऊपर एक रखा जाता है। हर एक शीट के चित्र पूरी पिक्चर के भाग होते हैं। इसमें दर्शकों को न केवल अलग अलग हिस्सों को देखने में मदद मिलती है बल्कि वे विभिन्न हिस्सों की कुल परिप्रेक्ष्यसे तुलना भी कर सकते हैं। जब अन्तिम शीट रखी जाती है तो परिणाम भी सामने आ जाता है।

पाई चार्ट (पाई ग्राफ): ये गोलों के रूप में होते हैं और इन्हें यह दिखाने के लिये उपयोग में लाया जाता है किस प्रकार कई हिस्सों से मिलकर सम्पूर्ण आकार बनता है। जैसे: एक पाई चार्ट का उपयोग देश द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों का सापेक्ष अनुपात दिखाने के लिये किया जा सकता है।

लाइन चार्ट (लाइन ग्राफ): यह प्रवृत्तियों व रिश्तों को दिखाने में विशेष रूप से उपयोगी है। एक एकल निरन्तर रेखा विकास या विस्तार को प्रदर्शित करती है। एक साथ कई रेखाएं कृषि उत्पाद की मात्रा व बाजार मूल्य के बीच सम्बन्ध को दिखाती हैं।

सचित्र ग्राफ:इसमें दर्शकों को एक स्पष्ट चित्र देने तथा आपस में सम्बन्ध बताने के लिये ग्राफिक संदेश, कार्टून और अन्य प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है।

फ्लिप चार्ट: चित्र, रेखा चित्र व चार्ट की एक अल्बम की तरह है। इसमें पतली लकड़ी या मोटी हार्डबोड की दो सिरों के बीच किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के चित्रों की श्रंखला होती है जो शब्दों के साथ या शब्दों के बिना हो सकती है। बाहर से लगे दो कवर खोले और वापस बंद किये जा सकतेहैंजिससे फ्लिप चार्ट दर्शकों के सामने खड़ा करके रखा जा सके। अलग अलग चरण अलग अलग शीट पर दिखाये जाते हैं जो साथ में जोड़ दिए जाते हैं जिससे प्रत्येक शीट का प्रयोग चर्चा के समय किया जा सके। प्रत्येक चित्र प्रसार कार्यकर्ता के भाषण में एक बिन्दु को दिखाता है और वह अगले बिन्दु पर जाने से पहले पिछले बिन्दुओं की पूरी व्याख्या करता है। इससे दर्शकों को लगातार लिखे हुए नोट्स को देखे बिना ही समझने और याद रखने में सहायता मिलती है। इसका उपयोग फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने के लिये या एक कौशल प्रदर्शन करने के लिये किया जा सकता है। जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करना, एक पोल्ट्री हाउस बनाना, मछली के तालाब का विकास करना आदि। इन्हें भारी कागजों या अन्य लचीली सामग्री पर तैयार किया जाता है। ये11 ×17 इंच से 30×40 इंच के आकारों में हो सकते हैं। फ्लिप चार्ट बनाते निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये : अक्षरों को बड़ा होना चाहिये, चित्र सरल होने चाहिये, प्रत्येक शीट पर जानकारी सीमित होनी चाहिये।अगर चित्र नहीं बना सकते हैं तो पोस्टरों व पत्रिकाओं से चित्रों को काटकर भी चिपकाया जा सकता है।

गुण:फ्लिप चार्ट, क्रमिक रूप से तैयार, परिकल्पित करकेतथा उपयोग में लाये जा सकते हैं। फ्लिप चार्ट पर लगाई गई सामग्री को फिर से प्रयोग किया जा सकता है और उसकी समीक्षा की जा सकती है। क्लिप चार्टस्टैण्ड सस्ते होते हैं, तैयार करने व बदलने में आसान होता है,स्थानान्तरण एवं स्थापित करने में आसान होते हैं तथा किसी प्रक्रिया के हर चरण को दिखाते हैं। वे बाहरी उपयोग के लिये उपयुक्त होते हैं तथा इन्हें बनाने के लिये विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है।

दोष:फ्लिप चार्ट एक छोटे क्षेत्र के लिए ही प्रयोग किये जाते हैं। समय खत्म होने पर शीट्स को फाड़ दिया जाता है।

- **फ्लैनेल ग्राफ:** फ्लैनेल ग्राफ या खद्दर ग्राफ एक दृश्य शिक्षण सामग्री है। यह समूह विधियों जैसे व्याख्यान अथवा अनौपचारिक बातचीत के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है।यह फ्लैनेल बोर्ड पर इस्तेमाल की गई ग्राफिक सामग्री है। फ्लैनेल ग्राफ एक सिद्धान्त पर काम करता है कि एक खुरदुरा कपड़ा किसी दूसरे कपड़े से चिपकता है। फ्लैनेल या सफेद पेपर का एक टुकडा जिसकी सतह खुरदुरी हो वह दूसरे फ्लैनल के टुकड़े पर से चिपकेगा और इस प्रकार फ्लैनेल बोर्ड बन जाता

है। अगर आप किसी चित्र, फोटो या आरेख आदि के पीछे फ्लैनेल लगाकर उसे फ्लैनेल बोर्ड पर लगाते हैं तो यह चिपक जाता है। यह उपकरण फ्लैनेल ग्राफ कहलाता है। फ्लैनेल ग्राफ को कहानी या स्पष्टीकरण निर्माण के लिये बहुत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। कुछ मायनों मे यह नाटक की तरह ही होता है। इसकी पृष्ठभूमि या कहानी होती है। इसके कुछ हिस्सों को अभिनेता के बारे में बताने मे स्थानान्तरित किया जा सकता है। एक नाटक की तरह इसकी कहानी आपके आँखों के सामने आती है। आप कहानी को देख तथा सुन सकते हैं। गतिशील भागों की क्रियाएं आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। वाल चार्ट में लोग पहले ही कहानी का परिणाम जान लेते हैं परन्तु फ्लैनेल चार्ट अन्त तक लोगों को बांधे रखता है। वैकल्पिक परिणामों को दिखाने के लिये कटिंग अलग अलग स्थानों पर रखी जा सकती हैं।

फ्लैनेल ग्राफ का एक आधुनिक विकल्प चुम्बकीय बोर्ड है। इसमें चुम्बकीय पट्टियाँहोती हैं जो धातु बोर्ड पर मजबूती से चिपकी रहती हैं। फ्लैनेल ग्राफ इधर उधर ले जाने के लिए अनुपयोगी है वहीं चुम्बकीय बोर्ड को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

गुण:रहस्य बनाता है। प्रस्तुति के दौरान वांछित रूप में स्थिति बदल सकता है। उपयोग के बाद पैक करने में आसान है।

दोष:चार्टबोर्ड खो सकता है फट सकता है।

- **फ्लैश कार्ड:** छोटे फ्लैश कार्ड का आकार लगभग 30 से 40 सेमी0 होता है। उनका उपयोग एक नये विचार के के प्रदर्शन के लिये किया जाता है जैसे : घुएं वाले चूल्हें का लाभ, संकर मक्का की खेती, खाद बनाने का तरीका आदि। दर्शकों को पहले विषय से सम्बंधित चित्रों को तार्किक अनुक्रम में इन कार्डों के द्वारा दिखाया जाता है।उन्हें देखने के बाद ग्रामीण आसानी से कहानी को समझ सकते हैं।

- **मॉडल:** यह एक व्यक्ति में जागरूकता की भावना उत्पन्न करता है। नये क्षेत्र, उपकरण, खाद के गड्ढेतथा स्वच्छता उपकरण आदि के मॉडल तैयार होते हैं जो उन लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं जो वास्तविक रूप में उन्हें देखने की स्थिति में नहीं होते । उनका उपयोग एक निश्चित अभ्यास अपनाने के लिये, रूचि पैदा करने व समझ को बढ़ाने के लिये किया जाता है।

- **बुलेटिन बोर्ड**:ये घोषणाओं, लघु अवधि की घटनाओं व स्थानीय गतिविधियों की तस्वीरें प्रदर्शित करने के काम आती है। इसमे जानकारी को सरल भाषा में लिखा होना चाहिए।

- **फोटो:**यह बहुत सरल दृश्य सामग्री है।तस्वीरेंवास्तविक दृश्य रिकार्डिग होती हैं। उन्हें फ्रेम में लगाया भी जा सकता है और नहीं भी।अच्छी तस्वीरें क्रिया भी दिखाती हैं और भावनाओं को भी कैद करती हैं। ये सामान्य बैठकों मे बुलेटिन बोर्ड में प्रदर्शित हेाती हैंजहाँ बड़ी संख्या में लोग उन्हें देख सकते हैं। उन्हें स्पष्ट तथा बोल्ड होना चाहिये और उचित कैप्शन का संयोजन हेाना चाहिये।

● **चॉर्क बोर्ड/ब्लैक बोर्ड/स्पष्ट बोर्ड:**चॉक बोर्ड सबसे सरल,सस्ती,सुविधाजनक और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दृश्य सामग्री है। यह व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व समूह बैठकों आदि में उपयोग के लिये उपयुक्त है। आजकल चॉक बोर्ड की जगह व्हाइट (सफेद) बोर्ड ने ले ली है। ठीक से प्रयोग किये जाने पर ये बोर्ड एक प्रभावी दृश्य सामग्री है। ये चॉक व मार्करों के द्वारा लेखन व रेखांचित्र प्रदान करते हैं। ये पोर्डटेबल रूप में भी उपलब्ध हैं। उनका उपयोग आमतौर पर स्कूलों, कालेजों व बैठकों में किया जाता है। ये एक बिन्दु पर प्रकाश डालने के लिये चित्रों, शब्दों व प्रतीकों के संयोजन का प्रयोग करते हैं। समूह शिक्षण विधियों में काले बोर्ड सबसे अधिक उपयोगी होते हैं।आधुनिक सफ़ेद बोर्ड मे सफेद बोर्ड मार्कर जो विभिन्न रंगों मे आटे हैं प्रयोग किये जाते हैं।बोर्ड मार्कर को मिटाना आसान होता है क्योंकि इसमें धूल नहीं होती, जैसा कि सामान्यतया ब्लैक बोर्ड में होता है। इनका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है:''वार्तालाप का सारांश करने में, चित्र/आरेख बनाने में, दर्शकों के लिये दिशा लिखने में, लेक्चर को बिन्दु रूप में विकसित करने में तथासवालों के जवाब देने में।

गुण:बदलना आसान, दो तरफा संचार, सस्ता, चरणबद्ध निर्देश के लिये अच्छा , सरल, प्रत्यक्ष , बहुमुखी।

दोष: अस्थायी, विवरण दिखाने में असमर्थ, समय लेने वाला, दर्शकों के साथ सम्पर्क में कमी।

अभ्यास प्रश्न 1

1. दो गैर प्रोजेक्टेड (नॉन प्रोजेक्टेड) सामग्रियोंको परिभाषित कीजिए।
2. फ्लैनल ग्राफ से आप क्या समझते हैं?
3. ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर श्रृव्य-दृश्य सामग्री का वर्गीकरण को समझाइये।

2. प्रोजेक्टेड या प्रक्षेपित सामग्रियाँ

- **फिल्म स्ट्रिप्स:**ये किसी चित्र, आरेख फोटों या शब्दों की एक श्रृंखला होती है और अलग अलग फ्रेम में होने के स्थान पर 35 मिमी0 की एक पट्टी पर छपे होते हैं। ऐसी स्ट्रिप को 100

लोगों या दर्शकों को दिखाया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप्स का उपयोग करने का अतिरिक्त लाभ यह है कि मिसी महत्वपूर्ण या दिलचस्प बिन्दु पर चर्चा करने के दौरान फिल्म को कभी भी रोका जा सकता है। वे दो प्रकार के हो सकते हैं - एक फ्रेम तथा डबल फ्रेम । एक स्ट्रिप मे फ्रेम की संख्या 30-60 तक होती है।

- **स्लाइड:** स्लाइडसविशेष फिल्मों पर ली गई तस्वीर है ताकि प्रसंस्करण के बाद उन्हें प्रोजेक्टर में रखा जा सके व लोगों के समूह के लिए एक दीवार/स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। एक स्लाइड को व्यक्गित माउंट (फ्रेम) में एक पारदर्शी तस्वीर के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। छवि को देखने के लिए चित्र को एक स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से पेश किया जाता हे जो छवि को एक स्क्रीन पर फोकस में लाता है। स्लाइड वार्ता को स्पष्ट करने और लोगों की ठोस गतिविधियों व विकास के पहलुओं को प्रदर्शित करने में सहायक है। विभिन्न स्थितियों तथा किसी काम को करने के तरीकों को दिखाने के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें बेहतर कृषि पद्धतियों खेती इत्यादि पर एक सचित्र वार्ता के लिए एक श्रृंखला के रूप में दिखाया जा सकता है। स्लाइड को डालने का सही तरीका यह है कि इसे नीचे की ओर उल्टा करके डाला जाये।

- **दृश्य प्रक्षेपण उपकरण:** सभी दृश्य प्रोजक्शन उपकरणों के लिए बिजली की जरूरत होती है। निम्न 5 प्रकार के नवीन उपकरण हैं;

1.फिल्मस्ट्रिप प्रोजेक्टर:उपकरण जो एक समय में35 मिमी0 की फिल्म एक फ्रेममेंप्रक्षेपित करता है।

2.मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर: वह उपकरण जो तेजी से फिल्म की एक पट्टी पर चित्रों को एक श्रृंखला के रूप में पेश करता है जिससे यह वस्तुओं को गतिशीलता प्रदान करता है।

3.स्लाइड प्रोजेक्टर: उपकरण जो एक छोटी पारदर्शी स्लाइड में निहित छवि को प्रक्षेपित कर दिखाता है सामान्यतया इस स्लाइड की माप पर 35 मिमी0 होती है।

4.ओवहहैड प्रोजेक्टर:उपकरण जो पारदर्शी स्लाइड(10"×10") पर मौजूद चित्र को प्रक्षेपित कर दिखाता है। प्रत्येक स्लाइड को हाथ से प्रोजक्टर पर रखा जाना चाहिए। शब्द ''ओवरहेड'' उपकरण के डिजाइन के कारण दिया गया है क्योंकि ये छवि को स्लाइड के ऊपर उपस्थित दपर्ण मेंप्रक्षेपित करता है जो उसे दर्शक के सामने की दीवार पर प्रतिबिंबित करता है जहाँ उसे दर्शक देख सकते हैं।यह कक्षाओं (गैर औपचारिक कक्षाओं) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये विकसित किया

गया है। अन्य मीडिया की तुलना में इसका लाभ यह है कि इसको अंधेरे कमरे की जरूरत नहीं होती है।

5.अपारदर्शी प्रोजेक्टर (ओपेक प्रोजेक्टर): इसको एपिडिआस्कॉप के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उपकरण है जो उस अपारदर्शी सामग्री की छवि को प्रक्षेपित करेगा जो फ्लैट हो, तीन आयामी हो और इसके लैंस के नीचे रखा हो। प्रक्षेपित की जाने वाली सामग्री का आकार लगभग 25 सेमी0×25 सेमी0 होना चाहिए।

C. श्रृव्य-दृश्य सामग्री: इन सामग्रियों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: "देखने और सुनने दोनों भावनाओं की सम्मिलित सहभागिता से शिक्षार्थियों की निर्देशात्मक उद्देश्यों तक पहुँचने में सहायता करना"। ये निर्देशात्मकसामग्रियाँहैं जो श्रोताओं को आकर्षक लगती हैं क्योंकि इनमें वे एक ही समय में देख तथा सुन सकते हैं। ये प्रसार कार्य में बहुत उपयोगी होते हैं। सबसे अधिकप्रयोग किये जाने वाली सामग्रियोंमें वीडियो, टेप, टेलीविजन तथा प्रगतिशील चित्र शामिल हैं। श्रृव्य-दृश्यसामग्रियों के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं:

- **कठपुतलियाँ:** इन्हें गैर प्रक्षेपित श्रृव्य एवं दृश्य सामग्री के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय गॉवों में पुरानी व लोकप्रिय कलाओं मे से एक कठपुतली है। कठपुतली एक शैक्षिक व मनोरंजनसामग्री है जिसमे प्रदर्शनकारियों के द्वारा कठपुतलियों को निर्मित किया जाता है और ये ही इसके पात्र होते हैं।कठपुतली एक बनावटी गुड़िया होती है जिसे एक पात्र के रूप में माना जाता है। वांछित प्रभाव लाने के लिये एक अच्छे कलाकार को कठपुतली को नाटकीयकरण के साथ प्रयोग करना होता है। कठपुतली शो का प्रयोग संदेश को प्रभावी ढंग से ग्रामीण लोगों तक पहुँचाने के लिए जाता है। कठपुतली शो को आकर्षक कार्यक्रम बनाने हेतु एक छोटी कहानी, संक्षिप्त दृश्य व त्वरित संवाद आवश्यक है। ऐसे शो स्वास्थ्य, साक्षरता, कृषि अथवा घर बनाने के तरीकों पर आधारित हो सकते हैं।

- **सांस्कृतिक कार्यक्रम:**लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि लोक-गीत एवं नाटक का प्रयोग, विकास कार्यक्रमों के संदेश के संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है।एक विषय या कहानी का नाट्यकरण दर्शकों के बीच रूचि उत्पन्न करताहै। स्थानीय रूचि व महत्व के विषयों से सम्बन्धित लोक गीत व नृत्य पर जब मंचन होता है तो वह लोगों तक तीव्रता से पहुँचता है क्योंकिगाँव के लोगों के लिये लोकगीत तथा नृत्य एक बहुत बडा आकर्षण है। यदि वे ऐसे कार्यों का आयेाजन करते हैं जिसमें ग्रामीण भी सहयोग करते है तो प्रसार कार्यकर्ता लोगों के ज्यादा करीब जा पाते हैं। कृषि या पशुचिकित्सा कॉलेज के प्रसार विभाग के छात्रों द्वारा शिक्षकों की मदद से स्थानीय बोलियों में विकास कार्यक्रमों व प्रथाओं से जुड़े गीतों

को तबला व हारमोनियम की सहायता से बताया जा सकता है यह ग्रामीणों को जानकारी देने का अच्छा तरीका है।

- **टेलीविजन व विडियो:** यह एक इलैक्ट्रानिक श्रृव्य-दृश्य माध्यम है जो संयोजित ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है। टेलीविजन व वीडियो ऐसी सामग्री है जो समस्त शिक्षण सामग्रियों में महत्वपूर्ण हैं और प्रसार एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किये जाते हैं। वीडियो व प्रसारण टेलीविजन का एक अच्छा गुण है क्योकिं ये देखने में बहुत ही वास्तविक लगते हैं यहाँ तक कि जब अभिनेता केवल अभिनय कर रहे हों। ये देखने योग्य, आकर्षक व रूचिकर होते हैं। वीडियो का प्रयोग लोगों को सम्बंधित कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने के लिए भी किया जा सकता है। विडियो तथा टेलीविजन बहुत उपयोगी उपकरण है जो शिक्षित या अशिक्षित सभी लोगों के लिए उपयोगी होता है।

टेलीविजन का शैक्षिक मूल्य

i. टेलीविजनवास्तविकता को घर व प्रशिक्षण में ला सकता है। टेलीविजन एक प्रभावी संचार है क्योंकि यह अच्छे प्रदर्शन व श्रृव्य-दृश्य सामग्री को शिक्षण सत्र में ला सकता है।
ii. टेलीविजन सीखने वाले के समय तथा प्रयास को बचा सकता है।
iii. टेलीविजन शिक्षाप्रद व मनोरंजक होता है।

श्रृव्य-दृश्य सामग्री का कार्य: शिक्षण प्रक्रिया में श्रृव्य-दृश्य निम्नलिखित कार्य करते हैं:

i. वे शिक्षण को समृद्ध बनाते हैं अर्थात इसे अधिक सार्थक व प्रभावी बनाते हैं।
ii. वे ध्यान केन्द्रित करते हैं इसलिये ध्यान आकर्षित करने, ध्यान बनाये रखने तथा शिक्षार्थियों को व्यवस्थित रखने के लिये मुख्य बिन्दु प्रदान करते हैं। यह दर्शकों की रूचि बनाये रखते हैं।
iii. ये सीखने के क्षेत्र का विस्तार करते हैं।
iv. ये मौखिक अवधारणाओं को एक साथ बांधते हैं। जैसे: वे शिक्षक या प्रसार कार्यकताओं द्वारा बातों में वास्तविकता व स्पष्टीकरण लाते हैं।
v. वे अवधारणाओं व मुद्दों केा स्पष्ट करते हैं। वे सम्भवतः गलतफहमियों को दूर करते हैं और अन्तर्दृष्टि को गहरा करते हैं।
vi. वे सूचना का एक स्त्रोत तथाप्राधिकारी प्रदान करते हैं।
vii. वे रूचि को प्रोत्साहित करते हैं अर्थातप्रेरक उपकरणों द्वारा व्यक्ति में सीखने की प्रबलता या पैदा करते हैं।
viii. ये सिखातेहैं और सीखने को समेकित करते हैं।
ix. बोलने वाले शब्द को संयोजित करने में मदद करते हैं।

x. विषय को समझने वाले व ठोस रूप में पेश करने में मदद करता है।

xi. व्यवहार बदलने में मदद करता है।

श्रृव्य-दृश्य सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिये सामान्य दिशानिर्देश: एक शिक्षक /प्रसार एजेंट सावधानी से उपयुक्त सामग्री का चयन करता है, कुशलतापूर्वक उन्हें संभालता है और अपने दर्शकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। कृषि प्रसार शिक्षा के शिक्षण में श्रृव्य-दृश्य सामग्रीके चयन व उपयोग की प्रक्रिया में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिये;

1.प्रासंगिकता: ये विषय व उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक होना चाहिये। उदाहरणार्थ: ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी एक बड़ी समस्या है और फसलों के लिये उपलब्ध नहीं हैवहाँ धान की खेती का विषय उपयुक्त नहीं है।

2.दर्शकों का आकार (संख्या): यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सभी दर्शकों के लिये सामग्री का आकार उपयुक्त है तथा क्या सामग्री की संख्या सभी दर्शकों में वितरित की जा सकती है।

3.क्रियान्वित करने में कुशलता: सुनिश्चित करें कि उपयेाग करने से पहले आप किसी भी सामग्री के संचालन की उचित जानकारी रखते हैं। उदाहरण के लिये प्रोजेक्टर के इस्तेमाल से पूर्व आपको उसके संचालन हेतु पूर्व जानकारी लेना आवश्यक है।

4.सामग्री की सुरक्षा: उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

5.अप-टू-डेट सामग्री:अप्रचलित या पुरानी सामग्री का उपयोग ना करें।

6.पोर्टेबिलिटी: ऐसी सामग्री का उपयोग करें जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सके।

7.विश्वसनीयता: भरोसेमन्द सामग्री का उपयोग करें जो खराब होकर शिक्षक को निराश ना करे।

8.स्वीकार्यता: सुनिश्चित करें कि आगामी सामग्रीदर्शकों के मध्य स्वीकार्य हो।

9.रंगों का चयन:अनुदेशात्मक सामग्री पर चमकीले रंगों का उपयेाग करें। गलत रंगों का उपयोग ना करें।

10.समय:सही समय पर सही सामग्री का उपयोग करें तथासत्र के बाद उसे हटा दें।

11.विभिन्न प्रकार: केवल एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग न करें। सामग्री के संयोजन को एक ही सामग्री के उपयोग की अपेक्षा प्राथमिकता देनी चाहिये।

9.3.3प्रोजेक्टेड तथा गैर-प्रोजेक्टेड सामग्रीका महत्व

शिक्षण विधि, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। उपयुक्त तरीका ना होने के कारण कभी कभी एक अच्छा शिक्षण भी विफल हो जाता है। इस युग में न केवल शिक्षण के नये तरीकों का विकास किया गया है बल्कि नई प्रौद्योगिकियों के विकास से शिक्षण के तरीकों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है जैसे: कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सहायता निर्देश, प्रोजेक्टर स्लाइड तथा मल्टीमिडिया शिक्षण की प्रभावशीलता।सीखने की प्रक्रिया केवल शिक्षक पर ही निर्भर नहीं होती बल्कि प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों व शिक्षण सामग्रियों पर भी निर्भर करती हैं। सामान्यतया श्रृव्य-दृश्य उपकरण विभिन्न शिक्षण व सीखने की प्रक्रियाओं को रोचक, उत्तेजक, प्रबल एवं प्रभावी बनाते हैं। अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार के लिये प्रशिक्षक को शिक्षण सामग्री प्रदान करना आवश्यक है। इन शिक्षण उपकरणों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिये उपयोग में लाया जाता है और इस प्रकार यह आसान व दिलचस्प बन जाता है। अल्बर्ट ड्यूरेट ने कहा है कि आपजो देखते है वह जो आपने सुना है उससे ज्यादा विश्वसनीय लगता है परन्तु अगर आप सुनें और देखेंभी तो वह आपको वह ज्यादा समझ आयेगा और स्थाई रहेगा।

प्रक्षेपित श्रृव्य-दृश्य सामग्रियाँ जैसे वृत्तचित्र फिल्में, वीडियों टेक्नोलॉजी वह हैं जिसमें फिल्म का उत्पादन व फिल्म प्रक्षेपण दोनों शामिल हैं। जबकि गैर प्रोजेक्टेड (प्रक्षेपित) श्रृव्य दृश्य सामग्री में नाटक व कठपुतली शो शामिल हैं। ये तकनीक दर्शकों को नाटकीय अनुभव प्रदान करती हैं तथा व्यापक सामाजिक विषयों तथा प्रसार कार्यक्रमों में संवाद हेतु अधिक उपयोग में लाई जाती हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

a. स्लाइड व फिल्म स्ट्रिप्स को **.....** के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
b. **.....** की सटीक दृश्य रिकार्डिंग होती है।
c. **.....**2"×2" के आकार में होती है।
d. पोस्टर का **.....** विचार होना चाहिये।
e. **.....** का उपयोग मात्राओं की तुलना अलग अलग समय या अलग अलग परिस्थितियों मे करने के लिये किया जाता है।
f. **.....** एक अनुदेशात्मक उपकरण है जिसमे संदेश देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता है।
g. **.....**में सुधार करने के लिये श्रृव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 2. विस्तृतपूर्वक विजुअल (श्रृव्य-दृश्य) सामग्री के गुणों को बतायें।

प्रश्न 3. प्रोजेक्टेड तथा गैर-प्रोजेक्टेड सामग्री का महत्व बताते हुए दोनों में अंतर बताइए।

9.4 सारांश

यदि एक प्रसार कार्य मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार निष्पादित होता हैजिसमें प्रभावी तरीकों व तकनीकों का उपयोग किया जाता है ऐसा संचार संदेश शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिये कम तनावपूर्ण होता है। अगर एक प्रसारकार्यकर्ता के पास कई शिक्षण सामग्रियाँउपलब्ध हों तो उनका चयन प्रसारकार्यकर्ता पर निर्भर करता है और उपयुक्तता के आधार पर इनका चयन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसार सामग्री को प्रसार कार्यकर्ता के व्यक्तिगत सम्पर्क में प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। उपयोग मेंनिपुणता उनकी प्रभावशीलता निर्धारित करती है। प्रसार सामग्री के गुण व दोष सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। श्रृव्य दृश्य शिक्षण सामग्री संचार को औरअधिक प्रभावी बनाने तथा उपयोग में लाने के लिये प्रसार कार्यकर्ता के उपकरण हैं। जब उनका उपयोग उचित तरीके से किया जाता है तो वे प्रसार कार्यकर्ता के संदेश के अर्थ को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। प्रसार सामग्री को प्रस्तुति दृश्य,प्रदर्शन दृश्य, प्रोजेक्टेड दृश्य, श्रृव्य सामग्रीतथा श्रृव्य दृश्य सामग्रीमें वर्गीकृत किया जाता है। उपर्युक्त सामग्रियों के कुछ गुण तथा कुछ दोष हैंजो उनकी वरीयताओं को निर्धारित करते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता उन्हें या तो पूरी तरह या संयोजन में उपयोग में लाता है।

9.5 पारिभाषिक शब्दावली

- **ऑडियो (श्रृव्य सामग्री):** ये निर्देशात्मक उपकरण हैं जिन्हें सुन सकते हैं।
- **श्रृव्य दृश्य सामग्री:** ये निर्देशात्मक उपकरण है जिन्हें सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है।
- **बुकलेट:**जब पृष्ठों की संख्या 20 से अधिक हो जाती है तो इसे बुकलेट कहा जाता है।
- **बुलेटिन:** बुलेटिन के लिये पृष्ठों की संख्या 12से20 के बीच होती है। बुलेटिन एक विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किये गये विषयों के बारे में जानकारी का एक लिखित भाग है।
- **प्रसार शिक्षण विधियाँ**: ये नये विचारों को स्थानान्तरित करने में प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उपकरण हैं।
- **फोल्डर:**यह मुद्रित जानकारी की एक मुडी हुई शीट है। फोल्डर में फोल्ड की संख्या कुछ भी हो सकती है।
- **लीफलेट:** यह मुद्रित विषय की एक शीट है। इसका उपयोग एक विशिष्ट विषय पर जानकारी देने के लिये किया जाता है।

- **पुस्तिका:** एक पुस्तिका में3-12 पृष्ठ होते हैं और यह विस्तृत रूप में होते हैं।

9.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. बिंदु 9.3.2.3 देखें।

प्रश्न 2. बिंदु 9.3.2.3 में फ्लैनल ग्राफ के सम्बन्ध में देखें।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

a. प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री
b. तस्वीरों
c. स्लाइड
d. एक
e. बार चार्ट
f. दृश्य सामग्री
g. शिक्षण

प्रश्न 2.बिंदु 9.3.2.3 में श्रृव्य-दृश्यसामग्री की विशेषताएँ देखिये।
प्रश्न 3. बिंदु 9.3.2.3 को पढ़ कर प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्रीमें अंतर कीजिए।

9.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Barth, J. L. (2005). Media and Methods. Institute of Education, ABU, Zaria, pp. 28 – 29.
2. Dahama, O. P. and Bhatnagar, O. P. (1987). Education and Communication for development,Second edition Oxford and IBH Publishing Co, New Delhi.
3. Dubey V.K. and Bishnoi, I. (2009). Extension Education and Communication. New Age International Publishers.
4. Govind, S., Tamilselvi ,G. and Meenambigai, J. (2013). Extension Education and Rural Development. Agrobios (India) Jodhpur.

5. Khandai, H; Yadav, K and Mathur,A. 2011.Extension Education. APH Publishing Corporation, New Delhi-110002.
6. Kinder, S. J. (2003). A video – Visual Materials and Techniques. American book company. New York.
7. Liaquat Hussain, Razia Sultana, Ziauddin, Jamal Nazir and Abdur Rehman.(2009). Comparative efficiency of the projected and non-projected teaching aids at the secondary level. Gomal University Journal of Research, 25-1: 51-57.
8. Ogumilade, M. (2005). Non-book materials: Agenda for teachers and libraries. 4th (ed) Melbourne Press.
9. Olaitan, S. O. and Onazi, O. C. (1987). Agricultural Education in the Tropic: Methodology for Teaching Agriculture. London: Macmillan Publishers.
10. Olatunji, S. O. (2005)[1]. Effective Teaching and Extension of Agriculture in the tropics. Zero point International Publishers, Kaduna, pp. 125 – 126.
11. Olatunji, S. O. (2005)[2]. Effective Teaching and Extension of Agriculture in the tropics. Zero point International Publishers, Kaduna, pp. 127 – 130.
12. Ray, G.L. 2006. Extension Communication and Management. Sixth edition. Kalyani publishers , Rajinder Nagar, Ludhiana.
13. Reddy, A. A. 2006. Extension Education. Shree Lakshmi Press Bapatla Guntur Dist. Andra Pradesh.
14. Supe, S.V. (2011). Integrated Extension Education, Agrotech Publishing Academy, Udaipur.
15. Wittich, E.T. and Schuller, Z (2007). Fundamental of Teaching with Audio Visual Technology. Macmillan, New York.
16. Yadla, V.L. and Jasrai, S.(2000). Home Science Reference Book for UGC National Eligibility Test JRF/ Lecturership. Kalyani Publishers, New Delhi.

खण्ड 4

ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भारतीय प्रसार प्रणाली और समुदाय का विकास

इकाई 10 : ग्रामीण विकास कार्यक्रम

10.1प्रस्तावना
10.2उद्देश्य
10.3 ग्रामीण विकास की संकल्पना
10.4 आजादी से पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम
10.5 आजादी के बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम
10.6 आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम
10.7 स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका व कार्यक्रम
10.8 सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका
10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
10.10 सारांश

10.11सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
10.12 निबंधात्मक प्रश्न

10.1प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल तथा दुनिया कादूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है, जहाँ पर गाँव अपनी अहम भूमिका निभाता है। देश की लगभग 69% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है(2011 की जनगणना के अनुसार)। इसलिए यह आवश्यक है कि गाँवों का भी समग्र विकास हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वालों को भी शहरी लोगों के समान सुख सुविधा मिले। महात्मा गांधी ने कहा था ''अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो, सबसे पहले हमें गाँवों का विकास करना होगा। आज विश्व के अनेक देश ग्रामीण विकास पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भारत के सन्दर्भ में यह भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तथा अभी भी कई गाँव पिछड़ेपन का शिकार हैं, जहाँ आधारभूत सुविधाएं भी नही हैं। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा गांवों में भी गरीबी, बेरोजगारी भुखमरी, और अपर्याप्त संसाधन हैं। अतः ग्रामीण विकास जिसका सम्बन्ध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय तथा न्यूनतम बुनियादी जरूरतों के साथ एक बेहतर जीवन स्तर से है, वहां पर यह अति आवश्यक हो जाता है। यह आवश्यक है कि हम व सरकार मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दें, जैसे वहाँ नई तकनीकी का प्रचार करें, महिला सषक्तिकरण पर जोर दें, कृषि सुधार कार्यक्रम बनाये, रोजगार के उत्तम साधन व संसाधन जोड़ें तभी हम भारत का विकास देख पायेंगे, और एक बेहतर कल की कल्पना कर पायेंगे।

10.2उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सभी विद्यार्थी निम्नलिखित बिन्दुओं को समझने में सक्षम हो जायेंगेः

- आजादी से पूर्व विभिन्न समुदायों द्वारा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु प्रयास।
- सामुदायिक विकास की भूमिका और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु कार्यक्रम, कृषि और क्षेत्र विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम।
- शासन निकायों द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयऔर स्वैच्छिक संगठन।
- समुदाय और उसके योगदान के निर्माण में गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका।

10.3 ग्रामीण विकास की संकल्पना

भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है और 69 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गाँवों में रहती है। ग्रामीण लोगों की मुख्य आजीविका का साधन कृषि है और ग्रामीण आबादी में काफी हद तक छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर व कारीगर रहते हैं। ज्यादातर किसान पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं तथा आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे निवास करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम सुचारू रूप से किये जायें जो इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाये, सामाजिक रूप से इन्हें मबजूत बनाये तथा राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं ;

- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन को बढावा दें, वहीं के संसाधनों का उपयोग करके।
- समाजिक और आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा एक स्थानीय संतुलन बनाये रखना।
- पारिस्थितिकी पर्यावरण में सुधार लाना, जिससे हरियाली व खुशी बनी रहे।
- समुदाय भागीदारी में लोगों को जोड़ना तथा सभी का मिलकर विकास करना।

10.4आजादी से पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम

भारत जैसे विशाल देश में हमने यह पाया कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने- अपने क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ किये । इन प्रसार के कार्यक्रमों को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

- पहला चरण - आजादी से पूर्व कार्यक्रम (1866-1947)
- दूसरा चरण - आजादी के बाद कार्यक्रम (1947-1953)

आजादी से पूर्व के ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1. बंगाल के सुंदरवन में ग्रामीण पुननिर्माण की योजना (1903)

1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सुन्दरवन क्षेत्र में एक मॉडल गाँव बनाने की योजना शुरू की थी, जो कि सहकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने इस प्रकार एक गाँव बनाया जहाँ सहकारी ऋण सोसायटी का निर्माण किया, जिसने 1916 से अपना काम शुरू कर दिया।1924 में उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंक और सहकारी विपणन सोसायटी का आयोजन किया और 1934 में एक ग्रामीण

पुन:निर्माण संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीणों को लघु उद्देश्यवसहायक उद्योगों का प्रशिक्षण प्रदान करना।

2. गुड़गाँव परियोजना (1920)

श्री एम0 एल0 ब्राइन ने गुड़गाँव प्रयोग वर्ष 1920 में शुरू किया, जो कि उस समय गुड़गाँव जिले (पंजाब) में कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने इस परियोजना को ग्रामीण उत्थान के लिए शुरू किया था, जिससे यह गुड़गाँव परियोजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे। (1) फसल उत्पादन में वृद्धि करना (2) अतिरिक्त व्यय को नियन्त्रित करना (3) स्वास्थ्य में सुधार लाना(4) महिलाओं में शिक्षा की भावना को विकसित करना (5) घर का विकास करना।

3. श्रीनिकेतन परियोजना (1920)

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 में श्री रवीन्द्र ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्यथा ग्रामीण विकास करना। रवीन्द्र टैगोर ने सोचा अगर कुछ गाँवों का विकास किया जाए तो, दूसरे गाँव अपने आप प्रोत्साहित होंगे, और इस प्रकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम सभी जगह फैल जाएगा और इस तरह से पूरे देश में ग्रामीण आबादी आत्मनिर्भरता व आत्म-सम्मान के साथ अपना काम करेगी।

4. सेवा ग्राम (1920)

महात्मा गांधी ने वर्धा में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया। सेवा ग्राम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्यलोगों के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हो रहे दमन को रोकना और उनके बीच देश भक्ति की भावना को पैदा करना और उनमें इस बात को डालना कि ये देश उनका है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गांधीजी ने यह कार्यक्रम चलाया जो कि गांधी रचनात्मक परियोजना से प्रसिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे(1) खादी के कपड़े का उपयोग करना (2) गांवों में स्वच्छता कार्यक्रमों की शुरूवात व बढ़ावा (3) गाँवों में स्वास्थ्य कार्यक्रम में ध्यान देना (4) महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यक्रम (5) आर्थिक मदद कार्यक्रम (6) पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु कार्यक्रम (7) प्राथमिक और व्यस्क शैक्षिक कार्यक्रम (8) गरीब लोगों की स्थिति में सुधार के कार्यक्रम।

5. मारथंडम(Marthandam)परियोजना (1928)

मारथंडम परियोजना ''युवा वर्ग के क्रिश्चिन एसोसिएशन के (YMCA)के नेतृत्व में 1928 में डॉ स्पेंसर हैच द्वारा मद्रास में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण लोगों का आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूर्ण विकास करना तथा उनको एक बेहतर जीवन देना था।

6. फिरका (Firka) विकास योजना (1946)

फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई थी। यह योजना 1946 में 34 फिरका में शुरू की गई, फिर 1950 में 50 और फिरका जोड़ी गई और 1952 में 29 और। इस योजना के कई लघु उद्देश्य थे जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास करना तथा एक संस्थागत फ्रेम में विभिन्न सुविधाओं का गठन करना जैसे, जल आपूर्ति, संचार, स्वच्छता से संबधित परियोजना, और पंचायत तथा सहकारी समितियों का गठन।

7.अधिक मात्रा में भोजन उगाना अभियान (Grow more food campaign (1942) -यह अभियान 1942 में शुरू किया गया था तथा आजादी के उपरान्त भी यह अभियान जारी रहा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भोजन की जो कमी हो गई थी उस को पूरा करना ताकि सब को अन्न मिल सके। यह पहला अभियान था जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था। जिसमें किसानों को नये बीज ओर रासायनिक उर्वरक वितरित किये गये।

ये कुछ परियोजनाएं व कार्यक्रम थेजिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का विकास करना था ताकि सबको बेहतर जीवन मिल सके। आइये आगे चलते हैं तथा उन कार्यक्रमों केबारे में पढ़ते हैं जो आजादी के बाद चलाये गये।

10.5आजादी के बाद ग्रामीण विकास के कार्यक्रम (1947-1953)

1. इटावा परियोजना (1947-48)

अमेरिकी इंजीनियर अल्बर्ट मेयर ने 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की थी औरउसे शुरू करने व कार्यान्वयन करने में उसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसी को आधार मानकर भारत में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ हुआ। यह कार्यक्रम निम्नलिखितसिद्धांतों पर आधारित थाजैसे-स्वयं की मदद करना, स्वयं सहायता, लोकतन्त्र, एकीकृत दृष्टिकोण के सिद्धान्त पर आधारितकठोर योजना और यथार्थवादी लक्ष्य, संस्थागत दृष्टिकोण, सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग, प्रसार कार्यों व आपूर्ति एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय तथा तकनीकी और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सहयोग।

2. निलोखोरी प्रयोग (1948)

श्री एस0 के0 डे0 जो को निलोखोरी प्रयोग के संस्थापक थे, जहाँ पर 7000 व्यक्तियों को विस्थापित किया जो पाकिस्तान से आये थे, और बाद में इन लोगों को 100 गांवों में बसाया गयाजिसने बाद में एक ग्रामीण शहरी बस्ती का रूप ले लिया। यह बस्तियां 1948 में निलोखोरी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के पास थी। इस योजना को मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका सिद्धान्त था;"जो काम नही करेगा, वह खाना भी नही खाएगा"। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत जो मुख्य गतिविधियाँ चलाई जा रही थी वे इस प्रकार थी:केन्द्र सहकारी तर्ज परव्यवसायिक प्रशिक्षण, और

कॉलोनी की अपनी डेयरी मुर्गी फार्म, सुअर फार्म, प्रिंटिंग प्रेस, इंजीनियर कार्यशालाएँ, चमड़े का कारखाना और हड्डी भोजन कारखाना था। लोगों को उनके मन के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो इन उद्यमों को चला सके।

3. सामुदायिक विकास परियोजना (1952)

खाद्य जांच समिति की रिपोर्ट और इटावा परियोजना के सफल अनुभव के परिणाम को ध्यान में रखते हुए15 पायलट परियोजनाओं का शुभारंभ 1952 में चयनित राज्यों में हुआ जिसके लिए वित्तीय सहायत अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त हुई। किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद प्रदान करनेऔर उनका समग्र आर्थिक विकास करने के अलावाइनपरियोजनाओं का मुख्य कार्य प्रसार कार्यकताओंको जमीनी रूप में प्रशिक्षण देना भी था। इस नये कार्यक्रम को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ एक संचालन समझौता किया। इस समझौते के अंर्तगत2 अक्टूबर 1952 को 53 सामुदायिक विकास परियोजनाएं तीन साल के लिए देशके विभिन्न भागों में शुरू की गयीं। इस परियोजना के अन्र्तगत लगभग 25,260 गाँवों व 6.4 लाख आबादी को सम्मिलित किया गया। परियोजना को तीन विकास खंड़ों में विभाजित किया गयाऔर प्रत्येक विकास खंडमें 100 गाँवों को चिन्हित किया गया तथा 60,000 से 70,000 आबादी शामिल की गई। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे - उनके स्वयं के प्रयास से हर संभव कृषि उत्पादन करना, हर संभव बेरोजगारी की समस्या से निपटना, गाँव में संचार व्यवस्था को सुधारना, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना, आवास में सुधार, स्वदेशी, हस्तशिल्प व छोटे स्तर के उद्योगों और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बढ़ाना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों का चौतरफा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन करना था।

4.राष्ट्रीय प्रसार सेवा (1953)

राष्ट्रीयप्रसार सेवा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। इस योजना को प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य उद्देश्यआवश्यक बुनियादी कर्मचारी व पर्याप्त धन इकट्ठा करना थाताकि लोग विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं सहायता के आधार पर शुरू कर सकें। इस सेवा की परिचालन इकाई एक N.E.S ब्लॉक था, जिसमें 100 गाँव तथा लोगों की कुल आबादी 60,000 70,000 थी।

7.4.1ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम

अभी तक हमने जाना कि आजादी से पूर्व व बाद के विकास के कार्यक्रमों की भूमिका अब हम मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानेंगेजिनमें प्रमुख हैरोजगार संबधित कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण, गाँवों के सम्पूर्ण विकास हेतु कार्यक्रम, सरकारी व गैर सरकारी

संस्थाओं के द्वारा चलाये गये कार्यक्रम, कृषि संस्थान से सम्बन्धित कार्यक्रम आदि। आईये अब हम इनकी चर्चा विस्तार से करें।

1.गहन कृषि क्षेत्रिय कार्यक्रम (Intensive Agricultural Programme) (1964)

तीसरी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा पर इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि का गहन तरीके से विकास होना चाहिये। इस तरीके से देश का 20-25 % भूमि को गहन कृषि कार्यों के विकास में लगाना चाहिये। यह कार्यक्रम मार्च,1964 में वास्तव में रूपरेखा में आया तथा इसमें पैकेज दृष्टिकोण का पालन भी किया गया।

2. काम के बदले अनाज कार्यक्रम (Food for work programme) (F.W.P)

यह कार्यक्रम सरकार द्वारा 1977 में लाया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्यबेरोजगारों व अल्पसंख्यकों को रोजगार देना था और उनको जो भत्ता दिया जाए वह खाद्य सामग्री जैसे, अनाज के रूप में हो। इसके मुख्य कार्य निम्न थे; जैसेबाढ़ से रक्षा करना, सड़कों का सही ढंग से रख-रखाव करना, नई सड़कों का निर्माण करना, सिंचाई के उन्नत तरीकों को अपनाना, विद्यालयों के लिए भवन का निर्माण करना, चिकित्सा व स्वास्थ्य केन्द्र खोलना तथा पंचायत घर का निर्माण करना आदि।

3.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme (NREP)

यह कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विस्तारित रूप हैजहाँ पर और अधिक रोजगार के मौकों पर ध्यान दिया गया हैजिससे ग्रामीण क्षेत्रों मेंग्रामीणों को अधिक अनाज मिल सके। यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1980 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम विशेषकर उन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो केवल दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है और उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यह भी पाया गया कि पंचायती राज संस्थान इस कार्यक्रम को चलाने में सक्रिय रूप से लिप्त थे।

4.ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को प्रारम्भ किया गया, इसके उद्देश्य निम्न थे:

क) रोजगार के मौकों को बढावा देना तथा उनमें सुधार करनाग्रामीणों के लिए जो भूमिहीन है। इस कार्यक्रम में हर परिवार से एक सदस्य को जो भूमिहीन हो, को गारंटी के साथ 100 दिन का रोजगार देना।

(ख) बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ संपत्ति को बनाना जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके।

5.ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

पीने का स्वच्छ पानी जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन (NDWM)जो कि एक प्रौद्योगिकी मिशन था, 1986 में स्थापित हुआ।1991 में इसका नाम परिवर्तित करके 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन'(RGNWM)किया गया जिसके तीन मुख्य उद्देश्य थेः

(1)सभी ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।

(2) सुरक्षित पीने के पानी के स्त्रोतों को अच्छी हालत में रखने के लिए स्थानीय समुदायों की सहायता करना।

(3)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पानी की आपूर्ति के लिए विशेष ध्यान देना।

6.एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम(IRDP)

भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 1978 में शुरू किया गया और पूरे भारत में इसका विस्तार वर्ष 1980 तक हुआ। यह गरीबों के बीच लक्षित समूहों की आय-उत्पाद क्षमता बढ़ाने के लिए एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है। इन लक्षित समूहों में ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण कारीगर होते हैं। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों को उपयुक्त आय सृजन के स्त्रोत देना जिसमें रियात/छूट तथा ऋण का समावेश हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को उपर उठाना ताकि उनका भी विकास हो सके। सन् 1999 में इस योजना का विलय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0 जी0 एस0 वाइ0) में हो गया था।

ग्रामीण आबादी की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखते हुए आई0 आर0 डी0 पी0 के उप कार्यक्रम चलाये गये थे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (TRYSEM),ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं व बच्चों का विकास, ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल किट की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना (जी के वाई) तथा मिलिनियम वैल स्कीम।

7. स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रषिक्षण (ट्राइसिम)

ट्राइसिम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवा जो कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित थे उन्हें तकनीकी कौशल प्रदान करना तथा उनके परंपरागत कौशल को बढ़ावा देनाथा। इसमें एक बात और प्रमुख थी कि ग्रामीण युवाओं को स्व- रोजगार के लिए प्रेरित करना जिससे कि वे विभिन्न क्षेत्रों में अपना रोजगार खोल सकें, जिसके लिए आई आर डी पी उन्हें मदद करता था। यह निर्धारित किया गया कि 50 प्रतिशत ग्रामीण युवा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए तथा कुल लाभार्थियों में से कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

8. ग्रामीण महिलाओं व बच्चों का विकास(DWACRA):यह योजना 1982-83 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के समूहों की रचना के माध्यम से गरीब महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनानाथा। इसकी मुख्य रणनीति के अंतर्गत ऐसे कार्य किये गए जिससे महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों एवं वे अपना रोजगार खोलें, कौशल को बढ़ाएं तथा प्रशिषण, ऋण एवं अन्य सेवाएंप्राप्त कर अपने समूह में काम कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें।

9.20 सूत्री कार्यक्रम

20- सूची कार्यक्रम प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने सन् 1975 में शुरू किया और बाद में 1982 और 1986 में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया था। नई नीतियों व कार्यक्रमों के साथ इसे अन्त में 2006 में पुर्नगठित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना और गरीबों व विशेषाधिकार प्राप्त जनसंख्या के जीवन में सुधार लानाथा । यह कार्यक्रम कई सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को शामिल करता है जैसे- गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि व भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, सुरक्षा और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण आदि।

10.जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA)

डी. आर. डी. ए. पारंपरिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूल कार्यक्रमों के कार्यन्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रमुख अंग रहा है। वास्तव में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए इसे माध्यमके रूपमें बनाया गया था। 1 अप्रैल 1999 से एक अलग डी. आर. डी. ए. प्रशासन प्रशासनिक लागत की देखभाल करने के लिए शुरू किया गया है।

11.कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड)

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य कार्य सतत कृषि व न्यायसंगत कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना, प्रभावी ऋण सहायता के माध्यम से संबधित सेवाओं, संस्थागत विकास और अन्य अभिनव पहलुओं को बढ़ावा देना था।

12.एकीकृत बाल विकास योजना (आई0 ई0 सी0 डी0 एस0)

भारत सरकार द्वारा 1975 को आई0 सी0 डी0 एस0 योजना शुरू की गयी जिसमें मुख्य है स्वास्थ्य और पोषणशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, अनुपूरक भोजन, और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना माताओं व 6 वर्श तक के षिषुओं को ताकी उनके स्वास्थ्य सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। यह

सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आगनबाड़ी केन्द्रों व सीमावर्ती कार्यकर्ताओं के साथ प्रदान की जाती है। कुपोशण और खराब सेहत से लड़ने के अलावा, कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है लिंग असमानता का मुकाबला करना ताकी लड़कियों को भी लड़कों के बराबार संसाधन उपलब्ध हो सके।

13.जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार व अर्द्ध बेरोजगारों के लिये सार्थक रोजगार के अवसरों को पैदा करना था जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। 1 अप्रैल 1999 को जवाहर रोजगार योजना का जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुर्नोत्थान किया गया। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के अवसर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक बुनियादी ढॉचे का निर्माण करना भी था। 25 सितम्बर 2001 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विलय सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कर दिया गया।

14.स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाई)

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम (आई आर डी पी) और उसके संबद्ध कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने के बाद 1 अप्रैल 1999 में अस्तित्व में आयी।एस. जी. एस. वाई का मूल उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों की आय के साधनों को बढ़ावा देना था। जिसके लिये अन्हें बैंक से ऋण व सरकार से सब्सिडी/छूट की गयी जिससे वे गरीबी रेखा से उपर उठ सकें।इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों की क्षमता व उनके क्षेत्र की क्षमता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना की गयी।

15.सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस. बी. आर. वाई.)

यह नया कार्यक्रम 25 सितम्बर 2001 में शुरू किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी तथा रोजगार प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा देना, टिकाऊ समुदाय का निर्माण करना तथासामाजिक व आर्थिक बुनियादी ढॉचे का विकास करना आदि है।

16.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी. एम. जी. एस. वाई.)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना हैजो 25 दिसम्बर 2000 में शुरू की गयी थी। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क द्वारा देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना व सड़क संपर्कता उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम में यह प्रावधान रखा गया कि पहाड़ी, जनजाति व रेगिस्तानी क्षेत्रों में रह रहे लोग जिनकी आबादी 250 तक हो तथा शहरों में बस्तियों में रह रहे लोग जिनकी संख्या 500 हो, सभी को अच्छी बारहमासी सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाय।

17.प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

प्राधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो पहले इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के नाम से जानी जाती थी, भारत सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए बनाई गयी एक योजना थी जिसके द्वारा ग्रामीण परिवारों को रहने के लिए आवास दिया जा सके।इंदिरा आवास योजनाभारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गयी था और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख चिन्हित कार्यक्रमों में से एक थी। इस योजना का मुख्य कार्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए आवास बनाना था।इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में रूपये 70,000/- की वित्तीय सहायता राशि तथा दुर्गम क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु रूपया 75,000/- की राशि प्रदान की जाती है। आवास मुख्यत: घर की महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त रूप से पति- पत्नी के बीच आवंटित होते हैं।

18.कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी (ए.टी.एम.ए.)

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिले में कृषि विकास के लिए हितधारकों(Stock holders)द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह एजेंसी क्षेत्र स्तर पर अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों को एकीकृत करने और कृषि प्रसार प्रणाली को विकेन्द्रीकरण करने का मुख्य बिन्दु है। जिला स्तर पर नई तकनीकी को बढ़ावा देने का काम व जिम्मेदारी इसी एजेंसी की है। यह सभी विभागों, अनुसंधानों संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और जिले में कृषि विकास से जुड़ी ऐजेसियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। जिससे बेहतर तरीके से तकनीकि प्रसार के काम हो सके।

19.ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान ( )(पूरा)

सन् 2004 से भारत में केन्द्र सरकार कई राज्यों में पूरा कार्यक्रम चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं और आजीविका के अवसर प्रदान करना है जिससे की ग्रामीण परिवारों का पलायन शहरों की तरफ कम हो सके। इस योजना में शहरी सुविधाओं और सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लाए जाने का प्रस्ताव दिया गया जिससे शहरों के बाहर भी आर्थिक विकास हो सके। गाँवोंसे सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए सड़कों का निर्माण, आसान बातचीत के लिए संचार प्रणाली की सुविधाऔर शिक्षा के लिए व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों की स्थापना आदि इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। इन सब के होने से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

20. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना(मनरेगा)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो उस काम को कर सकते है जिसमें ज्यादा कौशल की जरूरत ना हो। इस योजना की शुरुवात 2 फरवरी 2006 को कुछ जिलों में की गयी और 2008 तक यह भारत के सभी जिलों में सक्रिय रूप से कार्य करने लगी। मनरेगा के अन्य उद्देश्य भी हैं उदाहरणार्थटिकाऊ संपत्ति जैसे सड़कों, नहरों, कुओं, तालाबों आदि का निर्माण करना। इसमें रोजगार आवेदक के घर के 5 किमी. के दायरे में दिया जाता है और उनको न्यूनतम भत्ता दिया जाता है। मनरेगा केवल ग्राम पंचायतों द्वाराही लागू किया जाता है। ग्रामीण सम्पत्ति का निर्माण तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अलावा मनरेगा पर्यावरण को बचाने का कार्य करता है, महिलाओं को सशक्त करता है तथा ग्रामीण-शहरी पलायन को भी कम करता है।

21.राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्याओं एवं जरूरतों को सम्मिलित किया जाता है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गयी। आरम्भ में इस योजनाको केवल सात साल (2005-2012) के लिए शुरू किया गया था।यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा में केन्द्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा उन्हें गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएंउपलब्ध कराना है। इस मिशन के अन्य कार्य भी हैं जैसेमातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या स्थितीकरण, लिंग व जनसंख्यिकीय संतुलन को बनाये रखना आदि।12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मजबूत बनाया जा रहा है।

22.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

गरीबी उन्मूलन के लिये जमीनी स्तर पर मजबूत सस्थाओं का निर्माण करना इस मिशन का उद्देश्य है। ये संस्थान गरीब परिवारों को स्व-रोजगार व कौशल आधारित रोजगार के मौके प्रदान करते हैं जिससे गरीब परिवारों की आय में वृद्धि हो तथा वे सक्षम हो जाएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के बाद जून 2011 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस मिशन में इस बात पर जोर दिया गया कि गरीबों को अपना रोजगार चलाने के लिए एक लाख रूपये तक का संस्थागत ऋण दिया जाए तथा आजीविका के नये तरीकों पर ध्यान दिया जाए।

आईये आगे बढ़ने से पहले इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. सही मिलान करें।

(क)	(ख)
a) गुड़गाँव परियोजना	(1) एस0के0डे0
b) श्रीनीकेतन परियोजना	(2) अल्बर्ट मेयर
c) सेवा ग्राम	(3) 1952
d) फिरका विकास योजना	(4) महात्मा गांधी
e) इटावा परियोजयना	(5) 1953
f) निलोखेरी प्रयोग	(6) मद्रास सरकार
g) राष्ट्रीय प्रसार सेवा	(7) रवीन्द्र नाथ टैगोर
h) सामुदायिक विकास परियोजना	(8) एम0एल0 ब्राइन

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये।

1.एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष..... में शुरू हुआ था।

2. महिलाओं व शिशुओं के पोषण व स्वास्थ्य संबधित योजना का नाम .....है।

3.कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन् .....में की गई।

4.ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने हेतु कियान्वित योजना का नाम.....है।

5.....योजना के तहत ग्रामीण परिवार के सदस्य को 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करता है।

6.ग्रामीण स्वास्थ्य हेतु .....कार्यक्रम की शुरूवात वर्ष.....में की गई।

10.6 आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम

अभी तक हमने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण कार्यक्रमों के बारे में जाना, जिनका मुख्य लक्ष्यग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, रोजगार के तरीकों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सक्षम बनाना है। अब हम कुछ दूसरे संस्थानों के बारे चर्चाकरेंगे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें प्रमुख हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र और राज्य के कृषि विश्वविद्यालय। आइये अब इनकी भूमिका को समझें।भारत में कुल 101 आई0 सी0 ए0 आर0 संस्थान तथा 71 कृषि विश्व विद्यालय हैं। कृषि विश्व विद्यालय मुख्यतयाशिक्षण, अनुसंधान और

प्रसार की गतिविधियों में लगे हुए है। आई सी0 ए0 आर0 ने किसानों, युवाओं व ग्रामीण महिलाओं के विकास लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। आईए इनके बारे में जानें।

1. कृषि विज्ञान केन्द्र (K.V.K.)

मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिशों पर 1974 में विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये। जिनका प्रमुख उद्देश्य किसानों तथा प्रसार कार्यक्रताओं को नई विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रर्दशन करना, किसानों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार समस्याओं के समाधान बताना, किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं से परामर्श लेना और उनकी बात को अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिकों तक पहुचाना जिससे कि प्रौद्यौगिकी में संशोधन हो सकेतथा ग्रामीणों को नये विषयों पर प्रशिक्षण देना था।

2. प्रषिक्षण और यात्रा (टी एण्ड वी) प्रणाली

टी एण्ड वी प्रणाली भारत में सन् 1974 में शुरू की गई थी। जिसके उद्देश्यों में मुख्य रूप से देश में कृषि प्रसार प्रणाली का सर्वांगीण विकास करना, किसानों व प्रसार कार्यकर्ताके प्रशिक्षण तथातकनीकी हस्तान्तरण पर विषेश रूप से ध्यान देना जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके आदि आते हैं।

3. राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना (एन0डी0 पी0)

राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना देश की सबसे पुरानी और सबसे पहली तकनीकी हस्तान्तरण परियोजना थी जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सन् 1965 में लागू की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों का प्रयोग करना, उच्च उपज उत्पादन पर जोर देना और ग्रामीणों व प्रसार कार्यक्रताओं को प्रभावित करना था।

4. आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट (ओर0 आर0 पी0)

ओ0 आर0 पी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सन् 1975 में शुरू किया गया था। ओ0 आर0 पी0 का मूल उद्देश्य किसानों व प्रसार कार्यकर्ताओं को नई नई तकनीकों का प्रदर्शन करना था जिससे की समुदाय की भागीदारी बड़ी मात्रा में हो सके।

5. प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम (LLP) (Lab to land programme)

इस कार्यक्रम की नींव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षके उपलक्ष्य में सन् 1979 में रखी। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : छोटे व सीमांत किसानों तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों विषेशकर पिछड़ी जाति में कृषि विश्व विद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों द्वारा बनाई गयी नई तकनीकों का हस्तांतरण करना जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

6. कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र( )

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र ( )26 अगस्त 2001 को स्थापित किया गया जो कि एकल खिड़की वितरण प्रणाली(Single window delivery System)पर काम करता है जहाँ पर सभी किसान एक ही जगह से कृषि संबंधित सभी जानकारी तथा इससे सम्बंधित अपनी सभी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: किसानों को तकनीकी जानकारी जैसे, बीज से संबंधित रोपण सामग्री, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक उपलब्ध करना, कृषि से सम्बंधित साहित्य उपलब्ध कराना, बागवानी, सब्जियों, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन पर जानकारी देना आदि।

7. राज्य कृषि प्रबन्ध और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान ( )

राज्य कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान एक स्वायत्त राज्य स्तरीय संस्थान है जो 25 अगस्त 2005 को स्थापित हुआ था। जिसका प्रमुख लक्ष्य किसानों को विभिन्न विषयों जैसे कृषि तकनीकी , प्रबंधन, लिंग, प्रसार के नये आयामों और सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम देना है।इसके अलावा कार्याशालाएं और समीक्षाएं भी करवाता है।

8. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना(NATP)

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना 30 जून 1998 को भारतीय अनुसंधान परिषद् तथा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी। जिसके उद्देश्यों में मुख्य रूप से मौजूदा कृषि संसाधनों को मजबूत करना और कृषि में नये आयाम व तकनीकि का विकास करना था।

9. राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना

राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना सन् 2006 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्द्वारा शुरू की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि का विकास करना है जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि कार्यों में नयी तकनीकों का समावेशकिया गया था जिसके लिए सार्वजनिक संगठनों के साथ साझेदारी की गई तथाइसमें किसानों के समूहों को, निजी क्षेत्र व अन्य हितकरों को भी शामिल किया गया।

आइये आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों को हल करने प्रयत्न करें।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. सही विकल्प का चुनाव करें।

1.कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना वर्ष.....में हुई थी।

(क) 1980 (ख) 1970 (ग) 1974 (घ) 1982

2.आईसीएआर के स्वर्ण जयंती वर्ष में किस कार्यक्रम की शुरूवात हुई थी?

(क) प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम

(ख) कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र

(ग) राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना

(घ) राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना

3.एकल खिड़की वितरण प्रणाली, किसके अर्न्तगत आती है।

(क) प्रशिक्षण और यात्रा

(ख) राष्ट्रीय प्रदर्शनी परियोजना

(ग) आपरेशनल रिसर्च परियोजना

(घ) कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र

4.राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना वर्ष.....में.....के सहयोग से शुरू की गई थी।

अब तक हमने पढ़ा किस प्रकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्तथा राज्य कृषि विश्व विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों व किसानों की उन्नति में अपना योगदान निभाते हैं।अब हम जानेंगे कि ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक संगठनों की क्या भूमिका है और कैसे वह इसमें अपना योगदान देते हैं।

10.7 स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका व कार्यक्रम

अतीत में देखें तो हम पायेंगे कि भारत में होने वाली विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में स्थानीय संगठनों ने अग्रिम भूमिका निभाई। इन सामाजिक संगठनों ने स्वेच्छा से अपने क्षेत्र के विकास में तथा महिलाओं के हित में कई उन्नत कार्य किये। हम कह सकते हैं कि स्वैच्छिक संगठनों को आम तौर पर स्वायत्त, गैर लाभ संगठनों या नागरिकों के समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिनका मुख्य कार्य समाज में विभिन्न समस्याओं व नुकसान को सुधारना है। इस बात को भी देखा गया है कि स्वैच्छिक संगठनों ने ग्रामीण विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब ग्रामीण परिवार व सामाजिक रूप से दलित वर्ग मुख्य रूप से इन संगठनों पर निर्भर है क्योंकि ये ग्रामीणों की समस्याओं को ठीक प्रकार से सुनते हैं तथा सक्रियता से उनका निदान भी करते हैं। अध्ययनों में यह पाया गया कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है जिसमें माइक्रोफाइनेंस संगठनों ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इन संगठनों ने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया ताकि ग्रामीण उपेक्षित महिलाएं व निम्न तबके की महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और वे स्वावलंबी हों सकें तथा स्वरोजगार को अपना सकें। स्वैच्छिक संगठन ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार के विकास की पहल कर रहे हैं, जैसे

ग्रामीणों के लिए सूचना संचार के माध्यमों का विस्तार करना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, जहां पर ग्रामीण अपने बनाये समान को बेच सकें, उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना तथा क्रेडिट/ ऋण की सुविधा प्रदान करना जिससे उन्हें अपना रोजगार खोलने में परेशानी ना हो। इसके अलावा ये संगठन ग्रामीणोंको नई योजनाओं से सम्बंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे उन्हें अपने विकास कार्यक्रम को चलाने में मदद मिल सके। इन सबके अलावा स्वैच्छिक संगठन विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रबन्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वैच्छिक संगठन निम्न भूमिका निभा रहे हैं;

- सरकार के द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीणों के लिए कार्यक्रमों में उनको सहयोग देना जिससे बेहतर परिणाम मिल सकें तथा ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके।
- ग्रामीण स्तर पर लोगों को सुनने व समझने में मदद कर सकें।
- समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें।
- ग्रामीणों को समझाएं कैसे वे अपने पारम्परिक संसाधनों, मानव संसाधनों, ग्रामीण कौशल और स्थानीयज्ञान का उपयोग स्वयं के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- जमीनी स्तर पर कार्यकताओं व स्वयंसेवियों से प्रशिक्षण देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों को जुटाना ताकि समुदाय में लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
- जिन क्षेत्रों में सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन व रोजगारपरक कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां पर उन सरकारी कार्यकताओं का साथ देना।
- ग्रामीणों को प्रेरित करें कि वे सीमित संसाधनों व अपने आस-पास के संसाधनों का प्रयोग अधिक करे और ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक भागीदारी में अपना योगदान दें।

अभी आपने ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के सम्बन्ध में पढ़ा।आईये अब हम कुछ कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पढ़ते हैं जो स्वैच्छिक संगठनों की पहल से बने हैं।

1. बायेफ (BAIF)

बायेफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना स्व0 डा0 मनीभाई देसाई द्वारा सन् 1967 में एक गैर लाभ पब्लिक ट्रस्ट के रूप में हुई थी। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण भारत में स्थायी रूप में आजीविका को बढावा देना है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना, वहाँ पर खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, अच्छा स्वास्थ्य, लिंग समानता, कम बाल मृत्युदर, उच्च साक्षरता, उच्च नैतिक मूल्यों व स्वच्छ वातावरण को बढाना आदि आते हैं। इसके अलावा बायेफ का मिशन में ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर पैदा करना (विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के

लिए) उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, पर्यावरण को समृद्ध बनाना, अच्छे मानवीय मूल्यों का समावेश करना और ये सब प्राप्त करने के लिए विकास अनुसंधान करना, उपयुक्त तकनीक का प्रसार करना और समुदाय के लोगों की कौशल क्षमता को बढाना आदि आते हैं।

2.लोगों की उन्नति और ग्रामीण प्रौद्यौगिकी के लिए परिषद्(CARPAT)

कपार्ट का संगठन सितंबर 1986 में हुआ, जिसका मुख्य कार्य या स्वैच्छिक संस्थाओं को सहयोग व उनके लिए धन की व्यवस्थता करना। कर्पाट का मुख्य जनादेश है स्वैच्छिक कार्यों को बढावा देना तथा ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए उचित ग्रामीण तकनीकि का प्रसार करना। अपने स्थापना से आजा तक कर्पाट स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व गरीबी उन्मूलन की दिषा में सरकार के प्रयासों का साथ दे रहा है।

3.स्वयं कार्यरत महिला संघ (सेवा)(Self employed women's Association) (SEWA)

सेवा एक सदस्यता-आधारित श्रमिक महिलाओं का संगठन है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। सेवा विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए संगठित करता है और उन्हें सामाजिकन्याय एवं समानताके लिए अपने सामूहिक संघर्श के लिए सहायता प्रदान करता है महिलाओं की यह पहली में 130 सहकारी समितियां, 181 ग्रामीण उत्पादक समूहों तथा सामाजिक सुरक्षा संगठनों को शामिल किया गया। सेवा की महत्वपूर्ण गतिविधियों के अंर्तगत स्वरोजगारी महिलाओं को संगठित करना, उनकी सामूहिक शक्ति या यूनियन सहभागितातथा नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना आदि आता है।इन सभी संगठनों से हमने सीखा की स्वैच्छिक संगठनों का हमारे ग्रामीण विकास में कितना योगदान है। इसलिए हम सभी को भी प्रयास करना चाहिये हम भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मदद करें।

10.8 सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार की भूमिका

गृह विज्ञान जिंदगी के सभी पहलुओं पर काम करता है तथा गृह विज्ञान प्रसार का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक का प्रसार करना, लोगों के कौशल को बढाना जिससे की उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। गृह विज्ञान प्रसार का किसी भी समुदाय के विकास में अत्यन्त योगदान है। सभी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य लोगों की आम जरूरतोंजैसे अच्छा भोजन, कपड़े,पर्याप्त आवास, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, शिक्षा, मनोरंजन और रोजगार की अपार संभावनाएं आदि का ध्यान रखना है। वैश्वीकरण के युग में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक।गृह विज्ञान प्रसार लोगों की इन समस्याओं को कम करने तथा एक बेहतर जीवन बनाने का प्रयास करता है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा का उद्देश्य कृषि उत्पादों में बढ़ोत्तरी के लिए उन्नत तकनीकों का प्रचार करना भी है जैसे:उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक

उर्वरक का उपयोग, ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना आदि, जिससे उनकी घर व खेतों की स्थिति में सुधार हो सके। इसके अलावा किसानों को बागवानी, रेशम उत्पादन, डेयरी, मुर्गी पालन आदि के विकास हेतु नयी वैज्ञानिक विधियों के सम्बन्ध में बताना। गृह विज्ञान प्रसार के अन्य कार्य भी हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennimum Development Goals)से सम्बन्धित हैं जैसे गरीबी उन्मूलन व महिलाओं का सशक्तिकरण, एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला करना तथा पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना आदि। गृह विज्ञान प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने का प्रयास भी करता है ताकि लोगों का पलायन रुक सके। इसके लिए सरकार की नई नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है तथा उन्हें इन सभी सुविधाओं व योजनाओं से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य ग्रामीणों को सामुदायिक विकास के बारे में बताना है कि सामुदायिक भागीदारी किस प्रकार करनी चाहिए, उन्हें उनके सीमित संसाधनों को कैसे एकत्रित करना है तथा उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए आदि। प्रसार शिक्षा ने हमारे समाज में महिलाओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है जिससे वे अपनी ताकत को पहचान सकें। इसके अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बढाया हैतथा उन्हें यह भी बताया कि कैसे वे स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती हैं। कृषि विश्व विद्यालयों में प्रसार शिक्षा की एक अहम भूमिका होती है। जहां पर प्रसार कार्यकर्ता लोगों को नवीन विचारों, ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी के बारे में बताते हैं और फिर लोगों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त करते हैं जिससे उनमें संभावित सुधार किया जा सके।

अतः हम कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार का महत्वपूर्ण योगदान है।

10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. सही मिलान कीजिए।

a) – 8
b) – 7
c) – 4
d) – 6
e) – 2
f) – 1
g) – 5
h) – 3

प्रश्न 2. रिक्त स्थान भरिये।

1. 1978
2. ग्रामीण महिलाओं व बच्चों का विकास
3. 1982
4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2005

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. सही चुनाव कीजिए।

1. 1974
2. (क) प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम
3. (घ) कृषि प्रौद्योगिकी और सूचना केन्द्र
4. 1998, भारतीय अनुसंधान परिषद् तथा विश्व बैंक

10.10 सारांश

हमने इस इकाई में इस बात पर चर्चा की कि कैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए काम किया तथा उनकी सामाजिक, राजनीतिकऔर आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जिससे की ग्रामीण व शहरी असमानता कम हो सके। आजादी से पहले व बाद में ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू हुए पर सफल न हो सके क्योंकि वो एक क्षेत्र तक सीमित थे, इसलिए भारत सरकार ने कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जिसमें कृषि का विकास, किसानों का विकास, महिलाओं व बच्चों का विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार संबधित योजनाएं आदि शामिल हैं। भारत सरकार के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्व राज्य के कृषि विश्व विद्यालयों ने भी कई परियोजनाएं चलाई है, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की स्थिति में सुधार लाना है। इसके अलावा स्वैच्छिक संगठनों ने भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग दिया है तथा ग्रामीण विकास में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है जिससे की समग्र विकास हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि सब लोग मिलकर प्रयास व सहयोग करें तो ग्रामीणों का संपूर्ण विकास हो सकता हैतथा प्रतिदिन हो रहे पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी को रोका जा सकता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि भारत सरकार जिन कार्यक्रमों को चला रही है उन कार्यक्रमों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं तथा उस कार्यक्रम में कहीं किसी संशोधन या बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है आदि।

10.11सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- धामा , ओ0 पी0 (1997) प्रसार और ग्रामीण विकासराम प्रसाद एण्ड सन्स, भोपाल
- धामा ओ0 पी0, भटनागर,ओ0पी0 (1985) विकास हेतु प्रसार एवं प्रचार ओक्सफोड और आई0बी0एच0 प्रकाशन कम्पनी, नई दिल्ली, द्वतीय प्रकाशन
- एटिलेस, जे0एच0औ ड्यूबेंच, जी0ई0(जून2014) परिवार और उपभोक्ता विज्ञान और विविध दुनिया में सहकारी प्रसार जनरल ऑफ एक्सटेशन 52(3). www.joe.org
- श्रीनाथ के0 (20 नवम्बर 2002) प्रसार शिक्षा संकल्पना और द्रृष्टिकोण विनर स्कूल ऑन एडवांस इन हारवेस्ट टेक्नोलॉजी, कोचीन।
- बाबू, एस0 ग्लेन्डनींग, सी0जे0 और ओकीरी के0 ए0 (दिसम्बर 2010) रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इण्डिया आई0 एफ0पी0आर0आई0चर्चा पत्र 01048
- साह, ए0के0 (2002) प्रसारशिक्षा भारतीय युवायोंकी आकांक्षाओं को तीसरे आयाम की जरूरत कमल राज, जरनल ऑफ सोशियल सांइस 6(3):309-214 (2002)

10.12निबंधात्मक प्रश्न

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर संक्षिप्त नोट लिखिए तथा उनका ग्रामीण विकास में महत्व बताइये।
2. आजादी से पूर्व व बाद में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर किये गये प्रयासों को बताइये।
3. भारत सरकार द्वारा चलाये गए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए।
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्व राज्य कृषि विश्व विद्यालयों द्वारा चलाई गई परियोजनाओं के बारे में चर्चा करें।
5. गृह विज्ञान प्रसार कैसे सामुदायिक विकास के लिए उत्तदायी है, संक्षेप में बताइये।
6.स्वैच्छिक संगठनों का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है, इस पर चर्चा करें।

इकाई11: भारतीय प्रसार प्रणाली

11.1 प्रस्तावना
11.2 उद्देश्य
11.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Program)
11.3.1 सामुदायिक विकास प्रशासनिक संगठन
11.3.2 सामुदायिक विकास की विधियाँ
11.3.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां
11.4 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्
11.4.1 अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र (First Line Extension System)
11.4.2 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (State Agricultural Universities)
11.5 सामुदायिक स्वास्थ्य और अन्य नीतियों से संबंधित विस्तार कार्यक्रम में राज्य सरकारों की भूमिका
11.6 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड(Central Social Welfare Board)
11.7 पंचायती राज तंत्र (Panchayti Raj System)
11.7.1 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली
11.8 सारांश
11.9 शब्दावली
11.10 अभ्यासप्रश्नों के उत्तर
11.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
11.12 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

भारत देश में आंतरिक भौगोलिक संरचना में बहुत विभिन्नताएं हैऐसे विभिन्नता भरे देश में प्रसार तंत्र की भूमिका अहम् और चुनौतीपूर्ण है. प्रसार शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य है- 'ग्रामीण व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना'.

11.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ध्यन के पश्चात् आप-

- प्रसार शिक्षा को समझ पायेंगे।
- प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन, तथा सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- प्रसार शिक्षा के कृषि में महत्वता को जानेगें।
- प्रसार शिक्षा की गृह गृह विज्ञान में भूमिका तथा गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं सिद्धांत तथा मूलदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

आइये इकाई की शुरुआत प्रसार शिक्षा से करते हैं-

11.3 सामुदायिकविकासकार्यक्रम (Community Development Program)

पिछली इकाइयों में में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की।जिसमें हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धान्त, मूलदर्शन और कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के बारे जाना। यहाँ हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक संगठन, विधियाँ, उपलब्धियों और बाधाओं के बारे में जानेगें।

11.3.1 सामुदायिक विकास प्रशासनिक संगठन

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पांच स्तरीय प्रशासनिक संगठनबनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड तथा गाँव के स्तर पर अलग-अलग सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

१. **प्रथम स्तर- केन्द्रीय स्तर-** केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग ही सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन तथा धन उपलब्ध करवाने का कार्य करता था। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय समिति होती थी जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् कहते थे। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के सदस्य, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, सामुदायिक मंत्री तथा सहकारिता मंत्री इनके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा लोक सभा के सदस्यों एवं मंत्रियों के सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार

करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् को समय-समु पर सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष मुख्यतया कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव होते हैं।

२. **द्वितीय स्तर- राज्य स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसे राज्य विकास परिषद् कहते हैं जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसके सदस्य कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग, सहकारी तथा वित्त मंत्रालय के मंत्री होते हैं। सचिव के रूप में विकास आयुक्त होते हैं। विधान सभा के सदस्यों द्वारा इस परिषद् को समय-समय पर सलाह-मशविरा दिया जाता है।

३. **तृतीय स्तर- जिला स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला परिषद् होती है जिसका अध्यक्ष कलक्टर अथवा जिला विकास अधिकारी होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए जिला नियोजन समिति होती है। इसका अध्यक्ष जिला कलक्टर तथा सचिव जिला नियोजन अधिकारी होता है। जिले के अन्य अधिकारी जैसे जिला सहकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पशुपालन एम चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी आदि इसके अध्यक्ष होते हैं और मिलकर विकास कार्यों का प्रबंधन एवं संचालन करते हैं।

४. **चतुर्थ स्तर- प्रखंड स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति/ प्रखंड विकास समिति होती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड विकास अधिकारी प्रखंड समिति के सचिव एवं समन्वयक होए है जो प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों को देखते हैं।

पंचम स्तर- ग्राम स्तर- गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

11.3.2 सामुदायिक विकास की विधियाँ

सामुदायिक विकास को सफल बनाने के लिए प्रमुख विधियाँ है;

1) प्रसार शिक्षा एवं 2) सामुदायिक संगठन

1) प्रसार शिक्षा- लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है. ग्रामीण जनता कृषि तथा कृषि सम्बंधित क्षेत्रों में नवीन तकनीक अपनाकर अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठा सकते हैं.

2) सामुदायिक संगठन- सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से सम्बंधित तीन आधारीय संस्थाओं- पंचायत, सहकारी समितियां व स्कूल की जरुरत होती है. गांवों में मौजूद विभिन्न संगठनों को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में तेजी लायी जा सकी।

अन्य विधियाँ-

1) सामुदायिक आवश्यकताओं एवं कार्य करने के लिए प्रेरकों का पता लगाना
2) संचार विधियों का विकास
3) स्वयं की सहायता से सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने की विधि
4) वाह्य सहायता एवं बहुउद्देशीय विकास कार्य योजना की विधि
5) सामुदायिक विकास गतिविधियों का समन्वय करने की विधि

11.3.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- ✓ कृषि क्षेत्र में विकास
- ✓ पशुपालन का विकास
- ✓ यातायात को विकास
- ✓ भूमि सुधार
- ✓ लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास
- ✓ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
- ✓ शिक्षा का विकास
- ✓ सांस्कृतिक विकास
- ✓ हरिजन, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम
- ✓ सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम

यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से काफी हद तक ग्रामीणों की उन्नति एवं विकास हुआ मगर इससे जितनी अपेक्षा की गई थी उतना सफलता नहीं मिल पायी. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की वांछित सफलता में निम्नांकित करक बाधा रहे-

1) कार्यक्रम की रुपरेखा सही ढंग से नहीं तैयार करना
2) ब्युरोक्रट्स की मनमानी
3) कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का होना
4) प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव
5) जन सहभागिता का अभाव

6) ग्रामीण नेतृत्व का अभाव
7) प्रभावशाली लोगों तक ही कार्यक्रम का लाभ पहुंचना
8) दलित एवं पीड़ित किसानों पर अधिक ध्यान ने देना
9) सरकारी अधिकारियों एवं जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी
10) गरीब तथा जरुरतमंदों की अनदेखी

11.4 भारतीयकृषिअनुसन्धानपरिषद

अंग्रेज सरकार ने जून 1871 में भारत सरकार के अधीन कृषि विभाग की स्थापना की, इसके पश्चात् 1882 में सभी राज्य सरकारों के अधीन कृषि विभागों की स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) की स्थापना 16 जुलाई, 1929 में हुई थी, लेकिन शिक्षा, अनुसन्धान और प्रसार शिक्षा को कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन के लिए इसे सन 1963 व 1975 में पुनर्गठित किया गया. इसके दो आधिकारिक कार्यक्षेत्र हैं, (१) कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन शिक्षा, अनुसन्धान एवं क्रियान्वयन को आधिपत्य सहायता से आगे बढ़ाना और संयोजित करना, (२) कृषि एवं पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना। आई. सी. ए. आर. अध्ययन समिति (1988) ने इसके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की सिफारिश की, जिसमे कहा गया की निधारित कार्यक्रमों के अतिरिक्त तकनीकी स्थानांतरण, प्रकाशन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इसको सहायता करनी चाहिये।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्के उद्देश्य

1) किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं और राज्य कृषि विश्वविधालय तथा अशासकीय संगठन की आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने व तकनीकी के उत्पादन व ग्रहण करने में समय कम करने के लिए नवीनतम तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना।
2) भारतीय परिस्थितियों में कृषि तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना।
3) कृषि की समस्याओं और तकनीकी के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा फीड बैक करना और आवश्यकतानुसार शिक्षा, अनुसन्धान व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में परिवर्तन करना।
4) राज्य के कृषि विभागों व अन्य अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण एवं संचार के क्षेत्र में सहायता करना।
5) राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार कार्य को प्रोत्साहन देने, नीति निर्धारण तथा कृषि विश्वविधालय, शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन देना है।
6) विश्व भर के विभिन्न देशों से अपने देश के प्रसार संगठन के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रसार में अनुसन्धान को सहायता करना।

11.4.1 अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र (First Line Extension System)

1963 में प्रसार विभाग की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के मुख्यालय में प्रसार कार्यों के मूल्यांकन व प्रोत्साहित करने के लिए स्थापना की गयी. 1965 में कृषि मंत्रालय ने "राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना" को आई. सी. ए. आर. के कृषि प्रसार विभाग को स्थानांतरित कर दिया. 1974 में व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना (Operational Research Project), 1974 में कृषि विज्ञानं केंद्र और 1979 में प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना (Lab to Land Project) को आई.सी.ए.आर. ने तकनीकी स्थानांतरण योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया।

राष्ट्रीय प्रदर्शन (National Demonstration)

प्रसार विधियों में प्रदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में विख्यात है। इसमें कृषक समुदाय कृषि विधियों, उन्नत यंत्रों, बीजों और फसल सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी की जानकारी प्राप्त करता है। सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा सन 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारम्भ की गई। ये प्रदर्शन विषय-विशेषज्ञों द्वारा लगभग एक एकड़ भूमि पर किया जाता है. इनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने में वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है तथा किसान को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिल जाता है. साथ ही साथ लगत व आय का पूरा ब्यौरा कृषकों के सम्मुख रखकर उन्हें कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय प्रदर्शन ने 1965 से कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। प्रथम चरण (1965) में अधिक उपज देने वाली फसलों की क्षमता को प्रदर्शित किया।द्वितीय चरण (1967) में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में अधिक उपज वाली कई फसलें लेकर उपज बढ़ाना रहा। तीसरे चरण (1969) में सघन रूप से राष्ट्रीय प्रदर्शनों को जिलों में फैलाया। चौथे चरण (1970) में प्रदर्शनी ने किसानों को नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

प्रयोगशाला से खेतों तक (Lab to Land Programme)

यह कार्यक्रम जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य साधन रहित किसान परिवारों को खेती की नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे खेती की पैदावार बढ़े और अंतिम रूप से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाये। ग्रामीण परिवार ही इस कार्यक्रम के केंद्र हैं। केवल सीमान्त किसान, बटाई पर बोने वाले किसान, भूमिहीन मजदूर तथा शिल्पी कारीगर ही इसके अंतर्गत शामिल किये जाते हैं। यह कार्यक्रम चुने हुए कृषि विश्वविधालयों, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थान, स्वयं सेवी संस्थाएं तथा राज्य के विकास विभागों के माध्यम से शुरू हुआ।

मुख्य उद्धेश्य:

1) कृषक परिवारों की पैदवार को बढ़ाना। उन्हें पूरा रोज़गार उपलब्ध कराना तथा रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना।

2) प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों के लिए ऐसा तरीका निकालना जिससे वे किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझ सकें तथा यह भी जान सकें कि किसान को नई तकनीकी को अपनाने में कौन सी कठिनाइयाँ हैं।

कार्यक्रम:

1) चुने हुए किसानों के लिए फसलों तथा पशुओं पर आधारित कार्यक्रम/ योजना बनवाना।
2) भूमिहीन मजदूरों के लिए पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन आदि कार्यों में सहायता करना।
3) शिल्पी कारीगरों के लिए कृषि यंत्रों को बनाने तथा उन्हें ठीक करने के काम में प्रशिक्षण द्वारा उनके कौशल को बढ़ाना।
4) ग्रामीण महिलाओं का सम्बंधित कार्यों में प्रशिक्षण द्वारा कौशल बढ़ाना।

व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना (Operational Research project)

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर एक नयी धारणा बंधी, जिसमें एक क्षेत्र अथवा जलाशय के आधार पर राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित करना बेहतर समझा गया और पाँचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना 1974 में प्रारंभ की। इस परियोजना में समान दृष्टिकोण रखा गया है, ताकि स्थानीय एजेन्सियों, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य विकास विभागों, कृषि विश्वविधालयों और अन्य सम्बंधित संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को सुलझाया जा सके। इस परियोजना द्वारा ग्रामीण विकास के सामजिक पहलुओं को प्रौद्योगिकी के पहलुओं से प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ा जा सके।

ये परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थानों और कृषि विश्वविधालयों द्वारा विस्तार एजेन्सियों के सहयोग से चलायी जाती है।

मुख्य उद्देश्य

1) वैज्ञानिक ढंग से भूमि और जल प्रबंध योजनाओं को शुरू करना, जिनमे किसी क्षेत्र की परिस्थिति की क्षमताओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना।
2) जिस कार्य- पद्धति को सुधारने के लिए चुना गया हो, उसकी अस्थिरता और हानि के खतरों को न्यूनतम करना।
3) मिटटी, जल, पौधे, खनिज और मानव श्रम के उपलब्ध साधनों का समाकलित रूप से उपयोग करना।

विशेषताएं:

1) वैज्ञानिकों का किसानों से उनके खेत पर सीधा सम्बन्ध।
2) कृषि उत्पादन में समन्वित तकनीकी का उपयोग।

3) छोटे क्षेत्रों में बहुफसली कार्यक्रम के विषय में शिक्षित करना।
4) स्थानीय साधनों जैसे भूमि, जल, पशु, मनुष्यों तथा पेड़ों का पूर्ण उपयोग।

कृषि विज्ञान केंद्र

कृषि विज्ञान केन्द्र एक नवीनतम विज्ञान आधारित संस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं जोकि किसानों को स्वावलम्बी बनने में सहायता प्रदान करता है। ये किसानों को स्वावलम्बी बनाने के साथ उनको ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान भी प्रदान करता है। अगस्त 1973 में डॉ. मोहन सिंह मेहताकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। समिति ने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहला कृषि विज्ञान केन्द्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुदुच्चेरी (पौण्डीचेरी) में 1974 में स्थापित किया गया था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 18 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई थी। सन 1984 में 44 और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये थे। 1 अप्रैल 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक बैठक में 'नेशनल डेमोन्सट्रेशन' (48 जिलों में), 'ऑपरेशनल अनुसंधान कार्यक्रम' (152 केन्द्र) तथा 'लैब टू लैड' को कृषि विज्ञान केन्द्र में समाहित कर दिया गया था।

अगस्त 2005 में कृषि विज्ञान केन्द्र राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 2007 तक प्रत्येक ग्रामीण जिलों में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। वर्तमान में देश में कुल 680 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र का संगठन एवं प्रबंधन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाहकार समिति के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन में निम्नलिखित संस्थाएं उत्तरदायित्व निभा सकते हैं:

a) कृषि विश्वविधालय
b) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थान
c) ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए विख्यात स्वयं सेवी संगठन
d) विज्ञान और तकनीकी संस्थान
e) राज्य सरकार तथा संघीय क्षेत्र (यदि उपरोक्त संस्थाएं उपलब्ध न हों.

कृषि विज्ञानं केंद्र की स्थापना के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार दी जाती है-

1) पहाड़ी क्षेत्र

2) बारानी क्षेत्र
3) वन क्षेत्र
4) तटीय क्षेत्र
5) बाढ़ वाले क्षेत्र तथा
6) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जिसमे लघु कृषकों तथा कृषक मजदूरों की संख्या अधिक हो।

कृषि विज्ञान केन्द्र जिलास्तर पर कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करने में तकनीकी समर्थन और सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसान मेला, किसान गोष्ठी, खेत दिवस आदि सम्पर्क कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र अग्रिम पंक्ति प्रसार के द्वारा किसानों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र की बुनियादी अवधारणायें

कृषि विज्ञान केन्द्र निम्नलिखित तीन बुनियादी अवधारणाओं पर कार्य करता है-

1. कृषि विज्ञान केन्द्र "कार्य अनुभव" के माध्यम से प्रशिक्षण देगा और इस प्रकार इसका सम्बन्ध तकनीकी साक्षरता से होगा, जिसे प्राप्त करने हेतु साक्षर होना अनिवार्य नहीं है।
2. केन्द्र केवल ऐसे विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण देगा जोकि पहले से ही कार्यरत है या अभ्यासरत किसानों और मछुआरों को। दूसरे शब्दों में केंद्र उन लोगों की जरूरतों को पूरी करेगा जो की नौकरी पर हैं या स्वयं अपने ही किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं।
3. कृषि विज्ञान केन्द्र के लिये कोई समान पाठ्यक्रम नहीं होगा। पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, आवश्यकता के आधार पर, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि के विकास के लिए उस क्षेत्र की विशेष क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जायेगा।

कृषि विज्ञान केंद्र के सिद्धांत

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

1) कृषि कार्यों को बढ़ावा देना।
2) लोगों को शिक्षण- प्रशिक्षण देते समय 'करके सिखने' के सिद्धांत पर जोर देना अर्थात कम भी और सीखे भी।
3) निर्धन, जरुरतमंदों तथा कमजोर वर्गों के लोगों पर अधिक ध्यान देना।
4) उत्पादक प्रणाली में सामाजिक न्याय से तथा इसकी शुरुआत सबसे कमजोर वर्ग से की जाए. अनुसूचित जाती, जनजाति, लघु कृषक, कृषि मजदुर तथा सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त किसानों को प्राथमिकता दे जाए।
5) कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यक्रम सभी के लिए है।

6) केन्द्रों का क्षेत्र तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या समिति हो. इसमें गुणात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए न की संख्यात्मकता को।
7) प्रशिक्षण का आधार शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं रूचि होनी चाहिये।
8) उपलब्ध संसाधनों, तकनीकों आदि के आधार पर अनुभूत आवश्यकता की पहचान करके तत्पश्चात उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
9) पाठ्यक्रम लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि लेन की दृष्टी से बनाये जाए.

अधिदेश (Mandates)

मूल्यांकन, परिष्करण और निरूपण के माध्यम से प्रौद्योगिक उत्पादों का अंगीकरण ही कृषि विज्ञान केन्द्र का मूल्य अधिदेश है। इस अधिदेश को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिये तथा किसानों के उन्नयन एवं विकास हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रत्येक कृषि विज्ञान के द्वारा संचालित की जाती है।

1. कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थानीय विशिष्टता की पहचान करने के लिये विभिन्न खेती प्रणालियों का खेत पर परीक्षण किया जाता है।
2. उत्पादन क्षमता प्रमाणन हेतु किसानों के खेतों पर अग्रवर्ती प्रदर्शन किया जाता है।
3. किसानों और प्रसार कर्मिकों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र की पहल के समर्थन से कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करता है।
5. प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे बीज, रोपण सामग्री, जैविक घटकों, नवजात और युवा पशुधन आदि को किसानों को उपलब्ध कराता है तथा उनका उत्पादन भी करवाता है।
6. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के तेजी से वितरण और तकनीक के अंगीकरण के लिये जागरूकता पैदा करने हेतु प्रसार गतिविधियों का आयोजन करता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य

कृषि विज्ञान केन्द्र खेती किसानी तथा ग्रामीण विकास हेतु प्रतिपल कार्यरत है। इनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1) खेती- बाड़ी करने वाले किसानों, पुरुषों और महिला तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए उनकी तात्कालिक समस्याओं पर परिसर और इसके बहार बाहर दक्षता और उत्पादन सम्बन्धी अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन.

2) युवा किसानों, विशेष रूप से ऐसे लड़कों जिन्होंने बीच में ही स्कूल की शिक्षा छोड़ दी हो उन लोगों की लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और गैर सरकारी स्तर पर अपने ही रोज़गार करने में खेती की आधुनिक प्रणाली के प्रति विश्वास और योग्यता पैदा हो सके.
3) किसानों को अधिक वैज्ञानिक सूचनाएं देकर उन्हें जागरूक बनाने के उद्धेश्य से कृषक दिवस, किसान मेले, रेडियो परिचर्चा, सूचना केंद्र, किसान गोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन
4) सम्बंधित स्थानीय एजेंसियों से मिलकर किसानों के लिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन.
5) किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तथा सूचना देने की दशा में आवश्यक अनुवर्ती कदम उठाना.

कृषि विज्ञान केन्द्र, इस प्रकार कृषि शोध में खेत पर प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नवीनतम तकनीकों के हस्तान्तरण के साथ जिले में समग्र ग्रामीण विकास के लिये प्रतिबद्ध आधार स्तर पर कार्य करने वाली अग्रणी संस्थान है। कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोधन और हस्तान्तरण प्रमुख हैं। जोकि अनुसंधान संस्थानों और ग्रामीणों के बीच की खाई को पाटने में सहयोग करता है, यह संस्था नई विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों आदि को प्रदर्शन और किसानों, ग्रामीण युवाओं और प्रसार कर्मियों के बीच प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर अंगीकृत करने में सहायता प्रदान करती है।

कृषि विज्ञान केन्द्र से किसानों को लाभ

1. **प्रशिक्षण :** कृषि विज्ञान केन्द्र किसान भाईयों, बहनों एवं ग्रामीण युवाओं के लिये एक वर्ष में 30-50 आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह केन्द्र की सबसे महत्त्वपूर्ण क्रिया है। प्रशिक्षण खास कर उन लोगों के लिये आवश्यक है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है तथा बेरोजगार है। केन्द्र इन लोगों को स्वरोजगार देने के लिये मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देता है और महिलाओं को सशक्त करने के लिये गृह विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण जैसे- सिलाई, बुनाई, अचार बनाना, पापड़ बनाना आदि दिया जाता है।
2. **खेत पर परीक्षण :** कृषि विज्ञान केन्द्र इसके माध्यम से किसानों की प्रमुख समस्या का उपचार करते हैं। कृषि वैज्ञानिक, किसानों को बताते हैं कि कौन सा बीज उत्कृष्ट है और कौन सी तकनीक सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तुलनात्मकता को स्थान दिया जाता है। यहाँ किसानों की भागीदारी अध्ययन का एक रूप है।
3. **अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन :** इसके माध्यम से केन्द्र किसानों को नई तकनीक के बारे में बताते हैं जोकि उत्पादन की लागत को कम करने कीट व रोगों को नियंत्रित करने के लिये, पैदावार को

बढ़ाने के लिये तथा महिलाओं के परिश्रम को कम करने के लिये, कृषि औजार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरण के उपयोग के बारे में बताया जाता है।

4. **अन्य विस्तार गतिविधियाँ :** कृषि विज्ञान केन्द्र अन्य विस्तार गतिविधियों जैसे किसान मेला, प्रक्षेत्र भ्रमण, किसान गोष्ठी, सेमिनार, कृषि प्रदर्शनी, साहित्य प्रकाशन, मोबाइल द्वारा वॉइस (Voice) मैसेज आदि द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता तथा कौशल को बढ़ाता है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालय (State Agricultural Universities)

डॉ0 एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) ने भारत में 'ग्रामीण विश्वविद्यालयों' की स्थापना की सिफारिश की। 1958 में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने अमेरिका के लैंड ग्रांट कॉलेज की शिक्षण पद्धति के आधार पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार की पद्धति को अपनाना प्रारंभ किया. 1960 में पहले कृषि विश्वविधालय की स्थापना पंतनगर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान उत्तराखंड में हुई, जिसमें तीनों प्रकार की गतिविधियों (शिक्षा, अनुसन्धान व प्रसार) को समावेशित किया गया.डॉ. एम.एस. रंधवा (1978)की अध्यक्षता वाली कृषि विश्वविद्यालयों की समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद कृषि विश्वविद्यालयों की विस्तार भूमिका प्रस्तुत की गई। राज्यकृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) ने आई.सी.ए.आर. प्रायोजित विस्तार कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता देनेके अलावा किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए कई अभिनव विस्तार मॉडल विकसित किए हैं। एस.ए.यू. द्वारा किए गए विस्तार गतिविधियों का प्रकार राज्य से भिन्न होता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के विकास में प्रमुख सहभागी हैं।

ये कृषि विश्वविद्यालय राज्य में कृषि से संबंधित सूचना के अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं। वे उत्पाद बढाने, कृषि में डिग्री एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम की व्यवस्था करने एवं स्थानीय कृषि संस्थाओं द्वारा आयोजित कृषक प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेकर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करते हैं।राज्य कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न कृषि जलवायु जोनों की स्थिति विशिष्ट समस्याओं के निपटाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम करते हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों की नियमित एवं अनिवर्य रूप से समीक्षा की जाती है एवं कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करना इन विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कार्य है।

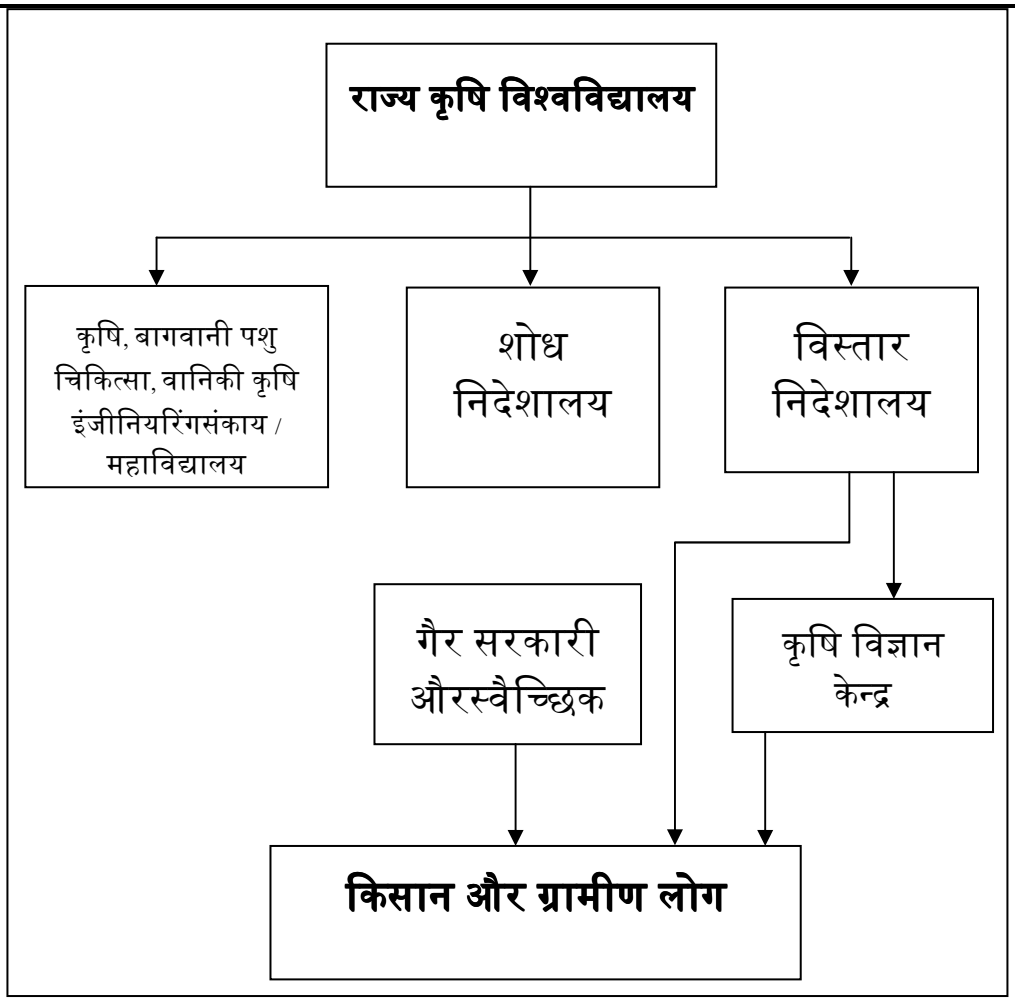

राज्य कृषि विश्वविद्यालयप्रसार प्रणाली

अभ्यास प्रश्न १

1. जोड़े मिलाएं

	परियोजना		संचालन वर्ष
अ	व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना	**1**	1979
ब	राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना	**2**	1972
क	प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना	**3**	1965
ड	पहला कृषि विज्ञान केन्द्र	**4**	1974

2रिक्त स्थान भरिये

I) भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए _____स्तरीय प्रशासनिक संगठनबनाया गया।

II) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) की स्थापना सन्_____ में हुई।

11.5 सामुदायिकस्वास्थ्यऔरअन्यनीतियोंसेसंबंधितप्रसार कार्यक्रममेंराज्यसरकारोंकीभूमिका

ग्रामीण विकास को हमेशा कृषि विकास के साथ जोड़ा गया और यह मान लिया गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ जाएगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के एक दशक बाद वैचारिक परिवर्तन हुआ।अधिक अन्न उपजाओजाँच समिति 1952 ने केवल कृषि या कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे पशुपालन आदि को ही नहीं अपितु इसके साथसाथ ग्रामीणों के लिए शिक्षा-, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिकआर्थिक जरूरतों के समन्वित कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया।-

सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना इसी सिफारिश के तहत शुरू किए गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 से 120 गाँवों का एक ब्लॉक योजना और समन्वित ग्राम विकास की मूल इकाई बना दिया गया। इसमें कृषि और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण, संचार, अनुपूरक रोजगार आदि भी शामिल किए गए और स्वावलम्बन तथा आम आदमी की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। राज्यों द्वारासामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की जिम्मेदारी ब्लॉक विकास अधिकारी की है। उसकी मदद के लिए अलग-अलग विभागों के

तकनीकी अधिकारी और ग्राम सेवक-सेविकाएँ होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य और जिला स्तर पर भी संगठन बनाए गए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों और मानव संसाधनों का भरपूर विकास करना तथा स्थानीय नेतृत्व और स्वशासित संस्थान विकसित करना ताकि ग्रामीण लोग अपने बलबूते पर अपना जीवन-स्तर ऊँचा कर सकें। इस कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी रही। इसके परिणामस्वरूप देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक ढाँचागत बुनियाद तैयार हो गई।

1970 के दशक के शुरू में सरकार के स्तर पर यह महसूस कर लिया गया था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं होना चाहिए बल्कि ग्रामीण लोगों की अन्य सामाजिक- आर्थिक जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी है लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम फिर से शुरू करने के बजाय नई योजनाएँ शुरू कर दी गई। इनमें यूनिसेफ की मदद सेव्यवहारिक पोषण कार्यक्रमशुरू किया गया जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए विकास खंडों में ग्रामीणों के पोषण-स्तर को सुधारना और स्वास्थ्य-सम्बन्धी देखभाल,टीकाकरण,पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना था। इनके अलावा जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए आय सम्बन्धी असमानता दूर करने का सामाजिक उद्देश्य हासिल करना और ग्रामीण समुदायों में रोजगार के अवसर बढ़ाना था।

भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी (ASHA) : मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) नामक महिला कार्यकर्ता हैं। 2005 से सुरु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गतविभिन्न राज्यों मे आशा कार्यकर्ताप्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने में चार मुख्य भूमिकाएं पूरी करते हैं:

- न्यूनतम स्तरपर मातृ शिशु देखभाल प्रदान करते हैं।
- स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देते हैं,खासकर गर्भवती महिलाओं और नई मां को स्वास्थ्य केंद्र में नियमित जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- रोगियों को स्वास्थ्य केंद्र में जांच करने के लिएभेजते है।

- गांवों की महिलाओं के साथ बैठक बुलाकर समुदायों को एकजुट करते हैंऔर गांवके उन परिवारोंका रिकॉर्ड रखते हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार हैं।

11.6 केंद्रीयसमाजकल्याणबोर्ड (Central Social Welfare Board)

समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनश्चित करना तथा इस कार्य के लिए ऐसे अधिक से अधिक संगठनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 अगस्त 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई. यह एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डविभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है ताकि वे महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, आश्रय, परामर्श सेवा तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराकर समाज में उनकी स्थितिको सुदृढ़ बना सकें और उन्हें सशक्त कर सके।

11.6.1 उद्देश्य

1) स्वैच्छिक प्रयासों की भावना को और सुदृढ़ करते हुए मानवीय दृष्टिकोण के साथपरिवर्तन के वाहक की भूमिका निभाए।
2) महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करने के लिए संचालन-तंत्रबनाए।
3) समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशील प्रोफेशनलों का संवर्ग तैयार करे।
4) नए उभरते क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के समक्ष आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं पर केंद्रित नीतिगत पहल की सिफारिश करे।
5) अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करना और महिलाओं से संबंधित योजनाओं का दायरा बढ़ाना।
6) सामाजिक जांचकर्ता के रूप में अपनीअनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) की भूमिका को औरसुदृढ़ करना तथा स्वैच्छिक क्षेत्र को मार्गदर्शन देना ताकि उसकी अपेक्षित सरकारी राशि तक पहुंच कायम हो सके।
7) परिवर्तनशील समाज की चुनौतियों के बारे में जागरूकता लाना, जहां महिलाओं और बच्चों की खुशहाली पर प्रौद्योगिकी और पेशे का बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

11.6.2 कार्य

जुलाई 1960में किये गए मूल्यांकन के आधार पर समिति के कार्य में कई नए आयाम जोड़े गए. 1968 में ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु 'परिवार व शिशु कल्याण सेवाएं' का आयोजन किया गया. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य निम्नांकित है-

1. स्वयं सेवी संगठनों की आवश्यकताओं एवं मांगों का सर्वेक्षण करना।
2. अयोग्य संस्थानों एवं संगठनों के लिए आर्थिक सहयता प्रदान करना।
3. महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना।
4. **कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था**- बड़े-बड़े शहरों, महानगरों आदि में जहाँ कामकाजी महिलाएं अधिक हैं तथा आवास सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहां समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है।
5. **अनुपूरक पोषण कार्यक्रम-** शिशु कल्याण हेतु सन 1970में समिति द्वारा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु की पोषण-न्यूनता-जन्य-बीमारियों से रक्षा करना है। इसके लिए बोर्ड द्वारा तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चों को पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है।
6. **शिशुगृह/ पालनाघर** (Creche)**-** महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसरों तथा पारिवारिक आय में योगदान करने की आवश्यकता में वृद्धी के कारण अधिकाधिक महिलाएं रोज़गार के लिए घर से बाहर जाती है। सयुंक्त परिवार के टूटने तथा एकल परिवारों की संख्या में वृद्धी के कारण महिलाओं को कामकाज पर जाने के समय अपने छोटे बच्चों की गुणवत्ता देखभाल की आवश्यकता होती है। इस को ध्यान में रखते हुए सन 1977में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पालनघर की व्यवस्था गई।
7. **परिवार परामर्श केंद्र-** वर्तमान समय में परिवार के लोगों में बीच आपस में कई मनमुटाव हैं जिनके कारण परिवार टूट रहे है. परिवार परामर्श केन्द्रों द्वारा परिवार या समाज में अत्याचारों की शिकार एवं अन्य सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक विवादों और कलह से ग्रस्त महिलाओं को परामर्श, सहयता और पुनर्वास सेवा प्रदान की जाती है।
8. **शहरी महिलाओं हेतु कार्यक्रम-** यह योजना उन शहरी महिलाओं के लिए चलायी गई जिनकी आर्थिक आय कम है. इस योजना के अंतर्गत उन निम्न माध्यम वर्गीय महिलाओं हेतु रोजगार मुहैया कराना ताकि वे धन आर्जित कर अपने परिवार की आय में वृदि करके उन्हें खुशहाल बना सके।

9. **महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम-** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष **1958** में शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना प्रारम्भ की गयी। इसका उद्देश्य उन व्यस्क लड़कियों/ महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना है जो शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकीं या जिन्होंने स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी हो। योजना का लक्ष्य **15** वर्ष से अधिक आयु के लड़कियों/ महिलाओं को पढाई- लिखाई के अवसर प्रदान करना तथा हुनर-विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता में विस्तार करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौढ़ महिलाओं में आत्म-विश्वास जगाना है ताकि वे सशक्त और समर्थ हो सकें।
10. **ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना-** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं की स्थिति, अधिकार और समस्याओं से सम्बंधित मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना कार्यक्रम चलाता है जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के जरूरतों का पता लगाना, परिवार और समुदाय में निर्णय-प्रक्रिया में उनकी सक्रीय भागीदारी बढ़ाना. इनमे महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार सहित विकास के मुद्दे शामिल है।
11. **महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह-** इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है. इसका उद्देश्य उन महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण एवं पुनर्वास सेवा प्रदान करना है, जो पारिवारिक कलह के कारण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, भावनात्मक अशांति, मानसिक समस्याओं, सामाजिक उत्पीड़न, शोषण का शिकार हों, या जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए विवश किया गया हो. इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए छह महीने से तीन वर्ष तक अस्थायी आश्रय और अन्य सेवाएँ/ सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जैसे (१) मामले की पड़ताल एवं परामर्श सेवाएं, (२) स्वास्थ्य रक्षा एवं मानशिक चिकित्सा उपचार, (३) व्यवसाय सम्बन्धी सहायता, हुनर विकास हेतु प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सेवाएँ एवं (४) शिक्षा, व्यवसाय एवं मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियाँ

11.7 पंचायती राज प्रणाली

पंचायती राज शासन तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय ईकाई की तरह कार्य करती है। 'पंचायती राजमें पंचायती से आशय है पंच का फैसला तथा राज से तात्पर्य है शासन, अर्थात् पंचों का शासन ही पंचायती राज्य कहलाता है। महात्मा गांधी ने भारत के राजनैतिक प्रणाली के रूप में पंचायती राज को महत्वपूर्ण बताया है। यह सरकार के विकेन्द्रीकरण का ही एक रूप है जिसमें प्रत्येक गॉव अपने उत्थान के लिए स्वतः ही प्रयत्नशील रहता है। इसी दृष्टि को ग्राम स्वराज्य कहा गया है। ग्राम स्वराज्य का अर्थ है गॉव का राज (गॉव का अपना राज)।

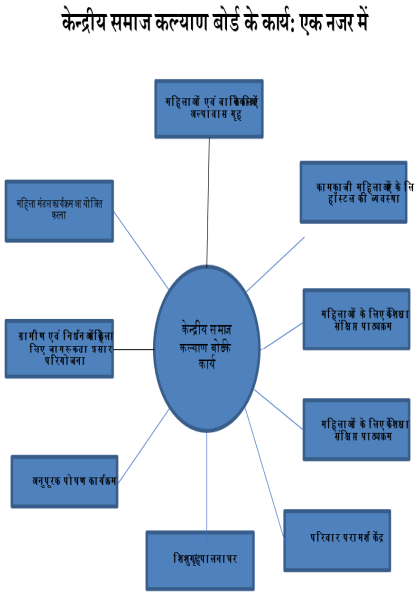

भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण अथवा पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में की गयी। 1950-60 के दशक में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत तीन लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना की है -

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

2. विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति

3. जिला स्तर पर जिला परिषद

वर्तमान में, भारत के सभी राज्यों में तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में त्रिस्तरीय प्रणाली, 5 राज्यों में द्विस्तरीय प्रणाली तथा 8 राज्यों में एक स्तरीय प्रणाली कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड ही अब तक पंचायती राज शासन से वंचित हैं।

भारत में, पंचायती राज के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 एक यादगार दिवस के रूप में स्थापित हो गया है। इस दिन भारतीय संविधान की 73 वॉ संशोधित धारा लागू किया गया है जिसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्टेट्स की संज्ञा दी गई है। इस धारा का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों के 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान) तक किया गया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली उन सभी राज्यों में कार्य कर रही है जिसकी जनसंख्या 2 मिलियन या उससे भी अधिक है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पंचायत का चुनाव होता है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित है।

11.7.1 **पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली**

पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था के अर्न्तगत तीन लोकतन्त्रीय एवं लोकप्रिय संस्थायें स्थापित की गयीं। प्रथम-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय-विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, क्षेत्र समिति तथा तृतीय-जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में स्थापित कीं।

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की पहली संस्था है जो एक ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जो एक या अधिक गाँव को मिलाकर जिनकी आबादी 1000 हो बनायी जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या ग्राम की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव गॉव के सभी व्यस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रधान का साक्षर होना अनिवार्य है। इन

निर्वाचित सदस्यों में एक तिहाई सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति

पंचायत समिति, पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की दूसरी संस्था है। यह संस्था सामुदायिक विकास खण्ड की एक चुनी गई परिषद हैं जोगाँवों के तहसील या तालुका के लिए कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत तथा जिला प्रशासन के मध्य मध्यस्थ की तरह भी कार्य करता है। विभिन्न राज्यों में इस संस्था में अनेक तरह के विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में इसे 'मण्डल प्रजा परिषद, आसाम में 'आंचलिक पंचायत, मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत, उत्तर प्रदेश में इसे 'क्षेत्र पंचायततथा पश्चिम बंगाल में आंचलिक पंचायतकहते हैं।

जिला स्तर पर जिला परिषद

जिला स्तर पर जिला परिषद् का गठन किया जाता है। यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की अंतिम एवं उच्चतम संस्था है जो जिला स्तर पर कार्य करती है। प्रायः सभी राज्यों में इसे जिला पंचायत कहते हैं। जिला पंचायत के गठन के लिए 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है।

जिला परिषद में पंचायत समिति से चुने हुए प्रतिनिधि व पंचायत समिति के प्रमुख सदस्य होते है जो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद का वित्त प्रबन्धन मुख्यतः राज्य सरकारों के अनुदान तथा कुछ स्थानीय स्तर पर कर लगाने से होता हैं। जिला परिषद के मुख्यतः पंचायत समितियों के कार्यों व आय- व्यय की देख-रेख, पंचायत समिति के बजट की स्वीकृति राज्य सरकार को विकास कार्यक्रमों पर सुझाव देना तथा सरकार के विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराना आदि प्रमुख कार्य होते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

1. लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण अथवा पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को .....राज्य के..... जिले में की गयी।
2. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डअर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण _____मंत्रालय के अधीन होता है।

3. पंचायती राज की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत ..... पहली संस्था है जो एक ग्राम स्तर पर कार्य करती है।

11.8 सारांश

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशासनिक संगठन पांच स्तरीय बनाया गयाहैं।केन्द्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्रामस्तरपर विकास कार्योंका प्रबंधन एवं संचालनकिया जाता है।भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र, राष्ट्रीय प्रदर्शन, प्रयोगशाला से खेतों तक, 3 व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्रके माध्यम से किसानो तक नवीतम जानकारी पहुंचने के लिए कार्यरतहै।जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के लिये ज्ञान का केन्द्र है जिसमें किसान प्रशिक्षण खेत पर परीक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तथा अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कृषि के आधुनिक तकनीकियों की जानकारी प्राप्त करते है।राज्यकृषिविश्वविद्यालयों
(एस.ए.यू.)किसानोंतकप्रभावीतरीकेसेपहुंचनेकेलिएकईअभिनवविस्तारमॉडलविकसितकिएहैं।वे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करते हैं। कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करना इन विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कार्य है।ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिकर्थिक जरूरतों के समन्वित आ-कार्यक्रम को भी बढ़ावादेने हेतुसामुदायिक विकास कार्यक्रमके माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक ढाँचागत बुनियाद तैयारकी गयी।केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था हैजो विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध करता है ताकि वे महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, आश्रय, परामर्श सेवा तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कर सके।पंचायती राज शासन तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय ईकाई की तरह कार्य करती है। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था के अन्त्रगत तीन लोकतन्त्रीय एवं लोकप्रिय संस्थायें स्थापित की गयीं। प्रथम-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,द्वितीय-विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, क्षेत्र समिति तथा तृतीय-जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में स्थापित कीं।

11.9 पारिभाषिक शब्दावली

कृषि विज्ञान केन्द्र: विज्ञान आधारित संस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं जोकि किसानों को स्वावलम्बी बनने में सहायता प्रदान करता है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड: यह एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है।

11.10 अभ्यासप्रश्नोंकेउत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1 जोड़े मिलाएं

परियोजना	**(संचालन वर्ष)**
व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना	(1972)
राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना	(1965)
प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना	(1979)
पहला कृषि विज्ञान केन्द्र	(1974)

2 रिक्त स्थान भरिये

i पाच

ii 1929

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

I) राजस्थान राज्यके नागौर जिले

II) ग्राम पंचायत

III) केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय

IV) ग्राम पंचायत

11.11 सन्दर्भग्रन्थसूची

1) डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा

2) डॉ जीतेंद्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा

11.12 सहायकपाठ्यसामग्री

http://www.cswb.gov.in/

http://www.panchayat.gov.in/home

11.13 निबंधात्मकप्रश्न

1. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) द्वारा संचालित प्रसार प्रणालीका विस्तृत विवरण दीजिये।
2. सामुदायिकस्वास्थ्यऔरअन्यनीतियोंसेसंबंधितप्रसार कार्यक्रममेंराज्यसरकारोंकीभूमिका बताइए।

इकाई 12 : समुदाय का विकास

12.1 प्रस्तावना
12.2 उद्देश्य
12.3 भारत में पंचायती राज व्यवस्था
12.3.1 वैदिक पंचायत
12.3.2 स्वतन्त्रता से पूर्व एवं वैदिक काल के बाद भारत में पंचायत व्यवस्था में आये बदलाव
12.3.3 विकेन्द्रीकरण
12.3.4 आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ
12.3.5 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज
12.3.6 तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन
12.3.7 74वाँ संशोधन अधिनियम
12.3.8 नगरीय स्वशासन का विकास
12.3.9 पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित प्रावधान
12.4 सामुदायिक विकास में पंचायती राज संगठन व संस्थायें
12.4.1 सामुदायिक विकास में पंचायती राज संगठनों व संस्थाओं की भूमिका
12.4.2ग्राम पंचायत
12.4.3 क्षेत्र पंचायत
12.4.4 जिला पंचायत
12.4.5 नगरीय शासन
12.4.6 नगरीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान
12.4.7 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय शासन के सम्बन्ध में प्रावधान
12.4.8 प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट
12.4.9 पंचायती राज संक्षेप में
12.5 सारांश
12.6अभ्यासप्रश्नों के उत्तर
12.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

12.1 प्रस्तावना

पॉच पंच मिलि कीजैकाज, हारे जीत न होने लाज।

पाँच व्यक्तियों की सभा एवं पंचायत हमारा बहुत प्राचीन और सुन्दर शब्द है। जिसके साथ प्राचीनता की मिठास जुड़ी हुई है, 'पाँच बोले परमेश्वर'- पाँचों पंच जब एक साथ से कोई निर्णय देते थे तो वह परमेश्वर की आवाज प्राप्त थी। प्राचीन काल से ही भारत में पंचायतो को असीमित स्वतंत्रा प्राप्त थी। ग्रामो की पंचायतें व संस्थाये भरत में सर्वप्रथम प्रारम्भ हुई और संसार के सभी देशो के मुकाबले यहॉ ही सबसे अधिक दिनों तक स्थापित रही। पाँच पंच ग्राम की जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। जिसके द्वारा भारत के असंख्य ग्राम लोक राज्यों का शासन चलता था। भारतीय समाज में पंच परमेश्वर न कुछ प्रशासकीय कार्य ही करते थे वरन आपसी विवादों का हल करने एवं विकास के कार्यों को करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

प्राचीन इतिहास का यही एकमात्र स्थायी आधार है जिस पर भारत का प्रत्येक साम्राज्य फला- फूला है। पंचायत शब्द हिन्दी भाषा में बहुत समय से प्रयुक्त हो रहा है। संस्कृत में एक पंचायतन शब्द है जिसका व्यवहार देव पूजन में किया जाता है। प्रतीत होता है कि यह पंचायत इसी पंचायतन शब्द है जिसका प्रयोग देवपूजन में किया जाता है। प्रतीत होता है कि यह पंचायत हसी 'पंचायतन' से सम्बन्ध रखता है। पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा की गयी खोजों के फलस्वरूप जो पुराने ताम्रपत्र इत्यादि प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास शताब्दियों पुराना है। 'पंचायत' शब्द पंच + आयत से बना है। पंच का अर्थ है सुमदाय संस्था तथा आयत का अर्थ है विकास या विस्तार। अतः सामूहिक रूप से गाँव का विकास ही पंचायत का वास्तविक अर्थ है| इस इकाई के माध्यम से आपको भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी।

12.2 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य भारत में पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़िकरण के प्रयासों की जानकारी कोपहुँचाना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

a. भारत में पंचायती राज व्यवस्था की एतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे,
b. इसके सुद्ढ़िकरण के लिए किये गये प्रयासों को जानेंगे, और
c. पंचायती रात व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले संगठनों व संस्थाओं की सामुदायिक विकास में भागीदारी को जानेंगे।

12.3 भारत में पंचायती राज व्यवस्था

12.3.1 वैदिक पंचायत

पंचों की निष्पक्षता की पुष्टि हमारे साहित्य व संस्कृति से भी होती है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की भॉति ही पंचायत और पंचायती राज भी एक गौरवशाली परम्परा रही है। भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रभाव ऋगवेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं। पंचायत व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथ को है। राजा पृथ वेन के पुत्र थे। जो सर्वप्रथम राजा थे, जिन्होने धर्मपूर्वक शासन करते हुए प्रजा को प्रसन्न किया जिनसे उन्हें राजा कहा जाने लगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंचायत प्रणाली राजा पृथु ने गंगा और यमुना के बीच धरातल में स्थापित की थी वैदिक काल से ही ग्राम को प्रशासन की मौलिक इकाई माना जाता रहा है। जातक ग्रन्थ में थी ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है।

उत्तर वैदिक काल में भी एक सामूहिक राजनीतिक इकाई के रूप में ग्राम का महत्व रहा है। लघु गणराज्यों के रूप में हिन्दु-मुस्लिम तथा पेशवा शासन काल में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व रहा है। वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि उस युग में कृषि एवं पशुपालन प्रधान उघोग थे। गाँवों का नगरों की अपेक्षा अधिक महत्व था ओर व्यक्ति सामुदायिक जीवन व्यतीत करते थे।

डा0 सरयू प्रसाद चौबे ने कहा है- आर्यों के भारत आने से पूर्व यहॉ ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो गया था। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती थी जिसमें एक मुखिया तथा अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। आर्यों के आगमन के पश्चात भारतवर्ष में जाति व्यवस्था का आगमन हुआ। वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय प्रत्येक ग्राम आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर तथा सम्पूर्ण इकाई होता था। समिति नाम की एक सार्वजनिक तथा सार्वभौम प्रतिमिदयात्मक संस्था होती थी जिसे पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त थी। राजा का निर्वाचन करने में तथा उसके क्रिया-कलापों पर नियन्त्रण रखने में समक्ष थी। राजा को सभा, समिति के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही था। राजा पूर्ण स्वेच्छाचारी नही होता था। अपितु समिति जैसी महान सार्वभौम संस्था से नियन्त्रित रहता था। समिति शब्द साथ - साथ मिलने के अर्थ से निर्मित हुआ है। भारत में प्रत्येक समय प्रत्येक स्तर पर ऐसी समितियों के लक्षण पाए गए हैं। समिति (सम +इ + ति) अर्थात सभी का एक स्थान पर मिलना अथवा इकत्रित होना राजा का निर्वाचन करते समय समिति व सभा राजा से निवेदन करती थी कि वह अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करें। वह अपने पद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे और शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करे। (अर्थवद 6186188) का पूरा सूत्र निम्नवत है।

आ त्वाहार्षमन्त्रभूर्ध्रु वर्स्तिष्ठाविचाचलत

विश्वस्तवा सर्वा वाअछन्तु या व्वद राष्ट्रमधिभ्रशत ॥

अर्थात , हे राजन । तुम प्रसन्नता के साथ हमारे मध्य में अविचलन होकर अवस्थित हो जाओ, समस्त प्रजा तुमको चाहती रहे। तुम्हारे राष्ट्र का अकल्याण न हो अथवा तुमसे राष्ट्र को किसी प्रकार की हानि न हो।

अथर्ववेद में (5/15) - 'नास्यैसमिति: कल्पते'

यह शब्द बताता है कि अत्याचारी राजा की सहायता समिति भी नहीं कर सकती। समिति राजा पर सभी प्रकार से नियन्त्रण करती थी जो राष्ट्र की महान संस्था होती थी।

वैदिक युग में राजाओं का समिति में में उपस्थित होना अनिवार्य था। सभा और समिति दोनों राजा की रक्षा करती थी व उचित सलाह भी देती थी। राजा स्वयं कहता था कि सभा और समिति मेरी रक्षा करें इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में राजा होते थे, लेकिन वे निरंकुश शासन नहीं कर सकते थे। ग्रामीण नेताओं से सलाह करना उनके लिए आवश्यक होता था। समिति द्वारा निर्वाचित राजा 'समितिप्रिय' कहलता था। सभा और समिति एक उच्चकोटि की निर्वाचित शासन प्रबन्ध की संस्थाये थी जो लोकतन्त्रीय पद्धति पर विकसित होकर ग्रामीण समाज की स्वशासित संस्थाओं के रूप में समाज का एक आवश्यक अंग बन गई थी। ग्राम का मुखिया, सरपंच कहलाता था। वह ऐसा अधिकारी था जो ग्राम के निवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। सरपंच का पद बहुत ऊँचा था। उसकी गिनती राज्य शासन व्यवस्था के मुख्य अधिकारियों में होती थी। ग्राम के विशिष्ट व्यक्ति मिलकर ग्राम में शान्ति व्यवस्था बनाये रखते थे। यही ग्राम पंचायत का रूप था।

ग्राम पंचायत के विषय में डा0 अल्टेकर ने लिखा है, 'ये ग्राम पंचायतें ग्राम की रक्षा का प्रबन्ध करती थी और राज्य का कर एकत्रित करती थी तथा नए कर लगाती थी इनके अन्य कार्य निम्न थे;

(1) सार्वजनिक ऋण आदि की सहायता से अकाल तथा संकटो के निवारण का उपाय करती थी।

(2)ग्राम के झगड़ों का फैसला तथा लोकहित की योजनाएं क्रियान्वित करती थी।

(3)पाठशालाएं अनाथालय तथा विद्यालय चलाती थी और मन्दिरों में अनेक सॉस्कृतिक और धार्मिक कार्य करती थी।

(4) युद्व करने और सन्धि करने के दो अधिकार छोडकर इन्हे राज्य के शेष अधिकार प्राप्त थे।

(5) आपस में सदभाव और सामाजिक एकता अथवा मित्रता बढ़ाना, आपसी झगड़ों का निबटारा करना तथा भूमि प्रबन्धन करना इसके मुख्य उददेश्य थे।

(6) ग्राम पंचायत स्थानीय रक्षा के लिए अपनी पुलिस रखती थी व ग्राम और नगर की सफाई का प्रबन्ध करती थी।

(7)पंचायतें छोटे- छोटे दीवानी तथा फौजीदारीझगड़ों का निबटारा स्वयं करती थी।

पंचायतों के विश्वास तथा प्रभाव का अनुमान इससे हो जाता कि आज भी भारत में 'पंचो के परमेश्वर' की कहावत प्रचलित है।

यह इतिहास के सामान्य ज्ञान की वस्तु है कि वैदिक काल से ही ग्रामों में सामूहिक निर्णय की अटूट परम्परा रही है यह सामुहिकता दो स्तरों पर प्रकट होती थी। प्रथम स्तर यह था कि ग्राम के सभी बालिग और समर्थ व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हों और किसी विवाद का समाधान करें लेकिन अधिकांशतः निर्णय इतनी बड़ी ग्रामीण संसद के द्वारा नहीं लिए जा सकते थे। संवाद में अराजकता थी निर्णय प्रक्रिया में अव्यवस्था आ जाने का डर रहता था। इसलिए प्रायः प्रतिनिधि सभा का एक छोटा सा समूह ही पंचायत व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था।

अगले भाग में अब हम जानेंगे कि स्वतन्त्रा से पूर्व एवं वैदिक काल के बाद भारत में पंचायत व्यवस्था में कैसे बदलाव आये।

12.3.2 स्वतन्त्रा से पूर्व एवं वैदिक काल के बाद भारत में पंचायत व्यवस्था में आये बदलाव

स्वतन्त्रता पूर्व पंचायतों की मजबूती व सुदृढ़िकरण हेतु विशेष प्रयास नहीं हुए इसके विपरीत पंचायती राज व्यवस्था लड़खड़ाती रही। मध्य काल में मुस्लिम राजाओं का शासन भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। यद्यपि स्थानीय शासन की संस्थाओं की मजबूती के लिए विशेष प्रयास नहीं किये गये परन्तु मुस्लिम शासन ने अपने हितों में पंचायतों का काफी उपयोग किया। जिसके फलस्वरूप पंचायतों के मूल स्वरूप को धक्का लगा और वे केन्द्र के हाथों की कठपुतली बन गई। सम्राट अकबर के समय स्थानीय स्वशासन को पुनः मान्यता मिली। उस काल में स्थानीय स्वशासन की इकाईया कार्यशील बनी। स्थानीय स्तर पर शासन के सारे कार्य पंचायतें ही करती थीं और शासन उनके महत्व को पूर्णतः स्वीकार करता था। लेकिन मुस्लिम काल के इतिहास को अगर समग्र रूप में देखा जाए तो इस काल में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूती नहीं मिल सकी।

ब्रिटिश काल के दौरान भी प्राचीन पंचायत व्यवस्था लड़खड़ाती रही। अंग्रजों शासन काल में सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया और दिल्ली सरकार पूरे भारत पर शासन करने लगी। केन्द्रीकरण की नीति के तहत अंग्रेज तो पूरी सत्ता अपने कब्जे में करके एकछत्र राज चाहते थे। भारत की विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था उन्हें अपने मनसूबों को पूरा करने में एक रुकावट लगी। इसलिये अंग्रेजों ने हमारी सदियों से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की परम्परा व स्थानीय समुदाय की ताकत का तहस-नहस कर शासन की अपनी व्यवस्था लागू की। जिसमें छोट-छोटे सूबे तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कमजोर बना दी गई या पूरी तरह समाप्त कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ अंग्रेजी सरकार के अधीन होता गया। सरकार की व्यवस्था मजबूत होती गई और समाज कमजोर होता गया। परिणाम यह हुआ

कि यहां प्रशासन का परम्परागत रूप करीब-करीब समाप्त प्राय हो गया और पंचायतों का महत्व काफी घट गया।

अंग्रेजी राज की बढ़ती ताकत व प्रभाव से आम आदमी दबाव में था। समाज में असंतोष बढने लगा, जिसके कारण 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक विकेन्द्रीकरण कमीशन की नियुक्ति की गई। 1919 में "मांटेस्क्यू चेम्सफोर्स सुधार"के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतों को फिर से स्थापित करने का काम प्रांतीय शासन पर छोड़ दिया । अंग्रेजों की नीयत तब उजागर हुई जब एक तरफ पंचायतों को फिर से स्थापित करने की बात कही और दूसरी तरफ गाँव वालों से नमक तक बनाने का अधिकार छुड़ा लिया। इसी क्रम में 1935 में लार्ड वैलिग्टन के समय भी पंचायतों के विकास की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिशकाल में पंचायतों को फलने फूलने के अवसर कम ही मिले।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तहसील, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राजव्यवस्था अस्तित्व में रही है, भले ही इसे विभिन्न नाम से विभिन्न काल में जाना जाता रहा हो। पंचायती राज व्यवस्था को मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी जारी रखा गया। ब्रिटिश शासन काल में 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थिति पर जाँच करने तथा उसके सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए 1882 तथा 1907 में शाही आयोग का गठन किया। इस आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया, जिसके कारण 1920 में संयुक्त प्रान्त, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाये गये। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी संघर्षरत लोगों के नेताओं द्वारा सदैव पंचायती राज की स्थापना की मांग की जाती रही।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नये अनुच्छेदों (243 से 243-ण तक) और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

आप जान गये होंगे कि पंचायती राज में विकेन्द्रीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका हैं, तो अब जाने विकेन्द्रीकरण के बारे में।

12.3.3 विकेन्द्रीकरण

विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि शासन-सत्ता को एक स्थान पर केन्द्रीत करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाये, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरुप शासन-संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के विकेन्द्रीकरण का मूल आधार है। अर्थात् आम जनता तक शासन-सत्ता की पहुँच को सुलभ बनाना ही विकेन्द्रीकरण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारा कार्य एक जगह से संचालित न होकर अलग-अलग जगह व स्तर से संचालित होता है। उन कार्यों से सम्बन्धित निर्णय भी उसी स्तर पर लिये जाते हैं तथा उनसे जुडी समस्याओं का समाधान भी उसी स्तर पर होता है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर एवं जिला पंचायत स्तर से संचालित होती हैं।

विकेन्द्रीकरण को निम्न रूपों में समझा जा सकता है।

a. विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों का बंटवारा होता है। अर्थात केन्द्र से लेकर गांव की इकाई तक सत्ता, शक्ति व संसाधनों का बंटवारा। साथ ही हर स्तर अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जवाबदेह होता हैं। हर इकाई अपनी जगह स्वतन्त्र होते हुये केन्द्र तक एक सूत्र से जुड़ी रहती है।
b. विकेन्द्रीकरण का अर्थ है विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी सुनिश्चित हो। स्थानीय इकाईयों व समुदाय को ज्यादा से ज्यादा अधिकार व संसाधनों से युक्त करना ही वास्तविक विकेन्द्रीकरण करना है।
c. विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में हो और सरकार लोगों के विकास के लिए कार्य करे।
d. विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था में शासन को हर इकाई स्वायत्त होती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह इकाई अपने मनमाने ढंग से कार्य करे अपितु प्रत्येक इकाई अपने से ऊपर की इकाई द्वारा बनाये गये नियमों व कानूनों के अन्तर्गत कार्य करती है। उदाहरण के लिए भारत में राज्य सरकारें अपने राज्य के लोगों के विकास के लिए नियम-कानून, नीतियां एंव कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतन्त्र है लेकिन वे केन्द्रीय संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत ही यह कार्य करती हैं। कोई भी राज्य सरकार स्वतन्त्र होते हुए भी संविधान के नियमों से बाहर रह कर कार्य नहीं कर सकती। विभिन्न स्तरों पर अनुशासन व सामंजस्य होना विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया की सफलता का प्रतीक है। यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्तर पर विकेन्द्रीकरण अचानक ही नहीं हो जाता अपितु यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे होती है।

विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता व महत्व

a.शासन व सत्ता में आम जन की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त है। जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था ही एक कारगर उपाय है। विश्व स्तर पर इस तथ्य को माना जा रहा है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जो कार्यों के समुचित संचालन व कार्यों को करने में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जबाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित करने के रास्ते खोलती है। प्रत्येक स्तर पर लोग अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सही व संविधान के दायरे में रह कर प्रयोग कर सकें इस के लिए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है इस व्यवस्था में अलग-अलग स्तरों पर लोग अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समझकर उनका निर्वाहन करते हैं। प्रत्येक स्तर पर एक दूसरे के सहयोग व उनमें आपसी सामंजस्य से हर स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का, आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है साथ ही हर स्तर पर प्रत्येक इकाई को अपने संसाधन स्वयं जुटाने का भी अधिकार व जिम्मेदारी होती है। लेकिन विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह नहीं कि हर कोई अपने-अपने मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है। कार्य करने की स्वतन्त्रता सुशासन के संचालन के लिए बनाये गये नियम कानूनों के दायरे के अन्दर होती है।

b. विकेन्द्रीकरण का महत्व इसलिए भी है कि इस व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजनायें लोगों की सम्पूर्ण भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर ही बनेंगी व स्थानीय स्तर से ही लागू होंगी। पहले केन्द्र में योजना बनती थी और वहां से राज्य में आती थीं व राज्य द्वारा जिला, ब्लाक व गांव में आती थी। लेकिन भारत में अब नये पंचायती राज में विकेन्द्रीकरण की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर योजना बनेगी व ब्लाक, जिला, राज्य से होती हुई केन्द्र तक पहुँचेगी। योजनाओं का क्रियान्वयन भी ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन द्वारा होगा।

इस प्रकार विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सत्ता व शक्ति एक केन्द्र में न रहकर विभिन्न स्तरों पर विभाजित हो गई है। जिसके माध्यम से स्थानीय व ग्रामीण लोगों को प्रशासन में पूर्ण भागीदारी निभाने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

विकेन्द्रीकरण के आयाम

1.**कार्यात्मक स्वायतता-** इसका अर्थ है सत्ता के विभिन्न स्तरों पर कार्यों का बंटवारा। अर्थात हर स्तर अपने अपने स्तर पर कार्यों से सम्बन्धित जिम्मदारियों के लिए जवाब देह होगा।

2.**वित्तीय स्वायतता-** इसके अन्तर्गत हर स्तर की इकाई को उपलब्ध संसाधनों को आवश्यकतानुसार खर्च करने व अपने संसाधन स्वयं जुटाने के अधिकार होता है।

3.प्रशासनिक स्वायतता- प्रशासनिक स्वायतता का अर्थ है हर स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था हो तथा इससे जुड़े अधिकारी /कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हों।

विकेन्द्रीकरण के लाभ

1.स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को समझकर उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से कार्य तेजी से होंगे। कार्यों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। साथ ही विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की निगरानी में होगा, इससे पैसे का दुरूपयोग कम होगा।

2. विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था से विकास योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागेदारी सुनिश्चित होती है। विकास कार्यों की प्राथमिकता स्थानीय स्तर स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तय की जायेगी। व विकास कार्यक्रम ऊपर से थोपने के बजाय स्थानीय स्तर पर तय किये जायेंगें।

3. विकास कार्यों का स्थानीय स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन किये जाने से उनका प्रभावी निरीक्षण होगा। नियोजन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होने से कार्यों के क्रियान्वयन व निगरानी में भी उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। इससे से कार्य समय पर पूरे होंगे तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा।

4. स्थानीय स्तर पर स्थानीय साधनों के उपयोग से अपना कोष विकसित होने व कार्य करने से कार्य की लागत भी कम आयेगी।

विकेन्द्रीकृत की सोच स्थानीय स्तर पर लोकतान्त्रिक तरीके से चयनित सरकार पर जोर देती है एवं यह भी सुनिश्चित करती है कि स्थानीय इकाई को सभी अधिकार शक्तियां व संसाधन प्राप्त हो ताकि वे स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकें व अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कर सके।

12.3.4 आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केन्द्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और एस.के.डे को इस विभाग का मन्त्री बनाया गया।देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्स्थान के लिए इसके बाद 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस उद्येश्य के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया कि सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिक

से अधिक सहयुक्त किया जाए। इस कार्यक्रम के अधीन खण्ड को इकाई मानकर खण्ड के विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ सामान्य जनता को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। इसके बाद 2 अक्टूबर, 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा को प्रारम्भ किया गया, जो असफल हुआ।

12.3.5 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतों के पूर्ण विकास के लिये प्रयत्न शुरू हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी स्वराज और स्वावलम्बन के लिये पंचायती राज के प्रबलतम समर्थक थे। गांधी जी ने कहा था- ''सच्चा स्वराज सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने से नहीं बल्कि इसके लिये सभी हाथों में क्षमता आने से आयेगा। केन्द्र में बैठे बीस व्यक्ति सच्चे लोकतन्त्र को नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिये निचले स्तर पर प्रत्येक गांव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा।गांधी जी की ही पहल पर संविधान में अनुच्छेद 40 शामिल किया गया। जिसमें यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठायेगा तथा पंचायतों को प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद राज्य का नीति निर्देशक सिद्धान्त बना दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न कमीशन नियुक्त किये गये, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पुर्नजीवित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थापित किये गये। किन्तु प्रारम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल सकी, इसका मुख्य कारण जनता का इसमें कोई सहयोग व रुचि नहीं थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सरकारी कामों के रुप में देख गया और गाँववासी अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयत्न करने के स्थान पर सरकार पर निर्भर रहने लगी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार यह आशा करते थे कि जनता इसमें आगे आये और दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। कार्यक्रम जनता ने चलाना था, लेकिन वे बनाये उपर से जाते थे। जिस कारण इन कार्यक्रमों में लोक कल्याण के कार्य तो हुए लेकिन लोगों की भागीदारी इनमें नगण्य थी। ये कार्यक्रम लोगों के कार्यक्रम होने के बजाय सरकार के कार्यक्रम बनकर रह गये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल हाने के कारणों का अध्ययन करने के एक कमें टी गठित की गयी। जिसका नाम बलवन्त राय में हता समिति था।

बलवंत राय मेहता समिति

1957 में सरकार ने पंचायतों के विकास पर सुझाव देने के लिए श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की

तुरन्त स्थापना की जानी चाहिए। इसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का नाम दिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने गाँवों के समूहों के लिए प्रत्यक्षतः निर्वाचित पंचायतों, खण्ड स्तर पर निर्वाचित तथा नामित सदस्यों वाली पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् गठित करने का सुझाव दिया गया।

नीचे दी गई तालिका संख्या 12.1 द्वारा आप भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के नामों को जान सकते है।

तालिका संख्या:12.1

विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के नाम	
राज्य	**नाम**
बिहार, महाराष्ट,पंजाब, राजस्थान	पंचायत समिति
आन्ध्र प्रदेश	मंडल पंचायत
तमिलनाड	पंचायत यूनियन
पश्चिम बंगाल	आंचलिक परिषद्
असम	आंचलिक पंचायत
कर्नाटक	तालुका डेबलपमेंट बोर्ड
मध्य प्रदेश	जनपद पंचायत
अरुणाचल प्रदेश	अंचल समिति
उत्तर प्रदेश	क्षेत्र समिति

मेहता समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल, 1958 को लागू किया गया और इस सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 सितंबर, 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उदघाटन किया गया। इसके बाद 1959 में आन्ध्र प्रदेश, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में विधानसभाओं के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित करके पंचायत राज व्यवस्था को प्रारम्भ

किया गया।
मेहता कमेटी ने अपनी निम्नलिखित सिफारिशें रखी।

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड(ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद् अर्थात् पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना बनायी जाये।

2. पंचायती राज में लोगों को सत्ता का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए।

3. पंचायती राज संस्थाएं जनता के द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधिकारी उनके अधीन होने चाहिए।

4. साधन जुटाने व जन सहयोग के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए।

5. सभी विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाएं इन संगठनों के द्वारा लागू किये जाने चाहिए।

6. इन संगठनों को उचित वित्तीय साधन सुलभ करवाये जाने चाहिए।

राजस्थान वह पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना की गयी।1958 में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का दीपक प्रज्जवलित किया और धीरे धीरे गांवों में पंचायती राज का विकास शुरू हुआ। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह पहला कदम था। 1959 में आन्ध्र प्रदेश में भी पंचायती राज लागू किया गया। 1959 से 1964 तक के समय में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया और इन संस्थाओं ने कार्य प्रारम्भ किया। लेकिन इस राज से ग्रामीण तबके के लोगों का नेतृत्व उभरने लगा जो कुछ स्वार्थी लोगों की आँखों में खटकने लगा, क्योंकि वे शक्ति व अधिकारों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। फलस्वरूप पंचायती राज को तोड़ने की कोशिशें भी शुरू हो गयीं। कई राज्यों में वर्षों तक पंचायतों में चुनाव ही नहीं कराये गये। 1969 से 1983 तक का समय पंचायती राज व्यवस्था के ह्रास का समय था। लम्बे समय तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाये गये और ये संस्थाएं निष्क्रिय हो गयीं।

अशोक मेहता समिति

जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से 12 दिसम्बर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन सुझाने के लिए श्री "अशोक मेहता" की अध्यक्षा में 13 सदस्यों की कमेटी गठित की गई। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में आई गिरावट के लिए कई कारणों को जिम्मेदार बताया। इसमें प्रमुख था कि पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग रखा गया है। अशोक मेहता समिति ने महसूस किया कि पंचायती राज

संस्थाओं की अपनी कमियां स्थानीय स्वशासन को मजबूती नहीं प्रदान कर पा रही हैं। इस समिति द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये गये-

1.समिति ने दो स्तरों वाले ढाँचे- जिला परिषद् को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायत की जगह मण्डल पंचायत की सिफारिश की। अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के दो स्तर हों, जिला परिषद् व मंडल परिषद्।

2.जिले को तथा जिला परिषद् को समस्त विकास कार्यों का केन्द्र बनाया जाए। जिला परिषद् ही आर्थिक नियोजन करे और जिले में विकास कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करें और मंडल पंचायतों को निर्देशन दें।

3.पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में जिला परिषद् को मुख्य स्तर बनाने और राजनैतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

4.पंचायतों के सदस्यों के नियमित चुनाव की सिफारिश की। राज्य सरकारों को पंचायती चुनाव स्थगित न करने व चुनावों का संचालन मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किये जाने का सुझाव दिया।

5.कमें टी ने यह सुझाव भी दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिये संवैधानिक प्रावधान बहुत ही आवश्यक है।

6.पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का सम्पादन करें।

7.राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

देश के कई राज्यों ने इन सिफारिशों को नहीं माना, अतः तीन स्तरों वाले ढाँचे को ही लागू रखा गया। इस प्रकार अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण शिफारिशें की, किन्तु ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की उनकी शिफारिश पर विवाद पैदा हो गया। ग्राम पंचायतों की समाप्ति का मतलब था, ग्राम विकास की मूल भावना को ही समाप्त कर देना। समिति के सदस्य सिद्धराज ढ़ड्डा ने इस विषय पर लिखा कि ''मुझे जिला परिषदों और मंडल पंचायतों से कोई आपत्ति नहीं है किन्तु समिति ने ग्राम सभा की कोई चर्चा नहीं की, जबकि पंचायती राज संस्थाओं की आधारभूत इकाई तो ग्राम सभा को ही बनाया जा सकता था।

जी.वी.के. समिति

पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में सन् 1985 में जी.वी.के. राव समिति गठित की गई। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देकर उन्हें सक्रिय बनाने पर बल दिया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि योजना निर्माण व संचालित करने के लिये जिला मुख्य इकाई होना चाहिये। समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव की भी सिफारिश की।

डा. एल. एम. सिंघवी समिति

1986 में डा. एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। सिंघवी सामिति ने 'गांव पंचायत'(ग्राम-सभा) की सिफारिश करते हुये संविधान में ही नया अध्याय जोड़ने की बात कही जिससे पंचायतों की अवहेलना ना हो सके। इन्होंने गांव के समूह बना कर न्याय पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की।

सरकारिया आयोग और पी0 के0 थुंगर समिति

1988 में सरकारिया आयोग बैठाया गया जो मुख्य रुप से केन्द्र व राज्यों के संबंधों से जुड़ा था। इस आयोग ने भी नियमित चुनावों और ग्राम पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश की। 1988 के अंत में ही पी0 के0 थुंगर की अध्यक्षता में संसदीय परामर्श समिति की उपसमिति गठित की गयी। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की शिफारिश की। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की सरकार ने गांवों में पंचायतों के विकास की ओर अत्यधिक प्रयास करने शुरू किये। श्री राजीव गांधीं का विचार था कि जब तक गांव के लोगों को विकास प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक ग्रामीण विकास का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल सकता। पंचायती राज के द्वारा वे गांव वालों के, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने इस दिशा में कारगर कदम उठाते हुये 64वां संविधान विधेयक ससंद में प्रस्तुत किया। लोकसभा ने 10 अगस्त 1988 को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। मगर राज्य सभा में सिर्फ पांच मतों की कमी रह जाने से यह पारित न हो सका। फिर 1991 में तत्कालीन सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया। लोक सभा ने 2 दिसम्बर 1992 को इसे सर्व सम्मति से पारित कर दिया। राज्य सभा ने अगले ही दिन इसे अपनी मंजूरी दे दी। उस समय 20 राज्यों की विधान सभाएं कार्यरत थीं। 20 राज्यों की विधान सभाओं में से 17 राज्यों की विधान सभाओं ने 26 संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी। तत्पश्चात् 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल से लागू हो गया।

8.3.6तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन

तिहत्तवाँ संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है। 1998 में पी0 के0 भुगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। इस समिति में अपने प्रतिवेदन में कहा कि राज्य संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। इस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 1989 में 64 वॉ संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राज्य सभा के द्वारा नामंजूर कर दिया गया, इसके बाद लोकसभा को भंग कर दिये जाने के कारण यह विधेयक समाप्त कर दिया गया, इसके बाद 74 वॉ

संविधान पेश किया गया, जो लोकसभा के भंग किये जाने के कारण समाप्त हो गया। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र मेंएक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम 1992के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल कराया गया। पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस रूप में महात्मा गाँधी के ग्राम स्वरोजगार के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बनाया गया था।

73 वें संशोधन अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं।

(1) एक त्रि-स्तरीय ढाँचे की स्थापना (ग्राम पंचायत,पंचायत समितियां मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला परिषद्) ।

(2) ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना।

(3) अनुसूचित जातियों/ जन जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।

(4) महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटों को आरक्षण।

(5) पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन।

(6) राज्य चुनाव आयोग का गठन।

73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायतों कोस्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियॉ और अधिकार प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त करता है, ये शक्तियॉ व अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं;

(1) संविधान की इग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्व 29 विषयों के सम्बन्ध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजना तैयार करना और उनका निष्पादन करना।

(2) कर, ड्यूटीज, टोल शुल्क लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार।

(3) राज्य द्वारा एकत्र विभिन्न करों व शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण

73वाँ अधिनियम में अन्य प्रावधान

1) हर स्तर पर,हर सदस्य हेतु सीधी चुनाव प्रक्रिया।
2) मध्यम स्तर पर और उच्च स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव जबकि निम्न स्तर पर चुनाव राज्य पर निर्भर हो।
3) एम0पी0 तथा एम0एल0ए0 को चुनाव का अधिकार।
4) किसी भी स्तर पर सदस्यता और अध्यक्ष पद की आयु सीमा 18 वर्ष होने की अनिवार्यता।
5) पंचवर्षीय अवधि।
6) विकास योजनाओं को बनाने व लागू करने में राज्य का हस्तानान्तरण व जवाबदेही।

7) चुनाव प्रक्रिया मेंराज्य चुनाव आयोग का निरीक्षण, निर्देश व नियन्त्रण।

12.3.7 74वाँ संशोधन अधिनियम

74वाँ अधिनियम, जिला योजना समिति संविधान को बनाता है। जो कि पूरे जिले जिसमें पंचायत व म्यूनिसिपालटीज आती है उसके विकास की योजना बनाती है। यह शहरी स्थानीय सरकारों से सम्बन्धित है।

1) स्थानीय शहरी निकायों को एक समान ढाँचा निर्मित करने तथा इस निकायों को स्वायत्ताशासी सरकार की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाई के रूप में सहायता करने के उदेश्य से सन 1992 में संसद में नगरपालिका से सम्बन्धित 74वाँ संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। इस खण्ड 9 (क) में अनुच्छेद 243 (त) अनुच्छेद से 243 (य) तक कुल 18 अनुच्छेद है। 74 वे संविधान संशोधन से 12 वी अनुसूची ली गयी।
2) इसके अन्तर्गत 3 प्रकार की नगरपालिकाएंहोंगी। जिसमेंनगर पंचायत (ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो गनर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो), नगर परिषद् (छोटे नगर क्षेत्र के लिए) व नगर निगम (बड़े नगर क्षेत्र के लिए) होंगे।
3) इन संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण का तिहाई भाग आरक्षित है।
4) नगरी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव कराना अनिवार्य होगा।

12.3.8 नगरीय स्वशासन का विकास

भारत में नगरीय प्रशासन व्यवस्था प्राचीन काल से ही है, मनुस्मृति, महाभारत, में गस्थनीज की इंडिका में इसका उल्लेख है। आधुनिक काल में सबसे पहले 1687 में पूर्व प्रसिडेन्सी शहर मद्रास (चेन्नई) में नगर निगम की स्थापना की गयी थी। इसके बाद 1726 में बम्बई (मुंबई) और कलकत्ता (कोलकाता) में नगर निगम की स्थापना हुई। 1870 में लार्ड मेयो के वित्तीय विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव ने नगरीय स्वशासन के विकास को दिशा दी। 1882 में लार्ड स्पिन ने एक व्यापक आधार पर नगरपालिकाओं का गठन किया। भारत सरकार के 1919 के अधिनियम में एक भाग स्थानीय स्वायत्त सरकार के प्रसार से सम्बन्धित था।

12.3.9 पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित प्रावधान

पंचायत व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रावधान संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेदों में शामिल किया गया, जो निम्न प्रकार हैं :

1) पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्रामसभा होगी। इसमें एक या एक से अधिक गाँव शामिल किए जा सकते हैं। ग्रामसभा की शक्तियों के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल द्वारा कानून बनाया जाएगा।
2) जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनमें दो स्तरीय पंचायत, अर्थात् जिला स्तर और गाँव स्तर पर, का गठन किया जाएगा और 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य, अर्थात् गाँव, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर, की स्थापना की जाएगी।
3) सभी स्तर के पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष में किया जाएगा। गाँव स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षतः तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।
4) पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनके अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण होगा।
5) सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा, लेकिन इनका विघटन पाँच वर्ष के पहले भी किया जा सकता है, परन्तु विघटन की दशा में 6 मास के अन्तर्गत चुनाव कराना आवश्यक होगा।

पंचायतों को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वे किन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगी, इसकी सूची संविधान में ग्याहरवीं अनुसूची में दी गयी हैं। इस सूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए कई कार्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं।

1) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।
2) भूमि सुधार और मृदा संरक्षण।
3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल आच्छादन विकास।
4) पशु पालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।
5) मत्स्य उद्योग।
6) सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग।
7) लघु वन उत्पाद।
8) लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9) खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।
10) ग्रामीण आवास,पेय जल, ईधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, नौघाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन।
11) ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है।
12) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।

13) गरीबी उपशमन कार्यक्रम शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
14) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।
15) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
16) पुस्तकालय।
17) सांस्कृतिक क्रिया कलाप, बाजार और मेले।
18) स्वास्थ्य और स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास।
19) समाज कल्याण (विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित सहित), कमजोर वर्गों का (विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का) कल्याण।
20) लोक वितरण प्रणाली।
21) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

राज्य विधान मण्डल कानून बनाकर पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूल करने तथा उनसे प्राप्त धन को व्यय करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था के सम्बन्ध में जांच करने के लिए प्रति पाँचवें वर्ष वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा, जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगा।

पंचायतों की संरचना

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। इसके अनुसार;

1) सबसे निचले अर्थात् ग्राम स्तर पर ग्राम सभा जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है।
2) मध्यवर्ती अर्थात् खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और
3) सबसे उच्च अर्थात् जिला स्तर पर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है।

जन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। राज्यों द्वारा बनाई विधियों में निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया जाता है

1) ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती (क्षेत्र) पंचायत का सदस्य होता है। यदि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं हो तो वह जिला पंचायत का सदस्य होगा।
2) मध्यवर्ती (क्षेत्र) स्तर का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होता है।
3) उस राज्य के लोकसभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जिला और मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होते हैं।

4) राज्य के राज्यसभा के सदस्य विधान परिषद् (यदि हो) उस क्षेत्र की जिला और मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न 1

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

a. संविधान के भाग ..... में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है।
b. संविधान के .....संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
c. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु .....उत्तरदायी है।
d. भारत में पंचायती राज अधिनियम वर्ष .....से लागू हुआ।
e. सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था .....में लागू की गई।
f. देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्स्थान के लिए.....कार्यक्रम चलाया गया।
g. .....की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई।
h. पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई .....है।
i. पंचायती राज दिवस हर वर्ष.....को मनाया जाता है।
j. पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव..... ने दिया था।

2. पंचायत से आप क्या समझते हैं?

3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज के लिये किये गये विभिन्न प्रयासों को संक्षेप में बताइये।

4. विकेन्द्रीकरण क्या है? विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता व महत्व बताइये?

5. बलवंत राय मेहता समिति का विस्तार में उल्लेख कीजिये?

6. 73 वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख कीजिये।

12.4 सामुदायिक विकास में पंचायती राज संगठन व संस्थाएं

जैसा की आपने पिछले भाग में जाना, भारत में पंचायती राज संस्था एक तीन स्तरीय प्रणाली है। पहला स्तर जो कि ग्राम स्तर पर है। ग्राम पंचायत कहा जाता है, दूसरा स्तर खण्ड स्तर पर है जिसे पंचायत समिति कहा जाता है (केन्द्र शासित प्रदेशों के अलावा) पंचायती राज का तीसरा स्तर जो

कि जिला स्तर पर है, उसे जिला परिषद् या जिला पंचायत कहते हैं। आसाम में इसे भोहूकमा परिषद् कहते हैं।

अब आप पंचायती राज के बारे में और समय समय में इसमें हुए बदलावों के बारे में जान चुके हैं। आइये अब पंचायती राज संगठनों व संस्थाओं को जानेंजो सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12.4.1 सामुदायिक विकास में पंचायती राज संगठनों व संस्थाओं की भूमिका

सामुदायिक विकास में पंचायती राज संगठनों व संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि इस व्यवस्था के निम्नलिखित उद्येश्य हैं;

(1) स्थानीय प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना।

(2) जनता की भागीदारी से ग्राम से सम्बन्धित योजनाओं की परिकल्पना एवं उनका कार्यान्वयन करना।

सन 1995 से पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा एक केन्द्रीय मुददा बन गया, ग्राम सभा ग्रामीण लोगों का एक समूह होता है जिसमेंगाँवका हर एक पंजीकृत मतदाता सभा का सदस्य है। आइये अब ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं।

12.4.2ग्राम पंचायत

पिछले वर्णन द्वारा आप जान चुके होगें कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है ग्राम पंचायत। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है और ये कैसे कार्य करती है। 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार यह त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारम्भिक स्तर की संस्था है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अन्य कार्यकलापों के लिये ग्राम के लोगों की सहमति लेनी पड़ती है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होनी आवश्यक है। इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। वह किसी समय आसामान्य बैठक का भी आयोजन कर सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक बुलायी जाती है। यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है तो यह बैठक उस तारीख के 60 दिनों के भीतर होगी। जिस तारीख को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई है। ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। किन्तु यदि गणपूर्ति

(कोरम) के अभाव के कारण बैठक न हो सके तो इसके लिए दुबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है। दरबार बैठक के लिए 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है।

प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होगा, जो ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है, तथा कुछ अन्य सदस्य होंगे। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 1 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), 2000 की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे।

ग्राम सभा की विशेषताएं :

(1) यह संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य अंग लोकतंत्र है।

(2)यह एक मंच है जिसमें ग्राम के लोग ग्राम के मामले व विकास की गतिविधियों की चर्चा करते हैं।

(3) यह ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर नजर रखने का एक माध्यम है।

(4) ग्राम पंचायत कीगतिविधियों में सामुहिक भागीदारी व ग्रामीण शासन को संचलित करती है।

(5) ग्राम पंचायत में पारदर्शिता व कार्यों में जवाबदेही तय करती है।

(6) संरपंच/प्रधान व पंचायत सदस्य सशक्तिकरण में सहायक है।

(7) समाज के कमजोर वर्गो की सशक्त करने व गाँव के कार्यों में भागीदार बनने हेतु प्रोत्साहित करती है ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं व जरूरते बता सकें।

(8) यह एक मंच है जिसमें कोई भी व्यक्ति गाँव से सम्बन्धित किसी भी योजना, आय व खर्चे का ब्योरा व स्पष्टिकरण माँग सकता है।

ग्राम सभा के कार्य- किसी भी ग्राम सभा के कार्य सम्बन्धित प्रदेश पंचायत नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। ग्राम सभा के कार्यअलग होते हैं, परन्तु कुछ मुख्य कार्य हर ग्राम सभा को करने होते हैं। ग्राम पंचायत की शक्ति एवं गतिविधियों मुख्य तीन श्रेणीयो में विभाजित हैं।

(1) प्रतिनिधित्व कार्य - ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्राम की समस्याओं को समुदाय के सामने रखना एवं समुदाय के हितों के लिये आवाज उठाना है।

(2) प्रशासनिक कार्य-ग्राम पंचायत गाँवों के व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में व्यवस्था को नियन्त्रित करती है, ग्राम पंचायत कर की वसूली भी करती है जिसे गाँवोंके विकास सम्बन्धी कार्य होते हैं जैसे गाँवके विद्यालयों का कार्य, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, स्वच्छता व सुरक्षा के इंतजाम करना।

(3) विकासात्मक कार्य- विकास सम्बन्धी कार्य एवं सम्बन्धित सूचना का प्रसार एवं प्रचार उदाहरणःशिक्षा, कृषि,सिचॉई व संचार सम्बन्धित विषयों की जानकारी।

ग्राम पंचायत

प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होता है। नई गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकता है। यदि पंचायत के एक तिहाई सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो प्रधान को 15 दिनों के अन्दर बैठक आयोजित करनी होगी। यदि बैठक को प्रधान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है तो निर्धारित अधिकारी, सहायक अधिकारी या पंचायत बैठक बुला सकता है।

ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) के लिए आवश्यक होती है। यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं होती है तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। इसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करता है। इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने किसी सदस्य के मनोनीत नहीं किया है तो बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य का चुनाव कर सकता है।

ग्राम न्यायालय

12 अप्रैल, 2007 को केन्द्र सरकार के द्वारा एक निर्णय के अनुसार देश में ग्रामीण अंचलों के निवासियों को पंचायत स्तर पर ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये न्यायालय त्वरित अदालतों की तर्ज पर स्थापित होंगे। इस पर प्रत्येक वर्ष 325 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें तीन वर्ष तक इन न्यायालयों पर आने वाला खर्च वहन करेंगी। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

ग्राम पंचायतों का निर्वाचन

सभी स्तर के पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष किया जाता है। यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराये जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है तथा ऐसा व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर

नहीं होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार की सेवा से दुराचार के कारण पद से हटाया न गया हो तथा वह पंचायत सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोषी न हो। जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का अधिकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक राज्याध्संघ राज्य क्षेत्रों में गठित राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं। यह आयोग भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है।

अध्यक्ष का निर्वाचन

ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जबकि मध्यवर्ती (खण्ड) एवं जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इन स्तरों पर निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप-प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप-प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप-प्रधान नामित कर सकता है।

पदमुक्ति

ग्राम प्रधान एवं उप-प्रधान को 5 वर्ष के उसके निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। प्रधान या उप-प्रधान को असमय पदमुक्त करने के लिए पदमुक्त सम्बन्धी अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जाएगी। इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव में पदमुक्त करने सम्बन्धी सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से तीन सदस्यों को जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा तथा बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रधान एवं उप-प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है।

प्रधान एवं उप-प्रधान को असमय पदमुक्त करने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के एक वर्ष के भीतर नहीं बुलायी जा सकती। यदि अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो पाती है अथवा प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो उसी प्रधानध्उप-प्रधान को हटाने के लिए दोबारा बैठक एक वर्ष तक नहीं बुलायी जा सकती है। प्रधान को असमय हटाये जाने पर उसका कार्यभार उप-प्रधान को तथा उप-प्रधान को हटाये जाने पर प्रधान को सौंपा जा सकता है। यदि एक ही समय में दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो इस दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी सदस्य को प्रधान का कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के कार्य

- कृषि सम्बन्धी कार्य।
- ग्राम्य विकास सम्बन्धी कार्य।
- प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य।
- युवा कल्याण सम्बन्धी कार्य।
- राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रख-रखाव।
- हेडपम्पों की मरम्मत एवं रख-रखाव।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य।
- महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी कार्य।
- पशुधन विकास सम्बन्धी कार्य।
- समस्त प्रकार के पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य।
- समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य।
- राशन की दुकान का आवंटन व निरस्त्रीकरण।
- पंचायती राज सम्बन्धी ग्राम्य स्तरीय कार्य आदि।

ग्राम पंचायत का बजट

a) प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निश्चित समय में एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित आमदनी और खर्चे का हिसाब-किताब तैयार करना।
b) हिसाब-किताब पंचायत की बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक वोटों से पास किया जाएगा।
c) बजट पास करने के लिए बुलाई गई ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम कुल संख्या का आधा होगा।

ग्राम पंचायतों की समितियाँ

1. नियोजन एवं विकास समिति- सभापति-प्रधान, छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक-एक सदस्य अनिवार्य ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना।

2. निर्माण कार्य समिति- सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति) समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना।

3. शिक्षा समिति - सभापति, उप-प्रधान, छः अन्य सदस्य, आरक्षण उपर्युक्त की भाँति, प्रधानाध्यापक सहयोजित, अभिवाहक-सहयोजित प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि सम्बन्धी कार्य।

4. प्रशासनिक समिति - सभापति-प्रधान, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति) कमियों व खामियों सम्बन्धी प्रत्येक कार्य।

5. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति - सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छः अन्य सदस्य (आरक्षण पूर्ववत्) चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जातिध्जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण।

6. प्रबन्धन समिति -सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति) प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमाण्ड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित राजकीय नलकूपों का संचालन पेयजल सम्बन्धी कार्य।

ग्राम पंचायत के आय के स्रोत

- भू-राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पंचायत कर।
- प्रान्तीय सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुदान।
- मनोरंजन कर।
- गाँव के मेले, बाजारों आदि पर कर।
- पशुओं तथा वाहनों आदि पर कर।
- मछली तालाब से प्राप्त आय।
- नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर।
- कूड़ा-करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय।
- चूल्हा कर।
- व्यापार तथा रोजगार कर।
- सम्पत्ति के क्रय-विक्रय पर कर।
- पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस।
- दुग्ध उत्पादन कर आदि।

ग्राम पंचायत के कर्मचारी

- पंचायत सचिव- पंचायत के सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है।

- ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी)- विकास के लिए पंचायतों का परामर्शदाता तथा नीतियों को लागू करने में सहायक।
- चौकीदार- न्याय तथा शान्ति व्यवस्था के लिए पंचायत का सहायक।

ग्राम पंचायत निधिकोष

प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम कोष होता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा एवं अनुमान की सीमा के अन्दर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या उसके किसी समिति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए धन खर्च किया जाता है। सम्बन्धित खातों का संचालन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

12.4.3 क्षेत्र पंचायत

क्षेत्र पंचायत गाँव एवं जिले के मध्य सम्पर्क स्थापित करता।यह पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले को खण्डों में बांटती है। खण्डों की सीमाओं का निर्धारण भी राज्य सरकार तय करती है। प्रत्येक खण्ड को विकास खण्ड कहा जाता है। 73 वें संविधान संसोधन के अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड में एक क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत का नाम विकासखणण्ड के नाम पर रखा जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 25000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खंडों में 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र) तथा 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोतर अनुपातिक वृद्वि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खंडों में 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खंडों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्वि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य (जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया होता है) विकास खण्ड के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, लोक सभा और राज्य सभा के वे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है तथा राज्य सभा और विधान परिषद् के सदस्य जो विकास खण्ड के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, को मिला कर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत में आरक्षण

- क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पदों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होता है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में अधिक से अधिक 21 प्रतिशत तक ही होगा।

इसी प्रकार पिछड़ी जाति के लिए पदों का आरक्षण 27 प्रतिशत होगा।शेष पदों पर कोई आरक्षण नहीं होगा।

- प्रत्येक वर्ग यानि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं उनमें से 1/3 पद उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गई है तो वे भी उस अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।
- आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से होगा। मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र अगर एक चुनाव में अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होगा तो अगली चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और उप-प्रमुख का चुनाव

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में चुने गये क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुनेंगे। क्षेत्र पंचायत के कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का चुनाव नहीं भी होता है तो भी प्रमुख एवं उप-प्रमुख के पदों के लिए चुनाव रूकेगा नहीं और चुने गये क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से एक को प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कर लेंगे। वह व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, और उप प्रमुख नहीं बन सकता यदि वह-

- संसद या विधान सभा का सदस्य है।
- किसी नगर निगम का नगर प्रमुख या उप प्रमुख हो।
- किसी नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो।
- किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन हो।

क्षेत्र पंचायत एवं उसके सदस्यों का चुनाव एवं कार्यकाल

- क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 सालों तक का होगा। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल, यदि किसी कारण से पहले नहीं समाप्त किया जाता है तो उनका कार्यकाल क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल तक होगा। यदि किसी खास वजह से क्षेत्र पंचायत को उसके नियत कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना जरूरी होगा। इस तरह से गठित क्षेत्र पंचायत बाकी बचे समय के लिए काम करेगी। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम-सभा सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

- क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जरूरी है कि प्रत्याशी की उम्र 21 साल से कम न हो साथ ही यह भी जरूरी है कि चुनाव में खड़े होने वाले सदस्य का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो।

क्षेत्र पंचायत के कार्य एंव शक्तियाँ

नये अधिनियम में क्षेत्र पंचायतों को निम्नलिखित अधिकार एवं कृत्य सौंपे गये हैं।

1 कृषि- कृषि प्रसार, बागवानी की प्रोन्नति और विकास, सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की प्रोन्नति।

2. भूमि विकास- सरकार के भूमि सुधार भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।

3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छादन विकास-लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण (संरक्षण) में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना। सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।

4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग, और मुर्गी पालन- पशु सेवाओं का अनुरक्षण। पशु, मुर्गी और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार। दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन तथा सुअर पालन की उन्नति।

5. मत्स्य पालन-मत्स्य पालन के विकास की उन्नति।

6. सामाजिक और कृषि वानिकी-सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण। सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और उन्नति।

7. लघु वन उत्पाद-लघु वन उत्पादों की उन्नति और विकास।

8. लघु उद्योग-ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहायता करना।कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन करना।

9. कुटीर और ग्राम उद्योग-कुटीर उद्योगों के उत्पादों का विपणन (बाजार प्रबन्धन) ।

10. ग्रामीण आवास- ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन ।

11. पेय जल-पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना।दूषित जल को पीने से बचाना। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।

12. ईंधन और चारा भूमि- ईंधन और चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उन्नति। पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।

13. सड़क, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग, और संचार के अन्य साधन- गांवो के बाहर सड़कां, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण। पुलों का निर्माण। नौका घाटों और जल मार्गों के प्रबन्ध में सहायता।

14. ग्रामीण विद्युतीकरण- ग्रामीण विद्युतीकरण की उन्नति।

15. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत- गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी उन्नति।

16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

17. शिक्षा- प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास। प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की उन्नति।

18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा- ग्रामीणों, शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति।

19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा- प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण।

20. पुस्तकालय- ग्रामीण पुस्तकालयों की उन्नति और पर्यवेक्षण।

21.खेल कूद और सांस्कृतिक कार्य- सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण। क्षेत्रीय लोकगीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेल-कूद की उन्नति और आयोजन। सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास और उन्नति।

22.बाजार और मेले- ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों (जिसमें पशु मेला भी सम्मिलित है) की उन्नति, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।

23.चिकित्सा और स्वच्छता- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण।महामारियों का नियंत्रण। ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

24.प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना

25.परिवार कल्याण-परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उन्नति।

26.प्रसूति और बाल विकास- महिलाओं, बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की सहभागिता के लिए कार्यक्रमों की उन्नति। महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उन्नति।

27.समाज कल्याण- समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से द्विव्यांग व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण करना।

28.सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण-सामुदायिक कार्यों का अनुरक्षण और मार्गदर्शन करना।

29.नियोजन और आंकड़े-आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण। खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना। सफलताओं तथा लक्ष्यों का नियतकालिक समीक्षा।योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्रित करना तथा आंकड़े रखना।

30.सार्वजनिक वितरण प्रणालीः आवश्यक वस्तुओं का वितरण

31.कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का कल्याण अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति। समाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

32.ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण। नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का विवरण। ग्राम पंचायतों के क्रिया कलाप के ऊनी नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण।

सदस्य

- प्रमुख
- क्षेत्र की समस्त पंचायत के प्रधान
- निर्वाचित सदस्य
- लोकसभा एवं विधानसभा के वे सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों।
- राज्यसभा एवं राज्य विधानपरिषद् के वे सदस्य जो उस क्षेत्र के मतदाता हों, इनमें से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख एक कनिष्ठ उप-प्रमुख चुना जाएगा।
- प्रमुख क्षेत्र पंचायतों की बैठकों का सभापतित्व करता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। क्षेत्र पंचायत को सरकार द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। शेष नियम ग्राम पंचायत की भाँति हैं।

कार्यक्षेत्र

- ग्राम विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व अनुश्रवण।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन।
- बीज केन्द्र का संचालन।
- सम्पत्तियों के रख-रखाव का दायित्व।
- विपणन, गोदामों का पर्यवेक्षण।
- पशु चिकित्सालय का स्वामित्व।

- एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्य।

कार्य का संचालन

कार्य का संचालन निम्नलिखित समितियाँ करती हैं

1. नियोजन एवं विकास समिति
2. शिक्षा समिति
3. निर्माण कार्य समिति
4. प्रशासनिक समिति
5. जल प्रबन्धन समिति
6. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति

क्षेत्र पंचायत के आय के स्रोत

क्षेत्र पंचायत के आय के स्रोत निम्नलिखित हैं:

- स्थानीय कर।
- मण्डियों से प्राप्त फीसें।
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण।
- दान तथा चन्दे।
- जिला परिषद् अथवा उसके द्वारा उपलब्ध तदर्ध अनुदान।
- क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए करों व शुल्कों से प्राप्त आय।
- घाटों, मेलों आदि के पट्टों से प्राप्त आय।
- क्षेत्र से उगाहे गए राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर सरकारी अनुदान।
- सरकार द्वारा क्षेत्र पंचायतों को जो परियोजनाएँ संचालित करने के लिए देती हैं, उसकी धनराशि।

क्षेत्र पंचायत निधि

क्षेत्र पंचायत निधि का संचालन खण्ड विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत स्तर का अधिकारी होता है।

क्षेत्र पंचायत का ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के साथ संबंध

- ग्राम पंचायतों के द्वारा किये गये विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट क्षेत्र पंचायत को सौंपी जायेगी। एक से अधिक ग्राम पंचायतों में यदि कोई कार्य होना है तो वह क्षेत्र पंचायत के माध्यम से किया जायेगा। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के लिए जो विकास योजनायें बनायेंगी उसे सबंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य के पास भेजेंगी।
- क्षेत्र पंचायत सभी ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं के आधार पर एक योजना बनाकर जिला पंचायत को भेजेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते। किन्तु खास मौकों पर ग्राम पंचायत की समितियों की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किये जा सकता है। लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। जिले के अन्तर्गत सभी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख जिला पंचायत में नामित सदस्य के रूप में होते हैं।

12.4.4 जिला पंचायत

पूर्व के वर्णन द्वारा आप जान चुके होगें कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत।आइये अब जाने पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे व शीर्षस्तर जिला पंचायत के बारे में। इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की जिले स्तर पर सर्वोच्च संस्था है। इस उपखण्ड का उद्देश्य जिला पंचायत के गठन, उसकी कार्य एंव शक्तियां, उसके बजट, बैठकें, उसके द्वारा जिला निधि के संचालन तथा जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के चुनाव उनकी कार्य एंव शक्तियों के द्वारा जिला पंचायत के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्रदान करना है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अर्न्तगत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होती है जिसका नाम उस जिले के नाम पर होता है। जिला पंचायत पूरे जिले से आयी प्राथमिकताओं व लोगों की जरूरतों का समें कन कर एक जिला योजना तैयार करती है, जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर होती है। इस प्रकार जिला योजना में स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

जिला पंचायत का गठन

जिला पंचायत का गठन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य (जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है), जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतो के प्रमुख, लोग सभा और राज्य सभा के वे सदस्य जिनके निर्वाचन जिला में विकास खण्ड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है, राज्य सभा और विधान परिषद् के सदस्य जो विकास खण्ड के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत है को शामिल कर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत समिति का संविधान, विकेन्द्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसमें समुदाय के लोग सम्मिलित होते है। जिला पंचायत समिति से अपेक्षा की जाती है

कि ये समितियॉ पंचायतो व नगरपालिकाओ के द्वारा बनाये गये विकास योजनाओ को मजबूत बनाये और इन योजनाओ के द्वारा पूरे जिले की एक योजना तैयार करें।

जिला पंचायत में निम्नलिखित सदस्य होते हैं

1. अध्यक्ष
2. निर्वाचित सदस्य
3. जिला से सम्बन्धित, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद् के सदस्य
4. महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित।

सचिव

सचिव जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है। वह जिला पंचायत की माँग पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव जिला पंचायत का बजट तैयार करता है तथा उसे जिला पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वह जिला पंचायत की ओर से सरकारी अनुदान तथा धन प्राप्त करता है। उसके द्वारा जिला पंचायत के आय-व्यय की अदायगी की जाती है।

मुख्य कार्यपालिका अधिकारी

यह प्रान्तीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च टाइम स्केल अधिकारियों में से नियुक्त किया जाता है।

जिला पंचायत के कार्य

- जिला पंचायत जिले में क्षेत्र पंचायतों तथा पंचायतों के कार्यों में सामंजस्य करती है, उनको परामर्श देती है तथा उनके कार्यों की देखभाल करती हैं।
- जिला पंचायत को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि के क्षेत्रों में कार्यकारी कार्य भी करने पड़ते हैं।
- अनुच्छेद 243 क के अन्तर्गत जिला स्तर पर और उसमें नीचे स्तर पर योजनाएं बनाने हेतु जिला योजना समिति का निमार्ण सरकार द्वारा किया गया। जिला योजना समिति प्रत्येक जिलें में पंचायतों व नगर पालिकाओं में योजनाओं को मजबूत करने का कार्य करती है।
- भारत का संविधान डी0पी0सी0 को दो विशिष्ट जिम्मेदारियाँ प्रदान करता है। पहला पंचायतों व नगरपालिकाओंकोबुनियादी योजनाएं बताने व प्राकृतिक संसाधनों के बँटवारे का सम्मिलित कार्य व दूसरा एकीकृत विकास सम्बन्धी वित्तीय मामलों का कार्य।
- जिला योजना समिति, पंचायतों व नगर पालिकाओं द्वारा बनायी गई योजनाओं के आधार पर पूरे जिले के लिये विकास की योजना बनाती है।

जिला पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ

जिला पंचायत जिले स्तर पर निम्न लिखित कार्यों को संचालित करती है-

1. कृषि व कृषि प्रसार - कृषि तथा बागवानी का विकास। सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की उन्नति।
2. भूमि विकास व भूमि सुधार- चकबन्दी, भूमि संरक्षण एव सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रमों में सरकार को सहायता प्रदान करना।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलाच्छादन विकास- लघु सिचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार की सहायता करना। सामुदायिक तथा वैयक्तिक सिचाई कार्यों का कार्यान्वयन।
4. पशुपालन, दूध उद्योग और मुर्गी पालन-पशु सेवाओं की व्यवस्था। पशु मुर्गी और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार करना। दूध उद्योग, मुर्गी पालन और सुअर पालन की उन्नति।
5. मत्स्य पालन-मत्स्य पालन का विकास एवं उन्नति
6. सामाजिक तथा कृषि वानिकी- सड़कों तथा सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना। सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।
7. लघु वन उत्पाद-लघु वन उत्पाद की प्रोन्नति और विकास
8. लघु उद्योग- ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना। कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन।
9. कुटीर और ग्राम उद्योग- कुटीर उद्योगों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना।
10. ग्रामीण आवास- ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यन्वयन करना।
11. पेय जल- पेय जल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना। दूषित जल को पीने से बचाना।ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमो को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।
12. ईधन तथा चारा भूमि- ईंधन तथा चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति। जिला पंचायत के क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।
13. सडक, पुलिया, पुलों नौकाघाट जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन -गांव के बाहर सडकों, पुलियों का निर्माण और उसका अनुरक्षण। पुलों का निर्माण। नौका घाटों, जल मार्गो के प्रबंधन में सहायता करना।
14. ग्रामीण विद्युतिकरण-ग्रामीण विद्युतिकरण को प्रोत्साहित करना।
15. गैर पारम्पारिक ऊर्जा स्त्रोत- गैर-पारम्पारिक ऊर्जा स्त्रोत के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा उसकी प्रोन्नति।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यों का क्रियान्वयन- गरीबी उन्मूलन के कार्यों का समुचित क्रियान्वयन करना।

17. शिक्षा- प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास। प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की उन्नति।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा- ग्रामीण शिल्पकारों और व्यवसायिक शिक्षा की उन्नति।
19. प्रौढ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षाकेन्द्रों का पर्यक्षण।
20. पुस्तकालय ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास।
21. खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्य- सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण। लोक गीतों, नृत्यो तथा ग्रामीण खेलकूद की प्रोन्नति और आयोजन।सांस्कृतिक केन्दों का विकास और उन्नति।
22. बाजार तथा मेले- ग्राम पंचायत के बाहर मेंलों और बाजारों की व्यवस्था और प्रबंधन।
23. चिकित्सा और स्वच्छता- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औशद्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण। महामारियों का नियंत्रण करना। ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।
24. परिवार कल्याण- परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उन्नति।
25. प्रसूति तथा बाल विकास- महिलाओं एव बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमों में विभिन्न संगठनों की सहभगिता के लिए कार्यक्रमों की प्रोन्नति। महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन व प्रोन्नति।
26. समाज कल्याण- विकलांगो तथा मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण। वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण करना।
27. कमजोर वर्गों विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति। सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण।
28. सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण- सामुदायिक अस्तियों के परिरक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्गदर्शन करना।
29. नियोजन और आंकड़े- आर्थिक विकास के लिए योजनायें तैयार करना। ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनरावलोकन, समन्वय तथा एकीकरण। खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।सफलताओं तथा लक्ष्यो की नियतकालिक समीक्षा। खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्र करना तथा आंकड़े रखना।
30. ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण- ग्राम पंचायत के क्रिया कलापों के ऊपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण।

जिला पंचायत की समितियाँ

- कार्यकारी समिति
- नियोजन एवं वित्त समिति
- उद्योग एवं निर्माण कार्य समिति
- शिक्षा समिति
- स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
- जल प्रबन्धन समिति

आय के स्रोत

- केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा अनुदान,
- अखिल भारतीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान,
- राजस्व का निश्चित हिस्सा,
- जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों से की गई वसूलियाँ,
- जिला पंचायत द्वारा प्रशासनिक ट्रस्टों से आय,
- जिला पंचायत द्वारा तथा लोगों द्वारा दिया गया अनुदान,
- जिला पंचायत सरकारी ऋण तथा सरकार की पूर्व अनुमति से गैर-सरकारी ऋण भी ले सकती है।

नीचे दी गई तालिका संख्या 12.2 द्वारा आप संक्षेप में पंचायती राज के तीन स्तरो की त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संरचना को भली भॉति समझ सकते हैं।

तालिका संख्या 12.2

क्रम संख्या	स्तर	संरचना	मुख्य अधिकारी	निर्वाचन
1.	ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान मुखिया सरपंच	प्रत्यक्ष
2.	खण्ड (ब्लाक)	क्षेत्र पंचायत	प्रमुख	अप्रत्यक्ष
3.	जिला स्तर	जिला पंचायत	अध्यक्ष चेयरमैन	अप्रत्यक्ष

12.4.5 नगरीय शासन

भारत में नगरीय शासन व्यवस्था प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है, लेकिन इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम संस्था की स्थापनी की गयी। बाद में 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गयी। बंगाल में नगरीय शासन प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिए 1842 में बंगाल अधिनियम पारित किया गया। 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन वह राजनीतिक कारणों से अपने इस कार्य में असफल रहा। नगरीय प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए 1909 में शाही विकेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत सरकार अधिनियम, 1919 में नगरीय प्रशासन के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किया गया, जिसमें किये गये प्रावधानों के अनुसार नगरीय शासन व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी।

12.4.6 नगरीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान

नगरीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन इसे सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस सम्बन्ध में कानून केवल राज्यों में नगरीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कानून बनाया गया था। इन कानूनों के अनुसार नगरीय शासन व्यवस्था के संचालन के लिए निम्नलिखित निकायों को गठित करने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया था;

1. नगर निगम
2. नगर पालिका
3. नगर क्षेत्र समितियाँ
4. अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा
5. छावनी परिषद्।

12.4.7 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय शासन के सम्बन्ध में प्रावधान

22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित और 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत एवं 1 जून, 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के सम्बन्ध में संविधान में भाग 9-क नये अनुच्छेदों (243 त से 243 य छ तक) एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं।

1. प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद् के सम्बन्ध में छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन होगा।

2. तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में एक या अधिक वार्ड समितियों का गठन होगा।

3. प्रत्येक प्रकार के नगर निकायों के स्थानों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थानों को आरक्षित किया जाएगा तथा महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 30 प्रतिशत आरक्षित होगा।

4. नगरीय संस्थाओं की अवधि पाँच वर्ष की होगी, लेकिन इन संस्थाओं का 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है और विघटन की स्थिति में 6 मास के अन्दर चुनाव कराना आवश्यक होगा।

5. नगरीय संस्थाओं की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व क्या होगा, इसका निर्धारण राज्य विधान मण्डल कानून बनाकर कर सकती है। राज्य विधान मण्डल कानून बनाकर नगरीय संस्थाओं को निम्नलिखित के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व और शक्तियाँ प्रदान कर सकती हैः (अ) नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए। (ब) ऐसे कार्यों को करने तथा ऐसी योजनाओं को क्रियानवित करने के लिए, जो उन्हें सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों, जो संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल किये गये हैं, के सम्बन्ध में राज्य विधानमण्डल कानून बनाकर नगरीय संस्थानों को अधिकार एवं दायित्व सौंप सकते हैं

i. नगरीय योजना (इसमें शहरी योजना भी सम्मिलित है)।
ii. भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण।
iii. आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना।
iv. सड़कें और पुल।
v. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के निमित्त जल की आपूर्ति।
vi. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई तथा कूड़ा-करकट का प्रबन्ध।
vii. अग्निशमन सेवाएँ।
viii. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं की अभिवृद्धि।
ix. समाज के कमजोर वर्गों (जिसके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति सम्मिलित हैं) के हितोंका संरक्षण।

x. गन्दी बस्तियों में सुधार।
xi. नगरीय निर्धनता में कमी।
xii. नगरीय सुख-सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान इत्यादि की व्यवस्था।
xiii. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि।
xiv. कब्रिस्तान, शव गाड़ना, शमशान और शवदाह तथा विद्युत शवदाह
xv. पशु-तालाब तथा जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना।
xvi. जन्म-मरण सांख्यिकी (जन्म-मरण पंजीकरण सहित)।
xvii. लोक सुख सुविधायें (पथ-प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप, लोक सुविधा सहित)।
xviii. वधशालाओं तथा चर्म शोधनशालाओं का विनियमन।

6.राज्य विधानमण्डल कानून बनाकर उन विषयों को विहित कर सकती है, जिन पर नगरीय संस्थाएँ कर लगा सकती हैं।

7. नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों की शुद्ध आय और संस्थाओं तथा राज्य के बीच वितरण के लिए राज्यपाल से सिफारिश करेगा।

निर्वाचन

नगर निगमों, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संचालन के लिए शक्तियाँ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। यह आयोग भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है।

12.4.8 प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

27 नवम्बर, 2007 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी छठी रिपोर्ट, जो स्थानीय प्रशासन में सुधार से सम्बन्धित है,प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन में लोकतंत्र के प्रोन्नयन तथा इसे नागरिक केन्द्रित बनाने का सुझाव दिया गया है। प्रशासन में स्थानीय लोकतंत्र के प्रोन्नयन को विकेन्द्रीकरण से कहीं ऊपर बताते हुए साउथ अफ्रीकन एक्ट की तर्ज पर ऐसा कानून संसद में पारित कराने को कहा गया है, जिससे स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा सकें। रिपोर्ट में जिला स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार का एक तीसरा स्तर सृजित करने का सुझाव दिया गया है।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संसद से प्रत्येक राज्य में विधान परिषद् के गठन के लिए कदम उठाने को कहा है। आयोग का विचार है कि विधान परिषद् के गठन से स्थानीय शासन को राज्य शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। रिपोर्ट में चुनाव सुधारों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन व

इनके आरक्षण सम्बन्धी कार्य को राज्य स्तरीय चुनाव आयोग पर छोड़ने को कहा गया है। स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि राज्य वित्त आयोगों का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को यह ध्यान में रख सकें। आयोग के अनुसार स्थानीय सरकारों को संविधान के तहत प्रदत्त दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करना चाहिए तथा विद्युत बोर्ड व जल प्राधिकरण जैसे निकायों को स्थानीय सरकारों के प्रति उत्तरादायी होना चाहिए।

12.4.9 पंचायती राज संक्षेप में

नीचे दी गई तालिका संख्या 12.3 एवं रेखाचित्र संख्या12.1 द्वारा आप संक्षेप में पंचायती राज के तीन स्तरों के कार्यों और पंचायती राज व्यवस्था को भली भॉति समझ सकते हैं।

तालिका संख्या 12.3

पंचायत	**पंचायत समिति**	**जिला परिषद्**
स्वच्छता व पानी की व्यवस्था	खण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था	पंचायत समितियो के बजट को पारित करना
सड़क पुल,निकासी आदि का निर्माण व रखरखाव	सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करना	पंचायत की विभिन्न समितियों में बजट का वितरण
कुटीर उधोगों एवं कृषि सामुदायिक सहकारिताओं का प्रचार	पंचायत बजट को पारित करना	समिति के कार्यों व योजना का निरीक्षण व संचालन
	प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्धन	जिले की विकास के विषय में सरकार से चर्चा करना
	कुटीर उद्योगों व कृषि सामुदायिक सहकारिताओं का प्रचार	मध्यमिक,कौशल व औधौगिक विद्यालयों का निमार्ण एवं रखरखाव
		सूचना व प्रसार के माध्यमों का रखरखाव

रेखाचित्र संख्या :12.1

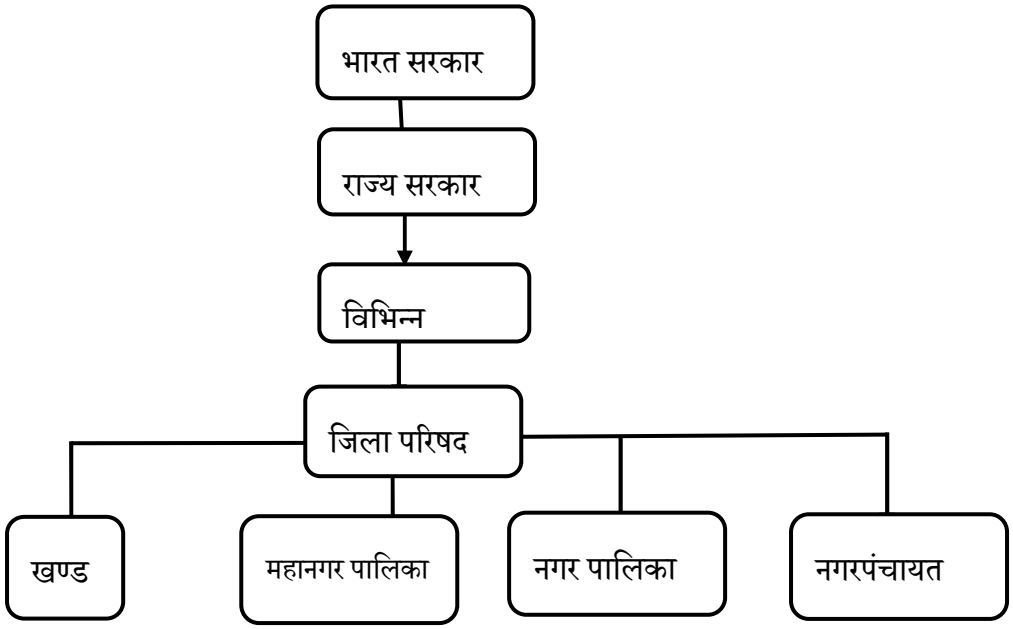

12.4.10 बदलाव की राह पर पंचायती राज

अगले दो लघु उदाहरणों का उद्देश्य एक आदर्श ग्राम सभा और ग्राम सभा और उसके नागरिकों के कार्यों व जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है। ताकि यह सीखा जा सके कि ग्राम सभा और उसके नागरिक किस तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर अपने ग्राम को उन्नत बना सकते हैं।

(1) बात इस वर्ष जून महीने की है, बिहार के कटीहार जिले में एक भिखारी हलीमा खातून ने किरोड़ा पंचायत के चुनाव में जीतकर पंचायती राज के इतिहास में नय अध्याय जोड़ दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ने 60 प्रतिशत महिलाओं को पंच निर्वाचित कर आरक्षण के सभी रिकार्ड तोडते हुए कीर्तिमान स्थापित किया था। सच तो यह है कि पंचायती राज छोटे तो छोटे गाँव और वहॉ रहने वाले लोगों को लोकतान्त्रिक सरकार से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका श्रेय जाता है1992 के 73 वे संविधान संशोधन को जिसके तहत बीस लाख से अधिक आवादी वाले सभी राज्यो में गाँव, खण्ड और जिला स्तर पर हर साल में नियमित चुनाव कराने और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रवधान किया गया था। स्थानीय जन प्रतिनिधि संस्थाओं का मुख्य पहलू है कि 12 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित है। जहाँ पहले महिला सरपंच या उपसरपंच दीया लेकर ढूँढने से भी नही मलती थी वहाँ अब ये ही ग्राम महिला

नेता अपनी कर्तव्यपरायणता,निष्ठा और निष्पक्षता के कारणपंचायती राज के इतिहास में स्वर्णिम इतिहास बनाती जा रही हैं पहले महिलाएं निरक्षरता के कारण हार की दहलीज पार करने को पाप या अपराध मानती थी लेकिन साक्षरता की सीढ़ी चढते हुये पंचायती राज में महिलाओं की भगीदारी बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में आग बढ़ रही है।

(2) हरियाणा राज्य के डाबरी ग्राम पंचायत को ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया, डाबरी के सरपंच श्री गुरूनाम सिंह को दो पुरस्कार प्राप्त हुये, पहला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार एवं दूसरा राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, यह पुरस्कार ग्राम पंचायत को ग्राम विभिन्न रिकार्ड ठीक से रखने,गाँवकी मिटिंग/सभा निरन्तर कराने तथा विकास के कार्योंको अच्छे ढंग करने हेतु दिया गया। इस ग्राम पंचायत ने एक प्रौघौगिकी शुरू की। ग्रामीणों ने जल संरक्षण हेतु ठोस एवं द्रव्य अवशेष यूनिट एवं तीन तालाब के सिस्टम को शुरू किया। डाबरी ग्राम सभा को अप्रैल 2015 में हर वर्ग में 8 लाख रूपये का पुरस्कार मिला।

अभ्यास प्रश्न 2

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

a. पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व .....करता है।
b. पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे व शीर्षस्तर ..... है।
c. पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु .....वर्ष होनी चाहिए।
d. भारत में पहला नगर निगम .....में स्थापित हुआ।
e. .....राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है।
f. पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन .....स्तर पर होता है।
g. पंचायती राज संस्था का कार्यकाल .....वर्ष का होता है।
h. 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए .....प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है।
i. पंचायत समिति की गठन..... स्तर पर होता है।
j. यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन.....के समय के अंदर आवश्यक है।

2. भारत में पंचायती राज प्रणाली का वर्णन किजिये।

3. ग्राम सभा की विशेषताएं बताइये।

4. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय शासन के सम्बन्ध में प्रावधान का वर्णन किजिये।

5. सामुदायिक विकास में पंचायती राज व्यवस्था के उद्येश्य बताइये।

6. ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के कार्यों की तुलना कीजिए।

12.5सारांश

इस इकाई के माध्यम से हमने भारत में पंचायती रात के सुद्ढ़िकरण के लिए किये गये प्रयासों, जिनमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. समिति, डा. एल. एम. सिंघवी समिति और सरकारी आयोग व पी0 के0 थुंगर समिति के बारे में चर्चा की ताकि पंचायती राज के सुद्ढ़िकरण के प्रयासों की जानकारी सभी तक पहुँच सके। इसके साथ ही हमने सामुदायिक विकास में प्रभावी पंचायती राज संगठनो व संस्थाओ; ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत के संगठन व क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ ही लघु उदाहरणों द्वारा आदर्श ग्राम सभा और ग्राम सभा और उसके नागरिकों के कार्यों व जिम्मेदारियों को भी आपने समझा।

12.6अभ्यासप्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. भाग9 देखें
2. 73वें संशोधन
3. राज्य निर्वाचन आयोग
4. 1993
5. नागौर, राजस्थान
6. सामुदायिक विकास कार्यक्रम
7. बलवंत राय मेहता समिति
8. ग्राम पंचायत
9. 24 अप्रैल
10. अशोक मेहता समिति

अभ्यास प्रश्न 2

1. ग्राम प्रधान
2. जिला पंचायत
3. अरुणाचल प्रदेश में

4. ग्राम स्तर पर
5. 5
6. प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
7. प्रखंड स्तर
8. 6 माह

12.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

a. रानी, एन. 2006. पंचायती राज व्यवस्थाः सिद्धान्त एवं व्यवहार। राजपाल प्रकाशन पृष्ठ सं. 312।

b. मिश्रा, ए.के., अख्तर, एन. और तारीका, एस. 2011. रोल ऑफ पंचायती राज इन्सटीट्यूशन इन रूरल डवलेपमेंट एन एनालिटिकल स्टडी आफ उत्तर प्रदेश। में नेजमेंट इनसाइट।खण्ड.7न.1.पृष्ठ सं.3.10।

c. मण्डल, एस., राय, जी.एल. 2011. रूरल डवलेपमेंट। कल्यानी पब्लिशर, न्यू दिल्ली।

d. अनन्थ, पी. 2014. पंचायती राज इन इण्डिया। खण्ड.1न.1.पृष्ठ सं.1.9।